पंचदश माला, खंड 19, अंक 26

गुरूवार, 8 सितम्बर, 2011

17 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)



(खण्ड 19 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 19, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)
अंक 26, गुरूवार, 8 सितम्बर, 2011/17 भाद्रपद, 1933 (शक)

विषय **कॉलम**

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उल्लेख 1-3

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 501 से 520 3-48

अतारांकित प्रश्न संख्या 5751 से 5980 48-563

सभा पटल पर रखे गए पत्र 563-578

वित्तीय समितियां (2010-11) - एक समीक्षा 579

राज्य सभा से संदेश 579

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) अंतिम की गई कार्रवाई - विवरण 579

(दो) अध्ययन दौरा - प्रतिवेदन 579-580

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर क्रियान्वयन की स्थिति

श्री जयराम रमेश 580-581

(दो) माननीय प्रधानमंत्री का 6 और 7 सितम्बर, 2011 को ढाका, बांग्लादेश का दौरा

श्री एस.एम. कृष्णा 581-586

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 586-587

नियम 377 के अधीन मामले 587-600

(एक) मईलादुतुरई और बंगलौर के बीच नई रेल सेवा शुरू किए जाने तथा बंगलौर-सेलम ट्रेन संख्या 56513/56514 को आगे तमिलनाडु में नागौर तक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी 587-588

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के नामों को न बदलने के लिए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को कड़े दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा 588

(तीन) पश्चिम बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे पर विमानों को रात्रि में उतारे जाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इसके विकास के लिए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 588-589

(चार) उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित रेल कोच फैक्ट्री की अनुषंगी इकाईयां फैजाबाद जिले में स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. निर्मल खत्री 589

(पांच) केरल के कोल्लम जिले में काजू बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 589-590

(छह) उत्तराखंड में भू-स्खलन और भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों और अनुर्वर हुई भूमि के लिए प्रतिपूर्ति की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय बहुगुणा 590-591

(सात) उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गाय घाट और कैलाशपुरी में रेलवे हाल्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर 'कमांडो' 591-592

(आठ) महाराष्ट्र के नागपुर में नेशनल लॉ स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 592-593

(नौ) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थल का विकास किए जाने तथा इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा इसे अन्य बौद्ध स्थलों से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 593-594

(दस) कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 594

विषय **कॉलम**

(ग्यारह) बिहार के गया में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें पर्याप्त प्रतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी 595

(बारह) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 595

(तेरह) मदुरै और नागरकोईल तथा त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच दोहरी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन..... 595-596

(चौदह) महाराष्ट्र के यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के अन्य भागों के साथ बेहतर संपर्क मुहैया कराने के लिए रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना पाटील गवली..... 596-597

(पंद्रह) झारखण्ड के जमशेदपुर में टाटानगर से रात्रि रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय कुमार 597-600

विदाई संबंधी उल्लेख 600-604

राष्ट्र गीत 604

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका..... 605-606

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका..... 606-614

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 615-616

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 615-618

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/19/26/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।

लोक सभा

गुरुवार, 8 सितम्बर, 2011/17 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। जैसाकि आपको विदित है कि यह दिन विश्वभर में लोगों में साक्षरता संबंधी मुद्दों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है।

तथापि, भारत जैसे देश में यह दिन हमें स्मरण कराता है कि भविष्य में हमारे द्वारा क्या-क्या किया जाना शेष है।

जनगणना संबंधी नवीनतम आंकड़ों से हमें पता लगता है कि हमने 74 प्रतिशत से अधिक की साक्षरता दर हासिल कर ली है। यद्यपि साक्षरता में काफी सुधार हुआ है, तथापि यह पर्याप्त नहीं है। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य अभी तक वास्तविकता नहीं बन पाया है। इसके अनेक कारण हैं परन्तु लिंग आधारित असमानता और महिला साक्षरता की निम्न दर इसके प्रमुख कारण हैं।

आइए, इस अवसर पर हम भारत को पूर्ण साक्षर बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लें।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 501।

श्री मधुसूदन यादव।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मैंने पहली बार क्वैश्चन ऑवर सस्पैंड करने का नोटिस दिया है।...(*व्यवधान*) मुझे बोलने दिया जाए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम प्रश्नकाल शुरू करेंगे। कृपया प्रश्नकाल चलने दें। आज सत्र का अंतिम दिन है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): क्वैश्चन ऑवर तो चलने दीजिए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आज सत्र का अंतिम दिन है।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्नकाल चलने दें।

...(*व्यवधान*)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं सदैव ही अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता हूं। मैंने बड़े परिश्रम के साथ प्रश्नों के जवाब तैयार किये हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्नकाल चलने दें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: यह गलत परंपरा स्थापित हो रही है।...(*व्यवधान*) क्वैश्चन ऑवर चलने दीजिए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: क्वैश्चन ऑवर चलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल: मैं पांच बार प्रश्न काल के दौरान उत्तर नहीं दे पाया हूं। सदस्यों ने प्रश्न तैयार किए हैं। मेरे प्रश्न पर चर्चा होने दीजिए।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल नीति

***501. श्री मधुसूदन यादव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति, 2002 राष्ट्रीय परिदृश्य में जल के अंतर बेसिन अंतरण तथा जल संसाधनों के प्रबंधन को अधिदेशित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के अनुसरण में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए बारहमासी धाराओं में न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जल नीति 2002 के पैरा 3.5 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित क्षेत्रों और बेसिनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल अंतरण द्वारा जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसमें एक नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन में जल का अंतरण भी शामिल हो।

(ग) से (ङ) वर्तमान में सरकार के समक्ष पारिस्थितिकी के अनुरक्षण के लिए जल के न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण (डब्ल्यू.क्यू.ए.ए.) का गठन किया है। डब्ल्यू.क्यू.ए.ए. ने पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए नदियों में न्यूनतम प्रवाह से संबंधित मुद्दों के संबंध में सलाह देने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल ने जल गुणवत्ता पहलुओं को शामिल करते हुए न्यूनतम प्रवाह से संबंधित मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट समीक्षा के लिए तथा राज्य सरकारों से बातचीत/परामर्श हेतु उप-समिति को भेज दी गई है।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

***502. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
श्री नरहरि महतो:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अच्छी और पारदर्शी कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हाल ही में कुछ कंपनियों में अनियमितताओं/अवैध कृत्यों की घटनाओं के मद्देनजर कंपनी अधिनियम में लेखाविधि संबंधी मानदंडों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कॉरपोरेट क्षेत्र के कार्यकरण को पारदर्शी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2009 में कॉरपोरेट शासन पर स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी विधेयक, 2011 में अच्छे कॉरपोरेट शासन के लिए विभिन्न उपायों का प्रावधान है, जो कि संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने एवं अनुमोदन के अधीन लागू होंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) और (घ) लेखांकन मानकों में परिवर्तन एक विकासशील एवं सतत प्रक्रिया है। लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) को लेखांकन मानकों की जांच करने एवं अपेक्षित सुधारों के संबंध में सरकार को सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है।

(ङ) एम.सी.ए. 21 प्रणाली के तहत ई-शासन परियोजना, कॉरपोरेट शासन में अनुपालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इसकी महत्वपूर्ण विशेताएं निम्नलिखित हैं:-

(क) एम.सी.ए. 21 में कॉरपोरेट रिपोर्टिंग प्रकटीकरण पर आधारित है।

(ख) कंपनियों का पंजीकरण ऑनलाइन होता है।

(ग) कंपनियों द्वारा सभी दस्तावेज एवं विवरण ऑनलाइन दायर किए जाते हैं।

(घ) आम जनता द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन निरीक्षण।

(ङ) किसी कंपनी आदि में निदेशक हेतु प्रस्तावित किसी व्यक्ति के लिए निदेशक पहचान संख्या (डी.आई.एन.) जारी करने की सुविधा।

विज्ञापनों के माध्यम से आय

***503. श्री रामसिंह राठवा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों के भीतर और बाहर तथा टिकटों/आरक्षण फार्मों आदि पर विज्ञापन दिए जाने सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जुटाए गए राजस्व का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार विज्ञापनों के माध्यम से आय सृजन के नए क्षेत्रों का पता लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 (जून, 2011 तक) के दौरान विज्ञापनों से जोन-वार आय (स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों की भीतरी और बाहरी दीवारों पर और टिकटों/आरक्षण फार्मों आदि पर) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

जोन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 जून, 2011 तक
1	2	3	4	5
मध्य	29.74	30.27	34.22	5.59
पूर्व	5.04	5.80	9.41	0.67
पूर्व मध्य	2.18	0.89	0.95	0.00
पूर्व तट	2.34	4.03	3.97	0.77
उत्तर	35.23	40.84	32.92	1.22
उत्तर मध्य	1.23	2.66	3.22	0.22
पूर्वोत्तर	1.22	1.63	2.15	0.39
पूर्वोत्तर सीमा	1.21	0.76	0.27	0.00

1	2	3	4	5
उत्तर पश्चिम	3.22	4.36	3.83	1.44
दक्षिण	20.21	18.86	25.30	4.97
दक्षिण मध्य	7.01	5.21	8.93	1.49
दक्षिण पूर्व	1.76	2.61	3.16	0.92
दक्षिण पूर्व मध्य	1.42	0.56	1.30	0.80
दक्षिण पश्चिम	2.75	4.53	3.73	1.03
पश्चिम	33.76	36.24	39.97	10.10
पश्चिम मध्य	2.26	1.80	2.38	1.16
मेट्रो	6.89	9.15	12.03	1.68
कुल	157.47	170.20	187.74	32.45

(ख) और (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारतीय रेलों पर वाणिज्यिक प्रचार में कुछ नई अवधारणाएं शुरू की गई हैं जिनमें थोक विज्ञापन अधिकार, रेलगाड़ियों में विनायल चढ़ाना, ऑन-बोर्ड ज्ञानरंजन और टिकटों, आरक्षण चार्टों/फार्मों पर विज्ञापन शामिल है। वाणिज्यिक विज्ञापनों के नए क्षेत्रों का पता लगाना एक सतत् प्रक्रिया है।

अमोनियम सल्फेट पर राजसहायता

***504. श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उत्पादित अमोनियम सल्फेट की तुलना में आयातित अमोनियम सल्फेट का मूल्य कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमोनियम सल्फेट पोषण आधारित राजसहायता नीति के दायरे से बाहर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व व्यापार संगठन ने अमोनियम सल्फेट को पोषण आधारित राजसहायता व्यवस्था से बाहर रखने का ब्यौरा और कारण मांगे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जी.एस.एफ.सी.) और द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट (कैप्रोलैक्टस ग्रेड) की लागत आयातित अमोनियम सल्फेट से अधिक है। नेफ्था आधारित कंपनी होने के कारण, फैक्ट के मामले में अमोनियम सल्फेट की लागत जी.एस.एफ.सी. से अधिक है, जो गैस आधारित कंपनी है।

(ग) और (घ) जी नहीं। स्वदेशी रूप से उत्पादित अमोनियम सल्फेट पोषकर-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत शामिल है।

(ङ) और (च) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) ने एन.बी.एस. व्यवस्था से आयातित अमोनियम सल्फेट को निकाले जाने का कारण पूछा है। वाणिज्यिक विभाग में दिनांक 11-05-2011 को हुई एक बैठक के

दौरान डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रतिनिधियों ने यह प्रश्न उठाया था कि भारत सरकार द्वारा आयातित अमोनियम सल्फेट को राजसहायता व्यवस्था से बाहर रखते हुए केवल स्वदेशी रूप से उत्पादित अमोनियम सल्फेट को ही राजसहायता क्यों दी जा रही है। अमोनियम सल्फेट के अधिक इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सरकार कृषि में इसके उपयोग को बढ़ाने के खिलाफ है।

रेलवे भूमि का अतिक्रमण

***505. श्री मनीष तिवारी:**

श्री जयवंत गंगाराम आवले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय रेलवे के पास प्रत्येक जोन में कितनी भूमि है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे भूमि पर अतिक्रमणों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जोन-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अतिक्रमणकारियों से जोन-वार रेलवे की कितनी भूमि को वापस लिया गया है;

(ङ) क्या रेलवे भूमि के बड़े भाग का उपयोग कूड़ा फेंकने, मलत्याग करने और बसावट आदि के लिए किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) से (च) भारतीय रेलवे के पास लगभग 4.31 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 981 हेक्टेयर भूमि, जो कि रेलवे की कुल भूमि का 0.23 प्रतिशत है, पर अतिक्रमण है। 31-03-2011 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बल्कि भारतीय रेलवे में लगभग 586 हेक्टेयर रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और लगभग 9470 अतिक्रमण के मामलों की कमी आई है। भूमि का कुल क्षेत्रफल, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का क्षेत्रफल और 31-03-2011 को अतिक्रमणाधीन भूमि की जोन-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। शहर/नगर समूहों में, रेलवे भूमि पर मुख्यत: कूड़ा-करकट डालने, मल त्यागने आदि का कार्य किया जाता है, रेलें भेद्य स्थानों पर कार्यक्रमबद्ध आधार पर चारदीवारी, बाड़, वृक्षारोपण आदि द्वारा भूमि/संपत्ति की रक्षा करने का कार्य सतत् आधार पर करती है।

विवरण

रेलवे जोन	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	31-03-2011 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	31-03-2011 को अतिक्रमणाधीन भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
मध्य	27580	14	64
पूर्व	20642	2	21
पूर्व मध्य	33611	13	4
पूर्व तट	12621	9	22
उत्तर	38865	502	220

1	2	3	4
उत्तर मध्य	15051	4	50
पूर्वोत्तर	25648	2	28
पूर्वोत्तर सीमा	43224	3	168
उत्तर पश्चिम	23922	1	19
दक्षिण	25540	3	62
दक्षिण मध्य	27516	16	13
दक्षिण पूर्व	42088	6	163
दक्षिण पूर्व मध्य	24145	6	49
दक्षिण पश्चिम	13415	1	16
पश्चिम	34575	1	41
पश्चिम मध्य	23255	3	41
मेट्रो	122	0	0
कुल	431820	586	981

ईंधन राजसहायता

***506. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को मिट्टी के तेल तथा घरेलू रसोई गैस पर राजसहायता के प्रत्यक्ष अंतरण का अध्ययन करने हेतु गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को कितनी धनराशि का भुगतान किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा पी.डी.एस. मिट्टी तेल, घरेलू एल.पी.जी. और उर्वरकों पर राजसहायताओं के सीधे हस्तांतरण हेतु एक कार्यान्वित किए जाने योग्य समाधान की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) के अधीन फरवरी, 2011 में एक कार्य दल का गठन किया गया है। कार्य दल हकदार लाभार्थियों को नकद के समतुल्य राजसहायता के हस्तांतरण के लिए कार्यप्रणाली की सिफारिश करेगा। कार्य दल ने दिनांक 5-7-2011 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) कार्यदल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में नकद राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के लिए चरणबद्ध अवधारणा का सुझाव दिया है। पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के लिए प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1. **मिट्टी तेल:** राज सरकार के साथ परामर्श करके

निम्नलिखित चरणों में पी.डी.एस. मिट्टी तेल के लिए नकद राजसहायता के हस्तांतरण की सिफारिश की गई है:

चरण-I - राजसहायता का राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन को सीधा हस्तांतरण: राज्य/संघ शासित प्रदेश को जारी की जाने वाली मिट्टी तेल राजसहायता की धनराशि राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा तेल कंपनी के डिपो से उठाए गए मिट्टी तेल तक सीमित होगी।

चरण-II - लाभार्थियों को राजसहायता का हस्तांतरण: लाभार्थियों को लेनदेन को 'आधार' - यू.आई.डी. आधारित प्लेटफार्म से संबद्ध करके उनके बैंक खातों के माध्यम से राजसहायता के समतुल्य नकद धनराशि का हस्तांतरण करना।

प्रणाली को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्य दल द्वारा निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है:

(i) राज्य सरकारों को लाभार्थियों को मिट्टी तेल राजसहायता के सीधे हस्तांतरण हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं शुरू करने के लिए एक वर्ष (31 मार्च, 2012 तक) का समय दिया जाए।

(ii) 'आधार' अधिप्रमाणन के आधार पर मिट्टी तेल राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के लिए एक प्रयोगिक के तौर पर शुरू किया जाएगा। प्रयोगिक रूप से कर रहे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी तेल राजसहायता को पूर्व माहों में पूरी दरों पर वास्तव में उठाए गए मिट्टी तेल से संबद्ध किया जाएगा।

(iii) एक वर्ष की समयसीमा से पहले ही मिट्टी तेल राजसहायता के सीधे हस्तांतरण को कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार किया जाएगा।

2. घरेलू एल.पी.जी.: घरेलू एल.पी.जी. के लिए राजसहायता के नकद हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित समयसीमा पर चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए विचार किया गया है ताकि उपभोक्ताओं के लिए अचानक कोई परिवर्तन किए बगैर कुछ समय में मौजूदा व्यवस्था का निम्नानुसार सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके और संभावित घटनाओं से निपटने के लिए प्रणाली में सुधार किया जा सके:

चरण-I - सभी उपभोक्ताओं के लिए राजसहायता प्राप्त सिलिंडरों के उपभोग की अधिकतम सीमा: राजसहायता प्राप्त दर पर जारी किए जाने वाले सिलिंडरों की संख्या इस संबंध में लिए गए सरकारी नीतिगत निर्णय के अनुरूप प्रति घर सीमित की जाए।

चरण-II - उपभोक्ताओं को राजसहायता का सीधा हस्तांतरण: ग्राहक बाजार मूल्य पर सिलिंडर खरीदेंगे जबकि सरकार प्रति सिलिंडर राजसहायता निर्धारित करेगी। ओ.एम.सीज बाजार मूल्य पर घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री करेंगी और राजसहायता की धनराशि सरकार से ग्राहकों को आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी।

चरण-III - पहचाने गए और लक्षित वर्ग विशेष के उपभोक्ता: एल.पी.जी. राजसहायता विशिष्ट श्रेणियों को प्रदान की जाएगी और शेष उपभोक्ताओं के लिए राजसहायता समाप्त कर दी जाएगी।

(ग) तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूलियों के संबंध में शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ई.जी.ओ.एम.) ने एल.पी.जी. और मिट्टी तेल के लिए नकद राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के चरण-वार कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को सिद्धांतत: अनुमोदन कर दिया है। तदनुसार, सरकार ने हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और मैसूर (कर्नाटक) में घरेलू एल.पी.जी. और अलवर (राजस्थान) में पी.डी.एस. मिट्टी तेल के लिए नकद राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के लिए अंतरिम रिपोर्ट में यथा प्रस्तावित परिवर्तन शुरू करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए पहल की है।

(घ) चूंकि पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. पर राजसहायता परिवर्तनशील है अत: राजसहयाता की मात्रा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगी। पात्र श्रेणी के भीतर लाभार्थियों की पहचान करना संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश की जिम्मेदारी होगी।

पेयजल की आपूर्ति

***507. श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्य इस समय सूखा जैसी स्थिति महसूस कर रहे हैं और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति किए जाने में समस्या आ रही है;

(ख) सरकार द्वारा इन राज्यों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कौन-सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य को विशेष दर्जा देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का अंतिम निर्णय क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए इन्हें कितनी धनराशि जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किसी भी राज्य सरकार ने 2011-12 में मंत्रालय को आज तक सूखे जैसी स्थिति से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न पेयजल आपूर्ति संकट के बारे में नहीं बताया है।

(ख) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्यों की पेयजल की व्यवस्था करने के प्रयासों में मदद करने के लिए उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर उन्हीं के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का संचालन करता है। एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, अनुमोदित करने, तथा उन्हें निष्पादित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2009 में भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह राज्य को किए गए मौजूदा आवंटन के अलावा अगले 8 वर्षों के लिए 3045 करोड़ रु. की विशेष वार्षिक सहायता प्रदान करके उसे विशिष्ट श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दे। इस पर विचार किया गया और राज्य सरकार को यह सूचित किया गया कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने किसी भी राज्य को विशिष्ट श्रेणी वाले राज्य का दर्जा नहीं दिया है और एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत किसी भी राज्य को विशिष्ट श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार ने योजना आयोग से इसी प्रकार का अनुरोध किया था। योजना आयोग ने यह सूचित किया है कि राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन के कतिपय मानदंडों, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र, कम घनत्व वाली आबादी और/या जनजातीय आबादी का अनुकूल हिस्सा, पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ सामरिक नीतिगत स्थिति, आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक पिछड़ापन तथा राज्य वित्त का अव्यवहार्य स्वरूप शामिल है, के आधार पर राज्यों को विगत में विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया गया है। इसलिए योजना आयोग ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि राज्य विशिष्ट समस्याओं के आधार पर विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने वाले किसी भी राज्य के लिए यह और अधिक उपयुक्त होगा कि 'विशेष श्रेणी वाले राज्य' की परिभाषा को बदलने की बजाए उन्हें मामला-दर-मामला आधार पर वित्तीय सहायता/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आदि दी जाए जैसा कि अब तक होता रहा है।

(ङ) 2011-12 के दौरान राज्यों को एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत किए गए आवंटन तथा रिलीजों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

2011-12 के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत आवंटन और रिलीज

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	रिलीज*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	510.84	212.79

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.79	60.70
3.	असम	428.86	203.71
4.	बिहार	355.66	168.94
5.	छत्तीसगढ़	130.81	62.13
6.	गोवा	5.56	2.64
7.	गुजरात	485.11	233.73
8.	हरियाणा	221.22	107.70
9.	हिमाचल प्रदेश	138.98	63.48
10.	जम्मू और कश्मीर	466.80	222.12
11.	झारखण्ड	172.69	82.03
12.	कर्नाटक	571.64	274.44
13.	केरल	150.18	71.34
14.	मध्य प्रदेश	387.78	152.69
15.	महाराष्ट्र	686.84	326.25
16.	मणिपुर	56.74	26.95
17.	मेघालय	65.27	31.00
18.	मिजोरम	37.10	17.62
19.	नागालैंड	53.71	25.51
20.	ओडिशा	213.30	101.32
21.	पंजाब	82.46	30.90
22.	राजस्थान	1151.52	557.84
23.	सिक्किम	16.06	6.12
24.	तमिलनाडु	264.56	118.94
25.	त्रिपुरा	55.98	25.53
26.	उत्तर प्रदेश	690.22	332.85
27.	उत्तराखंड	144.89	68.82

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	321.70	152.81
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
34.	पुडुचेरी	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00
	कुल	7994.27	3740.90

*6-9-2011 की स्थिति के अनुसार।

कच्चे तेल का उत्पादन

***508. श्री रमेन डेका:**
श्री हरीश चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कच्चे तेल का असम सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके द्वारा देश के विभिन्न भागों में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्षेत्रों/क्रियाकलापों तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) और ऑयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए कच्चे तेल के उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर हैं।

(ख) ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. पर्यावरण को बचाने के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विभिन्न उपाय करती हैं, जिसमें शामिल हैं:-

(i) संस्थापनों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों आई.एस.ओ.-9001, ओ.एच.एस.ए.एस.-18001 और आई.एस.ओ.-14001 की अपेक्षाओं पर आधारित गुणवत्ता, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण (क्यू.एच.एस.ई.) प्रबंधन प्रणाली हैं और ये तृतीय पक्षकार द्वारा प्रमाणित हैं।

(ii) एकत्रित बेकार जल का वेधन प्रचालनों के दौरान उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग किया जाता है।

(iii) बहि:स्राव उपचार संयंत्र और उत्पादित जलानुकूलक निर्धारित मानक के अनुसार इसके निपटान से पहले बहि:स्राव उपचार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नियमित रूप से प्रचालन में हैं।

(iv) तेल दूषित मिट्टी और टैंक की तली की गाद

के निम्नीकरण के लिए जैव पुनः उपचार पद्धति अपनाई जाती है।

(v) खतरनाक अपशिष्ट का निपटान सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है।

(vi) सभी उत्पादन संस्थापन की नियमित भूमिगत जल की गुणवत्ता और आसपास की वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा रही है।

(vii) हरितकरण कार्यक्रम के तहत संस्थापनों में और उनके आसपास वृक्षारोपण कार्यकलाप किए जाते हैं।

(viii) वेधन प्रचालनों में वेधन बहिःस्राव गर्त्त जल का पुनर्चक्रण ताकि सभी बहिःस्रावों को कूप स्थल परिसरों में रखा जा सके और जल का पुनः इस्तेमाल हो सके।

(ix) ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए वेधन रिगों में विद्युत गृहों, तेल संग्रहण स्टेशन आदि, में ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों के चारों ओर ध्वनि रोधक दीवारों का निर्माण किया जाता है।

(x) पर्यावरण सुरक्षा नियमों के तहत यथानिर्धारित 40 एम.जी./लीटर तेल की मात्रा तक उत्पादित जल का उपचार करने के लिए, समुद्र में फेंकने से पहले, सभी अपतटीय प्लेटफार्मों को उत्पादित जलानुकूलकों से सज्जित किया जाता है।

(xi) बेकार तेल/स्पेंट तेल अभितट पर लाया जाता है और उनका निपटान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.)/महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.सी.बी.) अनुमोदित पुनर्चक्रकों के जरिए किया जाता है।

(xii) हमारे प्रचालनों के प्रभाव की निगरानी करने के लिए, पर्यावरण संबंधी निगरानी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन.आई.ओ. के जरिए की जा रही है।

(xiii) पश्चिम और पूर्व तटों दोनों के लिए तेल विखराव आकस्मिक योजना लागू है।

(ग) ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा अपनी नैगम सामाजिक जिम्मेवारी (सी.एस.आर.) योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, उद्यमशीलता, संरचना सुविधा सहायता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेलों का संवर्धन आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप किए जा रहे हैं। ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा देश में विगत तीन वर्षों के दौरान सी.एस.आर. योजनाओं के लिए किए गए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. का विगत तीन वर्षों में मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) में राज्य/स्थल वार कच्चे तेल का उत्पादन

ओ.एन.जी.सी.

राज्य/क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
गुजरात	5.788	5.785	5.757
असम	1.223	1.191	1.150
तमिलनाडु	0.265	0.238	0.233
आन्ध्र प्रदेश	0.289	0.303	0.305
त्रिपुरा	-	-	0.002
मुंबई अपतट	17.801	17.154	16.972

ओ.आई.एल.

राज्य/क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
असम	3.432	3.539	3.563
अरुणाचल प्रदेश	0.036	0.033	0.023

विवरण-II

ओ.एन.जी.सी. की विगत तीन वर्षों में सी.एस.आर. कार्यकलापों के खर्च के ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

ओ.एन.जी.सी.

राज्य/क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2.95	6.57	4.07
असम	15.48	23.08	9
बिहार	0	0	0.015
चंडीगढ़	0	0	0.092
छत्तीसगढ़	0	0	0.0035
दिल्ली	57.11	55.55	171.83
गोवा	0	0	0.023
गुजरात	38.8	91.9	10.61
हरियाणा	0	0	0.53
हिमाचल प्रदेश	0	0	0.078
झारखंड	0	0	0.732
कर्नाटक	0	0	0.15
केरल	0	0	0.588
मध्य प्रदेश	0	0	0.033
महाराष्ट्र	4.79	13.53	3.57

1	2	3	4
ओडिशा	0	0	0.02
पुडुचेरी	0	5.96	0.287
पंजाब	0	0	0.035
राजस्थान	0.11	0.2	0.156
तमिलनाडु	2.58	14	3.45
त्रिपुरा	7.42	16.33	3.6
उत्तर प्रदेश	0	0	2.37
उत्तराखंड	34.33	40.79	6.37
पश्चिम बंगाल	5.48	0.96	1.41
ओ.आई.एल. के विगत तीन वर्षों के सी.एस.आर. कार्यकलापों के खर्च के ब्यौरे			
असम	12.61	23.34	29.05
अरुणाचल प्रदेश	1.10	0.78	0.35

[हिन्दी]

तटीय भू-कटाव

***509. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्र से भू-कटाव की समस्या पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्र से भू-कटाव की समस्या का सामना करने के लिए राज्यों को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत भी सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय तटीय संरक्षण योजना तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्र से भू-कटाव को रोकने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने तटरेखा के कुछ क्षेत्रों में समुद्र-कटाव संबंधी समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए बाह्य सहायता से शुरू करने हेतु एक राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) तैयार करने की संभावना खोजने की दृष्टि से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) के बीच हुई चर्चा के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों के लिए एक "स्थायी तटीय सुरक्षा एवं प्रबंधन परियोजना" तैयार करने के लिये एक परियोजना निर्माण तकनीकी सहायता (पी.पी.टी.ए.) कार्यक्रम-1 शुरू किया गया था। इसे मिलियन 1 अमेरिकी डॉलर की समतुल्य राशि के ए.डी.बी. अनुदान से वित्तपोषित किया गया था और

ए.डी.बी. द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा यह कार्य किया गया। तकनीकी सहायता से एन.सी.पी.पी. का मोटे तौर पर सहयोग किया जाता है। पी.पी.टी.ए. की अंतिम रिपोर्ट मई, 2009 में पूरी की गई थी। पी.पी.टी.ए. के अंतर्गत लगभग 404.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक निवेश कार्यक्रम तैयार किया गया है। 404.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल अनुमानित लागत में से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता ए.डी.बी. द्वारा की जाएगी, 119.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण महाराष्ट्र (51.196 मिलियन अमेरिकी डॉलर), कर्नाटक (54.941 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और गोवा (13.693 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा और शेष 34.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निजी क्षेत्र द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना के लिये संघ सरकार द्वारा कोई वित्तपोषण नहीं किया जाना है।

परियोजना को तीन चरणों में क्रियान्वित किए जाने की योजना है। परियोजना के चरण-1 में 4 उप-परियोजनाएं नामतः (i) उल्लास तटीय कटाव एवं इंटेल सुधार परियोजना, कर्नाटक, (ii) मिरया खाड़ी, तटीय कटाव एवं सुरक्षा परियोजना, महाराष्ट्र (iii) कोलवा तट प्रबंधन परियोजना, गोवा और (iv) कोको तट पुनरूद्धार परियोजना, गोवा शामिल हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की ऊपर उल्लिखित उप-परियोजनाओं को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा 20-07-2011 को आयोजित अपनी 110वीं बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। 51,555,000 अमेरिकी डॉलर (41,020,000 अमेरिकी डॉलर कर्नाटक के लिये और 10,535,000 अमेरिकी डॉलर महाराष्ट्र के लिये) के ऋण समझौते पर 17-08-2011 को हस्ताक्षर किये गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) XIवीं योजना के दौरान गुजरात राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफ.एम.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से लगभग 794.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक समुद्र कटाव-रोधी स्कीम नामतः "जामनगर जिले में तालुका, द्वारका में संगम नारायण मंदिर से गायत्री मंदिर तक कटाव से निपटने के लिये तटीय सुरक्षा/समुद्री दीवार उपलब्ध कराना" शुरू की गई है जिसके लिये जनवरी, 2011 में वित्त मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य सरकार को 2.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, "तटीय एवं गंगा बेसिन इतर राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक Xवीं योजना स्कीम के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए एफ.एम.पी. के तहत XIवीं योजना के दौरान कर्नाटक और ओडिशा राज्य सरकार को क्रमशः 3.80 करोड़ रुपये और 0.85 करोड़ रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ङ) गुजरात और केरल राज्य सरकारों से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और एफ.एम.पी. के अंतर्गत विचार करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग में निम्नलिखित समुद्री कटावरोधी स्कीमें प्राप्त हुई हैं:

I. गुजरात

(i) सूरत जिले में दाभारी, नेशकारंज और दांडी गांवों में समुद्र कटाव-रोधी कार्य (अनुमानित लागतः 1185.00 लाख रुपये)।

(ii) वलसाड जिले के उगरगाम तालुका में फन्सा एवं मरोली गांवों में समुद्र-कटाव-रोधी कार्य (अनुमानित लागतः 1305.00 लाख रुपये)।

(iii) सूरत जिले के कोरयासी तालुका में डुमास गांव में समुद्र तट-कटाव से सुरक्षा (अनुमानित लागतः 2045.44 लाख रुपये)।

(iv) नवसारी जिले के जलालपोर तालुका में समापोर (दांडी) गांव में समुद्र कटाव-रोधी कार्य (अनुमानित लागतः 1600.19 लाख रुपये)।

(v) भावनगर जिले के महुवा तालुका में भवानी मंदिर पर कटाव से निपटने के लिये तटीय सुरक्षा/समुद्री दीवार उपलब्ध कराना (अनुमानित लागतः 323.87 लाख रुपये)।

(vi) भावनगर जिले के तलाजा तालुका में गोपानाथ मंदिर पर कटाव से निपटने के लिये तटीय सुरक्षा/समुद्री दीवार उपलब्ध कराना (अनुमानित लागतः 758.44 लाख रुपये)।

II. केरल

(i) पनथाराकारा, तिरूवनंतपुरम पर 8 भुजारोधों (ग्रोयनों) का निर्माण (अनुमानित लागत 25.38 करोड़ रुपये)।

[अनुवाद]

एविएशन टरबाइन ईंधन के मूल्य

***510. डॉ. संजीव गणेश नाईक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में एविएशन टरवाइन ईंधन का वर्तमान मूल्य क्या है;

(ख) क्या हाल ही में एविएशन टरबाइन ईंधन के मूल्यों में कमी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में पेट्रोल के मूल्यों की तुलना में एविएशन टरबाइन ईंधन के मूल्य कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ङ) क्या एविएशन टरबाइन ईंधन के मूल्य कम होने के कारण तेल विपणन कंपनियों को कोई घाटा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) विमानन टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के दिल्ली में दिनांक 1-9-2011 की स्थिति के अनुसार खुदरा बिक्री मूल्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

ए.टी.एफ.* (रु. प्रति कि.ली.)	पेट्रोल*	डीजल	पी.डी.एस. मिट्टी तेल	घरेलू एल.पी.जी. (रु. प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर)
	रु. प्रति लीटर			
56,259.85	63.70	41.29	14.83	399.00

*मूल्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) करे अनुसार।

(ख) और (ग) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एन.सीज) द्वारा दिनांक 16-8-2011 और 1-9-2011 को ए.टी.एफ. के मूल्य में कमी की गई है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 1-4-2001 से ए.टी.एफ. के मूल्य को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था। तदनुसार, ओ.एम.सीज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े में ए.टी.एफ. के मूल्य की समीक्षा की जाती है और इसे निर्धारित किया जाता है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली विमानन ईंधन स्टेशन (ए.एफ.एस.) में दिनांक 1-4-2011 से 1-9-2011 तक ए.टी.एफ. के किए गए मूल्य संशोधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. प्रति कि.ली.)

तिथि	घरेलू ए.टी.एफ. मूल्य (बिक्री कर से पूर्व)	वृद्धि/(कमी)
1	2	3
01-4-2011	49,297.71	-
16-4-2011	50,336.87	1,039.10
01-5-2011	50,466.69	129.82

1	2	3
16-5-2011	48,994.63	(1,472.06)
01-6-2011	47,055.09	(1,939.54)
16-6-2011	48,202.43	(1,147.34)
01-7-2011	46,872.38	(1,330.05)
16-7-2011	46,937.33	64.94
01-8-2011	48,203.73	1,266.40
16-8-2011	47,240.38	(963.35)
01-9-2011	46,883.02	(357.36)

(घ) ए.टी.एफ. और पेट्रोल, दोनों, नियंत्रणमुक्त उत्पाद हैं और उनके मूल्य ओ.एम.सीज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ओ.एम.सीज ने सूचित किया है कि शुल्कों और करों की भिन्न दरों के कारण देश में वर्तमान में ए.टी.एफ. का मूल्य पेट्रोल के मूल्य से कम है।

(ङ) और (च) ओ.एम.सीज. ने सूचित किया है कि उन्हें ए.टी.एफ. के विपणन पर कोई हानि नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

खादी उत्पादों को बढ़ावा देना

***511. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केन्द्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार खादी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई अभियान शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (सूलमउ) में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से वर्ष 2008-09 में 'वर्तमान कमजोर खादी संस्थाओं के ढांचे को मजबूत बनाना और विपणन ढांचे को सहायता' नामक योजना की शुरुआत की है जो अन्य बातों के साथ-साथ 11वीं योजना अवधि के दौरान के.वी.आई.सी. के 4 बिक्री केन्द्रों सहित 30 खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान के रूप में के.वी.आई.सी. के प्रत्येक विभागीय बिक्री केन्द्र के लिए 25 लाख रुपए की राशि तक की अधिकतम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 से तीन वर्षों की

अवधि के लिए 300 चयनित खादी संस्थाओं में एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की सहायता के साथ एक व्यापक 'खादी सुधार और विकास कार्यक्रम' की शुरुआत की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत एक विपणन संगठन की स्थापना के अतिरिक्त महानगरों और राज्यों की राजधानियों में नए बिक्री केन्द्र खोलने एवं बिक्री केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार सूलमउ मंत्रालय में के.वी.आई.सी. के माध्यम से खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों के निर्यात के संवर्धन करने के लिए प्रयास कर रही है जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) **विदेशी बाजारों में शुरुआत के लिए खादी उत्पादों की पहचान:** के.वी.आई.सी. के निर्यात संवर्धन के लिए रेशमी खादी, ऊनी खादी, सूती खादी और मसलिन खादी के अंतर्गत कई मदों की पहचान की है।

(ii) **खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.):** सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खादी और ग्रामोद्योगी (के.वी.आई.) उत्पादों की शुरुआत में सहायता के लिए के.वी.आई.सी. को डीम्ड ई.पी.सी. का दर्जा प्रदान किया है। वर्ष 2010-11 तक, 900 से अधिक खादी संस्थाएं और आर.ई.जी.पी./ पी.एम.ई.जी.पी. इकाइयां निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सदस्य बन गई हैं।

(iii) **निर्यात प्रोत्साहन:** खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं को खादी ग्रामोद्योगी मदों के सीधे निर्यात पर फ्री ऑन बोर्ड (एफ.ओ.बी.) मूल्य की 5 प्रतिशत की दर पर 10.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा पर प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।

(iv) **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी:** के.वी.आई.सी. खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं और आर.ई.जी.पी./ पी.एम.ई.जी.पी. इकाइयों को विश्व बाजारों में अपने प्रदर्शन के लिए उनकी भागीदारी में सहायता करता है और विदेशी क्रेताओं के साथ अंतर्क्रिया के अवसर भी उपलब्ध कराता है। के.वी.आई.सी. ने भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) और भारतीय निर्यातक संगठन संघ (एफ.आई.ई.ओ.) के साथ इन एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए करार भी किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. ने विभिन्न देशों में छह (6) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी को आसान बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं और आर.ई.जी.पी./ पी.एम.ई.जी.पी. इकाइयों को हवाई-किराए और स्टॉल किराए के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(v) **निर्यात कार्यशालाएं:** खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं/ इकाइयों को निर्यात प्रक्रिया/प्रलेखन और गुणवत्ता, कीमतें, आदि सहित अन्य मामलों के बारे में जागरूक बनाने के लिए निर्यात कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान नई दिल्ली, चैन्नई, भुवनेश्वर, मुंबई और गुवाहाटी में ऐसी पांच (5) कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

(vi) **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई.आई.टी.एफ.):** के.वी.आई.सी., प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आई.आई.टी.एफ. में भाग लेता है। अग्रणी संस्थाओं/ इकाइयों के गुणवत्ताप्रद उत्पादों को इस आयोजन में प्रदर्शित किया जाता है।

(छ) ई.पी.सी. की सदस्यता में वृद्धि के विशेष प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी और विपणन संगठन का गठन ऐसे कुछ प्रयास हैं जो खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। के.वी.आई.सी. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी एवं निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011-12 में 65.00 लाख रुपए की राशि की निधि विशेष रूप से निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

रेल संरक्षा आयोग

***512. श्रीमती जयाप्रदा:**

श्री यशवीर सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल दुर्घटनाओं के मामलों की जांच करने के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त रेल संरक्षा आयोगों के विचारार्थ विषय एवं उनकी संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने इन संरक्षा आयोगों द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्यान्वित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त सिफारिशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) प्रत्येक रेल दुर्घटना की जांच पड़ताल करने की एक निर्धारित प्रणाली है। दुर्घटनाओं को उनके परिणामों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, प्रत्येक दुर्घटना की जांच का स्तर निर्धारित किया जाता है अर्थात् इसकी जांच नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रेल संरक्षा आयुक्त से कराई जाए या रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे (जोन/मंडल) के स्तर पर कराई जाए। प्रत्येक गतिविधि अर्थात् जांच, रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अनुवर्ती कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित है। छोटी दुर्घटनाओं के लिए मंडल में (कनिष्ठ वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) स्तर पर या क्षेत्रीय मुख्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस.ए.जी.)/उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एच.ए.जी.) स्तर पर उपयुक्त जांच समिति गठित की जाती है। जिन दुर्घटनाओं में जनहानि या गंभीर चोट या संपत्ति की भारी हानि शामिल होती है, उनकी जांच रेल अधिनियम, 1989 की धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है। कुछेक मामलों में, "जांच आयोग अधिनियम, 1952" की धारा 3 के तहत गठित एक आयोग द्वारा भी जांच की जाती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा भारतीय रेलों पर संरक्षा के समग्र मामलों की जांच करने और उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाता है।

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के अंदर "जांच आयोग अधिनियम, 1952" के तहत किसी जांच आयोग का गठन नहीं किया गया।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूकंपीय क्षेत्रों का अध्ययन

***513. श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रिकार्ड की गई कम तीव्रता वाली भूकंपीय गतिविधि से संबंधित आंकड़ों का हाल ही में विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप देश में किन-किन भूकंपीय क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय जोन में पड़ने वाले स्थानों में बड़े बांधों, परमाणु विद्युत संयंत्रों तथा जल विद्युत परियोजनाओं सहित विकास संबंधी परियोजनाओं की स्थापना न की जाए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): (क) जी हां। देश में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) समय-समय पर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय भूकंप-विज्ञानी नेटवर्क को प्रचालित करने के लिए नोडल ऐजेंसी है। इससे कम तीव्रता वाले भूकंपों सहित भूकंपनीयता को नियमित आधार पर मॉनीटर किया जा रहा है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत का भूकंप मण्डलन मानचित्र IS 1893:2002 तैयार किया गया है, जिसमें चार जोन अर्थात जोन-II, जोन-III, जोन-IV और जोन-V दर्शाए गए हैं। इनमें जोन-V सर्वाधिक संवेदनशील जोन है। इस भूकंप मण्डलन मानचित्र को प्राप्त किए गए

नए डेटा का प्रयोग कर समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

(ग) बांधों के डिजाइन, अनुसंधान तथा निर्माण में भू-तकनीकी इंजीनियरिंग और विकास में हुई वैश्विक उन्नति को ध्यान में रखते हुए भारत ऐसे बांधों, जो उपयुक्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से भूकंपकीय झटके सह सकें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण सहित विकास परियोजनाओं के निष्पादन में सक्षम है।

केंद्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा समय-समय पर महाराष्ट्र के कोयना और वरना; आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर और श्रीसेलम जैसे जलाशयों तथा भारत के परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) के कुछ परमाणु ऊर्जा स्थलों के भूकंपों को मॉनीटर करने के लिए उचित कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं। मौजूदा बांधों/ जलाशयों के सुरक्षित प्रचालन तथा रखरखाव के लिए भूकंपों के बाद बांधों के निरीक्षण के लिए कुछ दिशानिर्देश भी बनाए गए हैं।

परमाणु बिजली संयंत्र (एन.पी.पी.) के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं का ब्यौरा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) द्वारा तैयार "परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थलों का चयन करने में सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया संहिता" और संबंधित "सुरक्षा मार्ग-दर्शिकाओं" में दिया गया है जिनकी लगातार समीक्षा की जाती है। प्रधान मंत्री ने जापान में आई सुनामी के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों संबंधी सुरक्षा क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. द्वारा क्षमता वृद्धि

***514. श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. अपनी क्षमता में वृद्धि करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने हाल ही में की गई अपनी समीक्षा में यह पाया गया है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. द्वारा समय पर विद्युत उपकरणों की आपूर्ति न कर पाना विद्युत क्षमता में वृद्धि के योजनागत लक्ष्य की प्राप्ति में कमी का एक प्रमुख कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. में प्रबंधकीय क्षमता के अभाव को लक्ष्य प्राप्ति में एक बाधा माना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। बी.एच.ई.एल. अपनी विनिर्माण क्षमता में वृद्धि कर रहा है।

(ख) बी.एच.ई.एल. ने मार्च, 2010 तक 15,000 मेगावाट प्रति वर्ष तक मुख्य विद्युत संयंत्र उपकरण डिलिवर करने की क्षमता स्थापित की है और कंपनी इसे बढ़ाकर मार्च, 2012 तक 20,000 मेगावाट प्रतिवर्ष करने के लिए क्षमता विस्तार कर रही है।

कंपनी ने नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए मैचिंग आवश्यकताओं को भी सशक्त बनाया है। बी.एच.ई.एल. ने निम्नलिखित नई पहल भी की हैं:-

(i) विक्रेता आधार में वृद्धि

(ii) जनशक्ति को बढ़ाना और व्यक्ति विकास

(iii) प्रोजेक्ट साइटों पर इस्तेमाल होने वाले लार्ज क्रेन जैसे टूल्स और प्लांट का विस्तार

(iv) प्रौद्योगिकी करार

(v) सप्लाई चेन प्रबंधन

(vi) प्रभावी परियोजना प्रबंधन, और

(vii) निष्पादन/गुणवत्ता पर समझौता न करते हुए लागत में कमी के उपाय।

(ग) जी, नहीं। योजना आयोग ने बी.एच.ई.एल. द्वारा समय पर उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में कोई समीक्षा नहीं की है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। लक्ष्य पूरा करने में बाधा के रूप में

बी.एच.ई.एल. की प्रबंधकीय क्षमताओं के संबंध में योजना आयोग ने कोई समीक्षा नहीं की है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं

***515. श्री जगदीश सिंह राणा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से उनके कुछ क्षेत्रों को सूखा प्रवण घोषित किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ताकि उन्हें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान मिल सके;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। जल संसाधन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छोटे शेयरधारकों को किसी कंपनी से बाहर निकलने की पेशकश करना

***516. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असूचीबद्ध कंपनियों के लिए किसी कंपनी की 90 प्रतिशत या उससे अधिक ही हिस्सेदारी के अधिग्रहण की स्थिति में छोटे शेयरधारकों को कंपनी से बाहर निकलने की पेशकश किया जाना अनिवार्य बनाने संबंधी सुझावों/अनुरोधों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कंपनी विधेयक, 2009 में उक्त उपबंध को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कंपनी विधेयक, 2011 में इस विषय पर प्रावधान होंगे, जो कि संसद में विधेयक को प्रस्तुत किए जाने एवं अनुमोदनों के अधीन लागू होंगे।

(ङ) प्रस्तावित कंपनी विधेयक, 2011 को अभी मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

[हिन्दी]

न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन संबंधी कृतिक बल

***517. श्री दारा सिंह चौहान:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन संबंधी किसी कृतिक बल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतक बल की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त कृतिक बल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) सरकार ने, तारीख 15-02-2007 की अधिसूचना द्वारा न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारत में न्यायिक प्रभाव निर्धारण के क्रियान्वयन की साध्यता की परीक्षा करने के लिए एक कार्यबल की स्थापना की गई थी। कार्यबल के अध्यक्ष ने तारीख 18-06-2008 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

कार्यबल की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:-

1. एक नए विधेयक या विधान द्वारा न्यायालयों पर मामलों के अतिरिक्त भार का प्राक्कलन करने के लिए न्यायिक प्रभाव निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए।

2. सरकार को एक नए विधेयक या विधान के द्वारा अतिरिक्त मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए निधियों की अपेक्षा का प्राक्कलन करना चाहिए और ऐसे मामलों के लिए पर्याप्त बजट उपबंध करने चाहिए।

3. ऐसे विधेयक, जो संसद् में पुरःस्थापित किए गए हैं, के साथ राज्य विधान-मंडलों में पुरःस्थापित किए गए हैं, के संबंध में ऐसा प्रभाव निर्धारण किया जाना चाहिए।

4. राज्य सरकारों द्वारा संघ सूची या समवर्ती सूची के अधीन पारित केंद्रीय विधियों के क्रियान्वयन का वित्तीय भार, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित न्यायालयों के माध्यम से वहन करना नहीं बनाया जाना चाहिए।

5. राज्य सरकारों को इसी प्रकार विधेयकों के प्रक्रम पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में राज्य विधान-मंडलों द्वारा पारित विधियों के किर्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय उपबंध किए जाने चाहिए।

6. केंद्रीय सरकार, गठन के पुनरीक्षण के लिए, जैसे न्यायिक परिषदों का गठन, न्यायालयों के लिए बजटों की तैयारी और निधियों का विनियोग, आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर भी विचार कर सकेगी।

7. योजना आयोग और वित्त आयोग को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, 'न्याय तक पहुंच' और 'शीघ्र न्याय' के आधारभूत मानवाधिकार को क्रियान्वित करने के लिए देश में न्यायिक प्रशासन के लिए पर्याप्त निधीयों को आबंटित करना चाहिए।

8. संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय विधेयकों/विधान के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायालयों पर संभावित अतिरिक्त व्यय की संगणना और मामलों की संभावित संख्या का निर्धारण करने के लिए दिल्ली में न्यायिक प्रभाव कार्यालय का गठन किया जाना चाहिए।

9. राज्य विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के कार्यान्वयन के संबंध में न्यायालयों पर संभावित अतिरिक्त व्यय की संगणना करने और मामलों की संभावित संख्या का निर्धारण करने के लिए राज्यों के स्तर पर राज्य की राजधानियों में या ऐसे उच्च न्यायालय के स्थान पर अवस्थित, यदि उच्च न्यायालय राज्य की राजधानियों में अवस्थित नहीं है, न्यायिक प्रभाव कार्यालय गठित किए जाने चाहिए।

न्यायिक प्रभाव निर्धारण पर कार्यबल की रिपोर्ट को केंद्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबद्ध मंत्रालयों तथा उच्च न्यायालयों को कार्यबल की सिफारिशों पर उनके विचारों के लिए अग्रेषित किया गया था। जबकि 20 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और 14 न्यायालयों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं, शेष राज्यों/उच्च न्यायालयों से उत्तरों की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता

***518. श्री निशिकांत दुबे:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु उद्योगों को चीन के आयातित उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के आयातित चीनी उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बारे में सरकार को सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सरकार स्वाभाविक रूप से चिंतित है और ऐसे आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करने से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुरक्षित करना चाहती है।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत में सूक्ष्म व लघु

उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार को अनुचित रूप से प्रभावित करने वाले आयातों को रोकने के लिए संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत कई संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं। ये तंत्र हैं: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज (डी.जी.ए.डी.), डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उनकी भूमिकाएं हैं:

(i) डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज (डी.जी.ए.डी.) देश में डंपिंग, घरेलू उद्योग को नुकसान और डंप किए गए उत्पादों तथा नुकसान के बीच संबंध के प्रथम दृष्टया प्रमाण के साथ घरेलू उद्योगों, एम.एस.ई. या अन्य द्वारा दर्ज आवेदनों के आधार पर एंटी डंपिंग जांच करता है।

(ii) डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स को किसी वस्तु के अधिक आयातों के कारण किसी नुकसान/ नुकसान की आशंका की जांच और सेफगार्ड शुल्क लगाने की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।

(iii) डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भारत में आयातों की निगरानी करता है। लघु उद्योग संघों ने हाल में यह चिंता व्यक्त की है कि चीन से साइकिल और उसके पार्ट्स का आयात बढ़ा है जो इन उत्पादों का विनिर्माण करने वाली सूक्ष्म व लघु उद्यम (एम.एस.ई.) इकाइयों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है। इस मामले को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज को भेज दिया गया जो इस मामले की जांच कर रहा है।

इसके अलावा, घरेलू एम.एस.ई. की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.) आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, निष्पादन व क्रेडिट रेटिंग योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, बाजार विकास सहायता योजना भी इस दिशा में एम.एस.ई. की सहायता करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन

***519. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में शुरू की गई परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने चरणों को अब तक कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या सभी चरणों को देश के सभी जिलों में एक साथ कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं तथा मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(छ) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत हुई उपलब्धियों की समीक्षा निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा समिति की बैठकों, अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों तथा विभिन्न मासिक एवं तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए की जाती है।

(ख) पारंपरिक रूप से किसी राज्य से एक वित्त वर्ष के लिए मंजूर किए गए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें एक नयी चरण संख्या दी जाती है। विभिन्न चरणों के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 109010 बसावटों को मंजूरी दी गई है जिनमें से जून, 2011 तक 79281 बसावटें सड़कों से जोड़ी गई हैं। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए तथा कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की रिलीज के लिए राज्य को एक इकाई के रूप में माना जाता है।

(च) और (छ) प्रधान मंत्री सड़क योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा तथा बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में नामित कार्यान्वयन एजेंसियों (एन.ई.ए.) के जरिए भी किया जाता है तथा पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बनाए गए सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जून, 2011 तक) के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में अनियमितताओं और मानदंडों के उल्लंघन सहित 197 शिकायतें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को मिली हैं। 61 मामलों में शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ताकि कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार जांच और उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। तथापि, 136 मामलों में जांच के लिए राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता तैनात किए गए थे तथा उनकी रिपोर्टें राज्यों को सुधार तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	जून, 2011 तक मंजूर की गई बसावटों की संख्या	जून, 2011 तक सड़कों से जोड़ी गई बसावटों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1564	1292
2.	अरुणाचल प्रदेश	350	273
3.	असम	8426	6279
4.	बिहार (आर.डब्ल्यू.डी. व एन.ई.ए.)	16628	5269
5.	छत्तीसगढ़	7773	5955
6.	गोवा *	20	2
7.	गुजरात	2532	2436
8.	हरियाणा	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	2382	1826
10.	जम्मू और कश्मीर	1777	804
11.	झारखण्ड	6164	2833
12.	कर्नाटक	269	269
13.	केरल	435	359
14.	मध्य प्रदेश	11817	10442
15.	महाराष्ट्र	1203	1089

1	2	3	4
16.	मणिपुर	386	199
17.	मेघालय	189	142
18.	मिजोरम	162	127
19.	नागालैंड	91	86
20.	ओडिशा	8875	6142
21.	पंजाब	418	406
22.	राजस्थान	10850	10425
23.	सिक्किम	296	160
24.	तमिलनाडु	1942	1926
25.	त्रिपुरा	1694	1234
26.	उत्तर प्रदेश	11367	11081
27.	उत्तराखंड	1009	590
28.	पश्चिम बंगाल	10390	7634
	कुल जोड़	109010	79281

*मार्च, 2009 के बाद कोई जानकारी नहीं।

यूरिया के मूल्यों का विनियन्त्रण

***520. श्री एंटो एंटोनी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया के मूल्यों के विनियन्त्रण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूरिया के मूल्यों के विनियन्त्रण का देश में नाफ्था आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में नाफ्था आधारित इकाइयों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) यूरिया क्षेत्र के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एन.बी.एस.) का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अशोक चावला पैनल की रिपोर्ट

5751. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आवंटन प्रणाली में संशोधनों का सुझाव देने के लिए भूतपूर्व वित्त सचिव श्री अशोक चावला की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चावला पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो पैनल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई पैनल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) चावला समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बाबा रामदेव की कंपनियां

5752. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कितनी कंपनियां देश में कार्यरत हैं;

(ख) उक्त कंपनियों का राज्य-वार तथा कारोबार संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के कारोबार के अल्पावधि में ही बढ़ने के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में ऐसी कोई भी पंजीकृत कंपनी नहीं है जिसमें बाबा रामदेव निदेशक हों। तथापि, देश में 34 ऐसी पंजीकृत कंपनियां हैं जिनमें आचार्य बालकृष्ण निदेशक हैं।

(ख) उपर्युक्त कंपनियों के वार्षिक टर्नओवर सहित राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	वार्षिक टर्नओवर (लाख रुपए)
1.	उत्तराखंड	23	9484
2.	उत्तर प्रदेश	5	4
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4	16306
4.	पश्चिम बंगाल	1	800
5.	महाराष्ट्र	1	0
	कुल (1 से 5)	34	26594

(ग) और (घ) चूंकि वर्ष 2010-11 हेतु कंपनियों द्वारा वार्षिक विवरणी तथा तुलन-पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 2011 से दर्ज किए जाएंगे, अत: अल्पावधि में ही इन कंपनियों के टर्न-ओवर में हुई वृद्धि के कारणों की पहचान इस स्तर पर नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

न्यायाधिकरणों के प्रशासन में एकरूपता

5753. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एल. चंद्रकुमार के प्रकरण (1977) 3-एसीसी-261 में टिप्पणी की है कि विधानों के माध्यम से गठित न्यायाधिकरणों के प्रशासन में एकरूपता नहीं है और उनके कार्यकरण में अक्षमता का कारण यह है कि उनकी निगरानी तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई प्राधिकारी तैनात नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने मामले पर ध्यान दिया है और वर्तमान में, अधिकरणों/प्राधिकरणों का प्रशासन करने वाले विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से परामर्श किए हैं।

केरल में पेयजल तथा स्वच्छता परियोजनाएं

5754. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल स्थित कुट्टुनाडु में पेयजल और स्वच्छता संबंधी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कुट्टुनाडु की पेयजल और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल जल प्राधिकरण ने इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जिसे पहले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कहा जाता था, नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का संचालन करता है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत केन्द्र सरकार पेयजल मुहैया कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देकर उनकी मदद करती है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें अनुमोदित तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं।

केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जल गुणवत्ता के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. की संशोधित उप-मिशन योजना के अंतर्गत "कुट्टुनाडु में जल आपूर्ति योजना को बढ़ाना" नामक पेयजल परियोजना चल रही है। इस परियोजना की लागत 507.00 लाख रु. है। भारत सरकार ने कुट्टुनाडु परियोजना सहित जल गुणवत्ता की संशोधित उप-मिशन योजनाओं के लिए 2006-07 में 311.00 लाख रु. तथा 2007-08 में 393.00 लाख रु. रिलीज किए हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी./एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत केरल राज्य को निम्नलिखित निधियां रिलीज की गई हैं:

(करोड़ रु.)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राशि	106.97	151.89	159.83	37.54

स्वच्छता के लिए भारत सरकार वर्ष 1999 में शुरू किया गया व्यापक कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके और उसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को दूर करना तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, विद्यालय/आंगनवाड़ी शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार इसके मुख्य घटक हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक मांगजनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। फिलहाल देश में 607 ग्रामीण जिला परियोजनाएं हैं जिनमें केरल में अलापुझा जिला शामिल है जहां कुट्टुनाडु क्षेत्र स्थित है। 2001 की जनगणना के अनुसार, जिले में स्वच्छता कवरेज 76.93% थी। टी.एस.सी. के सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 2005-06 के अंत तक जिले में शत-प्रतिशत स्वच्छता कवरेज थी जैसा कि जिले ने मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑनलाइन डाटा मॉनीटरिंग सिस्टम पर जानकारी दी है।

विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान टी.एस.सी. के अंतर्गत केरल के अलापुझा जिले को रिलीज की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	वर्ष	रिलीज की गई निधि (लाख रु.)
1.	2008-09	0
2.	2009-10	0
3.	2010-11	1.99
4.	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)	23.19

(ग) और (घ) केरल सरकार ने कुट्टुनाडु तालुक की 14 ग्राम पंचायतों के लिए प्राथमिक इंजीनियरिंग रिपोर्ट और अवधारणा पत्र - 'कुट्टुनाडु में समेकित जल एवं स्वच्छता परियोजना' भेजा था ताकि इसे जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी - विदेशी विकास सहायता से निधियां प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जा सके। मंत्रालय ने इसकी जांच की थी और राज्य सरकार से परियोजना पर कतिपय स्पष्टीकरण और एक संशोधित अवधारणा नोट की मांग की गई है। मंत्रालय में केरल सरकार से अभी यह प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

बेरोजगारों को वित्तीय सहायता

5755. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय प्रतिभा और संसाधनों के उपयोग का खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का लक्ष्य पूरा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार और अर्द्ध बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन/सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजनाएं शुरू करने तथा उनके द्वारा निर्मित सामग्री की प्राथमिकता से खरीद करने का प्रस्ताव है ताकि स्थानीय प्रतिभा का उपयोग हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां। स्थानीय प्रतिभा और संसाधनों के उपयोग का खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) का उद्देश्य बड़ी सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) से (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय 2005-06 के.वी.आई.सी. और कॅयर बोर्ड के माध्यम से परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) नामक एक क्लस्टर आधारित योजना कार्यान्वित करता रहा है जिसके तहत अधिकांशत: 500 पारंपरिक कारीगर प्रति क्लस्टर वाले 29 खादी, 50 ग्रामोद्योग और 26 कॅयर क्लस्टरों को लक्ष्य करके उन्हें बेहतर उपस्कर, सामान्य सुविधा केंद्रों, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाइन और विपणन समर्थन और एक्सपोजर दौरों की व्यवस्था, आदि उपलब्ध कराया जाता है ताकि इन कार्यकलापों को प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाया जा सके। चूंकि इसमें शामिल क्लस्टर खादी, कॅयर, पॉटरी, मधुमक्खी पालन, हस्तनिर्मित कागज, बेंत तथा बांस, आदि जैसे परंपरागत कार्यकलापों से संबंधित हैं, स्थायी रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय कच्चे माल और स्थानीय कौशल का उपयोग किया जाता है।

स्फूर्ति के अलावा, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय में सरकार

राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में के.वी.आई.सी. के साथ 2008-09 से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) को कार्यान्वित करते हुए गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देती रही है। पी.एम.ई.जी.पी. का लक्ष्य मुख्य रूप से परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को संगठित करते हुए, उनकी आय क्षमता बढ़ाने के अलावा उन्हें माइग्रेशन से बचाने में मदद करते हुए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार अवसरों के सृजन का है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, इस योजना का कार्यान्वयन बैंकों की भागीदारी के साथ के.वी.आई.सी. के फील्ड कार्यालयों, राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) और जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। पी.एम.ई.जी.पी. के तहत, लाभार्थी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा और बैंकों से ऋण प्राप्त करते हुए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त करते हुए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर सकते हैं, विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं तथा अन्य से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का 35 प्रतिशत होगी।

के.वी.आई.सी. डी.जी.एस. एंड डी दर अनुबंध पर सरकारी विभागों को आपूर्ति के लिए पी.एम.ई.जी.पी. इकाइयों तथा के.वी.आई. संस्थानों से उत्पादों की खरीद के लिए मंच प्रदान करता है। के.वी.आई.सी. द्वारा उनके विभागीय तथा संस्थागत केंद्रों के माध्यम से विपणन सहयोग भी प्रदान किया जाता है और वह पी.एम.ई.जी.पी. और संस्थानों के लाभार्थियों द्वारा उत्पादित के.वी.आई. उत्पादों को बाजार प्रदान करने के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है।

[हिन्दी]

जलसंभर-मार्ग का निर्माण

5756. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य-पर्वतीय क्षेत्र में जलसंभर-मार्ग के निर्माण के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राज्य सरकार को यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (घ) अनुसंधान निदेशक, डॉ. वाई.एस. परमार, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन ने सूचित किया है कि 'जल संसाधन विकास और हिमाचल प्रदेश के मध्य-पर्वतीय क्षेत्र में वाटरशेड पद्धति के माध्यम से इसके प्रभावी प्रयोग' के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव को नए मार्गदर्शी-सिद्धांतों और बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा संशोधित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग में संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

पुनपुन-मोरहर-धारदा नदी घाटी परियोजना

5757. श्री रामकिशुन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पुनपुन-मोरहर-धारदा नदी घाटी परियोजना से संबंधित मामले के निराकरण हेतु बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय जल आयोग ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) बिहार सरकार ने पुन-पुन मोरहर धारदा नदी घाटी परियोजना का प्रस्ताव, केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में प्रस्तुत किया था। अक्तूबर, 1999 में राज्य सरकार से केवल पुन-पुन नदी पर प्रस्तावित बराज हेतु संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि उसकी सहायक नदियों अर्थात मोरहर और धारदा पर बराजों का निर्माण व्यवहार्य नहीं था।

तदनुसार, पुनपुन मोरहर धारदा सिंचाई स्कीम का नाम बदलकर पुन-पुन बराज परियोजना कर दिया गया था और बिहार सरकार से 05-05-2000 को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। परियोजना, जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना संबंधी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03-08-2001 को हुई उसकी 77वीं बैठक में 102.26 करोड़ रुपये की लागत से, राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्ताधीन स्वीकार की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 20-07-2004 के पत्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी थी। तदोपरांत, योजना आयोग ने दिनांक 13-01-2006 को परियोजना को निवेश स्वीकृत दी।

सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27-06-2007 को हुई उसकी 89वीं बैठक में 199.41 करोड़ रुपए की लागत से पुन-पुन बराज परियोजना का पहला संशोधित प्राक्कलन स्वीकार किया गया और इसे दिनांक 05-10-2007 को योजना आयोग ने निवेश स्वीकृति प्रदान की। फिर, सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30-11-2009 को हुई उसकी 101वीं बैठक में 658.12 करोड़ रुपए की लागत से पुन-पुन बराज परियोजना का दूसरा संशोधित प्राक्कलन स्वीकार किया गया और योजना आयोग द्वारा दिनांक 10-3-2010 को इसे निवेश स्वीकृति दी गई। जल संसाधन मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत पुन-पुन बराज परियोजना को अब तक 43,884 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

(ग) सी.डब्ल्यू.सी. में मूल्यांकनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सी.डब्ल्यू.सी. में मूल्यांकनाधीन परियोजनाओं की स्थिति

1-9-2011 की स्थिति के अनुसार

आन्ध्र प्रदेश

क. मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत नई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हैक्टेयर)	स्थापना लागत (करोड़)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री पाड़ा सागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (येल्लामपल्ली बराज)	वृहद	गोदावरी	करीमनगर तथा मेडक	07/07	187.00	5157.52	- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 03-07-2007 को प्राप्त हुई। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति लंबित है। - जनजातीय कार्य मंत्रालय से 28-01-2011 को स्वीकृति प्राप्त हुई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- मानक प्रारूप में सी.डी.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त होना शेष है। - सी.एम.सी., जल विज्ञान निदेशालय सी.एस.एम.आर.एस., सी.जी.डब्ल्यू.बी. एवं कृषि मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त। - सिंचाई आयोजना की टिप्पणियां (03/2011) की अनुपालना अभी प्राप्त होनी है। - लागत मूल्यांकन एवं आई.एस.एम. निदेशालय (06/2011) में जांचाधीन।
2.	राजीव सागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (डुम्मुगुडम)	वृहद	गोदावरी	खम्माम	09/07	81.00	1930.70	- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 2007 को प्राप्त हुई। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, जनजातीय कार्य मंत्रालय से पुनः स्थापना एवं पुनर्वास स्वीकृति लंबित है। - मानक प्रारूप में सी.डी.ओ. प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है। - सी.एम.सी., सी.एस. एम.आर.एस., सी.जी. डब्ल्यू.बी. तथा कृषि मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- जल विज्ञान (12/2010), सिंचाई आयोजना तथा लागत मूल्यांकन (1/2010) की टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत नहीं की गई। - अद्यतन लागत दिसम्बर, 2010 को प्राप्त हुई थी। - जल विज्ञान निदेशालय से स्वीकृति के पश्चात ही आई.एस.एम. को स्वीकृति दी जा सकती है।
3.	इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (डुम्मुगुडम)	वृहद	गोदावरी/ खम्माम	खम्माम, पश्चिमी गोदावरी तथा कृष्णा जिला	01/08	81.00	1797.90	- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 2008 को प्राप्त हुई। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, जनजातीय कार्य मंत्रालय से पुनः स्थापना एवं पुनर्वास स्वीकृति लंबित है। - मानक प्रारूप में सी.डी.ओ. प्रमाण-पत्र अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। - सी.एम.सी., सी.जी. डब्ल्यू.बी. तथा कृषि मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त। - जल विज्ञान (12/10), सिंचाई आयोजना (01/11), सी.एस.एम.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								आर.एस. (11/2010) तथा लागत मूल्यांकन (1/11) की टिप्पणियों की अनुपालना अभी प्रस्तुत की जानी हैं। - अद्यतन लागत दिसम्बर, 2010 में प्राप्त हुई थी। - जल विज्ञान से स्वीकृति के पश्चात ही आई.एस.एम. की स्वीकृति दी जा सकती है।
4.	मोदीकुंटावागु	मध्यम	गोदावरी	खम्माम	09/06	5.5	136.77	- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सैद्धांतिक रूप में वन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से औपचारिक स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है। - जल विज्ञान संबंधी टिप्पणियों की अनु-पालना (06/2011) की जल विज्ञान निदेशालय में जांच की जा रही है। - जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है।
5.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्राणहिता-चवेल्ला सुजाला श्रावंती	वृहद	प्राणहिता/ गोदावरी	आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के आदिलाबाद	12/10/10	863.7	40.300 एसओआर (2007-08)	- सी.डब्ल्यू.सी. में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 12-10-2010 को प्राप्त हुई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				निजामाबाद, करीमनगर, मेडक, वारांगल, रंगारेड्डी एवं नलगोंडा जिले।				- डी.पी.आर. की अवर सचिव (बी. एंड टी.), जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। - परियोजना प्राधिकारियों को पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव स्वीकृति के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। - जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है। - राज्य सरकार द्वारा जल विज्ञान (01/11), सिंचाई आयोजना (3/2011), लागत मूल्यांकन (03/2011), आई.एस.एम. (03/2011) तथा कृषि मंत्रालय (03/2011), की टिप्पणियों की अनुपालना अभी प्रस्तुत की जानी है।
6.	ए.पी. जल क्षेत्र सुधार परियोजना (नागार्जुन सागर) (विश्व बैंक से वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित)	वृहद	कृष्णा/कृष्णा	नलगोंडा, खम्माम कृष्णा, गुंटूर, प्रकासम	जनवरी, 2010	895.00	4444.44	- लागत अनुमान तथा जल विज्ञान सहित अनेक पहलुओं की जांच की जा चुकी है तथा टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारी को भेज दी गई थीं। अनुपालना, जुलाई, 2010 में प्राप्त हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								थी, जिसकी जांच की गई तथा आगे की टिप्पणियां अगस्त, 2010 में भेजी गई थीं। राज्य सरकार द्वारा अनुपालना प्रस्तुत नहीं की गई है।
7.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई एवं जीविका सुधार परियोजना (जे.बी.आई.सी. सहायता) परियोजना पर कार्रवाई पी.पी.ओ. द्वारा की गई।	वृहद (15 मध्यम उप परियोजनाएं शामिल हैं)	कृष्णा गोदावरी, सागीलेरू, सवर्णमुखी, पिल्लापेरू, गुंडाकुम्मा	खम्माम, अदिलाबाद, वारंगल, नलगोंडा, कुरनूल कडप्पा चित्तूर, नेल्लौर, प्रकासम	अप्रैल, 2011	88	402.942	- लागत, जल विज्ञान एवं अंतर-राज्यीय मुद्दों आदि की जांच हेतु डी.पी.आर. सी.डब्ल्यू.सी. के विशेषज्ञ निदेशालय को भेजी गई।
बिहार								
1.	पूर्वी गंडक नहर (गंडक फेज-II)	वृहद	गंडक	वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर	अप्रैल 2011	1.22 लाख हेक्टे. सी.सी.ए./ 1.46 लाख हेक्टे. ए.एल.	2009 पी.एल. पर 1533 करोड़	- डी.पी.आर. लागत, आई.पी. (एन), आई.पी. (एस), सी.एम.सी., यू.एस. (बी. एंड टी.), सी.जी. डब्ल्यू.बी. कृषि, जल संसाधन मंत्रालय और नहर डिजाइन निदेशालय को भेजी गई। - कृषिगत पहलुओं (05/ 2011) एवं लागत पहलुओं के संबंध में सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां अनुपालनार्थ परियोजना प्राधिकारी को भेजी (07/11) गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़								
1.	राजीव समोदा निसदा डाइवर्जन स्कीम चरण-II (पूर्व में राजीव संवर्धन स्कीम के नाम से जानी जाने वाली) (चरण-II)	वृहद	महानदी/ महानदी	रायपुर	11/09	30.0	96.58	स्वीकृत पहलु: जल विज्ञान, सी.एम.सी. सी.डी.जब्ल्यू.बी. राज्य से निम्न की अनुपालना अभी प्राप्त होनी है: लागत मूल्यांकन (1/ 10), जल विज्ञान (2/ 10), कृषि मंत्रालय (7/ 10) आई पी (4/10) तथा आई.एस.एम. (4/ 11) उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जन-जातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति भी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
2.	सोंदूर जलाशय परियोजना	वृहद	सोंदूर/ महानदी	रायपुर, धमतरी	10/05	384.70	394.10 (अक्तू., 05)	स्वीकृत पहलु: जल विज्ञान, सी.एम.सी. सी.जी.डब्ल्यू.बी. राज्य से निम्न की अनुपालना अभी प्राप्त होनी है: अंतर राज्यीय (12/ 07), और आई.पी. (एस) (2/11)। सी.डब्ल्यू.सी. के विशिष्ट निदेशालयों/ अन्य केन्द्रीय अभिकरणों से अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात ही लागत संबंधी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से भी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								सांविधिक स्वीकृति प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
3.	मिनीमाता (हसदेव) बंगो परियोजना का ई.आर.एम. परियोजना	वृहद	हसदेव/ महानदी	कोरबा, जंजगीर, चंपा एवं रायगढ़	4/2011	26.539	442.67 (पी.एल. 2010-11)	स्वीकृत: लागत, अंतर-राज्यीय, सीजीडब्ल्यूबी एवं कृषि मंत्रालय स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है: आई.पी. (एस) निदेशालय।
गुजरात								
1.	ककरापार आर.बी.एम.सी. उकाई आर.बी. एम.सी. का सुधार तथा उकाई एल.बी.सी. प्रणाली का आधुनिकीकरण	वृहद	तापी/तापी	सूरत, तापी, नवसारी तथा वलसाड़	1/2011	3500 (अतिरिक्त क्षेत्र)	289.39	स्वीकृत पहलु: अंतरा-राज्यीय, सीजीडब्ल्यूबी राज्य से निम्नलिखित अनुपालना अभी प्राप्त होनी है: लागत (1/11), कृषि मंत्रालय (3/11), आई.पी. (एस) (3/11), बी.सी.डी. (एन. एवं डब्ल्यू.) (3/11)
2.	माही आर.बी.सी. परियोजना का सुधार	वृहद	तापी/तापी	खेड़ा तथा आनंद	1/2011	8500 (अतिरिक्त क्षेत्र)	275.91	स्वीकृत पहलु: सी.जी. डब्ल्यू.बी., लागत (आई) राज्य से निम्नलिखित अनुपालना अभी प्राप्त होनी है: नहर डिजाइन (3/11) तथा कृषि मंत्रालय (3/11) अनुपालना अभी प्रतीक्षित है: अंतर-राज्यीय (5/11) एवं आई.पी. (एस) (07/11)
हिमाचल प्रदेश								
1.	रेणुका बांध* (बहुउद्देशीय) *परियोजनाओं पर कार्रवाई पी.पी.ओ. द्वारा की गई।	वृहद	गिरि/यमुना	दिल्ली को जलापूर्ति	जनवरी, 2007	दिल्ली को जलापूर्ति एवं 40 मेगावाट	3572 (पी.एल.-03/2009)	-मार्च, 2009 के मूल्य स्तर पर सी.डब्ल्यू.सी./सी.ई.ए. द्वारा परियोजना की कुल लागत को 3498.86 करोड़ रु. तय किया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								गया है। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा परियोजना का मूल्यांकन पूर्ण हो गया है तथा राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त होते ही परियोजना को सलाहकार-समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। - सी.ई.ए. द्वारा संशोधित विद्युत क्षमता अध्ययन पूरा किया गया है। परियोजना प्राधिकारियों से निम्नलिखित सूचना देने का अनुरोध किया गया है: 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति 2. व्यय को चरणबद्ध करना 3. दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच लागत की द्विपक्षीय हिस्सेदारी 4. विद्युत उत्पादन एवं पेय जलापूर्ति से लाभ का आकलन।
2.	तहसील नादौन के नादौन क्षेत्र हेतु सिंचाई परियोजना	मध्यम	ब्यास	हमीरपुर	5/10	3.00 (सीसीए) 6.471 (अ. सिंचाई)	91.46 पी.एल.-09	- सी.डब्ल्यू.सी. के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 02-07-2010 को टिप्पणियां परियोजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								प्राधिकारियों को भेज दी गई थीं। - कुछ टिप्पणियों पर राज्य सरकार का उत्तर (09/10) प्राप्त हो गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा जल की उपलब्धता तथा अन्य अनुपालना प्रस्तुत नहीं की गई है। - परियोजना प्राधिकारियों को बी.बी.एम.बी. से परियोजना की जल उपलब्धता हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 3.20 हेक्टेयर वन्य क्षेत्र की स्वीकृति अभी प्रस्तुत की जानी है।
झारखंड								
1.	कांची बैराज एवं इसकी नहर प्रणाली के पुनरूद्धार से संबंधित कार्य	वृहद	कांची/सुबर्ण-रेखा	रांची/ सरायकेला	12/08	18211	212.18	- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सी.डब्ल्यू.सी. के विशिष्ट निदेशालय तथा अन्य केन्द्रीय अभिकरणों को परिचालित की गई। - परियोजना प्राधिकारियों को जल-विज्ञान (03/09), सी.एस.एम.आर.एस.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(05/09), बी.सी.डी. (07/09), लागत (01/11), सी.ई.ए. (03/11) और आई.एस.एम. (04/11) पहलुओं पर टिप्पणियां भेजी गईं। - इसी बीच परियोजना प्राधिकारियों ने नवम्बर, 10 के दौरान 208.17 करोड़ रु. (पी.एल.-02/2010) का संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया। इसे 15-11-10 को सी.ए. (I), आई.एस.एम., सी.एम.सी., इम्बैक, यू.एस. (बी. एवं टी.), कृषि मंत्रालय को परिचालित किया गया था। - आई.पी. (एस) (11/10), बी.सी.डी. (11/10) तथा जलविज्ञान (901/11) पहलुओं की अनुपालना प्राप्त हो गई है तथा जांच के अधीन है। - अन्य अनुपालना अभी प्राप्त होनी है।
2.	सुरू जलाशय परियोजना	मध्यम	सबमरोखा	सरायकेला, 29-09-10 खारसाकन	4.830	96.3632		- प्रारंभिक जांच के बाद कतिपय टिप्पणियां भेजी गई। अनुपालना प्रतीक्षित है। - दिनांक 28-01-2011 के पत्र द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								सी.डब्ल्यू.सी. मुख्यालय के विशिष्ट निदेशालय में तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन हेतु डी.पी.आर. की 8 प्रतियां भेजने को कहा गया है।
3.	केशो जलाशय परियोजना	मध्यम	दामोदर एवं बाराकर	हजारीबाग/ कोडरमा	23-10-10	3.728	102.8818 करोड़	- दिनांक 28-01-2011 के पत्र द्वारा सी.डब्ल्यू.सी. मुख्यालय के विशिष्ट निदेशालय में तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन हेतु डी.पी.आर. की 8 प्रतियां भेजने को कहा गया है।
4.	दोमानिया बराज स्कीम	मध्यम	सोन एवं गंगा	गरहवा	18-12-10	2050	32.48 करोड़	- दिनांक 28-01-2011 के पत्र द्वारा सी.डब्ल्यू.सी. मुख्यालय के विशिष्ट निदेशालय में तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन हेतु डी.पी.आर. की 8 प्रतियां भेजने को कहा गया है।
5.	कनहर जलाशय परियोजना	वृहद	कनहर/ सोन	गरहवा एवं पलामू	01/11	0.67 (सी.सी.ए.) एवं 302 मेगावाट	1968.00	- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 27-01-2011 को प्राप्त हुई तथा सी.डब्ल्यू.सी. के विशिष्ट निदेशालय एवं अन्य केन्द्रीय अभिकरणों को परिचालित की गई थी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रारंभिक जांच करने पर इसमें कमियां पाई गई जिसकी सूचना परियोजना प्राधिकारियों को 15-02-2011 को दे दी गई थी। - सी.ई.ए. (3/11), सी.ए. (1) (04/11), बी.सी.डी. (04/11), सी.एस.एम.आर.एस. (07/11) और सिंचाई आयोजना (07/11), पहलुओं संबंधी टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थीं। - राज्य सरकारों से अनुपालना प्रतीक्षित है। - उपर्युक्त के अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करके प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। - राज्य सरकार ने अब अगस्त, 2011 के अंतिम सप्ताह में कनहर बराज परियोजना की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	कांति जलाशय परियोजना	मध्यम	शंक (ब्रह्मणी एवं बैतरणी)	खुंती	01/2009	5.286	113.165	- दिनांक 20-12-2010 को राज्य सरकार को जलीय-मौसम विज्ञानी आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा गया है, जो अभी प्रतीक्षित हैं।
मध्य प्रदेश								
1.	बीना काम्पलेक्स सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना	वृहद	वीना, ढासा एवं देहरा	सागर	10/10	77.00/ 2x16 मेगावाट	1624.36 (पी.एल. 2010)	- स्वीकृत पहलु: बीसीडी - राज्य से निम्नलिखित की अनुपालना अभी प्राप्त होनी है: कंक्रीट बांध, गेट्स एवं होएस्ट प्रणाली, जलविद्युत आयोजना, वित्तीय एवं वाणिज्यिक पहलु, सी.एम.सी., हाइडल सिविल डिजाइन, जलविज्ञान, लागत, सिंचाई आयोजना तथा अन्तर-राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलु। - उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जन-जातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
2.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू, एस.आर.पी.)* *परियोजनाओं पर कार्रवाई पी.पी.ओ. द्वारा की गई।	वृहद	चम्बल, बेतवा, सिंध केन एवं टोंस	चम्बल, वेतवा, सिंध केन एवं टोंस बेसिनों के जिले	जनवरी, 2011	495.00	1919	- राज्य सरकार से डी.पी.आर. जनवरी, 2011 में प्राप्त हुई जिसकी जांच की गई और जल विज्ञान व लागत पहलुओं संबंधी अगामी टिप्पणियां मार्च, 2011 में राज्य सरकार को भेजी गईं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	सिप-कोलार लिंक	मध्यम	सिप/नर्मदा	सिहोर	06/10	2.600	109.23	-परियोजना प्राधिकारियों को परियोजना प्रस्ताव पर सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां 6/2010 को भेजी गई थीं। -अनुपालना प्रतीक्षित है।
4.	महौर	मध्यम	महौर/सिंध/ यमुना	शिवपुरी	01/2011	13.755	193.87 (2009 (पी.एल.)	-परियोजना प्रस्ताव पर सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। अनुपालना प्रतीक्षित है।
5.	घोगरा	मध्यम	अंलमन/नर्मदा	सिहोर	08/2010	7.775	98.75	-प्रस्ताव पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गईं। अनुपालना प्रतीक्षित है। -वन स्वीकृति प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।
6.	बिला गांव	मध्यम	सिलगी/नर्मदा	दिनदोरी	02/2011	11.22	134.97	-प्रस्ताव पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गईं। अनुपालना प्रतीक्षित है। -अंतर-राज्यीय पहलुओं की जांच की जा रही है।
7.	रूंज	मध्यम	रूंज/भगेन/ यमुना	पन्ना	05/2011	12.55	263.64	-प्रस्ताव पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गईं। अनुपालना प्रतीक्षित है। -पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं जन-जातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								लेकर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
महाराष्ट्र								
1.	जिगांव	वृहद	तापी	बुल्दाना, अकोला	12/09	112.32	4044.13	- स्वीकृत पहलु: जल-विज्ञान - राज्य से निम्नलिखित की अनुपालना अभी प्राप्त होनी है: आई.पी.(एस) (4/11) - उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जन-जातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
2.	ऊपरी प्रावारा	वृहद	प्रावारा/ गोदावरी	अहमदनगर	1/10	86.100	1810.19	- स्वीकृत पहलु: शून्य - राज्य से अनुपालना अभी प्राप्त होनी है: जलविज्ञान (4/11) - उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जन-जातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
3.	महाराष्ट्र जल सुधार परियोजना (एम.डब्ल्यू.एस. आई.पी.) (विश्व बैंक द्वारा (वित्त-पोषित) *परियोजना पर	वृहद	गोदावरी, कृष्णा, तापी एवं नर्मदा	पुणे, जलगांव नांदेड़, नागपुर (कुल 32 जिले)	मई, 2011	669	1845.8	- मई, 2011 में पूर्ण डी.पी.आर. की प्रतियों के पर्याप्त सेट प्राप्त हुए जिन्हें जांच के लिए सी.डब्ल्यू.सी. के विशिष्ट निदेशालयों को भेज दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कार्रवाई पी.पी.ओ. द्वारा की गई							
ओडिशा								
1.	जीरा	मध्यम	जीरा नदी/ महानदी	बारागढ़	संशोधित डी.पी.आर. मई, 2010 में प्रस्तुत की गई	4.800	127.79	- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाई गई। सांविधिक स्वीकृतियों की गैर-उपलब्धता के कारण टी.ए.सी. टिप्पण रोक लिया गया।
2.	सान्दुल	मध्यम	सान्दुल/टेल/ महान	कालाहांडी	अप्रैल, 2010	5.000	96.57	- डी.पी.आर. अप्रैल, 2010 में प्राप्त हुई। डी.पी.आर. के संबंध में नवीनतम टिप्पणियां जून, 10 में ओडिशा सरकार को भेज दी गई थीं। अनुपालना प्रतीक्षित है।
3.	हिदसिंह	मध्यम	बाउली/ ब्राह्मणी	आंगुल	अप्रैल, 2010	3.250	129.32	- डी.पी.आर. अप्रैल, 2010 में प्राप्त हुई। डी.पी.आर. पर नवीनतम टिप्पणियां जून, 10 में ओडिशा सरकार को भेज दी गई थी।
4.	कुटुलीसिंघा	मध्यम	सिंदोलजोर/ महानदी	धेनकनाल	फरवरी, 2011	3.81	76.44	- डी.पी.आर. फरवरी, 2011 में प्राप्त हुई और जांचाधीन है।
5.	रन्जोर	मध्यम	जीरा नदी/ महानदी	बारागढ़	फरवरी, 2010	2.55		- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाई गई। सांविधिक स्वीकृतियों की गैर-उपलब्धता के कारण टी.ए.सी. टिप्पण रोक लिया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	अहेराजोर	मध्यम	अहेराजोर/ महानदी	झारसुगुडा	अप्रैल, 2008	2.22		-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाई गई। सांविधिक स्वीकृतियों की गैर-उपलब्धता के कारण टी.ए.सी. टिप्पण रोक लिया गया।
7.	ओडिशा के तटीय क्षेत्र में जल-निकास के विकास की मास्टर योजना	वृहद	सुबर्णरेखा, बुद्धाबलंगा, रूशीकाल्या और महानदी	बलसोर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, जुगतसिंह पुरी, कटक, पुरी, खुर्दे और गंजाम	08/2005	761.29	856.43	-नवम्बर, 2003 में ओडिशा के तटीय क्षेत्र (17 दोआब) में जल निकासी हेतु मास्टर योजना प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अगस्त, 2005 में 856.43 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना की संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत की है। -आर एवं आर, सीएमसी निदेशालय, आई.एस.एम. और लागत मूल्यांकन निदेशालय से, 2005 के पूर्व मूल्य स्तर पर, स्वीकृत, अतः मार्च, 2009 में परियोजना प्राधिकारियों को वर्तमान मूल्य स्तर पर लागत को अद्यतन करने के विषय में सूचित कर दिया गया है जिसका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। कृषि मंत्रालय और सी.जी.डब्ल्यू.बी. से भी स्वीकृत।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- जल विज्ञान संबंधी टिप्पणियों (03/2011), की अनुपालना प्रतीक्षित है। - सिंचाई आयोजना (12/09 व तदोपरांत 03/2011), बी.सी.डी. (12/09) और आई.एउी (12/09) तथा एफ.एफ.एम. (10/05) निदेशालयों में जांचाधीन है। - पर्यावरण एवं वन स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।
8.	ऊपरी इन्द्रावती परियोजना की लिफ्ट नहर प्रणाली	वृहद		कालाहांडी जिले का कोकसारा ब्लॉक	नवम्बर, 2006	26.248	2009 पी.एल. पर 740.11 करोड़ रुपये	- राज्य सरकार ने सी.डब्ल्यू.सी. में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु नवम्बर, 2006 में विश्व बैंक की सहायता के अंतर्गत महानदी बेसिन विकास योजना (एम.बी.डी.पी.) के संघटक के रूप में, 5 लिफ्ट स्कीमों की एक समेकित डी.पी.आर. प्रस्तुत की है। ऊपरी इन्द्रवती लिफ्ट सिंचाई स्कीम इस डी.पी.आर. में शामिल एक लिफ्ट स्कीम है। लिफ्ट स्कीम पर सी.डब्ल्यू.सी. के विशिष्ट निदेशालय की टिप्पणियां जनवरी, 2007 से दिसम्बर,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2008 के दौरान राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी। - राज्य सरकार ने अगस्त 2008 में सी.डब्ल्यू.सी. से यह अनुरोध किया कि ऊपरी इंद्रावती लिफ्ट सिंचाई स्कीम की एम.बी.डी.पी. के भीतर लिफ्ट सिंचाई स्कीमों से पृथक जांच की जाए। - सीए (05/11), आई.एस.एम. (05/11), सी.एम.सी. (05/11), सी.एस.एम.आर.एस. (05/11) और सी.जी.डब्ल्यू.बी. (05/11) में जांचाधीन। - आई.पी. (08/10) और कृषि मंत्रालय (06/11) के संबंध में टिप्पणियों की अनुपालना परियोजना प्राधिकारियों से अभी प्रतीक्षित है। - जल विज्ञान निदेशालय एच.सी.डी. निदेशालय और बी.सी.डी. निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जन-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								जातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति प्रतीक्षित है।
9.	ओडिशा एकीकृत सिंचाई, कृषि और जल प्रबंधन निवेश परियोजना (ओ.आई.आई.ए. डब्ल्यू.एम.आई.पी.) (ट्रेंच-II) (ए.डी.बी. सहायता प्राप्त)* *परियोजनाओं पर पी.पी.ओ. द्वारा कार्रवाई की गई।	ओ.आई.आई. ए.डब्ल्यू.एम. आई.पी. के तहत 4 वृहद और 2 मध्यम परियोजनाएं	ब्राह्मणी	कटक, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़ एवं धेनकनाल	अक्तूबर, 2009	112.3	273.69	- लागत और डिजाइन पहलुओं पर टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। अनुपालना अभी प्रतीक्षित है।
राजस्थान								
1.	हतियादेह सिंचाई परियोजना	मध्यम	नाला हतियादेह/ कुल/चंबल	बारां	7/07	6.885 (सीसीए)	34.62	- जल विज्ञान संबंधी पहलु को स्वीकृति मिल गई है। - तटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश से अंतर-राज्यीय स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र और चंबल बेसिन की विधिवत अनुमोदित मास्टर योजना प्रतीक्षित है। - जनजातीय कार्य मंत्रालय से पुनः स्थापना एवं पुनर्वास योजना हेतु स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	राजगढ़ सिंचाई परियोजना	मध्यम	अहु/ कालीसिंध/ चंबल	झालावाड़	7/07	8.634 (सीसीए)	69.08	- जल विज्ञान संबंधी पहलुओं को स्वीकृति मिल गई है। - चम्बल बेसिन की विधिवत अनुमोदित मास्टर योजना अभी प्रतीक्षित है। - जनजातीय कार्य मंत्रालय से पुनः स्थापना व पुनर्वास योजना हेतु स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।
3.	परवन सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति	वृहद	परवन, चंबल, गंगा	झालावाड़, बारां एवं कोटा	12/06	105.062	1942.81	- **स्वीकृत पहलुः** बांध डिजाइन, बी.सी.डी., सी.एस. एम.आर.एस., जल विज्ञान और गेट डिजाइन। - जनवरी, 2011 में 1942.81 करोड़ रुपए (मूल्य स्तर 2010) के प्राप्त अद्यतन लागत अनुमान की जांच की गई है और टिप्पणियों पालनार्थ परियोजना प्राधिकारियों को मार्च, 2011 में भिजवा दी गई थी। अनुपालना अभी प्रतीक्षित है। - **राज्यों से निम्नलिखित अनुपालना प्रतीक्षित हैः** सिंचाई आयोजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								और अंतर-राज्यीय पहलु (4/11) - उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जन-जातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
तमिलनाडु								
1.	छय्यार नदी के जरिए पोन्नईयार नदी और पलार नदी को परस्पर जोड़ने तथा नंदन नहर में जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए संपर्क नहर की खुदाई	वृहद	पोन्नईयार, छैय्यार एवं पलार/पोन्नई-यार एवं पलार	तिरूवन्ना-मलई, कांचीपुरम एवं बिल्लू-पुरम	01/2009 एवं 02/2009	18.6514	174.00	- डी.पी.आर. प्राप्त हुई-जनवरी/2009 में 12 सेट और फरवरी/2009 में 2 सेट - सभी विशेषज्ञ इकाइयों की टिप्पणियां जनवरी, 2009 से मई, 2009 के दौरान भेजी गई। - राज्य सरकार से जल विज्ञान (02/2011) सिंचाई आयोजना (8/11) संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। - अन्य विशेषज्ञ इकाईयों की टिप्पणियों के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। अनु-पालन रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए राज्य सरकार को दिनांक 08-03-2010 और 14-05-2010 को अनुस्मारक भेजे गये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- सांविधिक पर्यावरणीय, वन एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्वीकृतियां अभी प्रतीक्षित हैं।
उत्तराखंड								
1.	जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना	वृहद	गोला, राम-गंगा/गंगा	रामपुर, बरेली, नैनीताल	139.38 6/30.00	61.25 (05/75)	929.23 (02/06)	- परियोजना पहले योजना आयोग द्वारा 61.25 करोड़ रुपए की लागत हेतु मई, 1975 में अनुमोदित की गई थी। - इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने दिनांक 18-05-89 को अपनी 43वीं बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पुनः स्थापन एवं पुनर्वास योजना की मंजूरी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के शर्ताधीन 144.84 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत किया। - राज्य सरकार ने 02/06 को अन्य संशोधित/अद्यतन डी.पी.आर. प्रस्तुत की जिसकी लागत 929.23 करोड़ रुपए थी। - बुनियादी अभियांत्रिकी और भूकम्प संबंधी मापदंडों, विनिर्माण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								सामग्री, कृषि मंत्रालय, जल विज्ञान पहलुओं की स्वीकृति दे दी गई है। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणिक स्वीकृति तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है। - सी.ई.ए. की विद्युत-मैकेनिकल डिजाइन पहलु संबंधी टिप्पणियों की अनुपालन रिपोर्ट दिसम्बर, 2010 में प्राप्त हुई है। **मुद्दे:** - परियोजना प्राधिकारियों से ई.आई.ए. (4/06), गेटों के डिजाइन (5/06), लागत (5/06), अंतर-राज्यीय मामलों (6/06), वित्तीय (6/06), बी.सी.डी. (4/09) और जल विज्ञान (04/10) संबंधी टिप्पणियों/आपत्तियों की पालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।
2.	किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजना*	वृहद	टोंस/ गंगा	दिल्ली	10/10	विद्युत (660 (मे.वा.) दिल्ली को जला-पूर्ति-617	7193.24	- जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने दिनांक 18-01-2000 को हुई अपनी 72वीं बैठक में परियोजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						एम.सी.एम./ वर्ष		पर विचार किया था लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ कुछ आपत्तियों के कारण इसे आस्थगित कर दिया गया था: (i) सिंचाई, विद्युत और जलापूर्ति घटकों में परियोजना लागत को विभाजित करने के बाद परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करना, (ii) वन स्वीकृति और पर्यावरण स्वीकृति हेतु कार्रवाई करना तथा (iii) सी.ई.ए. की टिप्पणियों का अनुपालन करना। - अब परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू.जे.वी.एन.एल.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। - उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु अक्तूबर, 2010 के अंत में जून 2010 के मूल्य स्तर पर 7193.24 करोड़ रुपए की अनुमानित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								लागत पर संशोधित/ अद्यतन डी.पी.आर. प्रस्तुत की। - सी.डब्ल्यू.सी. एवं सी.ई.ए. की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं तथा सी.डब्ल्यू.सी. का दौरा करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों को अपेक्षाओं से भी अवगत करा दिया गया था। की गई कार्रवाई से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है तथा इस संबंध में अनुस्मारक भेजा जा चुका है। **मुद्दे:** - उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अद्यतन डी.पी.आर. प्रस्तुत की है जो सी.डब्ल्यू.सी./सी.ई.ए. के मूल्यांकनाधीन है। सी.डब्ल्यू.सी./सी.ई.ए. की मूल्यांकनकर्ता इकाइयों की टिप्पणियां अनुपालनार्थ भेज दी गई हैं। - राज्य सरकार से सी.डब्ल्यू.सी./सी.ई.ए. की टिप्पणियों की अनुपालन अभी प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- सी.डब्ल्यू.सी. की चार इकाइयों की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालना प्राप्त हो गई है जो संबंधित निदेशालयों में जांचाधीन है। - राज्य सरकार को अभी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण तथा वन स्वीकृति लेनी है। - उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से परियोजना की डी.पी.आर. लाभार्थी राज्यों को भेजकर लाभ और लागत की हिस्सेदारी के संबंध में उनके विचार जानने का अनुरोध किया गया है।
3.	लखवर बहु-उद्देशीय परियोजना*	वृहद	यमुना/गंगा	मेरठ, सहारनपुर	(07/10)	49/300	4620.48 (पी.एल.-02/10)	- उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए जुलाई, 2010 में लखवर बहुउद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट) की डीपीआर प्रस्तुत की। यह भी उल्लेख था कि उत्तराखंड सरकार ने दोनों परियोजनाओं अर्थात लखवर बहु-उद्देशीय परियोजना और व्यासी जल विद्युत परियोजना को अलग-अलग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। - सी.डब्ल्यू.सी. और सी.ई.ए. की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को दिसम्बर, 2010 में भेज दी गई थीं तथा सी.डब्ल्यू.सी. का दौरा करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों को अपेक्षाओं से भी अवगत करा दिया गया था। की गई कार्रवाई से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है तथा इस संबंध में अनुस्मारक भेजा जा चुका है। - उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हाल ही में सूचित किया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना को अद्यतन पर्यावरण स्वीकृति लेने से छूट दे दी है। **मुद्दे:** - सी.डब्ल्यू.सी./सी.ई.ए. की सभी मूल्यांकन-कर्ता इकाइयों की टिप्पणियां पालनार्थ परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								सी.डब्ल्यू.सी./सी.ई.ए. की टिप्पणियों के संबंध में राज्य सरकार से अनुपालना अभी प्राप्त होनी है। - लागत पहलु समेत परियोजना के कुछ पहलुओं के संबंध में अनुपालना प्राप्त हुई है तथा संबंधित निदेशालयों में जांचाधीन है। - उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से परियोजना की डी.पी.आर. लाभार्थी राज्यों को भेजकर लाभ और लागत की हिस्सेदारी के संबंध में उनके विचार जानने का अनुरोध किया गया है।
4.	जगजीतपुर नहर का निर्माण और विस्तार	मध्यम	गंगा	हरिद्वार	01/10	3.565	24.46	- जल उपलब्धता और अंतर-राज्यीय पहलुओं के संबंध में सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां राज्य को फरवरी, 2010 में भेजी गई थीं। अनुपालना प्रतीक्षित है। **मुद्दे:** - राज्य सरकार को ऊपरी गंगा नहर में मान्य उपयोग के अतिरिक्त अधिशेष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								जल की उपलब्धता स्थापित करनी है। - राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति लेनी है।
5.	कनखल नहर का निर्माण और विस्तार	मध्यम	गंगा	हरिद्वार	01/10	3.050	26.80	- जल उपलब्धता और अंतर-राज्यीय पहलुओं के संबंध में सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां राज्य को फरवरी, 2010 में भेजी गई थीं। अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। **मुद्दे:** - राज्य सरकार को ऊपरी गंगा नहर में मान्य उपयोग के अतिरिक्त अधिशेष जल की उपलब्धता स्थापित करनी है। - राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति लेनी है।

[अनुवाद]

'मनरेगा' योजना के तहत भुगतान

5758. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक के भुगतान की नई प्रविष्टियां और नए तरीके खोजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी. नरेगा) मांग आधारित है और देश के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। सभी राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार प्रदान करना तथा लाभार्थियों को रोजगार का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। एम.जी. नरेगा के अंतर्गत समय पर भुगतान, पारदर्शिता लाने और मजदूरी भुगतान की समानता में वृद्धि को सुनिश्चित करने के

मद्देनजर कामगारों को बैंकों अथवा डाकघरों में संस्थागत खातों के माध्यम से मजदूरी का संवितरण एक सांविधिक जरूरत बनाने के लिए एम.जी. नरेगा की अनुसूची II में संशोधन किया गया है। मजदूरी संवितरण के लिए संस्थाओं की पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों को रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.)/ अर्हता के लिए अनुरोध (आर.एफ.क्यू.) आमंत्रित करके बैंकों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ग्रामीण स्तर पर बैंकों के माध्यम से बायो-मैट्रिक अधिप्रमाणन द्वारा मजदूरी का भुगतान करने के लिए बिजनेस कोर्सपोंडेंट मॉडल शुरू करने चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे सेवारहित क्षेत्रों को चिन्हित करें जहां बी.सी. मॉडल की जरूरत पड़ सकती हो तथा ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बिजनेस कोर्सपोंडेंट मॉडल शुरू किए जा सकते हों।

[हिन्दी]

सिलिंडर का प्रमाणन

5759. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रसोई गैस सिलिंडरों के प्रमाणन में अनियमितताएं बरतने के सिलसिले में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) एल.पी.जी. सिलिंडरों को प्रमाणन प्रदान करने में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) के अधिकारियों द्वारा अनियमितता का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल विपणन कंपनियों सहित बी.पी.सी.एल. की एल.पी.जी. सिलिंडरों के प्रमाणन की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। नये एल.पी.जी. सिलिंडरों का प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सिलिंडरों को एल.पी.जी. भरण संयंत्रों में भेजने से पूर्व विनिर्माताओं के परिसरों पर किया जाता है। बी.आई.एस. द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति

5760. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नवम्बर, 2010 में केन्द्र सरकार से राज्य में रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की आवश्यकता के अनुसार घरेलू एल.पी.जी. की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने रिपोर्ट दी है कि हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता पूरी कर रहे भरण संयंत्रों को एल.पी.जी. की आपूर्ति मुख्यत: पानीपत रिफाइनरी से की जाती है और अक्तूबर, 2010 के मध्य तक सामान्य आपूर्ति बनाए रखी गई थी। दिनांक 1-10-2010 से पानीपत रिफाइनरी को नियोजित ढंग से बंद करने की अवधि बढ़ा दिए जाने, पानीपत नाफ्था क्रैकर इकाई को चालू करने में विलंब और साथ ही वर्षा के मौसम के दौरान राज्य में भारी वर्षा और कुछ हिस्सों में क्षतिग्रस्त सड़कों के परिणामस्वरूप भरण संयंत्रों में थोक एल.पी.जी. की उपलब्धता कम थी और इसलिए भरण संयंत्रों से पैक्ड एल.पी.जी. की आपूर्ति बाजार मांग के अनुरूप नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के कुछ बाजारों में आपूर्ति में विलंब हुआ। तथापि, पानीपत रिफाइनरी और पानीपत नाफ्था क्रैकर इकाई, दोनों में सामान्य रूप से उत्पादन और प्रेषण पुन: शुरू हो गया है जिसके परिणामस्वरूप थोक एल.पी.जी. की पर्याप्त उपलब्धता है।

(ग) सरकार ने समग्र बैकलॉग स्थिति की समीक्षा की है और ओ.एम.सीज को अवकाश के दिनों और निर्धारित

कार्य समय के बाद अतिरिक्त घंटों में भरण संयंत्रों का प्रचालन कर बैकलॉग को निपटाने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार बैकलॉग से मुक्त रहें। राज्य में जब भी मांग बढ़ जाती है संबंधित एल.पी.जी. वितरकों को अतिरिक्त आपूर्ति जारी की जाती है।

[अनुवाद]

कोलकाता मेट्रो-स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा बूथ

5761. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कोलकाता के मेट्रो स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा सहायता बूथ खोलने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। बहरहाल प्रत्येक स्टेशन पर प्राथमिक उपचार बाक्स, स्ट्रेचर और आक्सीजन सिलेन्डर की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्टेशन पर एक सुवाह्य दुर्घटना चिकित्सा किट (पी.ओ.एम. के.ए.) मुहैया कराई गई है जिसमें आवश्यक आपातकालिक दवाइयां होती हैं। सभी फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारी प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षित हैं।

[हिन्दी]

पेयजल योजना हेतु आवंटन

5762. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 2010-11 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत पेयजल परियोजनाओं हेतु निधियों के आबंटन के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था। योजना आयोग ने प्रस्ताव पर कार्यवाही की थी और प्रत्येक राज्य को 100 करोड़ रु. रिलीज किए।

(ग) 2011-12 के दौरान 5-9-2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और इसे बढ़ाने के लिए राज्यों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को संचालित करता है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है ताकि पेयजल प्रदान करने के उनके प्रयासों में मदद की जा सके। राज्य सरकारों को एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए शक्तियां दी गई हैं।

विवरण

2011-12 के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	510.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.79

1	2	3
3.	असम	428.86
4.	बिहार	355.66
5.	छत्तीसगढ़	130.81
6.	गोवा	5.56
7.	गुजरात	485.11
8.	हरियाणा	221.22
9.	हिमाचल प्रदेश	138.98
10.	जम्मू और कश्मीर	466.8
11.	झारखंड	172.69
12.	कर्नाटक	571.64
13.	केरल	150.18
14.	मध्य प्रदेश	387.78
15.	महाराष्ट्र	686.84
16.	मणिपुर	56.74
17.	मेघालय	65.27
18.	मिजोरम	37.1
19.	नागालैंड	53.71
20.	ओडिशा	213.3
21.	पंजाब	82.46
22.	राजस्थान	1151.52
23.	सिक्किम	16.06
24.	तमिलनाडु	264.56
25.	त्रिपुरा	55.98
26.	उत्तर प्रदेश	690.22
27.	उत्तराखंड	144.89
28.	पश्चिम बंगाल	321.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0
31.	दमन और दीव	0
32.	दिल्ली	0
33.	लक्षद्वीप	0
34.	पुडुचेरी	0
35.	चंडीगढ़	0
	कुल	7994.27

[अनुवाद]

कंपनी का परिसमापन

5763. श्री एन. कृष्टप्प:

श्री खगेन दास:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी कंपनी के परिसमापन हेतु संबंधित राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या मै. डेवू मोटर्स इण्डिया लिमिटेड का परिसमापन उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना ही किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या ऐसा परिसमापन प्रस्ताव जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न किया गया हो, न्यायालय में वैध है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा डेवू मोटर्स इण्डिया लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया को अमान्य करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बालाघाट-जबलपुर रेलमार्ग

5764. श्री के.डी. देशमुख: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर लाइन पर आमान-परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित/व्यय की गई है; और

(घ) उक्त रेलमार्ग संबंधी कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या रखी गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर लाइन पर आमान परिवर्तन का कार्य गोंदिया-जबलपुर (बालाघाट-कटंगी शाखा लाइन सहित) की स्वीकृत की हुई आमान परिवर्तन परियोजना का एक भाग है। गोंदिया से बालाघाट और बालाघाट से कटंगी खंड पूरे हो गए हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। कार्य की वास्तविक प्रगति 63 प्रतिशत है। बालाघाट और सिवनी जिलों में वन संबंधी भूमि अभी सौंपी नहीं गई है। इस मामले का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) गोंदिया-जबलपुर (बालाघाट-कटंगी शाखा लाइन सहित) आमान परिवर्तन परियोजना की स्वीकृत लागत 1037.90 करोड़ रुपए है। बजट 2011-12 में 100 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है और मार्च, 2011 तक इस परियोजना पर 520.42 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) अपेक्षित भूमि को रेलवे को सौंपे जाने के पश्चात् इस कार्य को 3 वर्ष के भीतर पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

आतंकवाद पीड़ितों को पेट्रोल विक्रय केन्द्रों का आवंटन

5765. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों में अपनी जान देने वाले बहादुर व्यक्तियों के परिवारों को पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. विक्रय केन्द्र प्रदान कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामले सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) ऐसे रक्षा/सुरक्षा कार्मिकों, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, के परिवारों का पुनर्वास करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सीधा आबंटन करने के लिए, सरकार ने समय-समय पर विशेष योजनाएं बनाई हैं।

'आपरेशन विजय (कारगिल)' के दौरान युद्ध में शहीद हुए रक्षा कार्मिकों के पात्र और इच्छुक आश्रितों को 303 खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओ.) और 143 तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित किए गए थे।

दिसम्बर, 2001 में संसद पर हुए आक्रमण के दौरान मारे गए सभी 9 सरकारी/पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 9 आर.ओ. डीलरशिप आबंटित की गई हैं। सभी 9 आर.ओ. चालू कर दी गई हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की 18 डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप

उन शहीदों के आश्रितों को आबंटित की गई हैं जिन्होंने 2008 में मुंबई शहर पर हुए आतंकवादी हमले से रक्षा करते समय अपने जीवन न्योछावर कर दिए थे। एक लाभभोगी ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया। 8 आर.ओ. डीलरशिप, 2 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 3 सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन चालू कर दिए गए हैं। शेष चार मामले चालू किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

मतदाताओं द्वारा मतदान

5766. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2009 के लोक सभा चुनावों में केवल 55 प्रतिशत युवाओं ने मतदान किया जबकि राष्ट्रीय औसत 59.7 प्रतिशत था और युवा वर्ग में मतदान का प्रतिशत कम रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की राजनैतिक उदासीनता का कारण जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) युवाओं द्वारा किए गए मतदान की प्रतिशतता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पृथक् रूप से पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान के प्रतिशतता से संबंधित आंकड़े आयोग के पास उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) लोक सभा निर्वाचन, 2009 के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, झारखंड सभा निर्वाचन, 2009 से आगे मतदान में उच्चतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा निम्न मतदान के कारणों को पता लगाने के लिए राज्यों में होने वाले सभी निर्वाचन में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के ज्ञान, व्यवहार अभिरुचि और व्यवहार (के.ऐ.बी.पी.) का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां अब तक 2010 और 2011 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल के निर्वाचन हुए थे, व्यापक व्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचक भागीदारी (एस.वी.ई.ई.पी.) के अभियान को आरंभ किया है। इन अभियान का उद्देश्य मतदाताओं में, विशेष रूप से युवाओं में जानकारी और प्रेरणा को बढ़ाना और सरलीकरण के स्तर में वृद्धि के अतिरिक्त निर्वाचक लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के बारे में जागृति फैलाना था।

25 जनवरी, 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एन.वी.डी.) को आरंभ करना आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल थी। निर्वाचन आयोग से प्रस्ताव की प्राप्ति पर, यह विनिश्चय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पीछे, देश के ऐसे युवा को सशक्त बनाने का विचार रहा है जो सुसंगत वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु अभिप्राप्त कर मतदाताओं के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने तथा उनको राष्ट्रीय मतदान दिवस (एन.वी.डी.) पर उनके निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र (ई.पी.आई.सी.) देने के लिए पात्र होते हैं। संपूर्ण देश के 8 लाख मतदान केंद्रों पर 25 जनवरी, 2011 को एक संक्षिप्त समारोह आयोजित किया गया था। जहां 18+ युवाओं को उनके निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र दिए गए थे, राष्ट्रीय मतदान दिवस पर शपथ दिलाई गई थी और बैज दिए गए थे जिसमें लिखा था "मतदान के लिए तैयार मतदाता होने में गर्व है"। 52 लाख 18+ नए पात्र मतदाता पहले राष्ट्रीय मतदान दिवस में सम्मिलित थे। राष्ट्रीय मतदान दिवस की शपथ निम्न प्रकार है:-

> "हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अटल विश्वास रखते हुए, अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा और मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों की गरिमा बनाए रखने और प्रत्येक निर्वाचन में भययुक्त रूप से तथा धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा या किसी उत्प्रेरण के विचारों से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं।"

आयोग की इन पहलों का पांच राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में हाल ही में हुए विधान सभा निर्वाचनों में और उससे पूर्व बिहार में भी सभी मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। यह उपधारित किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी ने भी इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मतदाता सुधार में महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया है। इसके अतिरिक्त, जिला/राज्य स्तरों पर राष्ट्रीय मतदान दिवस के दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक

संस्थाओं में वाद-विवाद, नारे लिखने की प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, दौड़, मानव-शृंखला, रैलियां, फोटो प्रदर्शनियां आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे। इसी प्रकार के क्रियाकलाप भी, पांच राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विधान सभा निर्वाचनों में आयोजित किए गए थे।

इथेनॉल की आपूर्ति

5767. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें इन कंपनियों को इथेनॉल के तय कोटे की आपूर्ति नहीं कर सकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इन कंपनियों को इथेनॉल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन कंपनियों तथा इथेनॉल विनिर्माताओं के बीच होने वाले वार्षिक अनुबंध को समाप्त करते हुए, स्थिरता की दृष्टि से एक दीर्घावधिक अनुबंध करवाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) एथेनोल आपूर्तिकर्ताओं ने तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को, अधिसूचित किए गए 20 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में से 13 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ई.बी.पी.) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 55.87 करोड़ लीटर की अनुबंधित मात्रा के प्रति दिनांक 15-8-2011 तक 30.21 करोड़ लीटर एथेनोल की आपूर्ति की है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने दिनांक 16-8-2010 के निर्णय के अनुसार, ओ.एम.सीज को ई.बी.पी. कार्यक्रम के लिए एथेनोल के घरेलू विनिर्माताओं से एथेनोल खरीदना आवश्यक है और राज्य सरकारें इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सीधे उत्तरदायी नहीं हैं।

तथापि, ई.बी.पी. कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन और एथेनोल के प्रयोग पर विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया/कराधान नीति में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने शुल्कों, करों को कम करने/तर्कसंगत बनाने और आपूर्ति की प्रक्रिया में अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण का गठन

5768. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (बी.आर.ए.आई.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रस्तावित कृत्य क्या होंगे; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्राधिकरण का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए विधेयक का एक मसौदा तैयार किया है। भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (बी.आर.ए.आई.) विधेयक, 2011 के अनुसार यह प्राधिकरण आधुनिक जीवविज्ञान से संबंधित जीवों और उत्पादों के अनुसंधान, परिवहन, आयात, विनिर्माण और प्रयोग को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्तशासी और संवैधानिक एजेन्सी होगी। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होंगे, जिनमें से प्रत्येक को जीव विज्ञान और कृषि, स्वास्थ्य देखरेख, पर्यावरण और सामान्य जीव विज्ञान के क्षेत्र से जैवप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में विशेषज्ञता प्राप्त हो। विधेयक में प्राधिकरण के कार्य निष्पादन के निरीक्षण के लिए एक अंतर-मंत्रालयी शासी बोर्ड के गठन और समाज में जैवप्रौद्योगिकी के जीव संबंधी प्रयोग और उत्पादों के बारे में फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पणधारी जैवप्रौद्योगिकी सलाहकार

परिषद के गठन का प्रावधान है। विधेयक में अंतिम अनुमोदन से पहले अनुप्रयोगों के मूल्यांकन के लिए एक विशेष सार्वजनिक समीक्षा प्रणाली सहित विशेषज्ञों का एक वैज्ञानिक पैनल और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है।

(ग) इस स्तर पर, भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

सरकारी उपक्रमों में नई पेंशन योजना

5769. श्रीमती जे. शांता: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम अपने-अपने संगठन में नई पेंशन योजना का पालन करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जहां पहले से ही नई पेंशन योजना लागू है और कौन-कौन से उपक्रम इस योजना के अंतर्गत लाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सेवानिवृत्ति पेंशन निधियों का नई पेंशन योजना में निवेश करने के लिए सहमत हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में नीति मार्ग निदेश जारी करने हेतु लोक उद्यम विभाग भारत सरकार का एक नोडल विभाग है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में दिनांक 1-1-2007 से लागू वेतनमानों की औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली का अनुसरण करने वाले कार्यपालकों एवं असंगठित पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन 2007 से सम्बन्धित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 2-4-2009 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 26-11-2008 के कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के इन कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 30% तक और महंगाई भत्ते के तुल्य अधिवर्षिता आय लाभ का प्रावधान किया गया है। अधिवर्षिता लाभों में अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, पेन्शन तथा अधिवर्षिता के बाद चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ये अधिवर्षिता लाभ विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पेन्शन फंड रेगुलेटरी एण्ड डैवलपमैन्ट अथॉरिटी द्वारा प्रतिपादित नई पेन्शन योजना अपनाने के सम्बन्ध में लोक उद्यम विभाग ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को नई पेन्शन योजना मार्ग दर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गयी है।

पेन्शन फण्ड रेगुलेटरी एण्ड डैवलपमैन्ट अथॉरिटी द्वारा विनियमित नई पेन्शन योजना में शामिल होने हेतु कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ख) अब तक 03 केन्द्रीय सरकारी उद्यम नामत: कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि., मैगनीज और (इण्डिया) लि. और नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लि. नई पेन्शन योजना में शामिल हो गए हैं।

(ग) और (घ) नई पेन्शन योजना में शामिल होने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम नई पेन्शन योजना में अधिवर्षिता पेन्शन निधियों में निवेश करने हेतु सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

राज्य वक्फ बोर्डों का गठन

5770. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वक्फ अधिनियम, 1995 को प्रभावी कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के तहत किन-किन राज्यों में वक्फ बोर्डों का गठन किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी हां। वक्फ अधिनियम, 1995 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर देश भर में दिनांक 01-01-1996 से प्रभावी हुआ था।

(ख) वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्डों का गठन आन्ध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार (सुन्नी और शिया), छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल

प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (सुन्नी और शिया), उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है।

[अनुवाद]

कार्बाइड अवशिष्ट का निपटान

5771. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य कार्बाइड अपशिष्ट को जलाकर निपटान करने के विरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस संबंध में विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य उद्योगपतियों की राय क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) विभाग के पास कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बारे में कार्बाइड कचरा जलाए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड परिसर, भोपाल में सुरक्षित गोदाम में लगभग 350 एम.टी. जहरीला कचरा पड़ा हुआ है। पूर्व में अंकलेश्वर गुजरात में इसे भस्म करने के संबंध में गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। तत्पश्चात, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक निगरानी समिति 15 जुलाई, 2010 को गठित की गई जो आवश्यक उपचारण कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सहयोग एवं निगरानी की दिशा में सुझाव देगी। 350 एम.टी. जहरीले कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पीतमपुर में इसे नष्ट करने में अक्षमता को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च, 2011 और 25 मई, 2011 को हुई चूक समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी। समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा उनके नागपुर (महाराष्ट्र) स्थित भष्मक में निपटाने के विकल्प पर विचार किया। नागपुर में जहरीले कचरे के प्रवेश एवं निपटान के विरुद्ध निजी पक्षों द्वारा दायर जनहित याचिका को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 21 जुलाई, 2011 को निरस्त कर दिया गया और महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.सी.बी.) से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से संपर्क करने का निदेश दिया जहां यह मामला लंबित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने अपने 11 अगस्त, 2011 के आदेश के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को डी.आर.डी.ओ. संयंत्र का निरीक्षण करने, जहरीले कचरे का नमूना लेने तथा उसके विश्लेषण का निदेश दिया और अगले आदेशों तक महाराष्ट्र में कचरे का परिवहन स्थगित रखने का आदेश दिया।

गुजरात में दोहरीकरण कार्य

5772. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार ने अहमदाबाद-मेहसाणा-जयपुर, राजकोट-वेरावल, राजकोट-विरामगाम और राजकोट-ओरण रेलवे लाइनों के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। सुझाए गए प्रस्तावों पर निम्नलिखित खंडों के दोहरीकरण पहले ही शुरू किया जा चुका है/ पूरा किए जा चुके हैं:

(i) अहमदाबाद-मेहसाणा-जयपुर: अजमेर-जयपुर खंड का दोहरीकरण पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। अहमदाबाद-मेहसाणा, गुरिया-बानागुरग्राम और रानी-मारवाड़ खंडों को छोड़कर पालनपुर-अजमेर का दोहरीकरण शुरू कर दिया गया है। केशवगंज-सिरोही और बनास-स्वरूपगंज खंडों (16.34 कि.मी.) को 2011-12 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ii) राजकोट-वीरमगाम - इस मार्ग पर सुरेन्द्रनगर-वीरमगाम खंड का दोहरीकरण शुरू कर दिया गया है।

(iii) राजकोट-ओखा और राजकोट-वेरावल: इन खंडों के दोहरीकरण पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

आंकड़ों की विश्वसनीयता

5773. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा जारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कीमतों, औद्योगिक उत्पादन, बेरोजगारी और श्रम संबंधी आंकड़ों के संग्रहण के बारे में सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आंकड़ों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.), मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के संशोधनों में भारी अंतर और साथ ही बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों के बारे में अपनी टिप्पणियां दी हैं, जिसकी वजह से विरोधाभास की स्थिति बनी है, क्योंकि इनसे एक साथ ऐसे संकेत मिलते हैं कि 2010 तक पांच वर्ष की अवधि में सृजित रोजगारों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी और दीर्घकालिक बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। इन टिप्पणियों के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं:

हाल के वर्षों से संबंधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों में बदलाव का मुख्य कारण, आई.आई.पी. के आधार वर्ष को 1993-94 से बदलकर 2004-05 करना रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के अग्रिम अनुमान, आकलन के समय उपलब्ध आंशिक सूचना का इस्तेमाल करके तैयार किए जाते हैं, इसलिए अंतिम अनुमान और अग्रिम अनुमानों में अंतर आ जाता है। आई.आई.पी. और मूल्य सूचकांकों में भी इन्हीं कारणों की वजह से संशोधनों के समय बदलाव किया जाता है। रोजगार/बेरोजगारी की दर, श्रम शक्ति में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या में से रोजगार प्राप्त/बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत होता है। वर्ष 2010 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान बेरोजगारी में गिरावट की वजह यह रही कि इस अवधि के दौरान ऐसे व्यक्तियों की संख्या काफी बढ़ गई थी जो शिक्षा/उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा इन्हें श्रम शक्ति में शामिल नहीं किया गया था।

(ग) मंत्रालय द्वारा मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) के संकलन के लिए, देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में फैले प्रतिनिधि बाजारों से हर माह पहचान की गई मदों के मूल्यों से संबंधित आंकड़े संग्रहीत किए जाते हैं। आई.आई.पी. के संकलन के लिए, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित मासिक आंकड़े विभिन्न सरकारी स्रोत एजेंसियों तथा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग से प्राप्त किए जाते हैं। सूचकांक, विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित मानक सांख्यिकी प्रक्रिया के अनुसार संकलित किए जाते हैं। बेरोजगारी तथा श्रम के संबंध में आंकड़े, पांच वर्ष में एक बार आयोजित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के माध्यम से जुटाए जाते हैं।

(घ) आंकड़ा संग्रहण के मानक तथा पद्धतियों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के समग्र मार्गदर्शन के तहत इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श से अपनाया जाता है। इसके अलावा, आंकड़ों की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार के लिए हाल ही में दो विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। इनमें अखिल भारत तथा राज्य स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृंखला शुरू करना और उद्योगों में ढांचागत बदलावों को ध्यान में रखने के लिए आई.आई.पी. के आधार वर्ष को 1993-94 से बदलकर 2004-05 करना शामिल है।

[अनुवाद]

एम.पी.एल.ए.डी.एस. की समीक्षा

5774. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त फीडबैक का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अधीन सिफारिशों की जांच और कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया तैयार नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को एम.पी.एल.ए.डी.एस. परियोजनाओं के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कोई निदेश दिया है जोकि लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यान्वित की जा रही राज्य परियोजनाओं से भिन्न है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) मंत्रालय, राज्यों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैड्स) के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के अलावा, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के नोडल सचिवों के साथ वर्ष में दो बार योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग भी करता है।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में लोगों के सकारात्मक मत के बावजूद जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में कमियां पाई गई हैं जिनमें कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब होना, अधूरे कार्य तथा परिसंपत्तियों का सही ढंग से प्रयोग न होना, अतिक्रमण, उपयोग का विचलन, रखरखाव की कमी तथा बेकार पड़ी संपत्तियां आदि शामिल हैं।

(ग) एम.पी.लैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत आने वाले कार्यों को इस प्रकार के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एकीकृत जल प्रबंधन

5775. श्री किरोड़ी लाल मीणा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश में पानी के संकट को दूर करने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन से संबंधित कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) योजना आयोग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की दिनांक 24-7-2010 को हुई 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "योजना आयोग जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति तैयार करेगा जिस पर एन.डी.सी. की भविष्य में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी।" उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में सदस्य (जल संसाधन), योजना आयोग ने दिनांक 6-4-11 को प्रधानमंत्री को एक प्रस्तुतीकरण पेश किया और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि:-

(i) जल संसाधन मंत्रालय योजना आयोग से परामर्श करके एन.डी.सी. के विचारार्थ जल संबंधी मुद्दों के सम्बन्ध में व्यापक प्रलेख तैयार करेगा।

(ii) बैठक में लिए गए निर्णयों की तर्ज पर राज्यों के साथ परामर्श करके राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना।

उपर्युक्त निर्णय (i) और (ii) पर, योजना आयोग ने जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रपात हेतु सदस्य (जल संसाधन), योजना आयोग की अध्यक्षता में आठ कार्य समूह और एक संचालन समिति का गठन किया है।

प्रापण में अनियमितताएं

5776. श्रीमती सीमा उपाध्याय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के मैकेनिकल विभाग द्वारा उच्च दर पर विभिन्न रेल "स्पेयर पार्ट्स" तथा अन्य मदों के प्रापण तथा निविदाओं में अनियमितताओं से संबंधित कोई मामला रेलवे के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलों के पास सामग्रियों को पारदर्शी तरीके से खरीदने के लिए सुविचारित प्रणालियां है और विभिन्न स्तरों पर इसकी जांच की जाती है। बहरहाल, सामग्रियों की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से रेलवे को सूचना/शिकायतें प्राप्त होती हैं और मौजूदा प्रणाली के अनुसार इनकी जांच की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.एफ.एल. में निवेश

5777. श्री रवनीत सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बाजार में उर्वरकों की निरंतर और अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन.एफ.एल.) के कारखानों में क्षमता निर्माण के लिए निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) एन.एफ.एल. ने 650 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपनी विजयपुर-I और II इकाइयों में अमोनिया तथा यूरिया संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का कार्य आरम्भ किया है। वर्ष 2010-11 में इन परियोजनाओं को आरंभ किया गया था। इन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	विजयपुर I	विजयपुर II
मौजूदा पुनः आकलित यूरिया क्षमता	2620 एम.टी.पी.डी.	2620 एम.टी.पी.डी.
संवर्धन के उपरांत यूरिया क्षमता	3030 एम.टी.पी.डी.	3231 एम.टी.पी.डी.
यूरिया क्षमता में % संवर्द्धन	16%	23%
आरम्भ होने की अनुमानित तारीख	दिसम्बर' 2011	अप्रैल' 2012

सरकार ने फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सिंदरी तथा रामागुंडम संयंत्रों का पुनरुद्धार क्रमशः नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और एन.एफ.एल. एंड इंजीनियर्स इंडिया लि. (ई.आई.एल.) के परिसंघ के माध्यम से किए जाने का अनुमोदन भी कर दिया है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए आरंभिक क्रियाकलाप शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए तेलशोधक संयंत्र

5778. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए तेलशोधक संयंत्र स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), मित्तल एनर्जी इंवेस्टमेंट्स प्रा. लि. के साथ संयुक्त उद्यम में भटिंडा, पंजाब में एक 9 एम.एम.टी.पी.ए. की रिफाइनरी स्थापित कर रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) ने ओमान आयल कंपनी, ओमान

के साथ संयुक्त उद्यम में बीना, मध्य प्रदेश में एक 6 एम.एम.टी.पी.ए. की रिफाइनरी दिनांक 20 मई, 2011 को पहले ही चालू कर दी है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का विस्तार

5779. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से जोधपुर के बीच चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति का मारवाड़ जंक्शन तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 12641/12642 जोधपुर-दिल्ली मंदोर एक्सप्रेस (दैनिक) और 12463/12464 बीकानेर/जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) को मारवाड़ तक चलाना परिचालनिक दृष्टि और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों द्वारा भू-जल का दोहन

5780. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल्ड ड्रिंक विनिर्माण और वाटर बोटलिंग इकाइयां देश में जल संसाधनों का अनुमेय सीमा से अधिक दोहन कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कंपनियों द्वारा जल के अत्यधिक दोहन की कोई निगरानी की है; और

(ग) उक्त कंपनियों द्वारा जल संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) शीतल पेय विनिर्माता और बोतलबंद पेय जल संयंत्रों को लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो और कुछ राज्यों में उद्योग निदेशालय हैं जो भूमि जल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अति दोहित/संकटकालीन/अर्ध-संकटकालीन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले नए उद्योगों/परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण को भेजते हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड इन प्रस्तावों की जांच करता है और भूमि जल की निकासी हेतु प्रयोजनार्थ बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें अनापत्ति प्रमाम पत्र जारी किया गया है, द्वारा अनुज्ञेय सीमा से अधिक निकासी के संबंध में लाइसेंस-दाता प्राधिकरणों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जिन उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनके स्थल का निरीक्षण, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गठित बहुआयामी दल द्वारा किया जाता है ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

(ग) शीतल पेय और बोतलबंद जल विनिर्माता इकाइयों समेत सभी उद्योगों, जो नए हैं या जिनका विस्तार किया जा रहा है और जो भूमिजल पर आधारित हैं, को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने देश में 82 क्षेत्र अधिसूचित किए हैं जहां बिना पूर्व अनुमति के जल निकासी संरचनाएं निर्मित करने की आज्ञा नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में जल आधारित उद्योगों/बोतलबंद शीतल पेय संयंत्रों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है।

[अनुवाद]

पुराने रेल पुल

5781. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 100 वर्ष पुराने रेल पुलों की राज्य/जोन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पुलों के टूटने के

कारण हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन 100 वर्ष पुराने रेल पुलों में से रेलवे द्वारा परीक्षित, मरम्मत किए गए और रेटरोफिटिंग किए गए पुलों का वर्ष-वार, जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश पुलों का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और ये बहुत बुरी अवस्था में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पुलों की मजबूती का आकलन करने और उन्हें जहां भी जरूरत है रेटरोफिट किए जाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल पुलों पर सूचनाओं को जोनवार रखा जाता है न कि राज्यवार। 01-04-2011 को 33,012 रेल पुल हैं जो सौ वर्ष से अधिक पुराने हैं इनके जोनवार विवरण निम्नानुसार हैं:

रेलवे	मध्य	पूर्व	पूर्व मध्य	पूर्व तट	उत्तर	उत्तर मध्य	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर सीमा
पुलों की सं.	3107	2565	2129	698	4850	823	874	861

रेलवे	उत्तर पश्चिम	दक्षिण	दक्षिण मध्य	दक्षिण पूर्व	दक्षिण पूर्व मध्य	दक्षिण पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम मध्य
पुलों की सं.	903	2929	4438	1448	1278	2055	2226	1828

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुलों के गिरने के कारण कोई रेल दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) रेल पुलों का पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाता है, न कि आयु के आधार पर। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 2011 तक भारतीय रेल प्रणाली पर कुल 4183 अदद रेल पुलों को पुनर्निर्मित/पुनर्स्थापित/सुदृढ़ीकृत किया गया जिनका जोनवार और वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

रेलवे	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई, 11 तक)
1	2	3	4	5
मरे	67	53	41	6
पूरे	221	151	129	18
पूमरे	47	47	54	3
पूतरे	50	49	48	14
उरे	202	204	112	42
उमरे	67	60	49	7
पूर्वोत्तर	8	11	3	0

1	2	3	4	5
पूसीरे	92	57	112	18
उपरे	72	56	70	24
दरे	69	103	88	17
दमरे	66	80	91	51
दपूरे	103	94	110	14
दपूमरे	40	72	72	33
दपरे	58	62	62	17
परे	126	93	66	17
पमरे	100	102	90	23
जोड़	1388	1294	1197	304

(घ) और (ङ) भारतीय रेल प्रणाली पर कोई भी असुरक्षित पुल नहीं है। भारतीय रेल पर पुलों के निरीक्षण की एक नियमित और कड़ी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, सभी पुलों का वर्ष में एक बार नामित अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण करने वाले अधिकारी अपने निरीक्षणों के दौरान पुलों का भी निरीक्षण करते हैं। पुलों का पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण नियमित निरीक्षणों के दौरान निश्चित की गई वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाता है।

सी.पी.एस.ई.एस. में रिक्त पद

5782. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.ई.एस.) में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए आरक्षित पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पदों को समय पर नहीं भरे जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन पदों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) वर्तमान में चालू आरक्षण नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों सहित निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के सभी पदों पर भर्ती सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन द्वारा की जाती है। रिक्त पदों के सन्दर्भ में सूचना लोक उद्यम विभाग द्वारा एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

(घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित अपनी स्थापनाओं में विशेष भर्ती अभियान चलाने के अनुदेश जारी किए थे। लोक उद्यम विभाग ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछले रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु इन अनुदेशों को सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अग्रेषित कर दिया गया था। विशेष भर्ती अभियान की निगरानी सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निवेश

5783. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां विदेशी और घरेलू संगठनों में निवेश कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2011 तक इन कंपनियों द्वारा किए गए इस प्रकार के निवेश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 तक विदेशी और घरेलू संगठनों में किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का नाम	निवेश (करोड़ रुपये)
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.)	7,394.56
ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.)	625.41
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.)	4,785.00
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.)	4,360.36
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.)	4,312.49
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)	2,573.37

नदियों पर तटबंध बनाना

5784. श्रीमती रमा देवी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार में बूढ़ी गंडक, गंडक तथा बागमती नदियों पर तटबंध बनाने और उन पर पक्की सड़क बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के नाते नदियों पर तटबंधों के निर्माण हेतु बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी राज्य योजना निधियों से किया जाता है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार बाढ़ प्रवण राज्यों को गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों में भी सहायता प्रदान करती है।

Xवीं और XIवीं योजना के दौरान बिहार की राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से विद्यमान तटबंधों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण/बूढ़ी गंडक, गंडक और बागमती नदियों पर नए तटबंधों के निर्माण सहित प्रारंभ किए गए बाढ़ नियंत्रण कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) बेगुसराय जिले के गंभीर क्षेत्रों में बूढ़ी गंडक नदी पर 19 कि.मी. से 53.20 कि.मी. तक बायें तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागत: 5.09 करोड़ रुपये)।

(ii) समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर 112 कि.मी. से 172 मि.मी. तक बायें तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागत 6.03 करोड़ रुपये)।

(iii) बेगुसराय और समस्तीपुर जिलों में बूढ़ी गंडक नदी पर गंभीर क्षेत्र में चैनल 20 कि.मी. से चैनल 49 कि.मी. तथा चैनल 96 से चैनल 161 कि.मी. तक दायें तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागत: 4.93 करोड़ रु.)।

(iv) खगरिया जिले में दोनों तटों पर 0.00 कि.मी. से 19 कि.मी. बूढ़ी गंडक तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागतः 7.22 करोड़ रुपये)।

(v) बसही गांव के निकट बायें बूढ़ी गंडक तटबंध पर 72 से 74 कि.मी. कटाव रोधी कार्य किया गया (अनुमानित लागत 5.15 करोड़ रु.)।

(vi) अखराघाट के 8.00 प्रतिप्रवाह से 39.00 कि.मी. अनुप्रवाह तक दायें बूढ़ी गंडक तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागतः 12.00 करोड़ रुपये)।

(vii) 53.2 कि.मी. से 107 कि.मी. बूढ़ी गंडक तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण (अनुमानित लागतः 7.49 करोड़ रु.)।

II. गंडकः

(i) चंपारन तटबंध के आर.डी. 10 कि.मी. से प्रतिप्रवाह की ओर गंडक नदी के पूरे क्षेत्र का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागतः 7.49 करोड़ रु.)।

(ii) गंडक नदी पर 32.24 से 132.40 कि.मी. तक चंपारन तटबंध के ऊपरी हिस्से पर ईंटें लगाना (अनुमानित लागतः 14.92 करोड़ रु.)।

(iii) गंडक नदी के गंभीर क्षेत्रों में बायें तट तिरहुत तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागतः 7.14 करोड़ रु.)।

(iv) गंभीर क्षेत्र के 17.60 कि.मी. 85 कि.मी. सरन तटबंध के दायें तट का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करना (अनुमानित लागतः 5.95 करोड़ रु.)।

(v) गंभीर क्षेत्रों में 90 से 152 कि.मी. तक सरन तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागतः 7.20 करोड़ रु.)।

(vi) सरन तटबंध के दायें तट के 35 से 80 कि.मी. तटबंध के ऊपरी हिस्से पर ईंटें लगायी गई (अनुमानित लागतः 9.58 करोड़ रु.)।

(vii) गंडक नदी के दायें तट पर पिपरासी पिपराघाट तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया (अनुमानित लागतः 14.72 करोड़ रु.)।

III. बागमतीः

बिहार की राज्य सरकार द्वारा बागमती नदी पर 792 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक समेकित बाढ़ प्रबंधन स्कीम तैयार की गई है जिसमें लगभग 334 कि.मी. लंबे तटबंधों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करना, लगभग 245.87 कि.मी. में नए तटबंधों का निर्माण करना, नदी प्रशिक्षण कार्यों, स्लूइस इत्यादि के निर्माण की परिकल्पना की गई है। उल्लिखित स्कीम के चरण 1 में 17.55 कि.मी. से 53.16 कि.मी. तथा 15.20 कि.मी. से 56.97 कि.मी. तक बागमती के बायें तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है जिसमें बागमती नदी के दायें तट के ऊपरी हिस्से पर ईंटें लगाना तथा संवेदनशील बिंदुओं पर कटावरोधी कार्यों को शामिल किया गया है जिसकी कुल लागत 135.16 करोड़ रु. है और इसे XIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता से प्रारंभ किया गया है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल का उपभोग

5785. श्री एल. राजगोपालः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2010-11 में पेट्रोल के उपभोग में तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पेट्रोल के उपभोग में और कमी लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि विदेशी मुद्रा बचायी जा सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2010-11 के दौरान पेट्रोल के उपभोग में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

(ग) मंत्रालय ने देश में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ई.बी.पी.) कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में, 5 प्रतिशत ई.बी.पी. कार्यक्रम अधिसूचित किए गए 20 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में से 13 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के तहत है। पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए उपयोग किए गए एथेनोल की उक्त मात्रा, एक सीमा तक आयातित कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता को कम करेगी।

रेल डिब्बों को बदलना

5786. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का देश में सभी रेलगाड़ियों में देश में बने डिब्बों को जर्मनी में निर्मित डिब्बों से बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके वित्तीय निहितार्थों की तुलना में संभावित लाभ क्या हैं;

(ग) मौजूदा डिब्बों की तुलना में नए डिब्बों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) सबी रेलगाड़ियों में डिब्बों को बदलने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) देश में मौजूदा रेल डिब्बे कारखानों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) भारतीय रेलों की नए एल.एच.बी. (लिंके हॉफमैन बुश) डिजाइन कोच, ऐसी प्रौद्योगिकी, जिसे मैसर्स अल्सटॉम (ए.एल.एस.टी.ओ.एम.), जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के करार के माध्यम से प्राप्त किया गया था, के विनिर्माण को उत्तरोत्तर ढंग से बढ़ाने की योजना है। पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंत तक केवल एल.एच.बी. डिजाइन कोच के नए विनिर्माण को पूरी तरह से अपनाने का विचार किया गया है। बहरहाल, मौजूदा परंपरागत सडिका (सवारी डिब्बा कारखाना) डिजाइन वाले सवारी डिब्बे सेवा में बने रहेंगे।

परंपरागत सडिका डिजाइन वाले सवारी डिब्बों की तुलना में इन डिब्बों की बेहतर विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- अधिक लंबा सेवा जीवन
- संवर्धित संरक्षा मानक, विशेषकर, कैश वर्थीनेस
- लगभग 10-12 प्रतिशत अधिक वहन क्षमता
- उच्च गति क्षमता
- अधिक आरामदेह यात्रा
- सौन्दर्यपरक इंटीरियर्स
- कम अनुरक्षण की आवश्यकता - स्टेनलेस स्टील बॉडी के कारण कोई जंग नहीं

एल.एच.बी. डिजाइन के सवारी डिब्बों और तदनुरूपी सडिका द्वारा डिजाइन किए गए सवारी डिब्बों की लागत में औसत अंतर लगभग 75 लाख रु. से 1 करोड़ के बीच है, परन्तु एच.एल.बी. डिजाइन के सवारी डिब्बों की अधिक संख्या में उत्पादन करने से इसमें महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना है।

(ङ) रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले सवारी डिब्बा उत्पादन कारखाना है। एल.एच.बी. डिजाइन के सवारी डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला और सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै में सुविधाओं को और अपग्रेड करने के लिए परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है।

अनुसंधान और विकास पर व्यय

5787. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भेषज क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य पर निजी क्षेत्र की तुलना में कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रूग्ण घोषित कर बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित दवाइयां अब विदेशी मुद्रा खर्च कर आयात की जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में दवाइयों की उपलब्धता के

लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) औषध क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यूज) द्वारा विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	आई.डी.पी.एल.	एच.ए.एल.	के.ए.पी.एल.	बी.सी.पी.एल.	आर.डी.पी.एल.
2008-09	10.55	114.51	44.21	0.45	शून्य
2009-10	3.13*	126.48	45.66	0.55	शून्य
2010-11	3.53*	143.14	75.14	0.40	शून्य
2011-12	शून्य	52.48* (जुलाई, 11 तक)	12.81* (अगस्त, 11 तक)	शून्य	शून्य

*अनन्तिम।

(ख) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त उपक्रमों में से आई.डी.पी.एल., एच.ए.एल. तथा बी.सी.पी.एल. सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम हैं। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम कार्य कर रहे हैं और इनमें दवाइयों का निर्माण हो रहा है। इस समय देश में दवाइयों का आयात वाणिज्यिक विभाग द्वारा प्रशासित विदेश व्यापार नीति के अनुसार किया जाता है। समय-समय पर यथासंशोधित औषधि नीति में लोगों को वाजिब मूल्यों पर दवाइयां उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. एजेंसियां

5788. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के बुधाना जिले में खोली गई एल.पी.जी. एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी कंपनी-वार, श्रेणी-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान साक्षात्कार लिए गए व्यक्तियों को अभी तक एजेंसी आवंटित नहीं की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में दो राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरण डिस्ट्रीब्यूटरों का आबंटन किया है।

(ख) श्रेणी-वार और स्थान-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

स्थल	श्रेणी
चंदूर बिसवा	अनुसूचित जाति
साखरखेरडा	खुली श्रेणी

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.ओ.सी. ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक नियमित एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर के लिए विज्ञापन दिया था जो उपयुक्त उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण अभी

तक आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, जुलाई, 2011 में इस स्थल के लिए दोबारा विज्ञापन दे दिया गया है।

इसी प्रकार आई.ओ.सी. ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में दूसरबीड तथा पिपलगांव राजा के लिए एक-एक अर्थात् दो आर.जी.जी.एल.वी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के लिए भी विज्ञापन दिया था जो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई की नागपुर पीठ के समक्ष लंबित न्यायालय मामलों के कारण अभी आबंटित नहीं किए गए हैं।

राजस्थान में सिंचाई सुविधाएं

5789. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में सिंचाई के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है; और

(ख) राजस्थान के प्रत्येक जिले में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई गई पानी की कुल मात्रा कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान राज्य में सिंचाई हेतु अपेक्षित जल की मात्रा लगभग 81 मिलियन एकड़ फीट (100 बिलियन घन मीटर) होगी।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में सिंचाई हेतु उपलब्ध आंतरिक संसाधनों द्वारा सतही जल की कुल मात्रा संलग्न विवरण पर दी गयी है।

विवरण

**आंतरिक संसाधनों से सिंचाई हेतु उपलब्ध कराए गए सतही जल का जिलेवार विवरण*

क्र. सं.	जिले का नाम	एम.सी.एम. में मात्रा
1	2	3
1.	अजमेर	351.08
2.	अलवर	220.67
3.	बारां	248.57
4.	बाड़मेर	29.8
5.	बांसवाड़ा	1921.7
6.	भरतपुर	235.7
7.	भीलवाड़ा	725.61
8.	बीकानेर	3.36
9.	बूंदी	356.71
10.	चित्तोड़गढ़+प्रतापगढ़	2023.04
11.	चुरू	0
12.	दौसा	182.47
13.	धौलपुर	162.25
14.	डूंगरपुर	294.39
15.	श्रीगंगानगर	0
16.	हनुमानगढ़	0
17.	जयपुर	330.27
18.	जैसलमेर	0
19.	जालौर	216.79
20.	झालावाड़	390.62
21.	झूंझुनू	26.4
22.	जोधपुर	118.66
23.	कोटा	203.84
24.	नागौर	54.62
25.	पाली	560.31
26.	राजसमंद	242.01
27.	सवाई माधोपुर + करौली	341.86
28.	सीकर	54.09

1	2	3
29.	सीरोही	210.06
30.	टोंक	1420.79
31.	उदयपुर	916.6
	कुल	11842.27

11.84 बी.सी.एम.

[अनुवाद]

भूमिगत जल की निकासी

5790. चौधरी लाल सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भूमिगत जल की निकासी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भूमिगत जल के दोहन को रोकने के लिए सरकार का कब तक आदर्श भूमिगत जल उपयोग विधेयक पारित करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूमि जल संगठनों द्वारा पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधनों के संबंध में संयुक्त रूप से किए गए अंतिम आकलन के अनुसार वर्ष 2004 तक सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूमि जल निकासी का अनुमान 231 बी.सी.एम. प्रति वर्ष है जिसमें से सिंचाई के लिए 213 बी.सी.एम. तथा घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रयोजनों के लिए 18 बी.सी.एम. जल की निकासी की गई है।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि जल के विकास का विनियमन और नियंत्रण करने के लिए एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है। अभी तक 11 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों नामत: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी ने भूमि जल कानून अधिनियमित कर लिया है। 19 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कानून को अधिनियमित कर रहे हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी ऐसा कानून अधिनियमित करने का अनुरोध किया गया है। 'जल' राज्य का विषय है, अत: माडल विधेयक को अधिनियमित करना राज्यों की मुख्य जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

पी.पी.पी. मोड के अधीन परियोजनाएं

5791. श्री हरि मांझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में सरकारी-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड के अधीन कार्यान्वित की जा रही कुछ परियोजनाओं को वित्तीय संकट के कारण बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरिया का आयात

5792. श्री जयंत चौधरी:

श्री कमलेश पासवान:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों से लेकर अब तक यूरिया का आयात मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयातित यूरिया की मात्रा, इस मद में खर्च की गयी कुल राशि और इस आयात के लिए दी जाने वाली राजसहायता कितनी है;

(ग) आगामी योजना अवधि के दौरान देश में यूरिया की कितनी खपत होने का अनुमान है; और

(घ) यूरिया की मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) प्रत्यक्ष कृषि उपयोग के लिए यूरिया का आयात सरकार तीन राज्य व्यापार उद्यमों अर्थात् एम.एम.टी.सी. लि., स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. और भारतीय पोटाश लिमिटेड के माध्यम से करती है। इसके अतिरिक्त सरकार भारत सरकार और ओमिफ्को के बीच दीर्घ अवधि यूरिया उठान करार (यू.ओ.टी.ए.) के अंतर्गत ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को) सुर, ओमान से लगभग 2 मिलियन मी.टन दानेदार यूरिया का भी आयात कर रही है। विगत पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान 31 अगस्त, 2011 तक सरकार द्वारा आयातित यूरिया का औसत भारित मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	भारित औसत सी एण्ड एफ मूल्य अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन	
	एस.टी.ई. के माध्यम से आयात के लिए	ओमिफ्को से आयात के लिए
2006-07	248.85	168.66
2007-08	344.20	180.10
2008-09	524.41	232.79
2009-10	277.14	164.99
2010-11	327.38	166.78
2011-12 (08/11 तक)	436.90	291.01

(ख) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष में 31 अगस्त, 2011 तक आयातित यूरिया की मात्रा, यूरिया का औसत भारित मूल्य और आयातित यूरिया पर प्रदत्त निवल राजसहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	आयातित यूरिया की मात्रा (लाख मी.टन में)			मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में	प्रदत्त निवल राजसहायता (रु./करोड़)
	एस.टी.ई. द्वारा	ओमान से	योग		
2006-07	28.82	18.37	47.19	394.95	3274.09
2007-08	50.37	18.91	69.28	1027.01	6606.11
2008-09	37.61	19.06	56.67	2416.00	10078.86
2009-10	31.48	20.62	52.10	1212.65	4603.32
2010-11	45.46	20.64	66.10	1832.50	6453.91
2011-12 (08/11 तक)	9.39	16.10	25.49	976.67	3608.42

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूरिया की मांग संबंधी अनुमान को अभी कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2011-12 के लिए यूरिया की मांग का पूर्वानुमान लगभग 287.55 लाख मी.टन है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 2017-18 में यूरिया की संभावित मांग 343.35 लाख मी.टन के आस-पास रह सकती है (3% प्रतिवर्ष वृद्धि अनुमान को ध्यान में रखते हुए)।

(घ) सरकार देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उर्वरकों के उत्पादन को सदैव प्रोत्साहित करती है। यूरिया क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने के लिए 4 सितंबर, 2008 को एक नई नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति आयात सम मूल्य (आई.पी.पी.) बैंचमार्क के साथ उचित न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों पर आधारित है जिसका उद्देश्य मौजूदा यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार और पुनरुत्थान करना तथा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना करना है। इस नीति का उद्देश्य यूरिया की खपत और घरेलू उत्पादन के अन्तर को काफी हद तक पूरा करना है बशर्ते कि वहनीय मूल्य पर गैस उपलब्ध हो।

रेलवे स्टेशनों पर पी.सी.ओ. बूथ

5793. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर नए पी.सी.ओ. बूथ का आवंटन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गुजरात सहित पूरे देश में रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर पी.सी.ओ. बूथ पर्याप्त संख्या में नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो और बूथ देने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर नए पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल, अतिरिक्त आवश्यकताओं की जांच की जाती है और अधिक बूथों की व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बहरहाल, बहुत अधिक मात्रा में होने और मोबाइल फोन की दरें बहुत कम होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया बहुत कम देखी गई है।

[हिन्दी]

गैस एजेंसी और फुटकर दुकानें

5794. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के खारगांव और बदंवानी जिलों में चलाई जा रही गैस एजेंसियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि और गैस एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने इन दो जिलों में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दोनों जिलों में और गैस एजेंसी खोलने के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 01-07-2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) नामतः इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) उद्योग विपणन योजना (आई.एम.पी.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खरगांव और बडवानी जिलों में 14 नियमित एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं।

इसी प्रकार से ओ.एम.सीज मध्य प्रदेश के खरगांव और बडवानी जिलों में 3 राजीव गांधी ग्रामीण वितरण डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं। कम्पनी वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिले का नाम	ओ.एम.सी. का नाम		
	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.एल.	एच.पी.सी.एल.
खरगांव	5 (आई.एम.पी.)	2 (आई.एम.पी.)	शून्य
		1 (आर.जी.जी.एल.वी.)	
बडवानी	4 (आई.एम.पी.)	2 (आर.जी.जी.एल.वी.)	3 (आई.एम.पी.)

(ख) एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में ओ.एम.सीज द्वारा समय-समय पर व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है और सभी व्यवहार्य स्थानों को नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप अथवा राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरण योजना (आर.जी.जी.एल.वी.वाई.) के अंतर्गत स्थापित करने के लिए योजना में शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ) ओ.एम.सीज ने रिपोर्ट दी है कि खरगांव जिले में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है और एक नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा विभिन्न स्थलों पर 17 आर.जी.जी.एल.वी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें व्यवहार्य पाई गई हैं।

इसी प्रकार बडवानी जिले में व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है और दो नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा विभिन्न स्थानों पर 8 आर.जी.जी.एल.वी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें व्यवहार्य पाई गई हैं।

ओ.एम.सीज ने अगली विपणन योजना में इन स्थानों को शामिल करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

(ङ) विजन 2015 के अनुसार, वर्ष 2009 और 2015 के बीच विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और अछूते क्षेत्रों में 5.5 करोड़ नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करके मध्य प्रदेश सहित देश में एल.पी.जी. जनसंख्या कवरेज को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करना प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों और अछूते क्षेत्रों में एल.पी.जी. वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से लघु-आकार की एल.पी.जी. वितरण एजेंसियां स्थापित करने के लिए दिनांक 16-10-2009 को एक नई योजना नामतः आर.जी.जी.एल.वी.वाई. आरंभ की गई है और तदुपरांत मध्य प्रदेश राज्य में 97 स्थानों सहित 26 राज्यों में 3637 स्थानों को कवर करते हुए ओ.एम.सीज ने इस योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किए हैं।

[अनुवाद]

खानपान और बेडरोल्स के ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतें

5795. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी रेलगाड़ियों विशेषकर राजधानी और शताब्दी की कुल संख्या कितनी है जहां अनुमोदन प्राप्त ठेकेदारों द्वारा खानपान सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) उक्त ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए जा रहे बेडरोल्स और खाद्य पदार्थ एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में रेलवे को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या अनेक शिकायतों के बावजूद ठेकेदारों ने इन सुविधाओं में सुधार नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में रेलवे ने कितने ठेकेदारों के ठेके रद्द किए हैं; और

(ङ) ठेकेदारों पर उचित नियंत्रण रखने तथा रेलगाड़ियों में खान-पान एवं बेडरोल सुविधाओं की इष्टतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 22 राजधानी में से 14 में और सभी 13 शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में खान-पान सुविधाएं निजी लाइसेन्सधारियों द्वारा मुहैया कराई गई हैं।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भोजन की गुणवत्ता के संबंध में 1203 शिकायतें, बेडरोल के बारे में 41 शिकायतें और अन्य सुविधाओं के संबंध में 1451 शिकायतें यात्रियों से प्राप्त हुई थी जिनमें ये सुविधाएं राजधानी/शताब्दी रेलगाड़ियों में निजी लाइसेन्सधारियों के माध्यम से मुहैया कराई गई हैं। शिकायतों के कारण पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम द्वारा राजधानी/शताब्दी के 3 ठेके रद्द किए गए थे।

खान-पान सुविधाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। 21-07-2010 से एक नई खान-पान नीति 2010 शुरू की गई है जिसमें यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्यप्रद किफायती भोजन की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। रेलों द्वारा गहन निगरानी और पर्यवेक्षण और बाद में आई.आर.सी.टी.सी. से खानपान के हस्तांतरण के कारण पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में सितंबर, 2010 से जुलाई, 2011 तक 48.02 प्रतिशत की कमी आई है। सेवाओं में समग्र सुधार सभी लाइसेंसधारियों द्वारा लाए गए हैं इनमें राजधानी/शताब्दी रेलगाड़ियों का प्रबन्धन करने वाले भी शामिल हैं। सितंबर, 2010 से जुलाई, 2011 की अवधि के दौरान, खान-पान सुविधाओं के सुधार के लिए जोनल रेलों द्वारा लगभग 24164 निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षणों के दौरान कमियां और अनियमितताएं पाए जाने पर जोनल रेलें सुधारात्मक कार्रवाई करती हैं।

रेलें, लिनेन की धुलाई की गुणवत्ता में और सुधार किए जाने के मद्देनजर महत्वपूर्ण स्थानों पर यंत्रीकृत लांड्री स्थापित किए जाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि बेडरोल सेवाओं में सुधार लाया जा सके।

नदियों को परस्पर जोड़ने के आर्थिक प्रभाव

5796. श्री मनोहर तिरकी:

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) ने नदियों को परस्पर जोड़ने वाले कार्यक्रम के आर्थिक प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.सी.ए.ई.आर. ने अध्ययन पूरा किया है तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एन.सी.ए.ई.आर. ने अप्रैल, 2008 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एन.सी.ए.ई.आर. ने अपनी रिपोर्ट में दिये गए निष्कर्षों/सिफारिशों में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के विभिन्न लाभों जैसे सिंचाई एवं विद्युत के अतिरिक्त लाभ, कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और बाढ़ एवं सूखे में कमी आदि का उल्लेख किया है। सिफारिशों में बेसिन प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना, सिंचाई परियोजनाओं से लागत की वसूली में सुधार करना और जल प्रयोक्ता संघ बनाने जैसे कुछ कार्य बिन्दु भी शामिल किये गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कोई परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है। अत: इस रिपोर्ट में सुझाए गए कार्य बिन्दुओं पर कोई निर्णय लेने का समय नहीं आया है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

5797. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान उन पांच राज्यों के नाम क्या हैं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के क्रियान्वयन में अग्रणी हैं;

(ख) क्या ये राज्य उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला बेरोजगार कामगारों के लिए इष्टतम संख्या में रोजगार का सृजन कर पाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 2011-12 के दौरान केन्द्र सरकार ने बिहार में उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए निधियां जारी नहीं की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) बिहार को अविलंब निधियां जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए मांग करने पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए कानूनी रूप से 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। चूंकि रोजगार मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए रोजगार प्रदत्त परिवारों की संख्या और सृजित श्रम दिवसों की संख्या रोजगार हेतु मांग पर निर्भर करती है। चूंकि यह मांग आधारित है, इसलिए कार्य निष्पादन की अन्तर्राज्यीय तुलना से वास्तविक कार्य निष्पादन की सही तस्वीर सामने नहीं आती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चालू वर्ष (2011-12) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिला कामगारों द्वारा सृजित श्रम दिवसों की प्रतिशतता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान (2-9-2011 की स्थिति के अनुसार), बिहार के 38 जिलों में से 28 जिलों को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अपफ्रंट रिलीज के रूप में अथवा निधियों की पहली किस्त के भाग/शेष के रूप में 456.10 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत निर्धारित सभी पूर्व शर्तों का अनुपालन न किए जाने और गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण अन्य जिलों को निधियां रिलीज नहीं की गई हैं। 10 जिलों में से 9 जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अथशेष के रूप में पर्याप्त निधियां उपलब्ध थीं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में निधियां रिलीज नहीं की जा सकीं। सभी राज्यों को महात्मा गांधी नरेगा हेतु निधियों के प्रबंधन में और अधिक लोचनीयता लाने के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं और बिहार में महात्मा गांधी नरेगा हेतु व्यवस्थित रूप से निधियां प्रदान करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार को राज्य रोजगार गारंटी कोष को कार्यशील बनाने संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गयी है।

विवरण

मनरेगा: वर्ष 2011-12 (07 सितम्बर, 2011 तक) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए श्रमदिवस सृजित कुल श्रमदिवसों में से।

क्र. सं.	राज्य	अनुसूचित जाति की भागीदारी %	अनुसूचित जनजाति की भागीदारी %	महिला भागीदारी का %
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.42	50.30
2.	आन्ध्र प्रदेश	29.01	19.85	58.23
3.	अरुणाचल प्रदेश	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
4.	असम	5.33	24.42	25.45
5.	बिहार	25.07	1.46	27.35

1	2	3	4	5
6.	चंडीगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
7.	छत्तीसगढ़	11.19	30.80	47.10
8.	दादरा और नगर हवेली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
9.	दमन और दीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
10.	गोवा	3.84	17.58	74.40
11.	गुजरात	8.13	40.09	47.20
12.	हरियाणा	51.45	0.02	37.20
13.	हिमाचल प्रदेश	30.12	6.78	58.80
14.	जम्मू और कश्मीर	4.30	9.70	12.29
15.	झारखंड	13.03	36.78	30.62
16.	कर्नाटक	14.93	7.83	45.63
17.	केरल	14.92	2.22	93.78
18.	लक्षद्वीप	0.00	98.94	76.22
19.	मध्य प्रदेश	21.16	27.30	42.85
20.	महाराष्ट्र	6.72	17.84	46.89
21.	मणिपुर	0.65	59.69	31.07
22.	मेघालय	0.09	99.15	48.78
23.	मिजोरम	0.01	99.51	17.39
24.	नागालैंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
25.	ओडिशा	18.23	34.10	39.53
26.	पुडुचेरी	33.91	0.02	80.50
27.	पंजाब	79.20	0.05	46.41
28.	राजस्थान	16.29	27.25	69.95
29.	सिक्किम	4.31	43.35	48.52
30.	तमिलनाडु	28.86	1.27	75.97

1	2	3	4	5
31.	त्रिपुरा	16.23	47.45	38.09
32.	उत्तर प्रदेश	31.48	1.23	17.76
33.	उत्तराखंड	18.71	4.12	43.24
34.	पश्चिम बंगाल	36.67	11.17	33.43
	कुल	21.55	18.50	49.40

एन.आर. = असूचित

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन

5798. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की कोई योजना है;

(ख) क्या उक्त योजना को स्वीकृति देने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर के बढ़ने और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राज्य सरकारों द्वारा समान जल भूविज्ञानीय दशाओं के अंतर्गत अनुकरण हेतु झारखंड समेत देश में वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।

(ख) IXवीं और Xवीं योजना अवधि में कार्यान्वित प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से स्थानीय तौर भूमि जल स्तर में बढ़ोत्तरी, सूखे हुए डगवेलों को पुनरूज्जीवित किए जाने, कुओं में जल उपलब्धता में सुधार, फसली क्षेत्रों में वृद्धि आदि का पता चला है।

(ग) IXवीं और Xवीं योजना अवधि के प्रभाव आकलन का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा IXवीं योजना के दौरान कार्यान्वित कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का प्रभाव आकलन

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की सं. जिनके प्रभाव का आकलन किया गया	कृत्रिम पुनर्भरण संरचना	प्रभाव आकलन का परिणाम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	परिस्रवण टैंक	एक वर्ष में 4500-5900 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		3	चेक बांध	एक वर्ष में 1000-1250 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4	5
		1	पुनर्भरण गड्ढो तथा पार्श्विक शाफ्ट्स का संयोजन	एक वर्ष में 370 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 7000 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
3.	असम	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 5500 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
4.	बिहार	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 4700 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
5.	चडीगढ़	6	छत पर वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 1440-13,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	छत पर और फुटपाथ आवाह के माध्यम से वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 34.50 लाख घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	पुनर्भरण खाइयां	एक वर्ष में 9.50 लाख घनमीटर अपवाह वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया।
6.	गुजरात	3	छत पर और फुटपाथ आवाह के माध्यम से वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 11000-45000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
7.	हरियाणा	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 2350 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	पुनर्भरण शाफ्ट्स और इंजेक्शन कुओं का संयोजन	एक वर्ष में 3.50 लाख घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया। क्षय दर 1.175 मी./वर्ष से घटकर 0.25 मी./वर्ष हो गई।
8.	हिमाचल प्रदेश	3	चेक बांध	एक वर्ष में 1.20-21.00 लाख घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
9.	जम्मू और कश्मीर	2	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 300-1200 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
10.	झारखंड	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 4500 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक	1	परिस्रवण टैंक, वाटरशेड, संरचनाओं, पुनर्भरण कुओं, छत के वर्षा जल के संचयन का संयोजन	परिस्रावण टैंकों से जलस्तर में 2-3.5 मीटर की वृद्धि और 9-16 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ। पुनर्भरण कुओं से 8.60 लाख घनमीटर जल का पुनर्भरण किया गया। वाटरशेड संरचनाओं से भूजल स्तरों में 3 से 5 मीटर की वृद्धि। छत के वर्षा जल संचयन से 530 घनमीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
12.	केरल	1	उप-सतही डाइक	भूजल स्तरों में 2 मीटर की वृद्धि से भूजल के प्रतिप्रवाह में 5000 घनमीटर की वृद्धि।
		1	पुनर्भरण कुएं	एक वर्ष में 2800 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		3	परिस्रवण टैंक	एक वर्ष में 2000-15000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	ज्वारीय विनियामक	4000 घनमीटर अपवाह जल संरक्षित किया गया और प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह जल स्तर में 1.5 मीटर का अंतर देखा गया।
		2	चेक बांध	एक वर्ष में 5100-30,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
13.	लक्षद्वीप	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 300 घनमीटर वर्षा जल का संचयन किया गया।
14.	मध्य प्रदेश	4	उप-सतही डाइक	उत्खनन कुओं में 0.80 से 3.80 मी. तक और हैंडपंप में 6 से 12 मीटर तक जलस्तर में वृद्धि देखी गई है।
		1	परिस्रवण टैंक	कमान क्षेत्रों के अनुप्रवाह टैंकों में भूजल स्तरों में 1 से 4 मीटर तक वृद्धि देखी गई।

1	2	3	4	5
		1	छत के वर्षा जल का संचयन (1000 मकान)	एक वर्ष में 2 लाख घनमीटर से अधिक अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	उप-सतही डाइकों तथा चेक बांध का संयोजन	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में मौजूदा ट्यूबवेलों में 0.30 मीटर से 2.00 मीटर तक जल स्तर में वृद्धि देखी गई है।
15.	महाराष्ट्र	2	छत के वर्षा जल का संचयन प्रणाली	एक वर्ष में 196 से 280 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	परिस्रवण टैंकों, और चेक बांधों का संयोजन	लाभान्वित क्षेत्र - लगभग 60 से 120 हेक्टेयर प्रति परिस्रवण टैंक, 3 से 15 हेक्टेयर प्रति चेक बांध। जल स्तर में वृद्धि - 1.5 मी. तक।
		1	परिस्रवण टैंकों, पुनर्भरण शाफ्ट, डगवेल पुनर्भरण	लाभान्वित क्षेत्र - स्कीम के आस पास 400-500 हेक्टेयर
16.	मेघालय	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 6800 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
17.	मिजोरम	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 60,000 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
18.	नागालैंड	3	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 2,480-14,065 घनमीटर अपवाह जल का संचयन किया गया।
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	चेक बांध	चेक बांधों के आसपास के क्षेत्र में जल स्तर 2.55 मीटर ऊपर आ गया है और जे.एन.यू. तथा आई.आई.टी. में प्रत्येक चेक बांध से 30 हेक्टेयर तक क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। कुशक नाला में एक वर्ष में 1.30 लाख घनमीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया।
		7	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 800 से 5000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4	5
		8	छत पर और फुटपाथ आवाह के माध्यम से वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 8500 से 20,000 घन मीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
20.	ओडिशा	1	छत पर और फुटपाथ आवाह के माध्यम से वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 1200 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	क्रीको और उप क्रीकों का जिर्णोद्धार, नियंत्रण स्लूइसों तथा पुनर्भरण बोरवेलों का निर्माण	एक वर्ष में रोके गए स्वच्छ जल की मात्रा 798119 घनमीटर और सिंचाई क्षमता 11000 घनमीटर है।
21.	पंजाब	1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 500 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		3	पुनर्भरण कुएं	एक वर्ष में 9 से 15.5 लाख घन-मीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	खाइयां	जल स्तर में 0.32 से 0.70 मीटर की औसत वृद्धि देखी गई है।
			क्षैतिज शाफ्ट, इंजेक्शन कुओं और पुनर्भरण खाइयों का संयोजन	स्कीम क्षेत्र के आस-पास भूजल स्तर में 1.70 लाख घनमीटर अपवाह जल के पुनर्भरण से 0.25 मीटर की औसत वृद्धि हुई।
		1	पुनर्भरण शाफ्ट और इंजेक्शन कुओं का संयोजन	एक वर्ष में 14,400 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
22.	राजस्थान	1	चेक बांध	एक वर्ष में 88,000 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया। जल स्तर में वृद्धि-0.65 मीटर।
		12	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 350 से 2800 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		3	उप-सतही बैरियर	एक वर्ष में 2000-11,500 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।

1	2	3	4	5
				जल स्तर में वृद्धि - 0.25 से 0.60 मीटर।
23.	तमिलनाडु	1	उप-सतही डाइक	39.25 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुए।
		7	परिस्रवण टैंक	एक वर्ष में 10,000-2,25,000 अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
		1	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 3700 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
24.	उत्तर प्रदेश	7	छत के वर्षा जल का संचयन	एक वर्ष में 350 से 23033 घनमीटर अपवाह जल का पुनर्भरण किया गया।
25.	पश्चिम बंगाल	1	खेत तालाब, नाला बंध, उप-सतही डाइकों का संयोजन	जल स्तर में 0.15 मीटर की वृद्धि देखी गई।
		1	उप-सतही डाइक	जल स्तर में 0.45 मीटर की वृद्धि देखी गई।

विवरण-II

XIवीं योजना में कार्यान्वित प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का प्रभाव आकलन

क्र. सं.	राज्य	स्थान	निर्मित पुनर्भरण संरचनाएं	प्रभाव आकलन का परिणाम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	कडप्पा जिले में लिंगाला, पुलीवेंडला वेमूला और वेमल्ली प्रखंड	परिस्रवण टैंक और चेक बांध	- सिंचित फसल क्षेत्र में लगभग 5 से 6 हेक्टेयर की वृद्धि और फसल पैदावार में वृद्धि। - पुनर्भरण के प्रभाव क्षेत्र में बोरवेलों की जल उपलब्धता में वृद्धि। - सूखे हुए डगवेलों को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया।
2.	कर्नाटक	मालुरतालुक, कोला जिला	चेक बांध, परिस्रवण टैंक, उप सतही डाइक	- डगवेलों और बोरवेलों में जल स्तर में 0.53 से 4.58 मीटर की बढ़ोत्तरी।

1	2	3	4	5
				- सूखे हुए डगवेलों को पुन: उपयोग योग्य बनाया गया।
				- जल उपलब्धता में प्रति सेंकड 0.25 से 6.0 लिटर की वृद्धि।
				- फसली क्षेत्र में 0.52 से 6.0 एकड़ की वृद्धि।
3.	मध्य प्रदेश	बैतूल जिले में बेल वाटर शेड, अमला एवं मुलतई प्रखंड और देवास जिले के सोनकच्छ एवं बगली में छोटी काली सिंध का ऊपरी क्षेत्र	चैक बांध पुनर्भरण शाफ्ट परिस्रवण टैंक गेबियन संरचनाएं उपसतही डाइक छाजन वर्षा जल संचयन	- वैतूल जिले में मॉनसून पूर्व मौसम में भूमि जल स्तर में पीजोमीटर में (0.16 से 4.05 मी.) और मॉनसून के बाद (0.10 से 3.52 मी.) वृद्धि देखी गई है।
				- देवास जिले में जो हैंड पम्प सूख गए थे उनमें पानी आना शुरू हो गया है।
				- मॉनसून पूर्व मौसम में जल स्तर में 1.97 से 23.82 मी. की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है।
4.	तमिलनाडु	गंगावल्ली प्रखंड, जिला सेलम	चेक बांध परिस्रवण टैंक टैंकों का अवसादन	- जल स्तर में बढ़ोतरी (मई, 2007-08 के दौरान औसतन 1.16)
				- फसली क्षेत्र में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और गैर धान वाली खेती से धान वाली खेती में सराहनीय वृद्धि हुई।
				- जल निस्सरण और पम्पिंग समय (घन्टों) आदि में बढ़ोतरी।

[अनुवाद]

भू-जल का पुनर्भरण

5799. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब में भू-जल प्रबंधन और भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु कोई योजना शुरू की है या कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य में भू-जल के प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क)

और (ख) 'जल' राज्य का विषय है, अत: भूमि जल प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय करना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

- भवन उपनियमों में संशोधन करके 200 वर्ग गज से बड़े सभी भवनों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है।

- पटियाला, संगरूर, मोगा और मोहाली जिलों में मृदा संरक्षण विभाग द्वारा कुल 22 पुनर्भरणीय संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

- राज्य सरकार ने विविध प्रकार की फसल, भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण, गंभीर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के नियन्त्रित और विनियमित, सूक्ष्म सिंचाई और फसलीय कैलेंडर में फेरबदल करना जैसे धान को देर से 16 जून के बाद बोने को बढ़ावा देने इत्यादि को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं।

जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में IXवीं योजना की अवधि से कृत्रिम पुनर्भरण से संबंधित प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है ताकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसी जलीय-भूविज्ञानीय परिस्थितियों में इसका अनुसरण किया जा सके। IXवीं योजना के दौरान पंजाब भूमि जल के पुनर्भरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के कार्यान्वयन के तहत जालंधर, कपूरथला, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिलों में 21 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई। IXवीं योजना के दौरान भूमिजल प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत मोगा, अमृतसर और तरनतारन जिलों में 2.60 करोड़ रुपए की लागत की 3 प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य उपाय निम्नानुसार हैं:-

- भूमि जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने राज्य में 6 ब्लॉकों को अधिसूचित किया है।

- सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/ वर्षाजल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं।

- सूचना, शिक्षा और जन-संचार कार्यकलापों के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रमों, जल यात्रा और जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया है।

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय पंजाब सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी. (सततता) नामक स्कीम के एक घटक के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान जारी करती है जिसका उनके द्वारा सततता संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाना है जिससे जल के पुनर्भरण और संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ओडिशा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

5800. श्री तथागत सत्पथी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ओडिशा राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में ओडिशा उच्च न्यायालय की विशेष खण्डपीठ की स्थापना किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की, उनके प्रधान स्थानों से दूर स्थापना करने के लिए, राज्य सरकार से ऐसे पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाता है, जिस पर संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति हो। केंद्रीय सरकार को ओडिशा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

5801. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे नई रेल लाइनों एवं आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ से नई रेल लाइनों एवं आमान परिवर्तन से संबंधित रेलवे द्वारा स्वीकृत/उसके पास लंबित/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विभिन्न रेल परियोजनाएं संबंधित राज्यों की वित्तीय सहायता से कार्यान्वयन के अधीन हैं;

(घ) क्या रेलवे को राज्यों में परियोजनाओं को विशेषकर रायपुर-धन्तरी लाइन के आमान परिवर्तन हेतु लागत में भागीदारी से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न नई लाइनें और आमान परिवर्तन परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं:

(i) दल्लीराजहरा-जगदलपुर (235 किमी.) नई रेलवे लाइन परियोजना

(ii) मंदिर हासोद-न्यू रायपुर (20 किमी.) नई रेलवे लाइन परियोजना

(iii) अभनपुर-राजीम ब्रांच लाइन (67.2 किमी.) सहित रायपुर (केंद्री)-धमतारी के बीच आमान परिवर्तन

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली निम्नलिखित नई लाइन प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण रिपोर्टें मंत्रालय में जांचाधीन हैं:

(i) पेंद्रा रोड-गेवरा रोड (121.07 किमी.)

(ii) कोरबा-लोहारदागा (326 किमी.)

(iii) रायपुर-झारसुगुडा (310 किमी.)

(iv) रायगढ़-मंद (63 किमी.)

डोंगरगढ़-कोटा, धामतारी-कंकेर और रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण और डोंडी-लोहारा ब्लॉक मुख्यालय के लिए रेल लाइनों से संपर्कता मुहैया कराने के लिए कार्य प्रगति पर हैं। मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच के पश्चात आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर नई लाइनों/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण की 31 परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी हां। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अभनपुर-राजीम शाखा लाइन (67.20 किमी.) सहित रायपुर (केंद्री) से धामतारी के बीच आमान परिवर्तन की परियोजना की कुल लागत के दो तिहाई को वहन करने पर सहमत हो गई है। इस परियोजना को 283.85 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है और रेल बजट 2011-12 में शामिल किया गया है।

रामझूला रेलवे पुल

5802. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागपुर में निर्मित किए जा रहे प्रसिद्ध रामझूला रेलवे पुल की कुल लागत कितनी है तथा निर्माण कार्य के निर्धारित समय में पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ख) समय से निर्माण कार्य के पूरा नहीं होने के कारण रेलवे पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा; और

(ग) इस संबंध में हो रहे विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एम.एस.आर.डी.सी.), नागपुर ने नागपुर स्टेशन के पैसेंजर यार्ड के ऊपर पुल खाश की 30.78 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से मौजूदा 4 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल को बदलकर 6 लेन वाले केबलधारी ऊपरि सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। रेलवे के हिस्से सहित, एम.एस.आर.डी.सी. पूरे पुल का निर्माण कर रही है और यह पूरी लागत भी वहन करेगी। एम.एस.आर.डी.सी. ने मैसर्स राइट्स, नागपुर को परियोजना परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। इस परियोजना को एम.एस.आर.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है अतएव, लागत में यदि कोई वृद्धि होती है तो उसे एम.एस.आर.डी.सी. द्वारा वहन किया जाएगा।

जहां तक कार्य के पूरा होने का संबंध है, उल्लेखनीय है कि इसमें रेलवे की ओर से कोई देरी नहीं हुई है। इस संबंध में रेलवे ने अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन प्रेषित कर दिए हैं।

भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में उत्पादन

5803. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बी.ओ. आर.एल.) में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बी.ओ.आर.एल. द्वारा उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों को किन-किन स्थानों पर भेजा जा रहा है;

(घ) बी.ओ.आर.एल. द्वारा उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण हेतु क्या व्यवस्था की गई/की जा रही है;

(ङ) इस रिफाइनरी में उत्पादित पेट्रोल एवं डीजल को सागर क्षेत्र के डीलरों की आपूर्ति नहीं किये जाने के क्या कारण, यदि कोई हों, है; और

(च) इस स्थान के डीलरों को पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति किये जाने संबंधी व्यवस्था कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। बीना में बी.ओ.आर.एल. रिफाइनरी में परीक्षण के तौर पर मिट्टी तेल, डीजल और एल.पी.जी. का लघु मात्रा में उत्पादन शुरू हो चुका है।

(ग) मथुरा, बिजवासन, मुगल-सराय, पनकी, बेतालपुर, मेरठ और भिटोनी को रेल द्वारा लगभग 85,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद भेज दिए गए हैं।

(घ) बीना के विपणन टर्मिनल में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के साथ ही उन्हें भेजने की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) सागर क्षेत्र के डीलरों को सड़क मार्ग से पेट्रोलियम उत्पाद भेजने और परिणामत: उन्हें पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति, बी.ओ.आर.एल. से वाणिज्यिक उत्पादन के स्थिरीकरण पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का निर्यात

5804. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देश से कुल कितनी मात्रा में उर्वरक का निर्यात किया गया;

(ख) क्या किसान उर्वरक की कमी का सामना कर रहे होते हैं फिर भी उर्वरकों का निर्यात गुप्त रूप से किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरक विभाग के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए उर्वरकों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया जा रहा है:-

वर्ष	मात्रा (लाख मी.टन में)
2008-09	.36
2009-10	.38
2010-11	.25
वर्तमान वर्ष	.07

(ख) और (ग) वर्ष 2010-11 के दौरान उर्वरक विभाग को कुछ राज्य सरकारों और सीमा शुल्क प्राधिकारियों से अन्य रसायनों जैसे सोडा ऐश और खाद्य नमक के नाम पर उर्वरकों (मुख्यत: डी.ए.पी. और एम.ओ.पी.) के गैर-कानूनी निर्यात की सूचना प्राप्त हुई है। विभिन्न सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने इस प्रकार के गैर-कानूनी रूप से भेजे जा रहे उर्वरकों की मात्रा को पकड़ा है और उसे जब्त कर लिया है। लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उर्वरक विभाग ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) से इस विषय में संबंधित सभी सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अनुदेश देने

का अनुरोध किया है ताकि मौजूदा आयात-निर्यात नीति और अन्य महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन कर देश से बाहर उर्वरकों की तस्करी न की जा सके। तथापि, उर्वरकों के चोरी-छुपे निर्यात का कोई भी मामला पिछले एक वर्ष के दौरान इस विभाग के सामने नहीं आया है।

उर्वरकों की उत्पादन लागत

5805. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत ज्ञात करने हेतु प्रयत्न किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि रासायनिक उर्वरकों की लागत मुख्यत: कच्ची सामग्री की लागत पर निर्भर होती है। नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के उत्पादन में ऊर्जा अधिक लगती है। वास्तव में ऊर्जा कच्ची सामग्री है। अत: ऊर्जा की लागत (प्राकृतिक गैस, नेफ्था, ईंधन तेल, कोयला) यूरिया और अन्य नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के उत्पादन की लागत का निर्धारण करती है। भारतीय उर्वरक संयंत्र विश्व में सबसे दक्ष संयंत्रों में एक हैं। कुल मिलाकर, प्राकृतिक गैस की लागत किसी अन्य देश की बजाय भारत में अधिक है, इसलिए उत्पादन की लागत अधिक होगी। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि भारत में गैस आधारित यूरिया संयंत्रों की उत्पादन लागत यूरिया का निर्यात करने वाले देशों की तुलना में भारतीय संयंत्रों द्वारा गैस के अधिक मूल्य का भुगतान करने के बावजूद कई वर्षों से आयातित यूरिया की लागत से काफी कम रही है। गैस आधारित यूरिया संयंत्रों के उत्पादन की औसत लागत लगभग 220 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन है। इसकी तुलना में, यूरिया की औसत खरीद लागत काफी अधिक है जो लगभग 475 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन है। देश पी एण्ड के युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के आयात पर काफी अधिक निर्भर है। इसलिए, आयातित कच्ची सामग्री की लागत उत्पादन की लागत का निर्धारण करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण

5806. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे लाइनों/रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका सर्वेक्षण पहले हो चुका है लेकिन जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है; और

(ख) उन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ग्यारहवीं योजना के दौरान 01-08-2011 तक, कुल 24987 किमी. और 283512 करोड़ रुपए वाले 269 अदद सर्वेक्षण को पूरा किया गया है। इनमें से 210 परियोजनाओं को उच्च रूप से अलाभप्रद और परिचालनिक रूप से आवश्यक नहीं होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। परियोजनाओं की स्वीकृति, अन्य कारकों के अतिरिक्त, धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आज की तिथि में, परियोजनाओं का भारी बकाया है अर्थात 129 नई लाइन, 45 आमान परिवर्तन और 166 दोहरीकरण परियोजनाएं फिलहाल प्रगति पर हैं, जिन्हें 1,25,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसलिए शेष परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्टों को व्यवहार्यता, लागत, औचित्य और प्रस्ताव की अर्थक्षमता निश्चित करने के लिए सर्वप्रथम मंत्रालय में जांचा जाता है। प्रस्ताव को उचित पाए जाने पर आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रिंग रेलवे

5807. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दिल्ली में सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए दिल्ली में रिंग रेलवे को अधिक प्रभावी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गए/उठाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईंधन में मिलावट

5808. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन में मिलावट होने के कारण केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्रीय मिलावट रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की हानि को रोकने एवं इससे बचने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) पेट्रोल/डीजल के बीच मूल्यों में भारी अन्तर होने और पेट्रोल/डीजल के साथ मिलावटी तत्वों का आसानी से मिश्रण हो जाने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत वितरण के लिए निर्धारित मिट्टी तेल का कुल रिसाव/विपथन 38.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) मिलावट रोधी क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से और सरकार की सलाह के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने मिलावट को रोकने के लिए सभी क्रियाकलापों और प्रचालनों का निरीक्षण तथा निगरानी करने हेतु एक मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (ए.ए.सी.) का गठन किया है। यह स्कंध खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षणों के अतिरिक्त, निदेशक (विपणन) के अलावा एक निदेशक को रिपोर्ट करता है।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट, विपथन आदि जैसी विभिन्न अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने अनेक पहलें की हैं, उदाहरणार्थ खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन, टैंक ट्रकों की वैश्विक अवस्थिति ज्ञान प्रणाली (जी.पी.एस.) के जरिए उनकी आवाजाही की निगरानी करना, आदि।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण भी करती हैं और मिलावट तथा कदाचारों में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) और डीलरशिप करारों के तहत कार्रवाई करती हैं। एम.डी.जी. में वितरण इकाइयों में मिलावट, सील में हेरा-फेरी करने और अप्राधिकृत फिटिंग/गीयरों जैसे गंभीर कदाचारों के लिए पहली बार में ही डीलरशिप समाप्त करने की व्यवस्था है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

5809. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के वर्तमान मूल्य क्या है;

(ख) क्या इन उत्पादों के मूल्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य एक समान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) राज्यों की राजधानियों और केन्द्र शासित प्रदेशों में डीजल, पेट्रोल और घरेलू एल.पी.जी. के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उदग्रहित किए जा रहे अन्तर्देशी भाड़ा, बिक्री कर/बैट तथा स्थानीय कर में भिन्नता होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में राज्य-दल-राज्य भिन्नता होती है।

विवरण

राज्य की राजधानियों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एल.पी.जी. के खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी.)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नगर/बाजार	डीजल (रु. प्रति लीटर)	पेट्रोल (रु. प्रति लीटर)	घरेलू एल.पी.जी. (रु. प्रति सिलिंडर)
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	मुंबई	45.28	68.62	402.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	41.29	63.70	399.00
तमिलनाडु	चेन्नै	43.95	67.50	393.50
पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	43.74	68.01	405.00
मध्य प्रदेश	भोपाल	45.54	68.49	452.00
गुजरात	गांधीनगर	46.21	67.96	417.50
गोवा	पंजीम	43.39	63.57	412.00
छत्तीसगढ़	रायपुर	45.63	65.40	407.00
हरियाणा	अंबाला	39.92	63.89	403.00
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	41.85	64.49	407.50
उत्तराखंड	देहरादून	43.73	66.10	398.00
राजस्थान	जयपुर	43.06	67.75	376.50
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	43.70	68.38	430.50
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	43.25	67.71	400.00
हिमाचल प्रदेश	शिमला	40.57	66.53	415.00
पंजाब	जालंधर	40.74	71.04	416.00
कर्नाटक	बेंगलुरू	46.21	71.38	415.00

1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	45.11	70.81	398.00
केरल	तिरूवनंतपुरम	44.55	66.20	422.50
पुडुचेरी	पुडुचेरी	42.65	61.83	382.00
ओडिशा	भुवनेश्वर	44.05	63.58	413.50
झारखण्ड	रांची	43.38	63.77	429.50
बिहार	पटना	43.31	66.08	410.50
असम	गुवाहाटी	42.34	67.06	392.50

दिनांक 1-8-2011 के डीजल और घरेलू एल.पी.जी. के मूल्य हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार हैं।

दिनांक 1-7-2011 के पेट्रोल के मूल्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार हैं।

क्षेत्रों का सर्वेक्षण

5810. श्री के. सुगुमार: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया था जहां सरकार को अल्पसंख्यकों की दशा में सुधार करने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) सरकार ने परस्पर पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण कराया था, ताकि इन जिलों में अपर्याप्त विकास की समस्या का निर्धारण किया जा सके और उनका निराकरण कर उन्हें राष्ट्रीय औसत के अनुकूल लाया जा सके।

[हिन्दी]

बल्लारशाह-काजीपेट खंड पर रेल ऊपरि पुल

5811. श्री अंजन कुमार एम. यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सिकन्दराबाद मंडल के अंतर्गत बल्लारशाह-काजीपेट खंड पर पेद्दाम्पेट और रामगंडम स्टेशनों 273/20-22 कि.मी. के बीच समपार संख्या 51 के स्थान पर रेलवे ऊपरि पुल का निर्माण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार उक्त कार्य का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) जनता को हुई असुविधा के मद्देनजर उक्त कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) बल्लारशाह-काजीपेट खंड के पेद्दाम्पेट और रामगुंडम स्टेशनों के बीच समपार सं. 51 के के.एम. 273/20-22 के बदले ऊपरि सड़क पुल का कार्य वर्ष 2011-12 में रेलवे और राज्य सरकार के बीच में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। नया कार्य होने के नाते यह नियोजन एवं अनुमान चरण पर है। कार्य को शीघ्र शुरू कराने के लिए रेलवे राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार बैठकें कर रही है।

उर्वरकों को उतारना

5812. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन पत्तनों पर देश में आयातित उर्वरकों को उतारा जाता है;

(ख) क्या उतारते और चढ़ाते समय उर्वरकों का वजन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उन एजेन्सी/एजेन्सियों के नाम क्या हैं जो यह तौल करती हैं;

(घ) पत्तन से वितरक एजेन्ट तक जाने में कितनी मात्रा में मार्गस्थ हानि होती है तथा इसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाती है; और

(ङ) वितरकों के गोदाम पर उतराई के समय तथा खुदरा दुकानदारों के वाहनों पर लादते समय तथा गोदामों में रखने के दौरान बोरे के घिसने से फट जाने के कारण होने वाली घर्षण हानि की प्रतिशतता क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में जिन बंदरगाहों पर अधिकांश उर्वरकों को उतारा जाता है उनके नाम हैं - पश्चिमी तट भारत में हजीरा, कांडला, मुंद्रा, न्यू मैंगलोर, पीपावाव और रोजी तथा पूर्वी तट भारत में चेन्नई, गंगावरम, गोपालपुर, हल्दिया, काकीनाड़ा, कराईकल, कृष्णापट्नम, पारादीप, तूतीकोरीन और विजाग।

(ख) और (ग) उर्वरकों का थोक में आयात किया जाता है। पोत पर लादे जाने वाले उर्वरकों का भार लदान बंदरगाह में लदान प्रक्रिया के दौरान जानी-मानी अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणकर्ता कंपनियों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के प्रारूप के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार तय भार को लदान पत्र (बी.एल. मात्रा) में दर्शाया जाता है। भारत में उतारे जाने वाले बंदरगाहों पर पोत से उतारी गई मात्रा को मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उतराई प्रचालनों के दौरान उतारे जाने वाले बंदरगाहों पर कराए गए संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार कंपनियां, यदि कोई हों, को बंदरगाहों से वितरक/एजेंट और या खुदरा विक्रेता स्तर आदि तक उर्वरकों को पहुंचाने में हुई हानि का मुआवजा नहीं देती। यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसे सरकार की ओर से आयात किया जाता है तथा विभिन्न बंदरगाहों पर नियुक्त हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा रखरखाव और वितरित किया जाता है। सामग्री का मालिकाना अधिकार इन हैण्डलिंग एजेंसियों को समुद्री सीमा में ही दे दिया जाता है। अन्य सभी उर्वरकों का आयातकों द्वारा स्वतंत्र रूप से आयात किया जाता है। पोषकतत्व आधारित राजसहायता योजना (एन.बी.एस.) के अंतर्गत डी.ए.पी., एम.ओ.पी., टी.एस.पी., एम.ए.पी. और एन.पी.के. उर्वरकों के विभन्न ग्रेडों जैसे आयातित पी एण्ड के उर्वरक शामिल हैं और इन उर्वरकों पर राजसहायता का भुगतान जिले में मात्रा के प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है। राजसहायता का अंतिम समायोजन इन आयातकों द्वारा केवल कृषि उपयोग के लिए वास्तव में बेची गई मात्रा के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

पंचायतों को निधियां जारी करना

5813. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस., आई.ए.वाई., एस.जी.एस.वाई., डी.आर.डी.ए. के लिये कार्यक्रम निधियां सीधे जिला पंचायतों को जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा एवं कारण क्या हैं;

(ग) क्या निधियों को जारी करते समय राज्य सरकार को नजरअंदाज किया जाना केन्द्र सरकार का अनुप्युक्त कार्य है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार, राज्य सरकार को निधियों का अन्तरण करने की प्रक्रिया में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में कब तक संशोधन करने का है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक योजनाओं और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन के अंतर्गत निधियों का केंद्रीय अंश जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद को रिलीज करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उन राज्यों की जिला ग्रामीण

विकास एजेंसी को निधि रिलीज की जाती है, जहां उनके द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) गठित नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान रिलीज तंत्र कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय राज्य सरकारों को निधि के अंतरण करने की प्रक्रिया में संशोधन पर विचार नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

उत्पादन में हिस्सेदारी संबंधी ठेके

5814. श्री हर्ष वर्धन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण हेतु हस्ताक्षर किए जाने वाले उत्पादन हिस्सेदारी संबंधी संविदाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य-निष्पादन आडिट को संविदा के प्रावधानों में परिवर्तन करके अनिवार्य करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज) के अनुसार, सरकार को अपने स्वयं के प्रतिनिधियों या भारत में पंजीकृत मान्यताप्राप्त चार्टरित लेखाकारों की योग्य फर्म के जरिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो(2) वर्ष की अवधि के भीतर (आपवादिक परिस्थितियों के मामले में यथा वांछित अपेक्षाकृत लम्बी अवधि) लेखा परीक्षा कराने का अधिकार है। सरकार ने इस अधिकार का प्रयोग किया और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) से आठ उत्पादन क्षेत्रों नामत: पन्ना-मुक्ता, मध्य और दक्षिण ताप्ती, केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3, आर.जे.-ओ.एन.-90/1, राव्वा, हजीरा, के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/3 और पी.वाई.-3 जहां सरकार का विशाल पण, रायल्टी और लाभ पेट्रोलियम के रूप में सम्मिलित है, में विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए अनुरोध किया। 8 ब्लॉकों में से सी एंड एजी ने चार ब्लॉकों नामत: के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3, पन्ना मुक्ता क्षेत्रों, ताप्ती क्षेत्रों और आर.जे.-ओ.एन.-90/1 में वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए लेखा परीक्षा करना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, सी एंड एजी से 20 उत्पादन क्षेत्रों/अन्वेषण ब्लॉकों की वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए लेखा परीक्षा करने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रस्ताव को सी एंड एजी ने स्वीकार कर लिया है। अत: पी.एस.सी. की धारा में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

बी.पी.एल. आबादी का सर्वेक्षण

5815. श्री अब्दुल रहमान:

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के बारे में बाइस राज्यों में किए गए एक पायलट सर्वेक्षण से पता चला है कि देश के कुल निर्धन और वंचित परिवारों में आधे परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों में वयस्क निरक्षरता, अभाव, भूमिहीनता और बेघर लोगों की दर अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई कल्याणकारी स्कीम बाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान करने की कार्य प्रणाली सुझाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से नमूने के रूप में शामिल गांवों के सभी

परिवारों को शामिल करते हुए प्रायोगिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है। इसने उन्हीं गांवों में भागीदारी-परक ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) भी किया है। इस प्रायोगिक सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित किसी भी बी.पी.एल. परिवार की पहचान इस रूप में नहीं की गई है कि वह परिवार गरीब है या नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोसी नदी के पानी में हिस्सेदारी

5816. डॉ. भोला सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोसी नदी के पूर्वी किनारों पर पायलट चैनल का निर्माण करने वाले इंजीनियरों को अधिकारियों ने भगा दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस बारे में नेपाल सरकार के साथ बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) कोसी नदी पर बाढ़ सुरक्षा उपाय कोसी उच्च स्तरीय समिति (के.एच.एल.सी.) की सिफारिशों पर आधारित है जिसमें भारतीय और नेपाली अधिकारी होते हैं। के.एच.एन.सी. ने नवंबर, 2010 में आयोजित अपनी बैठक के दौरान कोसी नदी के पूर्वी किनारे पर प्रायोगिक चैनल के निर्माण की सिफारिश नहीं की थी। इसलिए, नेपाल के सपतारी जिले के मुख्य जिलाअधिकारी (सी.डी.ओ.) द्वारा ऐसे अभियंताओं को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जो प्रायोगिक चैनल निर्माण के लिए गए थे।

(ग) और (घ) इस मुद्दे का समाधान करने के लिए दिनांक 9-10 जून, 2011 को काठमांडू (नेपाल) में के.एच.एल.सी. की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रकृतिक चैनल में गाद हटाने से संबंधित कार्य करने का निर्णय लिया गया था।

निदेशक मण्डल में अ.जा./अ.ज.जा. की नियुक्ति

5817. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेल सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार अ.जा./अ.ज.जा. से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों को मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(ग) सरकार ने निदेशक मंडल में अ.जा./अ.ज.जा. का चयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं/ किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में (i) कार्यकारी (ii) सरकारी और (iii) गैर-सरकारी निदेशक शामिल होते हैं। कार्यकारी और गैर-सरकारी निदेशकों का चयन क्रमशः लोक उद्यम चयन बोर्ड और खोज समिति द्वारा किया जाता है और उनकी नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड/खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा की जाती है। सरकारी निदेशकों की भी नियुक्ति सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है और सामान्यतः नामित निदेशक सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या अन्य सम्बन्धित सरकारी अभिकरण से होते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में नियुक्ति के विचार-योग्य समझा जाता है।

(ख) अपेक्षित सूचना सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं, उन्हें पहले से ही केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में नियुक्ति के विचार-योग्य समझा जाता है।

बाजार विकास सहायता योजना

5818. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा निर्मित कोयर और कोयर उत्पादों से संबंधित बाजार विकास सहायता स्कीम संबंधी मार्गनिदेशों के लिए नियम मापदंडों में छूट देने हेतु केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना के तहत प्रदत्त वित्तीय सहायता को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाना है: (i) प्रचार (ii) नए शोरूम/ बिक्री केंद्र खोला जाना (iii) बाजार अध्ययन (iv) मौजूदा बिक्री केंद्रों की मरम्मत (v) बाजार सूचना तंत्र की स्थापना/ जैसे कंप्यूटर ऐडेड डिजाइन सेंटर का प्रतिष्ठापन, योग्यता प्राप्त डिजाइनरों को संलग्न करना, ई-कामर्स सुविधाओं का आरंभ, शोरूमों का कंप्यूटरीकरण आदि जैसी डिजाइन सुविधाओं का उन्नयन (vi) गोदाम (vii) छूट के भुगतान सहित इनोवेटिव विपणन रणनीतियां। केरल सरकार ने योजना में शामिल उद्देश्यों के लिए सहायता का उपयोग करने में प्राथमिक कॅयर कताई सहकारी सोसाइटियों के सामने आने वाली कठिनाइयां व्यक्त की हैं। अत: राज्य सरकार ने कच्चे माल की खरीद के लिए, उत्पादन के लिए मजदूरी के भुगतान, उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने के लिए छूट देने और ट्रांसपोर्ट वाहन की खरीद के लिए एम.डी.ए. का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देशों में छूट देने की सिफारिश की है।

(ग) किसी प्लान स्कीम में संशोधन के किसी प्रस्ताव के लिए सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। कॅयर बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने सभी अन्य कॅयर उत्पादक राज्यों के सामने यह मामला उठाया है। इसके अलावा, चूंकि चालू वर्ष XIवीं पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष है, स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श और योजना के मूल्यांकन के आधार पर योजना में कोई संशोधन, यदि कोई हों, सिर्फ XIIवीं पंचवर्षीय योजना में ही संभव हो सकता है।

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच लाभ का बंटवारा

5819. श्री सतपाल महाराज: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच लाभ के बंटवारे के लिए कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण अथवा क्षमता में वृद्धि हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित धनराशि कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ से पूरी की जाती है अथवा एक पृथक अनुदान के रूप में दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार एवं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच लाभ का कोई बंटवारा नहीं होता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश की घोषणा करने की आशा की जाती है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान क्रमश रु. 28123.13 करोड़ रु. 25501.43 करोड़ तथा रु. 33222.68 करोड़ का लाभांश घोषित किया था।

(ग) और (घ) केंद्रीय सरकारी उद्यमों की क्षमता में वृद्धि हेतु उनके आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित कोष योजनागत परिव्यय का भाग होता है। योजनागत परिव्यय में आंतरिक संसाधन, बजटेतर संसाधन शामिल होते हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के आंतरिक संसाधन की प्राप्ति मुख्यत: लाभ से होती है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को दी जाने वाली बजटीय सहायता में मुख्यत: इक्विटी तथा दीर्घावधिक ऋण शामिल होते हैं। बहरहाल, अपवादात्मक स्थितियों में इसे अनुदान के रूप में दिया जा सकता है। गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के योजनागत परिव्यय का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	आंतरिक संसाधन	बजटेतर संसाधन	बजटीय सहायता	योजनागत परिव्यय
2007-08	68140.97	38692.82	2745.80	109579.59
2008-09	72815.68	75807.99	1629.64	132253.31
2009-10	84980.15	65633.85	4458.75	155072.75

[हिन्दी]

जमाराशि हेतु निबंधन और शर्तों का उल्लंघन

5820. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में जनता द्वारा जमा की गई राशि से संबंधित निबंधनों और शर्तों के निजी कंपनियों द्वारा उल्लंघन और उनके द्वारा उक्त जमाराशि की अदायगी न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध उक्त अवधि में कार्रवाई की गई; और

(घ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कार्रवाई लंबित है और इस विलंब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान जमाओं की गैर-अदायगी के आरोप संबंधी 41 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) मेसर्स मोरपेन लेबोरेट्रीज लिमिटेड, मेसर्स यूरो कॉटसपिन लिमिटेड, मेसर्स एशियन एलॉय्ज लिमिटेड एवं यूनिक एनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गए।

(घ) जिन कंपनियों को शिकायतों पर टिप्पणी देने को कहा गया है उनके नाम निम्नलिखित हैं:

1. मैसर्स मेडिनोवा डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज लिमिटेड;
2. मैसर्स एस.वी.पी.सी.एल. लिमिटेड;
3. मैसर्स प्रेस्टीज हॉलीडे रिजाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड;
4. मैसर्स धरती ड्रेजिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड;
5. मैसर्स नागार्जुन प्लांटेशंस लिमिटेड;
6. मैसर्स नागार्जुन एग्रीकेम लिमिटेड;
7. मैसर्स एस.ओ.एल. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड;
8. मैसर्स राजी वेदांत कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड;
9. मैसर्स चारमीनार स्टील्स लिमिटेड;
10. मैसर्स नागार्जुन प्लांटेशंस लिमिटेड; और
11. मैसर्स रॉयल गोवा बीच रिजाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड।

[अनुवाद]

भारत विनियामक सेवाएं

5821. श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री संजय भोई:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री पी. कुमार:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर एक भारतीय विनियामक सेवा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च गति/बुलेट रेलगाड़ी के लिए सर्वेक्षण

5822. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली-पटना के बीच उच्च गति/बुलेट रेलगाड़ी शुरू करने हेतु व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन हेतु एक यू.के. की फर्म को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जाएगा और उक्त सर्वेक्षण पर अभी तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या रेलवे देश में उच्चगति/बुलेट ट्रेन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली-आगरा-लखनऊ-वाराणसी-पटना के बीच उच्च गति रेल गलियारे के लिए पूर्वव्यवहार्यता अध्ययन हेतु मैसर्स मोट्ट मैकडोनाल्ड, यू.के. को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) नवंबर, 2011 तक अध्ययन पूरा हो जाएगा। इस अध्ययन पर अब तक 88,64,192 रुपए (केवल अड्डासी लाख, चौंसठ हजार, एक सौ बयानवे रुपए) खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) रेल मंत्रालय ने योजना, मानक सैटिंग, क्रियान्वयन एवं उच्च गति रेल परियोजनाओं की निगरानी के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल अथॉरिटी (एन.एच.एस. आर.ए.) का गठन करने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र का रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

5823. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **कॉर्पोरेट कार्य गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आर.ओ.सी.) को मै. रिलायंस कम्यूनिकेशन लि. की सहयोगी कंपनी मै. गेटवे नेट ट्रेडिंग प्रा. लि. सिंगापुर द्वारा संदिग्ध तौर पर विदेशी मुद्रा के लेनदेन के बारे में शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आर.ओ.सी. ने आर.कॉम से उत्तर प्राप्त होने के बाद उक्त सहायक कंपनी के विरुद्ध आरोपों/शिकायत की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स रिलायन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये आरोप निम्नलिखित थे:-

(i) रिलायन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड ने अपना स्वामित्व ब्याज 91% तक घटाते हुए दिनांक 31-3-2008 को गेटवे नेट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को समनुषंगी कंपनी से हटाकर एफ.ई.एम.ए. विनियमनों के प्रावधानों का उल्लंघन किया;

(ii) बाद में, उक्त कंपनी के शेयर रिलायन्स कम्यूनिकेशन की एक विदेशी समनुषंगी कंपनी नामत: रिलायन्स ग्लोबलकॉम बीवी, नीदरलैंड के माध्यम से दिनांक 1-10-2008 को प्राप्त किए गए; तथा

(iii) इससे गेटवे नैट ट्रेडिंग प्राइवेट कंपनी, सिंगापुर को रिलायन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड की 100% समनुषंगी कंपनी बन गई।

यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने मैसर्स फैरेटी कस्टम लाइन, इटली से एक यॉट खरीदा जिसका 11,640,769.29 यूरो मूल्य का भुगतान मैसर्स गेटवे नेट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा किया गया।

(ग) और (घ) कंपनी से उत्तर मिलने पर कंपनी रजिस्ट्रार ने आरोपों की जांच की तथा यह पाया कि इनमें से कोई भी मामला कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन से संबंधित नहीं है। तथापि, विदेशी व्यापार ऋण तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित मामले क्रमश: प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय रिजर्व बैंक को

भेजे गए जबकि लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने का मामला दूरसंचार विभाग को भेज दिया गया।

कच्चे माल की अनुपलब्धता

5824. श्री मानिक टैगोर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छत्तरपति जिला कामराज, तमिलनाडु जो औषधयुक्त सूती पट्टियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, को अब औषधयुक्त सूती पट्टियों के उत्पादन हेतु कच्चे माल की अनुपलब्धता और कपास की ऊंची कीमतों के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने औषधयुक्त पट्टी उत्पादन उद्योग और इसमें कार्यरत कर्मचारियों को बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या इन उद्योगों को पुनरुद्धार हेतु सरकार वित्तीय सहायता दे रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कपास की फसल वर्ष 2010-11 के दौरान स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास के मूल्यों में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव रहा। अक्तूबर, 2010 के दौरान स्वदेशी स्तर पर कपास के मूल्य 37700 रुपए केंडी से बढ़कर मार्च, 2011 में 62400 रुपए केंडी के अधिकतम स्तर तक पहुंच गए। अप्रैल, 2011 से मांग कम हो जाने के कारण मूल्य घटे और कपास के मूल्य 62400 रुपए केंडी से घटकर जुलाई, 2011 तक 29500 रुपए केंडी हो गए।

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि भारत में कपास का उत्पादन वर्ष 2000-2001 में 95.24 लाख गांठों से बढ़कर वर्ष 2010-11 के दौरान 334.25 लाख गांठें हो गया (चतुर्थ अग्रिम अनुमान)।

(ग) से (च) वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मेडिकल टेक्सटाइलों सहित तकनीकी टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल-प्रयास किए हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू की गई तकनीकी टेक्सटाइल प्रगति तथा विकास स्कीम (एस.जी.डी.टी.टी.) के अंतर्गत सरकार ने कोयम्बतूर, तमिलनाडु स्थित साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एस.आई.टी.आर.ए.) को 11 करोड़ रु. की निधिगत सहायता देकर मेडिकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) नामित किया है। इसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए के निधिगत परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि (2010-11 से 2014-15 तक) के लिए सरकार ने दो लघु मिशनों सहित तकनीकी टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.टी.टी.) शुरू किया है जिसमें प्रोटोटाइप, इनक्यूबेशन केन्द्र के स्वदेशी विकास संबंधी सुविधाओं जैसी संवर्धनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए एवं प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु आवर्ती व्यय के लिए उत्कृष्टता केन्द्र: मेडिकल टेक्सटाइल के उन्नयन हेतु 14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-II का कार्यान्वयन तमिलनाडु सहित प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में किया गया है। अधिकतर संघटकों पर व्यय का वहन 70:25 के आधार पर भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा किया जाता है। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) एवं अन्य द्वारा कार्यान्वित संघटकों का शत-प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

असम में संदेहास्पद मतदाता

5825. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री अब्दुल रहमान:
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री बदरुद्दीन अजमल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में असम में पता लगाए गए संदेहास्पद मतादाताओं की, विदेशी अभिकरण-वार संख्या क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में मतदाता सूची में कितने संदेहास्पद मतदाता शामिल किए गए;

(ग) विगत तीन वर्षों में विदेशी अभिकरण में कितने संदेहास्पद मतादाताओं के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए और कितने मामलों में मतदाताओं को भारतीय नागरिक मानकर उक्त मामले निपटाए गए; और

(घ) विदेशी अभिकरणों ने कितने संदेहास्पद मतदाताओं को जिला-वार भारतीय नागरिक घोषित किया?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वर्तमान में असम में पहचान किए गए कुल संदेहास्पद 'डी' मतदाता 157465 हैं। विदेशी अधिकरण-वार सूची संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित 'डी' मतदाताओं की संख्या 12,487 है। इन सभी नए 'डी' मतदाताओं की रिट (सिविल) संख्या याचिका 2009 का 1334 (मामेजा खातून बनाम असम राज्य और अन्य) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश तारीख 23-03-2011 के निबंधनों के अनुसार पहचान की गई है।

(ग) सूचना, भारत निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध नहीं है और एकत्रित की जा रही है।

(घ) विदेशी अधिकरण द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में घोषित 'डी' मतदाताओं की संख्या 35054 है। जिला विदेशी अधिकरण-वार सूची संलग्न विवरण-II पर है। अक्षर 'डी' को भारतीय नागरिकों के रूप में घोषित सभी मतदाताओं के नामों के आगे से हटा दिया गया है।

विवरण-I

31-05-2011 को डी मतदाताओं की कुल संख्या

राजस्व जिला	निर्वाचन जिला नाम	सभा निर्वाचन क्षेत्र		कुल उपस्थित 'डी' मतदाताओं की संख्या
		सं.	नाम	
1	2	3	4	5
करीमगंज	1-करीमगंज	1	रजबाड़ी (अ.जा.)	49
		2	पाथरकंडी	330
		3	करीमगंज उत्तर	101
		4	करीमगंज दक्षिण	2041
		5	बदरपुर	597
कुल				**3118**
हैलाकंडी	2-हैलाकंडी	6	हैलाकंडी	36
		7	कटलिचेरा	14
		8	अल्गापुर	29
कुल				**79**
कच्चर	3-सिल्चर	9	सिल्चर	940
		10	सोनाई	394

1	2	3	4	5
		11	धोलाई (अ.जा.)	1188
		12	उधरबोण्ड	1125
		13	लखिपुर	447
		14	बड़खोला	1012
		15	कटिगोरा	1771
कुल				**6877**
दिमा हसाव	4-दिमा हसाव	16	हाफलोंग (अ.ज.जा.)	9
कुल				**9**
करबी अंगलौंग	5-बोकाजन	17	बोकाजन	1286
	6-डिफु	18	हौवराघाट (अ.ज.जा.)	629
		19	डिफु	672
	7-हेमरेन	20	बैठालंगसो (अ.ज.जा.)	14
कुल				**2601**
धुब्री	8-साल्मारा दक्षिण	21	मनकछार	1058
		22	साल्मारा दक्षिण	882
	9-धुब्री	23	धुब्री	3086
		24	गौरीपुर	3479
		25	गोलकगंज	3869
	10-बिलासिपारा	26	बिलासिपारा पश्चिम	1242
		27	बिलासिपारा पूर्व	1282
कुल				**14898**
कोक्राझाड़	11-गोस्साईगांव	28	गोस्साईगांव	507
		29	कोक्राझाड़ पश्चिम (अ.ज.जा.)	442
	12-कोक्राझाड़	30	कोक्राझाड़ पूर्व (अ.ज.जा.)	494
		31	सिड़ली (अ.ज.जा.)	533
कुल				**1976**

1	2	3	4	5
बोंगईगांव	13-बोंगईगांव	32	बोंगईगांव	323
	14-बिज्नी	33	बिज्नी	235
	15-उत्तरी साल्मारा	34	अभयपुरी उत्तरी	356
		35	अभयपुरी दक्षिण (अ.जा.)	481
कुल				**1395**
गोलापारा	16-गोलापारा	36	दुधनाई (अ.ज.जा.)	2613
		37	गोलापारा पूर्व	2096
		38	गोलापारा पश्चिम	2408
		39	जलेस्वर	3182
कुल				**10299**
बारपेटा	17-बारपेटा	40	सोरभोग	7586
		43	बारपेटा	1442
		44	जनिया	6664
		45	बाघबर	3487
		46	सरुखेत्री	2140
		47	चेंगा	1813
	18-बजाली	41	भबानीपुर	1095
		42	पाटाछार कुछी	20
कुल				**24247**
कामरूप (मध्य)	19-कामरूप	48	बोको (अ.जा.)	176
		49	चयगांव	1757
		50	पालसबाड़ी	16
		55	हाजो	150
	20-रंगिया	56	कमलपुर	37
		57	रंगिया	60
कुल				**2196**

1	2	3	4	5
कामरूप	21-कामरूप (मध्य	51	जलुकबाड़ी	94
		52	दिसपुर	2842
		53	गुवाहाटी पूर्व	290
		54	गुवाहाटी पश्चिम	2067
कुल				**5293**
नल्बाड़ी	22-नल्बाड़ी	58	तमुलपुर	2752
		59	नल्बाड़ी	443
		60	बड़खेत्री	200
		61	धर्मपुर	122
		62	बरमा (अ.ज.जा.)	62
		63	चापागुरी (अ.ज.जा.)	25
कुल				**3604**
उदलगुरी	23-उदलगुरी	64	पानेरी	4350
		69	उदलगुरी (अ.ज.जा.)	2459
		70	मजबत	4672
कुल				**11481**
धरांग	24-मंगलदाई	65	कलाईगांव	926
		66	सिपाझाड़	824
		67	मंगलदाई (अ.ज.जा.)	1238
		68	दलगांव	3015
कुल				**6003**
सोनितपुर	25-तेजपुर	71	धेकियाजुली	6182
		72	बड़छल्ला	5803
		73	तेजपुर	4355
		74	रंगापुरा	2625
		75	सूतिया	2430

1	2	3	4	5
	26-बिस्वनाथ	76	बिस्वनाथ	1270
		77	बेहाली	1578
	27-गोहपुर	78	गोहपुर	2241
कुल				**26484**
मरिगांव	28-मरिगांव	79	जगिरोड (अ.जा.)	4221
		80	मरिगांव	607
		81	लहरीघाट	284
कुल				**5112**
नौगोंग	29-नौगोंग	82	राहा (अ.जा.)	2056
		83	धिंग	3402
		84	बाटाद्रोबा	1811
		85	रूपोहीहाट	2228
		86	नौगोंग	672
		87	बरहामपुर	355
		88	सामागुड़ी	1688
	30-कलियाबोर	89	कलियाबोर	1798
	31-होजाई	90	जमुनामुख	422
		91	होजाई	2242
		92	लुम्डिग	454
कुल				**17128**
गोलाघाट	32-बोकाखाट	93	बोकाखाट	274
	33-धानसीरी	94	सरुपठार	1116
	34-गोलाघाट	95	गोलाघाट	721
		96	खुम्ताई	285
कुल				**2396**

1	2	3	4	5
जोरहट	35-जोरहट	97	देरगांव (अ,.ज.जा.)	2
		98	जोरहाट	0
		102	टेओक	0
	36-टीटाबार	100	टीटाबार	0
		101	मरियानी	4
	37-मजुली	99	मजुली (अ.ज.जा.)	14
कुल				**20**
सिबसागर	38-सिबसागर	103	अमगुरी	0
		107	थोवरा	0
		108	सिबसागर	0
	39-नाजिरा	104	नाजिरा	0
	40-चराईदेव (सोनारी)	1075	महमारा	1
		106	सोनारी	1
कुल				**2**
लखिमपुर	41-लखिमपुर	109	बिहपुरिया	259
		110	नाओबोइछा	965
		111	लखिमपुर	216
	42-धकुआखाना	112	धकुआखाना (अ.ज.जा.)	1382
कुल				**2822**
धेमाजी	43-धेमाजी	113	धेमाजी (अ.ज.जा.)	977
	44-जोनाई	114	जोनाई (अ.ज.जा.)	4529
कुल				**5506**
डिब्रुगढ़	45-डिब्रुगढ़	115	मोरन	198
		116	डिब्रुगढ़	490
		117	लाहोवल	10

1	2	3	4	5
		118	दुलिआजन	209
		119	टिन्गखोंग	14
		120	नाहरकटिआ	101
		121	छाबुआ	43
कुल				**1065**
तिनसुकिया	46-तिनसुकिया	122	तिनसुकिया	650
		123	दिग्बोई	483
		124	डूमडूमा	491
	47-मरघेरिता	125	मरघेरिता	1173
	48-सदिया	126	सदिया	57
कुल				**2854**
कुल राज्य				157465

विवरण-II

क्र. सं.	जिला	'डी' मतदाताओं की संख्या का मामला भारतीय नागरिक के रूप में पहचान
1	2	3
1.	धुब्री	2891
2.	गोलपारा	1885
3.	कोक्राझाड़	201
4.	बारपेटा	438
5.	नल्बाड़ी	102
6.	गुवाहाटी सिटी	1458
7.	कामरूप	121
8.	धरांग	2682
9.	सोनितपुर	5112
10.	लखिमपुर	622
11.	डिब्रुगढ़	186
12.	सिबसागर	0
13.	जोरहाट	15
14.	नौगोंग	957
15.	करबी अंगलौंग	7903
16.	दिमा हसाव	0
17.	कच्छर	888
18.	करीमगंज	286

1	2	3
19.	गोलाघाट	8
20.	बोंगईगांव	436
21.	मरिगांव	112
22.	हैलाकंडी	0
23.	धेमाजी	
24.	तिनसुकिया	3695
25.	बक्सा	0
26.	उदलगुरी	174
27.	चिरांग	4882
28.	हामरेन	0
	कुल	35054

[हिन्दी]

आई.जी.एल. के पास जमाराशि

5826. डॉ. बलीराम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी एंड टी क्वार्टर्स काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में पोस्टल विंग और एम.टी.एन.एल. विंग के मकानों के लिए गैस आपूर्ति हेतु संबंधित अधिकारियों ने इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आई.जी.एल.) के पास अपेक्षित राशि जमा करवा दी है; और

(ख) यदि हां, तो आई.जी.एल. उक्त हाउसिंग परिसर में गैस आपूर्ति कब तक शुरू कर देगा और इस बारे में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) इन सभी घरों को कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। पी एंड टी क्वार्टर्स, काली बाड़ी मार्ग में पोस्टल विंग में सभी 78 घरों में संस्थापन कार्य पूरा हो चुका है और इनमें से बहुत से घरों में गैस की आपूर्ति शुरू भी हो चुकी है। एम.टी.एन.एल. विंग के घरों में पी.एन.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू हो चुका है और इस विंग में सभी 177 घरों को उत्तरोत्तर रूप से पी.एन.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

[अनुवाद]

केजी बेसिन से तेल और गैस उत्पादन की मात्रा

5827. डॉ. क्रुपारानी किल्ली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने केजी बेसिन की गैस का सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य की तुलना में काफी कम मूल्य आदेशित/नियत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 15-06-2009 के निर्णय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लि. (आर.एन.आर.एल.) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) का उल्लेख किया है। निर्णय के पैरा 314 के अनुसार, एम.ओ.यू. में निर्धारित है कि एन.टी.पी.सी. और आर.एन.आर.एल. की मांग पूरी करने के बाद, पूरी गैस आर.आई.एल. और आर.एन.आर.एल. में 60:40 के अनुपात में विनियोजित कर दी जाएगी। एम.ओ.यू. में यह भी उल्लेख है कि यह मामला मात्र के.जी.-डी-6 गैस के लिए ही नहीं होगा अपितु आर.आई.एल. द्वारा प्रचालित किए जा रहे और प्रचालित किए जाने वाले अन्य सभी क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भी होगा। तदनुसार, बम्बई उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ अपील निपटाई कि पक्षकार, अर्थात् आर.आई.एल. और आर.एन.आर.एल. निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर, मात्रा, अवधि और मूल्य के आधार पर जैसाकि एम.ओ.यू. के तहत पक्षकारों के बीच यथा विनिर्दिष्ट और सम्भत है, "उपयुक्त व्यवस्था" करें।

सरकार ने कुल मिलाकर सरकार और जनता के

हितों की रक्षा के लिए बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए, आर.एन.आर.एल. और आर.आई.एल. के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 मई, 2010 के अपने निर्णय के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय दिया है कि:

(i) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और उत्पादन नियमित करने के लिए भारत के संघ की शक्ति, संविधान, संगत कानूनों और स्वयं पी.एस.सी. के तहत सर्वोपरि है और निजी व्यवस्था इसका स्थान नहीं ले सकती।

(ii) ई.जी.ओ.एम. द्वारा किए गए प्राकृतिक गैस का बंटवारा संविदाकार द्वारा निजी व्यवस्था के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता।

(iii) संविदाकार अर्थात् आर.आई.एल. प्राकृतिक गैस के मूल्य, मात्रा और आपूर्ति की अवधि के संबंध में ई.जी.ओ.एम. के निर्णयों से बंधी हुई है।

कम लागत वाली एकीकृत स्वच्छता योजना

5828. श्री ए. सम्पत: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, कम लागत वाली एकीकृत स्वच्छता योजना के तहत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई निगरानी समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) से (घ) इस योजना के दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पित है कि हुडको के क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य स्तर पर परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित करने वाले और मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने सहित वास्तविक कार्यान्वयन की निगरानी करने वाले समाज कल्याण विभाग सहित राज्य के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य समन्वयन समिति में शामिल होंगे।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए बुद्धिजीवियों की बैठक

5829. श्री गणेश सिंह: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों के उत्थान से संबंधित योजनाओं पर विचार-विमर्श हेतु केवल एक समुदाय के बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो यह सच है कि 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के चयन हेतु केवल एक समुदाय को ही आधार माना गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित पांच अल्पसंख्यक समुदाय के साथ परामर्श करने के इरादे से मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ पहली परामर्शन बैठक का आयोजन दिनांक 07-07-2011 को किया गया था ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी हेतु विचार-विमर्श किया जा सके।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों का अभिनिर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित पांच अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी की प्रतिशतता के आधार पर किया गया था। अभिनिर्धारण का आधार इस प्रकार था:-

(1) जिलों को सूचीबद्ध करने के लिए पहले आबादी संबंधी निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए:-

(i) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल आबादी के कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों का अभिनिर्धारण किया गया।

(ii) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले तथा 20% से अधिक और 25% से कम अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिशतता वाले जिलों का अभिनिर्धारण किया गया।

(iii) जिन 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में हैं, उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों को छोड़कर 15% से कम अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों का अभिनिर्धारण किया गया।

(2) इसके बाद जिलों को सूचीबद्ध करने के लिए पिछड़ेपन के निम्नलिखित मानदंडों को आधार बनाया गया:-

(i) जिला स्तर पर धर्म-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संकेतक जैसे साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, कार्य में भागीदारी दर और महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर तथा

(ii) जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक जैसे पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता, स्वच्छ पेय जल की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता, विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता और शौचालयों की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता।

(3) पिछड़ेपन के उपर्युक्त दोनों मानदंडों की दृष्टि से अथवा किसी एक मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे के जिलों को अल्पसंख्यक बहुल जिलों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था। ऐसे 90 जिले हैं, जिनमें से अल्पसंख्यक बहुल 66 जिले में मुस्लिमों की बहुलता है, अल्पसंख्यक बहुल 13 जिले में ईसाइयों की बहुलता है, अल्पसंख्यक बहुल 10 जिले में बौद्धों की बहुलता है और अल्पसंख्यक बहुल एक जिले में सिक्खों की बहुलता है।

[अनुवाद]

भारत द्वारा खनिजों का अन्वेषण

5830. डॉ. सुचारू रंजन हल्दर: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने खनिजों के अन्वेषण हेतु हिंद महासागर में सर्वप्रथम पहल की लेकिन भारत इसका लाभ उठाने में असफल रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में नीति निर्धारण हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वय से एक सचिवों की समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस दिशा में कब तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत अगस्त, 1987 में अग्रणी निवेशक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था तथा अगस्त, 1987 में मध्य हिंद महासागर बेसिन (सी.आई.ओ.बी.) में बहुधात्विक पिंडिकाओं के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां संचालित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को 1,50,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आबंटित किया गया। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त, 75,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को आगे विकास की संभावना वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

इस मंत्रालय (पूर्व में महासागर विकास विभाग) ने भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए विनियमों के अनुसार इस क्षेत्र में बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण के लिए विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों के लिए 15 वर्ष की संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

विकासात्मक कार्य के प्रथम दस वर्षों के दौरान, स्थलाकृति को समझने के लिए मल्टीबीम बाथीमीट्री सर्वेक्षण किया गया है। इस क्षेत्र के 12.5 कि.मी. x 12.5 कि.मी. के ग्रिड अंतराल (ग्रिड इंटरवल) से तथा तदुपरांत चुनिंदा ब्लॉकों में 6.25 किमी. x 6.25 किमी. के अंतराल पर नमूने लिए गए हैं। विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर इस क्षेत्र (अर्थात मध्य हिंद महासागर बेसिन का 75,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र) में अनुमानत: 380.00 मिलियन टन बहुधात्विक पिंडिका संसाधन के होने की संभावना है। आगे विकास के लिए प्रथम चरण के खनन स्थल की पहचान कर ली गई है। संभावना वाले इस क्षेत्र में एक व्यापक व ब्यौरेवार

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) कर लिया गया है। धातुएं (तांबा, निकल तथा कोबाल्ट) निकालने की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का 500 किग्रा. प्रतिदिन की क्षमता वाले प्रायोगिक संयंत्र में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है; जो विश्व में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। भारत ने दूर से प्रचालित किए जा सकने वाले वाहन व समुद्र में 500 मीटर से अधिक गहराई से स्व-स्थाने मिट्टी के नमूने लेने वाले यंत्र का भी विकास किया है। भारत विकासात्मक गतिविधियों के एक भाग के रूप में लगभग 6000 मीटर गहरे जल में खनन स्थल पर समुद्र संस्तर से विभिन्न चरणों में पिंडिकाओं का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है। समुद्र तल से पिंडिकाओं के दोहन के लिए खनन प्रौद्योगिकी विकसित करने सहित, भारत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के क्षेत्र में निवेश करने वाले अग्रणी निवेशकों के बराबर है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने हिंद महासागर में खनिज अन्वेषण के लिए नीतियां तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वय से सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) का गठन नहीं किया है। परंतु चीन ने हिंद महासागर में उष्णजलीय सल्फाइड खनिज के लिए गहरा समुद्र खनन अन्वेषण लाइसेंस के आवेदन के संबंध में 20 जुलाई, 2011 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की बैठक आयोजित की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रतिनिधि ने भी इस बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए अग्रणी एजेंसी के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ नियमित अन्तराल पर अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक आयोजित की जाए।

गहरे समुद्र में तेल और गैस अन्वेषण

5831. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में तेल और गैस अन्वेषण के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त बड़ी कम्पनियों को पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय कर रही है कि राष्ट्र हित में गहरे समुद्र में तेल और गैस अन्वेषण हेतु शीघ्र अनुमोदन प्रदान किया जाए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के तहत, गहरे समुद्री क्षेत्रों सहित, देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बोली प्रणाली के जरिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। गहरे समुद्र में तेल और गैस के अन्वेषण में अनुभव प्राप्त बड़ी कम्पनियां एन.ई.एल.पी. बोली दौरों में भाग ले सकती हैं।

इस समय उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत गहरे समुद्र की कुछ बड़ी कम्पनियों सहित निम्नलिखित प्रचालक गहरे समुद्री ब्लॉकों में प्रचालन कर रहे हैं।

1. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.)
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
3. बी.एच.पी. बिलिटन पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया
4. कैर्न एनर्जी इंडिया पी.टी.वाई. लि. यू.के.
5. ब्रिटिश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन (आल्फा) यू.के.
6. ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) लि. यू.के.
7. सैंटोस इंटरनेशनल आपरेशन्ज पी.टी.वाई. लि. आस्ट्रेलिया
8. ई.एन.आई. (इंडिया) लि., इटली।

(ग) ऊपर (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) में निर्धारित प्रावधानों और समयावधि के अनुसार, प्रबंधन समिति (एम.सी.) द्वारा, प्रदत्त गहरे समुद्री ब्लॉकों में अन्वेषण कार्य कार्यक्रम और बजट की समीक्षा की जाती है।

एन.ई.आर. और गोल्डन ट्राएंगल के बीच रेलवे संपर्क

5832. श्री राजेन गोहैन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष भागों, विशेष रूप से गोल्डन ट्राएंगल से रेलवे कनैक्टिविटी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है/प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित रेल संपर्कता का संवर्धन/विस्तार करना एक निरंतर चलने वाली और सतत् गतिविधि है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले से देश के शेष भागों से जुड़ा हुआ है और स्वर्णिम चतुर्भुज (क्योंकि वहां कोई स्वर्णिम त्रिभुज नहीं है) गुवाहाटी-दिल्ली और गुवाहाटी-हावड़ा मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। 01-04-2011 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12 नई लाइन परियोजनाएं, 04 आमान परिवर्तन परियोजनाएं और 02 दोहरीकरण परियोजनाएं निष्पादनाधीन है, जिससे रेल संपर्कता बेहतर हो जाएगी। 08 नई लाइन परियोजनाएं और 02 आमान परिवर्तन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है और इन परियोजाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित निधि (एन.ई.आर.आर.डी.एफ.) का सृजन किया गया है। नई लाइन परियोजनाओं के अंतर्गत सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की सभी राजधानियां रेल द्वारा जुड़ जाएंगी। बहरहाल, सिवोक-रंगपो नई लाइन परियोजना जो सिक्किम को रेल संपर्क मुहैया कराएगी, का काम शुरू हो गया है।

(ग) से (ङ) एक एकीकृत आधुनिकीकरण योजना तैयार की गयी है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। एकीकृत आधुनिकीकरण योजना में निम्नलिखित पर विचार किया गया है: (1) आधुनिक सवारी डिब्बों (बेहतर क्रेश वर्दीनेस और आग प्रतिरोधक विशेषताओं वाले) की शुरुआत करते हुए यात्री बिजनेस क्षेत्र को आधुनिक बनाना, देशभर में यात्री आरक्षण प्रणाली और अनारक्षित टिकटिंग का विस्तार करना (2) उच्चतर धुरा भार, हल्के भार के माल डिब्बे, मालभाड़ा परिचालन प्रबंधन प्रणाली का विस्तार, आधुनिक मालभाड़ा टर्मिनलों का विकास आदि की शुरुआत करके माल यातायात क्षेत्र का आधुनिकीकरण (3) अन्य आधुनिकीकरण कार्यों जैसे रेलपथ आधुनिकीकरण और अनुरक्षण पद्धतियां, पुल आधुनिकीकरण पद्धतियां, आधुनिक सिगनलिंग और इलैक्ट्रिकल प्रणाली की शुरुआत करना, आधुनिक और शक्तिशाली इंजनों की शुरुआत करना, थ्रुपुट संवर्धन कार्यों को पूरा करना आदि। उपरोक्त के अलावा, समर्पित माल यातायात गलियारा और उच्च गति वाले यात्री गलियारे जैसे दीर्घकालिक कार्यों की भी योजना बनाई जाती है ताकि देश की भावी रेल परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग रिग

5833. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. ने चार वर्षों के लिए कार्य आधार पर एक अल्ट्रा डीप वाकटर ड्रिलिंग रिग भाड़े पर लेने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को एक लेटर ऑफ अवार्ड दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजार आकलन के अनुसार रिग प्रचालन दिवस दर अत्यधिक कम थी;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) ने 27-05-2009 को समनुदेशन आधार पर चार (4) वर्षों की एक निश्चित अवधि के लिए अत्यंत गहरे समुद्री रिग डी.डी.के.जी.-1 को भाड़े पर लेने के लिए रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) को एक आशय पत्र (एल.ओ.आई.) प्रस्तुत किया है। रिग डी.डी.के.जी.-1 के प्रचालन दिन की दरें रिग को भाड़े पर लेते समय प्रचलित बाजार दरों से कम थीं।

(ग) और (घ) रिग दिन दरें विभिन्न कारकों जैसे

मांग आपूर्ति स्थिति, कच्चे तेल मूल्यों आदि पर निर्भर करती हैं। ओ.एन.जी.सी. ने रिपोर्ट दी है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस समय प्रचलित यथोचित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य/दरों पर समनुदेशन आधार पर रिग भाड़े पर लिया गया था।

अच्छी प्रयोगशाला प्रथा स्थापित करना

5834. श्री भक्त चरण दास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी क्षेत्र की भागीदारी (पी.पी.पी.) में अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं (जी.एल.पी.) के संगत जीवशास्त्रीय (बायोलॉजिकल) जांच प्रयोगशालाएं और बृहत पशु सुविधाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में उक्त प्रयोगशालाएं खोलने और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं और उपाय किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध उद्योग की आवश्यकता और यदि कोई कमी है तो उसके संदर्भ में मौजूदा जी.एल.पी. अनुपालित सुविधाओं का जायजा लेने और जी.एल.पी. अनुपालित सुविधाओं की स्थापना करने/मौजूदा परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन करके उन्हें जी.एल.पी. अनुपालित परीक्षणशालाएं बनाने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) व्यवस्था के अंतर्गत स्कीमें तैयार करने के उद्देश्य से औषध विभाग में परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर आर.ओ.बी.

5835. श्री एस. अलागिरी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क यातायात और यूटिलिटियों का रास्ता विलंब से परिवर्तित किए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल ऊपरि पुल और रेल अंडर ब्रिज (आर.ओ.बी./आर.यू.बी.) के कार्यों में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(ग) उपरोक्त आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण कार्य किस नोडल एजेंसी को सौंपा गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है।

रेल मंडल

5836. श्री वैजयंत पांडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में विशेष रूप से पूर्व तटीय रेलवे जोने के अंतर्गत और रेल मंडलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। पहले से घोषित मंडलों के अलावा देश में और अधिक मंडल स्थापित करने का रेलवे का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाघा-चितोनी लाइन

5837. श्री पूर्णमासी राम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे द्वारा बाघा-चितोनी रेल लाइन और सड़क का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सड़क की हालत बहुत

खराब है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। रेल-सह-सड़क पुल और तटबंध पर सड़क के साथ बाघा-चिटोनी रेलवे लाइन का उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकारों और जल संसाधन मंत्रालय के साथ लागत में भागीदारी पर रेलवे द्वारा निर्माण किया गया था।

(ख) और (ग) सड़क के अनुरक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा। रेलवे द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।

भेषज क्षेत्र में राष्ट्रीय खतरे

5838. श्री राधे मोहन सिंह:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भेषज कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय खतरों सहित राष्ट्रीय खतरों के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची "एम" में औषधि क्षेत्र में पर्यावरणीय खतरों को रोकने के लिए एहतियातों/रक्षोपायों के संबंध में प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं।

असबैसटॉस का उत्पादन

5839. श्री सुवेन्दु अधिकारी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असबैसटॉस के उत्पादन में गंभीर स्वास्थ्य खतरों को उचित महत्व दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूफिंग शीटों, फ्लैट शीटों और सीमेंट पाइपों आदि के लिए सामग्री के रूप में अभी भी असबैसटॉस का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ग) जी, हां। कामगारों के स्वास्थ्य पर असबैसटॉस के खनन के हानिकारक प्रभावों जिसके परिणामस्वरूप सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस आदि जैसी बीमारियां होती है, को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1986 में देश में असबैसटॉस के लिए नया खनन पट्टा नहीं देने का निर्णय लिया। वर्ष 1989 में, अन्य खनिजों के लिए भी इस प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया था, जहां प्रचूर मात्रा में संबद्ध खनिज के रूप में असबैसटॉस पाया जा रहा था। जून, 1993 में, भारत सरकार ने विद्यमान खनन पट्टे का नवीकरण नहीं करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ई.आई.एल. अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार निवेश के लिए अनिवार्य पर्यावरण निकासी (क्लियरेंस) शामिल है। साथ ही, भारत सरकार से यथा अधिकृत राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान देश में असबैसटॉस की क्राईसोटाइल बहुरूप के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय नुकसान के बारे में अध्ययन करा रहा है।

(ख) देश में छत (रूफिंग) की शीटों, समतल शीटों और सीमेंट पाइपों आदि में केवल क्राईसोटाइल असबैसटॉस का उपयोग किया जा रहा है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.

5840. श्री आर. थामराई सेलवन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत कम-से-कम

दो-तिहाई निवेश राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन की दिशा में हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार विकेन्द्रीकृत आयोजना और योजना के स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन हेतु सघन सहायता और सुविधा के लिए एक मिशन संरचना की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) का मूल उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी की मांग किए जाने पर प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन भी इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। मजदूरी रोजगार के लिए एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत जिन क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया गया है उसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची-I में दिया गया है, जो निम्नानुसार है:

(i) जल संरक्षण और जल संचयन;

(ii) वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित सूखा-रोधन;

(iii) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(iv) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार संबंधी लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित लघु या सीमांत किसानों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि सुधार सुविधाओं का प्रावधान;

(v) तालाबों से गाद निकालने सहित परम्परागत जल निकायों का नवीकरण;

(vi) भूमि विकास;

(vii) जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य सहित बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य;

(viii) बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण संपर्कता; और

(ix) ग्राम सूचना संसाधन केंद्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन का निर्माण और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित कोई अन्य कार्य।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निधियों का उपयोग समय-समय पर जारी किए गए एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियमावली, 2006 के मानदण्डों तथा एडवाइजरी द्वारा संचालित किया जाता है। केन्द्र सरकार अकुशल शारीरिक कामगारों को अधिसूचित मजदूरी दरों पर मजदूरी के भुगतान का पूरा व्यय वहन करती है। योजना के अंतर्गत कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित परियोजनाओं के सामग्री घटक की लागत कुल परियोजना व्यय में से चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री लागत का 75 प्रतिशत का वहन केन्द्र सरकार करेगी। एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक सहायक संरचना को सुदृढ़ करने, शिकायत निवारण, सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना आदि के लिए प्रशासनिक खर्च के रूप में 6 प्रतिशत तक की निधियां खर्च करने की अनुमति दी गई है।

रोजगार चाहने वालों को जॉब-कार्ड

5841. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मांगे गए और उन्हें प्रदान किए गए जॉब कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जॉब कार्ड वस्तुत: सरपंच और पंचायत कार्यकर्त्ताओं के कब्जे में रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या सुधारात्मक

कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि इस योजना के अंतर्गत वास्तविक कार्डधारकों को ही रोजगार मिले, क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में हर उस ग्रामीण परिवारो को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। इस मनरेगा अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 1 में यह निर्धारित है कि हर उस परिवार के वयस्क सदस्य कार्य के लिए आवेदन करने के पात्र बनने हेतु जॉब कार्ड जारी किए जाने के लिए अपने परिवार के पंजीकरण का आवेदन कर सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों और अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। यह पंजीकरण/जॉब कार्ड स्कीम में निर्धारित अवधि के लिए वैध होगा किंतु किसी भी स्थिति में यह अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी और अनुसूची II के पैरा 3 के अनुसार समय-समय पर इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। मांगे गए जॉब कार्डों के वर्ष-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत जिन परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए और दिनांक 5-9-2011 तक पंजीकृत करके जॉब कार्ड जारी किए गए, उन परिवारों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) से (घ) मंत्रालय को अब तक ऐसे 26 मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें सरपंचों द्वारा जॉब कार्ड रख लिए जाने के आरोप लगाए गए। चूंकि इस अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी बनाई स्कीमों के अनुसरण में करती हैं, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

(ङ) मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड जारी हो जाने मात्र से कोई परिवार रोजगार पाने का हकदार नहीं हो जाता है। इस अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 9 के अनुसार परिवार को भी कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ताकि वे रोजगार पाने के हकदार बन सकें। रोजगार मांगे जाने पर ही दिया जाता है और किसी प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता तभी देय होता है जब रोजगार आवेदन प्राप्त होने की तारीख या अग्रिम आवेदन की दशा में जिस तारीख से रोजगार मांगा गया, उस तारीख से, जो भी बाद में हो, 15 दिन के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मनरेगा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्यों द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराए।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की कुल संख्या			5-9-2011 तक पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या	जारी किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या (5-9-2011 के अनुसार)
		2008-09	2009-10	2010-11		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	11347815	11722646	11991323	11705607	11705607
2.	अरुणाचल प्रदेश	154957	135140	170350	67906	36134
3.	असम	2970522	3611714	4369561	3855224	3848236
4.	बिहार	10284009	12403792	13044879	11641306	11641306

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	3354795	3574607	3911126	4194391	4191044
6.	गुजरात	2877792	3570129	3955998	3932802	3924247
7.	हरियाणा	377568	459367	582737	609223	605646
8.	हिमाचल प्रदेश	849993	994969	1050602	1062944	1062927
9.	जम्मू और कश्मीर	497175	664494	1001681	638931	535275
10.	झारखंड	3375992	3697477	3920922	3959537	3947816
11.	कर्नाटक	3420945	5220895	5294245	5249297	5220634
12.	केरल	1897713	2599453	2915670	1279243	1181195
13.	मध्य प्रदेश	11229547	11292252	11384370	11610607	11605664
14.	महाराष्ट्र	4814593	5699877	5832823	6237315	5910847
15.	मणिपुर	385836	426533	444886	444449	362402
16.	मेघालय	298755	372523	398226	426257	425826
17.	मिजोरम	172775	180803	170894	198223	198212
18.	नागालैंड	296738	325242	350815	364228	364228
19.	ओडिशा	5267853	5802442	6025230	6092921	6051804
20.	पंजाब	524928	704874	821076	842221	837348
21.	राजस्थान	8468740	8827935	9274312	9900780	9900682
22.	सिक्किम	77112	70050	73575	77451	76185
23.	तमिलनाडु	5512827	6535710	7347187	7951845	7921259
24.	त्रिपुरा	600615	607010	584900	589615	588804
25.	उत्तर प्रदेश	10652018	11698780	13052850	13988302	13666001
26.	उत्तराखण्ड	817753	893496	974529	987504	983132
27.	पश्चिम बंगाल	9556067	10351948	10731538	10854412	10854401
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23313	12763	44406	54977	54971
29.	दादरा और नगर हवेली	8100	10923	11135	एन.आर.	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7
30.	दमन और दीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	गोवा	10244	14279	21032	30498	24562
32.	लक्षद्वीप	3313	6079	7787	7409	6966
33.	पुडुचेरी	15547	60780	63769	65277	63628
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	100145950	112548976	119824434	118920702	117796989

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के सभी आंकड़े मासिक प्रगति रिपोर्टों पर आधारित हैं तथा चालू वर्ष 2011-12 के सभी आंकड़े एम.आई.एस. पर आधारित हैं।

खादी वस्त्र

5842. श्री एम.आई. शानवास: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और मूल्य वर्द्धन हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से कई योजनाओं को कार्यान्वयन कर रहा है जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ खादी क्षेत्र का संवर्धन करना है। इनमें ऐसी योजनाएं शामिल हैं (i) खादी कपड़ों के डिजाइन और पैकेजिंग में सुधार लाने के लिए 'उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन एवं पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.)' (ii) 30 खादी बिक्री निर्गमों के रिनोवेशन तथा मौजूदा 100 कमजोर चुनिंदा संस्थानों की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण तथा विपणन संबंधी आधारभूत संरचना हेतु सहायता', (iii) विपणन विकास सहायता योजना जो विपणन को प्रत्साहित करती है तथा खादी संस्थानों को उत्पादन के मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान करती है जो कताईकारों/बुनकरों, उत्पादन कर रहे संस्थानों और विक्रय करने वाले संस्थानों में 25:30:45 के अनुपात में बांटा जाता है (iv) 2009-10 से तीन वर्षों की अवधि में 300 अस्थायी तौर पर चयनित खादी संस्थानों के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) से 150 मिलियन यू.एस. डॉलर के बराबर वित्तीय सहायता से एक व्यापक खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में गठित एक विपणन संगठन के माध्यम से पेशेवराना समर्थन उपलब्ध कराकर प्रमुख महानगरों और राज्यों की राजधानियों में नए बिक्री निर्गम खोलने और संस्थानिक बिक्री निर्गमों के रिनोवेशन और आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त के अलावा के.वी.आई.सी. देश में विशेषरूप से युवाओं के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी संस्थानों तथा अन्य एजेन्सियों के साथ मिलकर कई प्रदर्शनियां आयोजित करता है। के.वी.आई.सी. ने त्यौहारों जैसे होली, दीवाली, नववर्ष आदि के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग उत्पादों के गहन विपणन के लिए विशेष अभियान भी चलाए हैं।

(ख) और (ग) पी.आर.ओ.डी.आई.पी. के अलावा के.वी.आई.सी. ने खादी उत्पादों के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी संवर्धन और मूल्यवर्धन के लिए निम्नोक्त कदम उठाए हैं:

(i) उच्चतर मूल्य संवर्धन के लिए खादी कपड़े को तैयार पोशाकों में बदलने के लिए 'खादी उत्पादों हेतु रेडी टू यूज मिशन' का कार्यान्वयन।

(ii) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (ए.जी.आई.आर.आई.) ने आई.आई.टी., दिल्ली के साथ मिलकर स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली डाईंग की कच्ची सामग्री का उपयोग करके खादी कपड़े को प्राकृतिक तरीके से रंगने की प्रौद्योगिकी विकसित की है और इस प्रकार ईको-फ्रेंडली खादी का उत्पादन किया है।

(iii) खादी कपड़े के टेक्सचर में एकरूपता लाकर उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए एम.जी.आई. आर.आई. ने 'मर्सिराईजेशन' मशीन का एक मॉडल भी विकसित किया है। यह प्रक्रिया खादी कपड़े की आयाम संबंधी स्थिरता में सुधार लाती है और इस प्रकार उपभोक्ताओं की कपड़ा सिकुड़ने संबंधी शिकायतों को कम करती है तथा कपड़े की रंग सोखने की क्षमता में भी सुधार लाती है।

(iv) खादी कपड़े तथा पोशाकों को आवश्यकतानुसार कोमल, कड़ी अथवा झुर्रियों रहित फिनिशिंग देने के लिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था।

(v) आई.एस.ओ. 9001-2000 प्रमाणन योजना के तहत खादी संस्थानों को सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सी.सी.आई. द्वारा पॉलीयस्टर कंपनियों की जांच

5843. श्री भास्कर राव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गठजोड़ मूल्य निर्धारित करने के संबंध में उच्चस्तरीय पॉलीयस्टर और विस्कोस फाइबर कंपनियों के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिन कंपनियों की जांच की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जांच के क्या परिणाम रहे; और

(घ) दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सिंथेटिक धागा निर्माता कंपनियों द्वारा उत्पादक-संघ बनाए जाने संबंधी एक सूचना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) में प्राप्त हुई है। आयोग ने महानिदेशक, सी.सी.आई. को उक्त मामले की जांच करने का आदेश दिया है।

(ख) से (घ) महानिदेशक, सी.सी.आई. द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

नारियल जटा उद्योग

5844. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत नारियल जटा उद्योगों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त में से लाभ अर्जित कर रहे नारियल जटा उद्योगों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन उद्योगों को कोई सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) कॅयर उद्योग (पंजीकरण) नियम, 2008 के तहत 14300 कॅयर इकाइयां पंजीकृत हैं। इन इकाइयों की राज्य तथा संघ क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कॅयर क्षेत्र में ज्यादातर इकाइयां अतिलघु एवं सूक्ष्म क्षेत्र में हैं जो अधिकतर असंगठित क्षेत्र में घरेलू इकाइयों के रूप में कार्य कर रही हैं। कॅयर बोर्ड ने सूचित किया है कि वैयक्तिक इकाइयों की लाभदायिकता से संबंधित सांख्यिकी का अनुरक्षण उनके द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि कॅयर बोर्ड के अनुसार कच्चे माल/तैयार सामग्रियों के अनबिके स्टॉक संबंधी कोई शिकायत न मिलने से ये इकाइयां सामान्यतः लाभप्रद प्रतीत होती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रमुख योजनाएं जिनके तहत कॅयर इकाइयों को सहायता दी जाती है, निम्नोक्त हैं:

(i) उचित वर्कशेड उपलब्ध कराकर तथा कताई क्षेत्र में पुराने पारंपरिक रैट्स का मोटरीकृत रैट्स से तथा अतिलघु/घरेलू क्षेत्र में पारंपरिक हथकरघों को मैकेनाइज्ड हथकरघों से बदलकर कॅयर उद्योग की कताई तथा अतिलघु/घरेलू बुनकर इकाइयों के निरंतर विकास को सुगम बनाने के लिए 2007-08 के दौरान कॅयर उद्योग के पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण (आर.ई.एम.ओ.टी.) संबंधी योजना आरंभ की गई। योजना के तहत वित्तीय सहायता का पैटर्न भारत सरकार के अनुदान/सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत, लाभार्थी अंशदान के रूप में 5 प्रतिशत तथा बैंकों से सावधि ऋण के रूप में 55 प्रतिशत है। विगत तीन वर्षों के दौरान कॅयर बोर्ड ने इस योजना के तहत 3331 इकाइयों की स्थापना के लिए 43.62 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

(ii) उत्पादन आधारभूत संरचना योजना जिसमें कॅयर क्षेत्र की निरंतर वृद्धि के लिए नई कॅयर इकाइयों की स्थापना तथा विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान कॅयर बोर्ड ने 130 इकाइयों के लिए 117.51 लाख रु. की वित्तीय सहायता जारी की है।

(iii) पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) जिसमें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से कॅयर सहित पारंपरिक उद्योगों के विकास की परिकल्पना की गई है। स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन हेतु 26 कॅयर क्लस्टरों को लिया गया है। कॅयर बोर्ड ने आरंभ से कार्यान्वयन एजेन्सियों को 14.18 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(iv) महिला कॅयर योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 22487 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जिसमें से 3489 महिलाओं को 75 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ रैट्स वितरित किए गए थे।

विवरण

कॅयर उद्योग (पंजीकरण) नियम, 2008 के तहत 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कॅयर इकाइयां

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	केरल	8693
2.	तमिलनाडु	3490
3.	आन्ध्र प्रदेश	674
4.	ओडिशा	702
5.	कर्नाटक	540
6.	पश्चिम बंगाल	42
7.	पुडुचेरी	30
8.	महाराष्ट्र	21
9.	असम	31
10.	दिल्ली	17
11.	उत्तर प्रदेश	17
12.	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप	16
13.	गोवा	3
14.	गुजरात	1

1	2	3
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
16.	राजस्थान	4
17.	हरियाणा	2
18.	पंजाब	5
19.	मध्य प्रदेश	3
20.	जम्मू और कश्मीर	2
21.	त्रिपुरा	6
	योग	14300

विवाह का पंजीकरण

5845. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी नागरिकों के लिए विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने और इसे सभी राज्यों में लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विवाह पंजीकरण से कुछ राज्यों/धर्मों को छूट प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी छूट प्रदान करने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीमा बनाम अश्वनी कुमार, (ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1158) में तारीख 14-02-2006 के अपने निर्णय द्वारा राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार को निदेश दिया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों के विवाहों को, जो विभिन्न धर्म क्षेत्रों से संबंधित भारत के नागरिक हैं, उनसे संबंधित राज्यों में जहां ऐसे विवाह संपन्न हुए हैं, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री योग्य बनाया जाना चाहिए। तद्नुसार, सभी विवाहों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत बनाने के लिए उनके संबंधित राज्यक्षेत्रों में, जहां विवाह संपन्न हुए हैं, धर्म क्षेत्रों का विचार किए बिना उनके संबंधित राज्यक्षेत्रों में विद्यमान स्थितियों के आधार पर उपयुक्त विधान/नियमों को बनाकर या विद्यमान विधान/नियमों का संशोधन करके तैयार करके आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। अतः, केंद्रीय सरकार द्वारा किसी पृथक् कार्रवाई को आवश्यक विचारित नहीं किया गया है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

5846. श्री वरूण गांधी:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत कम केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) डी.डी.पी. के अंतर्गत बंद की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने खामियों का पता लगाने के लिए इन कार्यक्रमों की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार

द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को उपलब्ध करायी गई राज्य-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. मांग आधारित कार्यक्रम हैं। निधियां 7 (हरियाली-पूर्व) या 5 (हरियाली परियोजनाएं) किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ स्वत: जारी कर दी जाती है। बाद की किस्तें सहायक दस्तावेजों सहित विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं बशर्ते कि कार्यक्रम के अंतर्गत बजटीय प्रावधान उपलब्ध हो। अत: राज्यों के बीच जारी की गई निधियों की तुलना नहीं की जा सकती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत स्वीकृत की गई तथा पूरी की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण डी.डी.पी. के अंतर्गत कुल 441 परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है। ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	बंद कर दी गई परियोजनाओं की सं.
1	2	3
1.	हरियाणा	73
2.	जम्मू और कश्मीर	85
3.	कर्नाटक	259
4.	राजस्थान	24
	योग	441

(च) जी, हां।

(छ) भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड कार्यक्रमों में मुख्य समस्याओं को हल करने तथा इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक कार्यनीतियों तथा तंत्र की सिफारिश करने के लिए वर्ष 2005 में श्री एस. पार्थसारथी की अध्यक्षता में डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. तथा आई.डब्ल्यू.डी.पी. के संबंध में एक तकनीकी समिति का गठन किया था। पार्थसारथी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की। समिति के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) ने वाटरशेड विकास कार्यक्रमों पर बल देने के लिए योजना आयोग के समन्वय से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 तैयार किए। तदनुसार, डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. और आई.डब्ल्यू.डी.पी. को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने हेतु 26-2-2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। आई.डब्ल्यू.एम.पी. की मुख्य विशेषताओं में सामूहिक आधार पर माइक्रो वाटरशेडों को विकसित करने की व्यवस्था; मैदानी क्षेत्रों के लिए 12000 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 15000 रुपये प्रति हैक्टेयर के बढ़े हुए लागत मानदण्ड; किस्तों की कम संख्या; परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्ति राज्यों को प्रत्यायोजित करना; समर्पित संस्थाएं; भागीदारों का क्षमता निर्माण; निगरानी और मूल्यांकन; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बजटीय प्रावधान; परिसम्पत्तिहीन लोगों के लिए जीविका तथा उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं। आई.डब्ल्यू.एम.पी. के नए संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं को देश में वर्षा-सिंचित/अवक्रमित भूमि पर कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार जारी की गई केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रुपये)

राज्य	डी.डी.पी.					डी.पी.ए.पी.				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	35.02	8.68	17.43	0.00	61.13	55.87	37.38	44.27	1.96	139.48
बिहार						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़						24.38	20.76	14.92	0.49	60.55
गुजरात	75.13	113.63	28.63	1.14	218.53	39.33	51.31	18.65	2.89	112.18
हरियाणा	10.26	27.22	25.06	2.43	64.97		0.00	0.00		0.00
हिमाचल प्रदेश	6.45	0.00	13.73	0.00	20.18	8.59	4.04	19.36	1.06	33.05
जम्मू और कश्मीर	2.76	9.45	20.76	1.64	34.61	6.40	3.87	9.61	3.22	23.10
झारखंड						2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
कर्नाटक	49.47	43.79	27.65	0.00	120.91	57.76	54.06	40.39	3.10	154.39
मध्य प्रदेश						56.97	47.56	37.48	1.72	142.87
महाराष्ट्र						64.03	79.79	80.93	3.27	226.17
ओडिशा						25.13	43.29	27.45	1.15	96.38
राजस्थान	216.87	101.39	118.03	22.57	458.86	18.10	18.71	21.93	5.35	63.72
तमिलनाडु						35.49	14.48	16.18	2.91	69.06
उत्तर प्रदेश						39.72	25.11	12.52	0.00	77.35
उत्तराखंड						7.07	4.11	15.01	0.00	26.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिम बंगाल						6.57	0.00	0.00	0.00	6.57
योग	395.96	304.16	251.29	27.78	979.19	448.31	404.47	358.70	27.12	1238.84

टिप्पणी: डी.डी.पी. 7 राज्यों, नामतः आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में कार्यान्वित किया जाता है।

डी.पी.ए.पी. को 16 राज्यों, नामतः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण-II

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत स्वीकृत की गई तथा पूरी की गई परियोजनाओं की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या*

राज्य	डी.डी.पी.					डी.पी.ए.पी.				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	170	190	206	0	566	242	180	623	48	1093
बिहार						0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़						31	103	143	22	299
गुजरात	30	657	765	53	1505	36	113	420	49	618
हरियाणा	42	89	315	0	446					0
हिमाचल प्रदेश	0	0	123	0	123	0	0	195	20	215
जम्मू और कश्मीर	0	0	96	0	96	0	0	29	0	29
झारखंड						0	0	0	0	0
कर्नाटक	65	313	518	0	896	108	446	647	30	1231
मध्य प्रदेश						363	387	639	13	1402
महाराष्ट्र						0	374	1053	46	1473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ओडिशा						0	134	518	49	701
राजस्थान	1016	454	1605	340	3415	9	217	260	52	538
तमिलनाडु						140	21	364	51	576
उत्तर प्रदेश						101	545	363	0	1009
उत्तराखंड						0	12	142	0	154
पश्चिम बंगाल						0	0	0	0	0
योग	1323	1703	3628	393	7047	1030	2532	5396	380	9338

*डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के पश्चात् स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या।

टिप्पणी: डी.डी.पी. 7 राज्यों, नामत: आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में कार्यान्वित किया जाता है।

डी.पी.ए.पी. को 16 राज्यों, नामत: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण व्यक्तियों का पलायन

5847. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री अशोक अर्गल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दशक के दौरान देश में ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण हाल ही में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने अन्य स्थानों की ओर पलायन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह दर्शाया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य स्थानों में पलायन कृषि और इसके सहयोगी क्षेत्रों में रोजगार के घटते हुए अवसरों की वजह से है। रोजगार अवसरों का सृजन करने, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं सृजित करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं अर्थात् शारीरिक श्रम कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम; ग्रामीण निर्धन परिवारों के सदस्यों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; क्षेत्र विकास के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा, ग्रामीण जनता की जीवन-दशा को सुधारने के उद्देश्य से बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और ग्रामीण

आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में लोगों के पलायन को कम करने में मदद करते हैं।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों का अभाव

5848. श्री पी.के. बिजू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जीवन रक्षक औषधियों के अभाव के कारण उन्हें अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को समय-समय पर जीवन रक्षक औषधियों के स्टॉक के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में औषधियों का अनुमानित स्टॉक कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा नई जीवन रक्षक औषधियों के अनुसंधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन औषधियों के अनुसंधान पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित दवाइयों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति एन.पी.पी.ए. द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) को उपभोक्ता के पास नहीं बेच सकता है। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एन.पी.पी.ए./ सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई अनुसूचित दवाई बेच रही है तो ऐसी कंपनी के खिलाफ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के अधीन मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित/ संशोधित किये गए मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2009-10		2010-11		2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मूल्य बढ़े	184	10.08	223	31.28	95	34.80
मूल्य घटे	450	24.67	60	8.42	30	10.99
पहली बार मूल्य निर्धारित किए*	1155	63.33	371	52.03	114	41.76
मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं	35	1.92	59	8.27	34	12.45
कुल	1824*	100	713*	100	273*	100

*इसमें निर्धारित प्रो-रेटा मूल्य भी शामिल हैं।

उपर्युक्त ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक) के दौरान 273 अनुसूचित दवा पैकों के मूल्य एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित/संशोधित किए गए हैं जिनमें से केवल 95 मामलों में मूल्य बढ़े थे जो ऐसे कुल मामलों का 34.80% था जिनके मूल्य इस वर्ष के दौरान निर्धारित/संशोधित किए गए थे। शेष मामलों में मूल्य या तो घटे थे अथवा पहली बार निर्धारित किए गए थे अथवा मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त मासिक क्षेत्रीय रिपोर्टों तथा अन्य उपलब्ध सूचना के आधार पर औषधियों की उपलब्धता की मॉनीटरिंग करता है और उनकी उपलब्धता में कमी, यदि कोई हो, का पता लगाकर उनकी उपलब्धता का सुनिश्चय करने के लिए उपचारी उपाय करता है। जब कभी देश के किसी भाग में किसी औषधि (औषधियों) विशेष की कमी की सूचना मिलती है तो संबंधित कंपनी से कहा जाता है कि वह संबंधित औषधि (औषधियों) का स्टॉक भेजकर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करे। आमतौर पर ब्रांड वाली दवाइयों की कमी की सूचना मिलती है। तथापि अधिकतर मामलों में उनके वैकल्पिक ब्रांड उपलब्ध होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) औषधि तथा भेषज क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1994-95 से योजनागत स्कीम (औषधि और भेषज अनुसंधान कार्यक्रम-डी.पी.आर.पी.) का कार्यान्वयन करता आ रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन पशु चिकित्सा औषधियों सहित आधुनिक तथा भारतीय औषधि पद्धति में 103 उद्योगों-संस्थागत सह-संबंधों का अब तक वित्त-पोषण किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न जीवन रक्षक औषधियों से संबंधित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की सहायता की गई।

विभिन्न अग्रणीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित के संबंध में औषधीय अनुसंधान एवं विकास हेतु 44 अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित की गई हैं - जैव-उपलब्धता, औषधीय सूचना विज्ञान, विनियामक विषिविज्ञान, नाईपर, मोहाली में निरापद औषधिविज्ञान, फार्माकोकिनेटिक तथा मेटाबोलिक अध्ययन, विनियामक औषधिविज्ञान और विषविज्ञान, सी.डी.आर.आई. लखनऊ में मीडियम थ्रोपुट स्क्रीनिग। ट्रांसजेनिक और जेनी नॉकआउट माइस, नैदानिक अनुसंधान सुविधा, स्टेम सेल प्रौद्योगिकियां और री-जेनेरिटिव दवाइयां, सी.सी.एम.बी., हैदराबाद में जैव सुरक्षा स्तर 4 परीक्षणशाला, बायोइक्विवेलेंस, फार्माकोविजलेंस, नवीन रासायनिक एंटिटीज, विकास, भारतीय औषधि पद्धति के लिए पशु सुविधाएं आदि अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में सृजित की गई हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए क्रमशः 192.50 करोड़ रुपए और 145.50 करोड़ रुपए ऋण तथा अनुदान सहायता दी है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमानों के अनुसार 60 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बी.आई.पी.पी.) स्कीम के अधीन औषधियों/वेक्सिनों/जेनेरिक दवाइयों से संबंधित परियोजनाओं की सहायता की जा रही है। यह सरकारी-निजी भागीदारी कार्यक्रम है जिसके तहत उद्योग उत्पाद वैधीकरण से संबंधित नवाचारी, अत्यधिक जोखिम वाले अनुसंधान और विकास, एवं नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं। इसे या तो कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र भागीदारों के सहयोग से किया जाता है। उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लगभग 200 करोड़ के अंशदान का वचन दिया गया है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसने स्ट्रेप्टोकिनेस के विकास पर ध्यान दिया है जो मायोकार्डियल इनफर्क्शन और पलमॉनरी एम्बोलिज्म के ईलाज में प्रयुक्त क्लॉट दूर करने वाली कारगर और सस्ती औषधि है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की परीक्षणशाला ने सिंथेसिस ऑफ रिकॉमबिनेंट स्ट्रेप्टोकिनेस से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास किया है। उद्योग के साथ सहयोग से इसे वर्ष 2009 में बाजार में उतारा गया है। ये उत्पाद भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं। संस्थान ने और विकास के लिए बेहतर, नवीन क्लॉट-स्पेसिफिक थ्रोम्बोलिटिक के लिए उद्योग को लाईसेंस भी दिया है।

औषध विभाग द्वारा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (नाईपर) के माध्यम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वथा उपेक्षित बीमारियों के लिए औषधियों के अनुसंधान पर अब तक 472.17 लाख रुपए की रकम खर्च की है।

महाराजा एक्सप्रेस

5849. श्री संजय भोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "महाराजा एक्सप्रैस क्लासिकल इंडिया" नामक एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बुद्ध-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस रेल सेवा को भुवनेश्वर तक बढ़ाए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। आई.आर.सी.टी.सी. अपनी महाराजा एक्सप्रेस लग्जरी पर्यटन गाड़ियों पर 'क्लासिकल इंडिया इटिनरेरी' चला रही थी।

(ख) और (ग) आई.आर.सी.टी.सी. को ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव से ओडिशा में इसी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस समय क्षेत्र से प्राप्त मांग अपर्याप्त है जिससे इस अनुरोध का औचित्य नहीं बनता। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा बाजार की मांग, यातायात को आकर्षित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए महाराजा एक्सप्रेस पर्यटन गाड़ी के यात्राक्रम में आने वाले गंतव्यों का निर्धारण किया जाता है। अपर्याप्त मांग के दृष्टिगत, आई.आर.सी.टी.सी. ने महाराजा एक्सप्रेस के यात्राक्रम में भुवनेश्वर को शामिल करने की फिलाहल कोई सिफारिश नहीं की है।

चुनाव लड़ने हेतु सहायता

5850. श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद तथा राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने हेतु महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. तथा आदिवासी उम्मीदवारों को कतिपय सुविधाएं/सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में तैयार किये गए प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) संसदीय और राज्य विधान-मंडल के निर्वाचन लड़ने वाली स्त्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और जनजातीय अभ्यर्थियों को कतिपय प्रसुविधाओं/सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर निर्वाचन सुधारों पर व्यापक प्रस्तावों के भाग के रूप में समीक्षा की जा रही है। प्रस्ताव के वित्तीय और अन्य विवक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, मामले में अंतिम विनिश्चय तक पहुंच सकने के पूर्व यह कुछ समय लेगा।

[हिन्दी]

विधवा पेंशन योजना

5851. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विधवाओं हेतु कोई पेंशन योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों की 40-64 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं के

लिए फरवरी, 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उन्हें 200 रु. प्रति मास की केन्द्रीय सहायता दी जाती है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कम से कम बराबर राशि का अंशदान अपने स्वयं के संसाधनों से करें। 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार, आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. के तहत लाभ प्राप्त करने वाली विधवाओं की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवाओं को पहले ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) के अंतर्गत कवर किया गया है। 1 अप्रैल, 2011 से आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। विधवाओं सहित 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को 500 रु. प्रति मास और विधवाओं सहित 60-79 वर्ष के वृद्ध व्यक्तियों को 200 रु. प्रति मास की केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. सहित एन.एस.ए.पी. योजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 4500 करोड़ रु., वर्ष 2009-10 के दौरान 5155 करोड़ रु., वर्ष 2010-11 के दौरान 5162 करोड़ रु. और 2011-12 के दौरान 6158 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की गई थीं।

(घ) आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-3-2011 की स्थिति के अनुसार आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. के अंतर्गत सूचित लाभार्थियों की सं.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,76,314
2.	बिहार	2,70,214
3.	छत्तीसगढ़	99,925
4.	गोवा	एन.आर.
5.	गुजरात	633
6.	हरियाणा	31,202
7.	हिमाचल प्रदेश	7,957
8.	जम्मू और कश्मीर	4,459
9.	झारखंड	1,65,076
10.	कर्नाटक	2,95,476
11.	केरल	34,244
12.	मध्य प्रदेश	2,83,470
13.	महाराष्ट्र	1,64,000
14.	ओडिशा	3,06,923
15.	पंजाब	3,672
16.	राजस्थान	70,060
17.	तमिलनाडु	3,57,014
18.	उत्तर प्रदेश	5,84,781
19.	उत्तराखंड	11,421
20.	पश्चिम बंगाल	3,90,835
21.	अरुणाचल प्रदेश	एन.आर.
22.	असम	एन.आर.
23.	मणिपुर	4,675
24.	मेघालय	5,808
25.	मिजोरम	1,192
26.	नागालैंड	2,551
27.	सिक्किम	326
28.	त्रिपुरा	10,605

1	2	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,007
30.	चंडीगढ़	2,959
31.	दादरा और नगर हवेली	एन.आर.
32.	दमन और दीव	48
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22,525
34.	लक्षद्वीप	एन.आर.
35.	पुडुचेरी	6,018
	कुल	34,25,390

एन.आर. - सूचित नहीं।

बाणसागर परियोजना

5852. श्री रेवती रमण सिंह:
श्री जगदानंद सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाणसागर परियोजना हेतु सिंचाई के लिए अपेक्षित जल के न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों को उक्त परियोजना से कब तक जल मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश (यू.पी.), मध्य प्रदेश (एम.पी.) और बिहार के बीच हुए बाणसागर समझौते में यह परिकल्पना की गई है कि:-

(i) मध्य प्रदेश अपने राज्य में सोन बेसिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बाणसागर बांध के प्रतिप्रवाह में 1.0 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.) और अनुप्रवाह में 2.25 एम.ए.एफ. जल का उपयोग करने के अतिरिक्त बाणसागर बांध के भंडारण से 2.0 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.) जल का उपयोग करेगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश को आबंटित जल 5.25 एम.ए.एफ. है।

(ii) उत्तर प्रदेश सोन नदी से 1.25 एम.ए.एफ. जल का उपयोग करेगा जिसमें कन्हार नदी से 0.25 एम.ए.एफ. जल और बाणसागर बांध के भंडारण से 1.0 एम.ए.एफ. जल के साथ सोन नदी से निकाला गया जल भी शामिल है।

(iii) बिहार को सोन नदी से 7.75 एम.ए.एफ. जल आवंटित किया गया था जिसमें से 1.0 एम.ए.एफ. जल बाणसागर बांध भंडारण से होगा।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में 150132 हेक्टेयहर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश बाणसागर परियोजना की अपनी नहर प्रणाली के माध्यम से 0.78 एम.ए.एफ. जल का उपयोग करेगा। 0.22 एम.ए.एफ. जल का उपयोग मौजूदा सोन लिफ्ट नहर प्रणाली में किया जायेगा। वर्ष 2012-13 तक सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिए बाणसागर परियोजना के तहत नहरों को बनाये जाने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विधि विद्यालय

5853. श्री के. सुधाकरण:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों में विधि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विधि में डिग्री पाठ्यक्रमों की समयावधि को कम करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। ऐसे प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय विधि विद्यालयों की स्थापना करने के लिए, जहां राज्यों के सहयोग से ऐसा कोई विधि विद्यालय विद्यमान नहीं है, देश की आवश्यकताओं का उत्तरदायी रीति से नई चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीयकरण के आयामों की पूर्ति के लिए समर्थ विधि व्यवसायियों को तैयार करने हेतु विधि के क्षेत्र में विद्या की उन्नति और ज्ञान के प्रसार के लिए विधि में शिक्षण और अनुसंधान के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी हां। भारत में विधि के विभिन्न पहलुओं पर उच्च अनुसंधान करने और विभिन्न विधि विद्यालयों और महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों में से शैक्षणिक उत्कर्ष का विकास और संवर्धन करने के लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च विधि अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक स्वशासी केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) और (च) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सूचित किया है कि वर्तमान में, विधि में डिग्री पाठ्यक्रमों की समयावधि को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाराबंकी में रेलगाड़ियों का ठहराव

5854. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का बाराबंकी में ठहराव प्रदान करने हेतु अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में आवश्यक कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। बाराबंकी स्टेशन पर कुछ गाड़ियों को ठहराव देने की व्यवस्था करने के लिए माननीय संसद सदस्यों सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की गई थी और 01-07-2011 से 12226/12225 आजमगढ़-दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस को बाराबंकी स्टेशन पर ठहराव दे दिया गया है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

5855. श्रीमती कैसर जहां: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घाघरा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय बाढ़ के कारण होने वाले जान-माल की हानि के आंकड़ों का रखरखाव नहीं रखती है।

(ग) जल राज्य का विषय है, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी राज्य योजना निधियों से किया जाता है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार बाढ़ प्रवण राज्यों को गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए भी सहायता प्रदान करती है, XIवीं योजना अवधि के दौरान एक राज्य क्षेत्र स्कीम नामत: "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफ.एम.पी.)" के तहत बाढ़ नियंत्रण एवं नदी प्रबंधन कार्यों के लिए सभी बाढ़ से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की

जा रही है। XIवीं योजना के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से घाघरा नदी और इनकी सहायक नदियों नामतः शारदा और राप्ती पर कई बाढ़ नियंत्रण कार्यों को प्रारंभ किया गया है।

इसके अलावा भारत सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने के लिए वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) का गठन किया है। जी.एफ.सी.सी. द्वारा गंगा बेसिन का हिस्सा घाघरा नदी सहित समस्त 23 नदी प्रणालियों के लिए विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार की गई थी तथा कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की गई।

भारत सरकार नेपाल से प्रवाहित नदियों के कारण भारतीय क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और भंडारण बांधों के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर नेपाल से निरंतर चर्चा भी कर रही है।

हिमालय की नदियों के संबंध में भारत-नेपाल समझौता

5856. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और नेपाल सरकार विद्युत उत्पादन और सिंचाई उद्देश्यों हेतु हिमालय की नदियों के जल को चैनलीकृत करने के लिए करनाली, जलकुंडी और भालूबंध परियोजनाओं को शुरू करने पर सहमत हो गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1954 में उनकी मंजूरी से ही परियोजनाओं पर किए गए कार्य की स्थिति क्या है;

(ग) इस तथ्य के बावजूद, कि ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनायी गयी थीं, वांछित कार्य नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु नेपाल सरकार के साथ वार्ता प्रारंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ङ) करनाली, जलकुंडी और भालूभंग परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:-

करनाली बहुउद्देशीय परियोजना (10800 मेगा वाट):

नेपाल सरकार ने करनाली (भारत में घाघरा) नदी पर करनाली बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में वर्ष 1989 में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की तथा भारत सरकार को प्रस्तुत की। तत्पश्चात व्यवहार्यता रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए दो समितियां नामतः करनाली समिति (सीके) तथा करनाली समन्वय समिति (के.सी.सी.) का गठन किया गया था। चर्चा के कई दौरों के बावजूद परियोजना के मुख्य मानदंडों के संबंध में आपसी सहमति नहीं हो सकी। करनाली समन्वय समिति की अंतिम (9वीं) बैठक मार्च, 1992 में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्रालय का यह विचार है कि नेपाल सरकार द्वारा द्विपक्षीय कार्यसूची में इस परियोजना के संबंध में उल्लेख करने की पहल की जाए।

जलकुंडी बांध परियोजना:

नेपाल सरकार के अनुमोदन से जलकुंडी बांध परियोजना का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1955 में प्रारंभ किया गया था। परियोजना की सर्वेक्षण चरण से आगे प्रगति नहीं हुई क्योंकि इसका लागत लाभ अनुपात अनुकूल नहीं था।

पश्चिमी राप्ती (भालूभंग) बहुउद्देशीय परियोजना:

दिसंबर, 1977 में भारत के प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे के पश्चात दोनों पक्षों ने पश्चिमी राप्ती नदी (भारत में राप्ती) नेपाल में टी भालूभंग पर एक बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया था। तथापि, परामर्शदाताओं के लिए विचारार्थ विषयों के संबंध में समझौता नहीं हो सका। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के सितंबर, 2008 में भारत के दौरे के दौरान दोनों सरकारें नौमूर में पस्चिमी राप्ती नदी पर भालूभंग के लगभग 12 कि.मी. प्रतिप्रवाह

पर एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने के लिए सहमत हो गयी थीं। केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना का व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन किया है जिसकी नेपाल सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

एल.पी.जी. और किरोसीन की कालाबाजारी

5857. श्री कीर्ति आजाद: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एल.पी.जी. और किरोसीन तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए पूर्णतया त्रुटि रहित प्रणाली प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में प्रति एल.पी.जी. सिलेंडर तथा प्रति लीटर किरोसीन तेल पर क्रमश: प्रदान की जा रही राजसहायता की राशि क्या है;

(घ) एल.पी.जी. तथा किरोसीन तेल के खुदरा वितरण पर प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही राजसहायता कितनी है; और

(ङ) राजसहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) घरेलू प्रयोग के लिए एल.पी.जी. के खुदरा बिक्री मूल्य और वाणिज्यिक एल.पी.जी. के बाजार मूल्य तथा पेट्रोल/डीजल/मिट्टी तेल और गैर पी.डी.एस. उपयोग के लिए मिट्टी तेल के मूल्य में भारी अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडरों और पी.डी.एस. मिट्टी तेल की कालाबाजारी/विपथन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रणाली में छिद्रों से बचने के लिए, सरकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रचालित आधार प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए राजसहायताओं के नकद अंतरण के लिए रीतियां तय कर रही है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (वी.टी.एस.) आधारित वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी.पी.एस.) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) मिट्टी तेल की ढुलाई कर रहे टैंकरों पर लगाने का अनुरोध किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने एक पब्लिक पोर्टल भी प्रारम्भ किया है जिसमें आम जनता के लिए पी.डी.एस. एस.के.ओ. के संबंध में प्रेषण समय, मात्रा और वाहन के ब्यौरे जैसी सूचना उपलब्ध होगी।

(ग) और (घ) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को "पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. राजसहायता योजना 2002" के तहत राजकोषीय बजट से पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर 0.82 रुपया प्रति लीटर तथा घरेलू एल.पी.जी,. सिलिंडर पर 22.58 रुपए प्रति सिलिंडर की राजसहायता दे रही है। सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान उपरोक्त योजना के तहत ओ.एम.सीज को 2904 करोड़ रुपए की राजसहायता का भुगतान किया है।

उपरोक्त राजकोषीय राजसहायता के अलावा, ओ.एम.सीज को वर्ष 2010-11 के दौरान पेट्रोल (25-06-2010 तक), डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री पर 78,910 करोड़ रुपए की अल्प-वसूलियां हुई हैं। अपनाई जा रही भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत, वर्ष 2010-11 के दौरान इन अल्प-वसूलियों को सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा निम्नानुसार आपस में बांटा जाता है।

(करोड़ रुपए)

संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल अल्प वसूली*	78,190
निम्नलिखित द्वारा भार हिस्सेदारी:	
सरकार से नगद सहायता	14,000
अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा रियायत	30,297
ओ.एम.सीज द्वारा वहन की गई अल्प-वसूलियां	6,893

*पेट्रोल पर अल्प-वसूली 25-06-2010 तक ही शामिल की गई है।

(ङ) घरेलू एल.पी.जी. सिलिण्डरों की कालाबाजारी/

विपथन रोकने के लिए सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" अधिनियमित किया है और "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एम.डी.जी.), 2001" बनाए हैं जिनमें एल.पी.जी. की कालाबाजारी/विपथन में लिप्त एल.पी.जी. वितरकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है।

एम.डी.जी. में अन्य बातों के साथ-साथ वितरक के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई का प्रावधान है:

- प्रथम अपराध के लिए 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एल.पी.जी. का मूल्य।
- दूसरे अपराध के लिए 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एल.पी.जी. का मूल्य।
- तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

ओ.एम.सीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा राज्य सरकारों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एल.पी.जी. (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत घरेलू एल.पी.जी. की कालाबाजारी/विपथन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने का संबंध है, केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (इस्तेमाल पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1993 में प्रावधान किए हैं, जिनके अनुसार डीलरों को पी.डी.एस. मिट्टी तेल की बिक्री सरकार अथवा ओ.एम.सीज द्वारा निर्धारित मूल्य पर करनी होगी और पी.डी.एस. मिट्टी तेल डीलरों को सुस्पष्ट स्थान पर भंडार के स्थान सहित कारोबार के स्थान पर स्टॉक-सह-मूल्य बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इस नियंत्रण आदेश के तहत राज्य सरकारों को कालाबाजारी और अन्य अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के अपमिश्रण, विपथन आदि जैसी विभिन्न अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने कई शुरुआतें. नामत: खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तीसरा पक्षकार अधिप्रमाणन, वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी.पी.एस.) द्वारा टैंक ट्रकों के संचलन पर निगरानी आदि की हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण भी करती हैं और अपमिश्रण तथा कदाचारों में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) और डीलरशिप करारों के तहत कार्रवाई भी करती हैं। एम.डी.जी. में अपमिश्रण, सीलों के साथ छेड़-छाड़ और वितरण इकाइयों में अनधिकृत जुड़नारों/गियरों जैसे गंभीर कदाचारों के लिए पहली बार में ही डीलरशिप को समाप्त करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

गांधीनगर के लिए नयी रेलगाड़ियां

5858. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर के लिए बहुत कम रेलगाड़ियां हैं तथा इन रेलगाड़ियों की बारंबारता भी बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो गांधीनगर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाली रेलों की संख्या क्या है तथा तत्संबंधी बारंबारता क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार गुजरात की राजधानी के लिए और रेलगाड़ियां चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव पर अब तक रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस समय, गांधीनगर राजधानी 4 जोड़ी गाड़ियों से सेवित की जा रही है। इनमें शामिल है:

(i) 19105/19106 अहमदाबाद-हरिद्वार मेल (दैनिक)

(ii) 12215/12216 बांद्रा (ट)-जयपुर-दिल्ली सराय

रोहिल्ला एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन)

(iii) 69131/69132 वडोदरा-अहमदाबाद-गांधीनगर मेमू (दैनिक)

(iv) 19309/19310 इंदौर-गांधीनगर एक्सप्रेस (दैनिक)

अहमदाबाद जो गांधीनगर से 34 किमी. की दूरी पर स्थित है, देश के सभी भागों को जाने वाली 48 आरंभिक और 51 थ्रू गाड़ियों के जरिए गांधीनगर को समुचित रूप से सेवित करती हैं।

फिलहाल, गांधीनगर तक और अधिक गाड़ियों का विस्तार अथवा गांधीनगर होकर अतिरिक्त गाड़ियों का अंतरण या गांधीनगर के लिए गाड़ियों की शुरुआत करने को परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ग) से (ङ) गाड़ियों को राज्यवार नहीं बल्कि यातायात की मांग, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शुरू किया जाता है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का मूल्य

5859. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य क्या रहा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य कितना है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य कम होने के मद्देनजर सरकार का पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य को कम करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकारी नियंत्रण हटाने के बाद से तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सी.) पेट्रोल पर भारी लाभ अर्जित कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो पेट्रोल पर ओ.एम.सी. द्वारा वर्तमान में अर्जित किए गए लाभ का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट का औसत वार्षिक मूल्य निम्नवत् है:

(अमरीकी डॉलर प्रति बैरल)

वर्ष	कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट का औसत वार्षिक मूल्य
2008-09	83.57
2009-10	69.76
2010-11	85.09
2011-12 (31-8-2011 तक)	111.62

(ख) 1-4-2008 से 1-7-2011 तक (दिल्ली में) पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी.) के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) डॉ. किरीट एस. पारिख की अध्यक्षता में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य और वहनीय प्रणाली पर सलाह देने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों के आलोक में, 26-6-2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया गया है। इसके बाद से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

तथापि, सरकार लगातार डीजल के आर.एस.पी. को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा रही है और इसका वर्तमान मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से कम है। परिणामत:, 01-09-2011 की स्थिति के अनुसार रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के आधार पर, वर्तमान में ओ.एम.सीज को डीजल की बिक्री पर 4.57 रुपए की अल्प-वसूली झेलनी पड़ रही है।

(ङ) और (च) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

01 अप्रैल, 2008 से दिल्ली में पेट्रोल की आर.एस.पी. में संशोधन

संशोधन की तारीख	पेट्रोल (रु. प्रति लीटर)	कारण
01-04-2008	45.52	1-4-2008 को आर.एस.पी.
24-05-2008	45.56	डीलर कमीशन में वृद्धि
05-06-2008	50.56	मूल्य में वृद्धि
18-07-2008	50.62	रेल साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
06-12-2008	45.62	मूल्य में कटौती
29-01-2009	40.62	मूल्य में कटौती
02-07-2009	44.63	मूल्य में वृद्धि
27-10-2009	44.72	डीलर कमीशन में वृद्धि
27-02-2010	47.43	सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क में परिवर्तन
01-04-2010	47.93	यूरो IV ईंधनों की शुरुआत
26-06-2010	51.43	मूल्यों में वृद्धि
01-07-2010	51.45	रेल साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
08-09-2010	51.56	डीलर कमीशन में वृद्धि
21-09-2010	51.83	मूल्यों में वृद्धि
17-10-2010	52.55	मूल्यों में वृद्धि
02-11-2010	52.59	रेल साइडिंग/शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
09-11-2010	52.91	मूल्यों में वृद्धि
16-12-2010	55.87	मूल्यों में वृद्धि
15-01-2011	58.37	मूल्यों में वृद्धि
15-05-2011	63.37	मूल्यों में वृद्धि
01-07-2011	63.70	डीलर कमीशन में वृद्धि

नोट-26-06-2010 से और उससे आगे पेट्रोल का मूल्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार हैं।

[अनुवाद]

नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की समीक्षा

5860. डॉ. के.एस. राव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय नदियों के जल की उपयोगिता के लिए नया अधिनियम लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) ने 1980 में जल संसा्धन विकास संबंधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) तैयार की थी जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अन्तर-बेसिन अंतरण की परिकल्पना की गई है जिसमें दो घटक अर्थात् हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत परिकल्पित नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने और इसे अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से तरह-तरह के तकनीकी अध्ययन कराने की दृष्टि से 1982 में जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) का गठन किया था।

विभिन्न प्रकार के कराए गए अध्ययनों के आधार पर, एन.डब्ल्यू.डी.ए. ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफ.आर.एस.) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पांच सम्पर्कों नामत: (i) केन-बेतवा (ii) पार्वती-कालीसिंध-चंबल (iii) दमनगंगा-पिंजाल, (iv) पार-तापी-नर्मदा एवं (v) गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) की विस्तृत रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करना प्रारंभ करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच मतैक्य स्थापित करने के वास्ते प्राथमिकता संपर्कों के रूप में अभिज्ञात किया गया था। एक प्राथमिकता संपर्क नामत: केन-बेतवा (चरण-1) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त एन.डब्ल्यू.डी.ए. ने संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात दो और प्राथमिकता वाले संपर्कों नामत: पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रारंभ कर दी हैं जिन्हें दिसम्बर, 2011 तक पूरी कर लिए जाने की योजना है। अन्य प्राथमिकता वाले संपर्क नामत: गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क आन्ध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का हिस्सा हैं। योजना आयोग ने पोलावरम परियोजना को निवेश स्वीकृति दे दी है तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनके प्रस्तावों के अनुसार संपर्क घटक सहित उपर्युक्त परियोजना प्रारंभ कर दी है। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिज्ञात संपर्कों की वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है।

एन.पी.पी. के अंतर्गत अंतर-बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों पर एन.डब्ल्यू.डी.ए. के शासी निकाय (जी.बी.) और सोसाइटी में राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से चर्चा की जाती है। अभी तक शासी निकाय की 56 और सोसाइटी की 26 बैठकें आयोजित की गई हैं। जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी 12-4-2008 को आयोजित की गई इसकी बैठक में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विषय की जांच की थी।

सरकार ने अधिक जल में हिस्सेदारी के संबंध में सहमति बनाने और एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिये अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक सहमति समूह भी गठित किया है जिसमें सिंचाई (जल संसाधन विभागों के सचिव शामिल हैं। अभी तक सहमति समूह की दस बैठकें आयोजित की गई हैं। महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार संपर्क प्रणाली के तहत आठ और संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें शुरू करने के लिये संबंधित राज्यों के साथ सहमति बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

एन.डब्ल्यू.डी.ए. के क्रियाकलापों की समीक्षा योजना

दर योजना आधार पर की जाती है। सरकार ने XIवीं योजना के लिये एन.डब्ल्यू.डी.ए. के परिव्यय को अंतिम रूप देते हुए इसके क्रियाकलापों की समीक्षा की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एन.पी.पी. के अंतर्गत अभिज्ञात जल अंतरण संपर्क एवं उनकी स्थिति

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1.	महानदी (मणिभद्रा) - गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
2.	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क*	राज्य द्वारा उनके स्वयं के प्रस्ताव के अनुसार शुरू की गई
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
5.	कृष्णा (नागार्जुन सागर) - पेन्नार (सोमासिला) संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
6.	कृष्णा (श्री सैलम) - पेन्नार संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
7.	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
8.	पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट) संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
9.	कावेरी (कट्टालाई) - बैगई - गुन्डार संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
10.	पार्वती-कालीसिंध - चंबल संपर्क*	एफ.आर. पूरी की गई
11.	दमनगंगा-पिंजाल संपर्क*	एफ.आर. पूरी की गई एवं डी.पी.आर. शुरू की गई
12.	पार-तापी - नर्मदा संपर्क*	एफ.आर. पूरी की गई डी.पी.आर. शुरू की गई
13.	केन-बेतवा संपर्क*	चरण-I की डी.पी.आर. पूरी की गई
14.	पंबा-अचनकोविल-वैप्पार संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई
15.	नेत्रावती-हेमावती संपर्क	पी.एफ.आर. पूरी की गई
16.	बेदती-वर्दा संपर्क	एफ.आर. प्रारंभ की गई

हिमालयी नदी विकास घटक

1.	कोसी-मेची संपर्क	पूरी तरह से नेपाल में स्थित
2.	कोसी-घाघरा संपर्क	एस. एवं आई. कार्य शुरू किये गए
3.	गंडक-गंगा संपर्क	एस. एवं आई. कार्य शुरू किये गए

4.	घाघरा-यमुना संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
5.	शारदा-यमुना संपर्क	एफ.आर. पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
6.	युमना-राजस्थान संपर्क	एस. एवं आई. कार्य पूरे किये गए
7.	राजस्थान-साबरमती संपर्क	एस. एवं आई. कार्य पूरे किये गए
8.	चुनार सोन बैराज संपर्क	एस. एवं आई. कार्य पूरे किये गए
9.	सोन बांध - गंगा संपर्क की दक्षिणी वितरिकाएं	एस. एवं आई. कार्य प्रारंभ किये गए
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) संपर्क	एस. एवं आई. कार्य प्रारंभ किये गए
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का (एम-एस-टी-जी प्रत्यावर्ती) संपर्क	एस. एवं आई. कार्य प्रारंभ किये गए
12.	फरक्का-सुन्दरबन संपर्क	एस. एवं आई. कार्य पूरे किये गए
13.	गंगा-दामोदर-सुवर्ण रेखा संपर्क	एस. एवं आई. कार्य पूरे किये गए
14.	सुवर्ण रेखा-महानदी संपर्क	एस. एवं आई. कार्य पूरे किये गए

*प्राथमिकता संपर्क

पी.एफ.आर.-व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट; एफ.आर.-व्यवहार्यता रिपोर्ट; डी.पी.आर.-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;
एस एवं आई-भारतीय भाग में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सर्वेक्षण

5861. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजंता-एलोरा खंड सहित महाराष्ट्र में जिन रेल परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं उनकी वर्तमान स्थिति एवं ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) महाराष्ट्र में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 16 नई लाइनों के निर्माण, 3 आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के 2 प्रस्तावों के लिए तकनीकी/आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अजन्ता-एलोरा नई लाइन हेतु सर्वेक्षण स्वीकृत नहीं है।

(ख) 7 नई लाइन, 1 आमान परिवर्तन और 1 दोहरीकरण सर्वेक्षणों को 2011-12 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत भुगतान

5862. श्रीमती अन्नू टंडन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग सेवाओं एवं विशिष्ट पहचान कार्ड के माध्यम से पारिश्रमिक भुगतान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने मजदूरी का बैंक शाखाओं एवं डाकघरों में सीधे अंतरण को लागू करना प्रारंभ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने तथा महात्मा गांधी नरेगा के अतंर्गत मजदूरी भुगतान

में विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंकों अथवा डाक घरों में वैयक्तिक या संयुक्त खातों के माध्यम से किये जाने को एक संविधिक अपेक्षा बनाया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुगमता से करने हेतु बिजनेस कोरेसपोन्डेन्ट, ग्रामीण ए.टी.एम., हस्तचालित उपकरणों स्मार्ट कार्ड, बॉयोमीटरिक्स, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसे सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी आधारित मॉडल अपनाए जाएं। महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी वितरण के संस्थागत रूप को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारें बिजनेस कोरेसपोन्डेन्ट मॉडल अपनाएंगी, जिसके तहत मजदूरी का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाएगा तथा इसके लिए रूचि की अभिव्यक्ति/योग्यता हेतु अनुरोध आमंत्रित करके बैंकों से स्पर्धात्मक बोली आधार पर ग्राम स्तर पर बॉयोमीटरिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत, यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान किया जाए। राज्यों ने महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मजदूरी का भुगतान सीधे बैंकों या डाकघरों में उनके वैयक्तिक या संयुक्त खातों में करना शुरू कर दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2010-11 के दौरान, महात्मा गांधी नरेगा कामगारों के बैंकों/डाकघरों में 88025344 वैयक्तिक खातों तथा 10800731 संयुक्त खातों के माध्यम से कुल 20,292.66 करोड़ रु. की राशि मजदूरी के रूप में संवितरित की गई थी।

राजस्थान से तमिलनाडु तक रेलगाड़ियां

5863. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और तमिलनाडु अथवा चेन्नई के बीच चल रही रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मार्ग पर कम रेलगाड़ियों के संबंध में जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) गाड़ियां राज्य-वार आधार पर नहीं चलाई जाती हैं। रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों यथा स्टेशन स्तर, मंडल स्तर, जोन स्तर और मंत्रालय स्तर पर गाड़ियां चलाने के लिए मांगें प्राप्त होती हैं। इन सभी मांगों का संकलन तैयार नहीं किया जाता है। इन मांगों की जांच की जाती है और परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जाती है।

एम.एस.एम.ई. में निवेश

5864. श्री एस. सेम्मलई:
श्री राम सिंह राठवा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में किए गए निवेश का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों तथा इस क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश वार सूचना का आकलन समय-समय पर इस क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय गणनाओं के आयोजन के द्वारा किया जाता है। एम.एस.एम.ई. की नवीनतम अखिल भारतीय गणना (चौथी अखिल भारतीय गणना) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ की गई। एम.एस.एम.ई. की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07 के अनुसार, देश में पंजीकृत एम.एस.एम.ई. और किए गए निवेश का राज्य तथा संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) एम.एस.एम.ई. की चौथी अखिल भारतीय

गणना, 2006-07 के अनुसार, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों और उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के आकलन का राज्य और संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पंजीकृत चालू उद्यमों और निवेश का राज्य-वार वितरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का कोड	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उद्यमों की संख्या	संयंत्र एवं मशीनरी का वास्तविक मूल्य	फिक्स निवेश का बाजार मूल्य
1	2	3	4	5
01	जम्मू और कश्मीर	14993	557.65	7364.92
02	हिमाचल प्रदेश	11931	741.7	3085.72
03	पंजाब	48110	3825.13	22864.79
04	चंडीगढ़	996	61.86	424.92
05	उत्तराखंड	23765	801.97	3436.46
06	हरियाणा	33150	3179.08	18970.53
07	दिल्ली	3754	360.87	2464.25
08	राजस्थान	54885	3832.87	16158.73
09	उत्तर प्रदेश	187742	4829.37	33666.01
10	बिहार	50036	491.84	3674.46
11	सिक्किम	122	10.83	27.82
12	अरुणाचल प्रदेश	417	31.22	543.78
13	नागालैंड	1332	111.23	718.33
14	मणिपुर	4492	41.73	96.76
15	मिजोरम	3715	91.57	296.95
16	त्रिपुरा	1343	94.24	326.57
17	मेघालय	3010	63.55	134.54
18	असम	19864	1070.39	5867.4
19	पश्चिम बंगाल	43259	2470.04	11379.38
20	झारखंड	18190	674.19	3546.65

1	2	3	4	5
21	ओडिशा	19606	1041.89	5361.55
22	छत्तीसगढ़	22768	579.64	2193.57
23	मध्य प्रदेश	106997	1697.28	6834.2
24	गुजरात	229830	42099.26	151868.8
25	दमन और दीव	594	326.81	1863.6
26	दादरा और नगर हवेली	1716	46.97	178.96
27	महाराष्ट्र	86586	12384.89	54365.37
28	आन्ध्र प्रदेश	45692	3641.84	11752.16
29	कर्नाटक	136186	4608.04	14818.73
30	गोवा	2621	404.42	3250.39
31	लक्षद्वीप	2	0	0
32	केरल	150188	3408.9	17217.1
33	तमिलनाडु	233881	11112.59	43296.16
34	पुडुचेरी	1451	310.57	1051.48
35	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	750	20.18	37.33
	अखिल भारतीय	1563974	105024.61	449138.40

विवरण-II

पंजीकृत उद्यमों में रोजगार और उत्पादित वस्तुओं का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोड	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	रोजगार	सकल उत्पादन
1	2	3	4
01	जम्मू और कश्मीर	90158	14516.78
02	हिमाचल प्रदेश	65148	11786.29
03	पंजाब	415838	62099.27
04	चंडीगढ़	11705	1684.45

1	2	3	4
05	उत्तराखंड	79941	13370.36
06	हरियाणा	381774	43762.97
07	दिल्ली	58123	19471.1
08	राजस्थान	341690	39402.23
09	उत्तर प्रदेश	754908	74065.17
10	बिहार	147775	4661.53
11	सिक्किम	1159	51.37
12	अरुणाचल प्रदेश	5411	237.21
13	नागालैंड	16281	1396.04
14	मणिपुर	19960	199.8
15	मिजोरम	26032	309.9
16	त्रिपुरा	23166	608.3
17	मेघालय	12701	447.31
18	असम	210507	9389.2
19	पश्चिम बंगाल	360255	26906.61
20	झारखंड	75134	4170.1
21	ओडिशा	173088	14746.08
22	छत्तीसगढ़	75094	6182.27
23	मध्य प्रदेश	298047	26191.6
24	गुजरात	1244981	38438.44
25	दमन और दीव	25518	7712.89
26	दादरा और नगर हवेली	26476	2077.14
27	महाराष्ट्र	1088790	110705.1
28	आन्ध्र प्रदेश	382977	30102.26
29	कर्नाटक	789359	41060.27

1	2	3	4
30	गोवा	33330	6627.57
31	लक्षद्वीप	2	0
32	केरल	621423	24122.65
33	तमिलनाडु	1426056	65281.95
34	पुडुचेरी	21086	5614.33
35	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5593	111.75
	अखिल भारतीय	9309486	707510.27

सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना

5865. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचित भूमि में वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक भूमि का सिंचाई के दायरे में शीघ्र शामिल करने के लिए कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचित भूमि का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार स्कीमों को जल्दी पूरा करने के लिए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.", "कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.)" और "जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आर.आर.आर.)" के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र और सकल सिंचित क्षेत्र (अनंतिम)

(हजार हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/वर्ष	निवल सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
2006-07	4453	6070
2007-08	4644	6285
2008-09	4820	6741
अरुणाचल प्रदेश		
2006-07	52	52
2007-08	64	64
2008-09	56	56

1	2	3
असम		
2006-07	140*	142
2007-08	140	142
2008-09	140	150
बिहार		
2006-07	3462	4646
2007-08	3529	4725
2008-09	3529	4752
छत्तीसगढ़		
2006-07	1282	1486
2007-08	1334	1522
2008-09	1339	1537
गोवा		
2006-07	24	38
2007-08	35	35
2008-09	35	36
गुजरात		
2006-07	4238	5279
2007-08	4238	5535
2008-09	4238	5278
हरियाणा		
2006-07	2990	6461
2007-08	3025	5553
2008-09	2877	5528
हिमाचल प्रदेश		
2006-07	104	187
2007-08	104	191
2008-09	104	184
जम्मू और कश्मीर		
2006-07	309	459
2007-08	308	463
2008-09	314	471
झारखंड		
2006-07	150*	242*
2007-08	117	157
2008-09	110	164
कर्नाटक		
2006-07	2946	3603
2007-08	3132	3789
2008-09	3238	3942
केरल		
2006-07	392	490
2007-08	388	455
2008-09	390	458
मध्य प्रदेश		
2006-07	6365	6543
2007-08	6418	6567
2008-09	6506	6714
महाराष्ट्र		
2006-07	3182	4301
2007-08	3181	4433
2008-09	3173	4202

1	2	3
मणिपुर		
2006-07	51	51
2007-08	51	51
2008-09	52	52
मेघालय		
2006-07	67	72
2007-08	58	73
2008-09	62	73
मिजोरम		
2006-07	11	11
2007-08	9	10
2008-09	11	11
नागालैंड		
2006-07	65	106
2007-08	76	116
2008-09	77	82
ओडिशा		
2006-07	2051	3205
2007-08	2158	3308
2008-09	2192	3177
पंजाब		
2006-07	4072	7666
2007-08	4112	7689
2008-09	4079	7724
राजस्थान		
2006-07	6496	7958
2007-08	6444	8088
2008-09	6245	7910
सिक्किम		
2006-07	9	12
2007-08	9	10
2008-09	9	11
तमिलनाडु		
2006-07	2889	3309
2007-08	2864	3252
2008-09	2931	3393
त्रिपुरा		
2006-07	61	107
2007-08	61	103
2008-09	61	104
उत्तराखंड		
2006-07	345	554
2007-08	341	554
2008-09	340	570
उत्तर प्रदेश		
2006-07	13313	19218
2007-08	13085	19142
2008-09	13085	19522
पश्चिम बंगाल		
2006-07	3136*	5429*
2007-08	3136*	5548*
2008-09	3135*	5509*

1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
2006-07		
2007-08	0	0
2008-09	0	0
चंडीगढ़		
2006-07	1	1
2007-08	1	1
2008-09	1	1
दादरा और नगर हवेली		
2006-07	7	7
2007-08	7	7
2008-09	7	7
दमन और द्वीव		
2006-07		
2007-08		
2008-09		
दिल्ली		
2006-07	22	31
2007-08	22	32
2008-09	24	31
लक्षद्वीप		
2006-07	1	1
2007-08	1	1
2008-09	1	1
पुडुचेरी		
2006-07	18	28
2007-08	17	27
2008-09	16	27
संपूर्ण भारत		
2006-07	62702	86765
2007-08	63099	87920
2008-09	63196	88419

टिप्पण: "*"अनुमानित

'0' 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र से संबंधित है।

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

सौर ऊर्जा से संचालित चरखा

5866. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने सौर ऊर्जा से संचालित चरखे एवं करघे का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में इन सौर ऊर्जा संचालित चरखों को लगाया गया है;

(घ) क्या इन सौर ऊर्जा संचालित चरखों के इस्तेमाल से बुनकरों को हुए लाभ का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने गांधी ग्रामोद्योग ऊर्जा विकास संस्था, अमरावती के सहयोग से सौर ऊर्जा संचालित तंत्र विकसित

किया है जिसे आठ से दस स्पिंडल चरखों में इस्तेमाल किया जा सकता है। के.वी.आई.सी. ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एम.जी.आई.आर.आई.), वर्धा के सहयोग से रायबरेली, राजकोट, मुर्शिदाबाद, कराईकुडी, बस्सी और दीमापुर में क्लस्टर स्तर पर सौर ऊर्जा प्राप्त आठ स्पिंडल चरखों का फील्ड परीक्षण किया।

(घ) जी, हां।

(ङ) एम.जी.आई.आर.आई. ने सूचित किया है कि परीक्षण के लिए चुने गए कताईकारों की आय सौर चरखों के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप बढ़ी है और एक कताईकार 100 रुपये प्रतिदिन से अधिक कमा सकता है।

छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन

5867. श्री अम्बिका बनर्जी:

श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की गयी, जारी की गयी तथा उपयोग की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं हासिल की गयी उपलब्धियां राज्य-वार क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित हुए विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) देश में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि, जारी धनराशि और उपयोग में लायी गयी धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में हैं। वर्ष 2010-11 से पहले राज्य-वार वित्तीय आवंटन दर्शाये जाने की कोई प्रणाली नहीं थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य, हासिल की गई उपलब्धियां तथा इन योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III और IV में हैं।

विवरण-I

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11			2011-12		
		जारी	उपयोग में लायी गयी*	जारी	उपयोग में लायी गयी*	वित्तीय आवंटन	जारी+	उपयोग में लायी गयी*	वित्तीय आवंटन	जारी	उपयोग लायी गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.37	5.37	13.90	13.90	16.29	42.85	39.79	25.62	11.89	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	1.39		
3.	असम	0.00	0.00	16.83	0.00	18.43	8.37	0.00	35.55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	10.71	10.71	9.22	9.22	27.39	34.12	34.12	43.08	21.54	
5.	छत्तीसगढ़	0.24	0.24	1.07	1.07	1.86	1.31	1.31	2.93		
6.	गोवा	0.02	0.02	0.04	0.04	0.92	0.04	0.00	1.45		
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	15.44		
8.	हरियाणा	0.51	0.51	1.58	1.58	4.83	2.41	2.03	7.60		
9.	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.18	0.09	0.09	0.57	0.19	0.00	0.89		
10.	जम्मू और कश्मीर	1.02	1.02	7.44	7.44	14.15	12.93	0.00	22.25		
11.	झारखंड	2.71	2.71	2.10	2.10	9.75	4.13	3.79	15.34	4.13	
12.	कर्नाटक	1.89	1.89	13.93	13.93	15.63	33.16	33.16	24.58	12.29	
13.	केरल	3.50	3.50	12.24	12.24	27.59	42.69	42.69	43.40	21.7	
14.	मध्य प्रदेश	2.44	2.44	2.18	2.18	8.68	6.89	6.17	13.65	6.14	
15.	महाराष्ट्र	4.51	4.51	15.78	15.78	34.49	40.98	33.00	54.26	22.02	
16.	मणिपुर	0.46	0.46	3.10	3.10	1.85	0.00	0.00	3.57	1.19	
17.	मेघालय	0.71	0.71	1.26	1.26	3.43	1.63	0.00	6.61		
18.	मिजोरम	0.44	0.44	1.58	1.58	1.72	2.25	0.00	3.31		
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.51	0.00	7.01		
20.	ओडिशा	0.28	0.28	1.34	1.34	3.36	1.39	1.39	5.29	1.39	
21.	पंजाब	3.79	3.79	15.10	15.10	30.27	25.66	0.00	47.61		
22.	राजस्थान	1.83	1.83	4.72	4.72	11.29	10.85	0.00	17.76		
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.09	0.09	0.40	0.40	0.40	0.77	0.39	
24.	तमिलनाडु	2.33	2.33	7.82	7.82	14.41	28.17	20.90	22.66	8.41	
25.	त्रिपुरा	0.07	0.07	0.08	0.08	0.91	0.12	0.00	1.75		
26.	उत्तर प्रदेश	12.98	12.98	48.63	48.63	63.32	65.27	60.63	99.60	46.46	
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.07	0.07	2.50	0.23	0.23	3.93	0.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	पश्चिम बंगाल	5.36	5.36	19.72	19.72	41.76	76.53	76.53	65.68	32.84	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.04	0.01	0.01	0.22	0.01	0.00	0.52		
30.	चंडीगढ़	0.04	0.04	0.17	0.17	0.38	0.00	0.00	0.92		
31.	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.12		
32.	दमन और दीव	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.03	0.00	0.11		
33.	दिल्ली	0.71	0.71	2.77	2.77	4.64	3.03	2.38	4.75		
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.31		
35.	पुडुचेरी	0.05	0.05	0.01	0.01	0.25	0.03	0.00	0.26		
	योग	62.21	62.21	202.94	186.12	375.68	446.25	358.56	600.0	190.62	0.00

*धनराशि को उपयोग में लाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। व्यय को उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है।

+जारी की गई धनराशि में वर्ष 2009-10 के स्पिल ओवर मामलों के लिए उन्हीं राज्यों के संबंध में जारी धनराशि शामिल है।

विवरण-II

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11			2011-12		
		जारी	उपयोग में लायी गयी*	जारी	उपयोग में लायी गयी*	वित्तीय आवंटन	जारी+	उपयोग में लायी गयी*	वित्तीय आवंटन	जारी	उपयोग लायी गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.23	6.23	19.96	19.96	10.00	35.24	33.98	19.12	9.22	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00		1.04		
3.	असम	4.87	4.87	8.32	8.32	11.32	5.60	2.97	26.71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	10.86	10.86	3.80	3.80	16.83	15.96	9.85	32.15	10.25	
5.	छत्तीसगढ़	0.24	0.24	0.60	0.60	1.14	1.03		2.18		
6.	गोवा	0.13	0.13	0.00		0.57	0.21		1.08		
7.	गुजरात	1.97	1.97	2.88	2.88	6.03	4.47	4.45	11.53	5.71	
8.	हरियाणा	0.93	0.93	0.68	0.68	2.97	1.48	0.94	5.67	1.48	
9.	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.08	0.17	0.17	0.34	0.21		0.66		
10.	जम्मू और कश्मीर	0.98	0.98	3.67	3.67	8.69	5.24		16.61		
11.	झारखंड	2.86	2.86	3.67	3.67	5.99	6.15	6.07	11.45	5.65	
12.	कर्नाटक	0.46	0.46	8.82	8.82	9.60	12.35	12.35	18.35		
13.	केरल	2.43	2.43	11.21	11.21	16.96	9.98	9.98	32.39	12.14	
14.	मध्य प्रदेश	1.85	1.85	1.10	1.10	5.33	3.31	3.31	10.19	5.01	
15.	महाराष्ट्र	4.03	4.03	8.17	8.17	21.17	20.09	18.81	40.58		
16.	मणिपुर	0.75	0.75	2.85	2.85	1.14			2.67		
17.	मेघालय	0.03	0.03	0.04	0.04	2.11	0.19		4.96		
18.	मिजोरम	0.87	0.87	2.54	2.54	1.05	2.81	2.81	2.48	1.24	
19.	नागालैंड	0.01	0.01	0.02	0.02	2.24	0.05		5.26		
20.	ओडिशा	0.35	0.35	0.46	0.46	2.07	1.03		3.95		
21.	पंजाब	1.26	1.26	10.73	10.73	18.55	14.83	8.09	35.61		
22.	राजस्थान	2.14	2.14	4.00	4.00	6.93	4.66	3.03	13.25	4.06	
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.10	0.10	0.25	0.31	0.31	0.57	0.28	
24.	तमिलनाडु	2.42	2.42	11.04	11.04	8.85	10.67	10.67	16.91	8.45	
25.	त्रिपुरा	0.05	0.05	0.07	0.07	0.56	0.17		1.31		
26.	उत्तर प्रदेश	16.46	16.46	24.78	24.78	38.91	46.42	41.77	74.34	33.6	
27.	उत्तराखंड	0.10	0.10	0.06	0.06	1.53	0.08	0.08	2.93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	पश्चिम बंगाल	7.72	7.72	18.43	18.43	25.66	25.77	25.77	49.02	24.51	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.03	0.03	0.01	0.01	0.13	0.01		0.52		
30.	चंडीगढ़	0.05	0.05	0.05	0.05	0.24	0.09		0.95		
31.	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.10		
32.	दमन और दीव	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02		0.10		
33.	दिल्ली	0.39	0.39	0.43	0.43	2.85	0.38		4.75		
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09			0.29		
35.	पुडुचेरी	0.04	0.04	0.03	0.03	0.16	0.13		0.25		
	योग	70.62	70.62	148.72	148.72	230.77	228.97	195.26	450	121.6	0.00

*धनराशि को उपयोग में लाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। व्यय को उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है।

+जारी की गई धनराशि में वर्ष 2009-10 के स्पिल ओवर मामलों के लिए उन्हीं राज्यों के संबंध में जारी धनराशि शामिल है।

विवरण-III

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	27353	25923	65032	86248	86709	225462	117057	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1199	0	2877	0	3836	0	5179	
3.	असम	30951	0	73582	87376	98109	38259	132447	
4.	बिहार	46000	43582	109357	35668	145809	320107	196842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	3124	1600	7432	4765	9909	6976	13377	
6.	गोवा	1546	151	3677	594	4905	0	6623	
7.	गुजरात	16501	0	39194	0	52260	0	70551	
8.	हरियाणा	8108	3727	19282	14867	25709	24823	34707	
9.	हिमाचल प्रदेश	947	540	2257	1095	3009	1166	4062	
10.	जम्मू और कश्मीर	23757	4842	56482	53421	75309	116571	101667	
11.	झारखंड	16375	12003	38932	18510	51909	26107	70077	
12.	कर्नाटक	26249	21018	62407	86829	83209	314508	112332	
13.	केरल	46347	46347	110175	161590	146900	563560	198316	
14.	मध्य प्रदेश	14576	13719	34657	18278	46209	61052	62382	
15.	महाराष्ट्र	58052	58052	137732	201490	183638	545201	247912	
16.	मणिपुर	3092	1960	7390	10780	9855	0	13304	9438
17.	मेघालय	5743	5479	13690	10518	18255	12846	24644	
18.	मिजोरम	2871	2661	6852	9428	9136	14053	12334	
19.	नागालैंड	6089	0	14515	0	19355	4400	26129	
20.	ओडिशा	5647	3542	13432	17049	17909	17909	24177	
21.	पंजाब	50953	49996	120852	123907	161127	279082	217522	
22.	राजस्थान	18962	18775	45082	60318	60109	121988	81147	
23.	सिक्किम	663	0	1602	604	2136	2434	2884	
24.	तमिलनाडु	24198	24135	57532	84150	76709	312415	103557	
25.	त्रिपुरा	1514	821	3627	1069	4836	1617	6529	
26.	उत्तर प्रदेश	106356	97785	252832	371189	337109	465812	455097	
27.	उत्तराखंड	4196	0	9982	449	13309	1132	17967	
28.	पश्चिम बंगाल	70136	68235	166732	240548	222309	913002	300117	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	347	220	865	96	1155	0	1559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	631	398	1520	1518	2027	0	2737	
31.	दादरा और नगर हवेली	62	21	190	. 40	255	72	344	
32.	दमन और द्वीव	63	30	173	110	233	113	315	
33.	दिल्ली	7793	6918	18532	26313	24709	30904	33357	
34.	लक्षद्वीप	189	0	510	0	682	0	920	
35.	पुडुचेरी	410	177	1015	259	1355	0	1829	
	योग	631000	512657	1500000	1719076	1000000	4421571	2700000	9438

विवरण-IV

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	10837	9248	13006	26692	17342	42972	22761	
2.	अरुणाचल प्रदेश	475	0	580	0	773	0	1011	
3.	असम	12263	8479	14716	9908	19622	4730	25753	
4.	बिहार	18225	18192	21871	13245	29162	24709	38276	
5.	छत्तीसगढ़	1237	563	1486	822	1982	1396	2601	
6.	गोवा	612	269	746	0	993	523	1299	
7.	गुजरात	6537	5763	7841	7766	10453	12290	13723	
8.	हरियाणा	3213	1934	3856	1897	5142	2564	6748	
9.	हिमाचल प्रदेश	376	158	451	349	602	355	789	
10.	जम्मू और कश्मीर	9413	1867	11296	5992	15062	10766	19767	
11.	झारखंड	6488	4473	7786	7221	10382	9825	13626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	10400	7232	12481	27598	16642	43344	21842	
13.	केरल	18363	13018	22034	52861	29379	60782	38562	
14.	मध्य प्रदेश	5774	4319	6931	3107	9242	7795	12130	
15.	महाराष्ट्र	23000	11551	27515	15333	36675	44579	48157	
16.	मणिपुर	1225	1055	1486	3422	1982	1400	2595	
17.	मेघालय	2274	56	2746	65	3662	256	4799	
18.	मिजोरम	1138	1226	1375	3184	1833	3416	2401	
19.	नागालैंड	2413	27	2911	23	3882	68	5088	
20.	ओडिशा	2237	837	2686	1288	3582	1049	4700	
21.	पंजाब	20187	2647	24100	17737	32142	27245	42243	
22.	राजस्थान	7513	4341	9016	8144	12022	10873	15778	
23.	सिक्किम	263	0	325	245	433	625	564	
24.	तमिलनाडु	9587	8004	11506	26342	15342	34107	20136	
25.	त्रिपुरा	600	203	730	165	973	329	1273	
26.	उत्तर प्रदेश	42137	31995	50566	53928	67422	90386	88491	
27.	उत्तराखंड	1663	264	1996	145	2662	171	3494	
28.	पश्चिम बंगाल	27787	31289	33346	75660	44462	87752	58356	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	137	49	181	24	242	9	311	
30.	चंडीगढ़	250	120	307	159	410	77	536	
31.	दादरा और नगर हवेली	26	17	46	25	62	30	74	
32.	दमन और दीव	25	4	50	20	64	22	77	
33.	दिल्ली	3087	951	3706	922	4942	866	6486	
34.	लक्षद्वीप	75	2	115	0	153	0	190	
35.	पुडुचेरी	163	122	211	98	282	333	363	
	योग	250000	170273	300000	364387	400007	525644	525000	-

सी.एन.जी. तथा एल.पी.जी. स्टेशन

5868. श्री राजेन्द्रसिंह राणा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के भावनगर जिले में कितने सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भावनगर क्षेत्र में और सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशनों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गुजरात के भावनगर में कोई सी.एन.जी. स्टेशन प्रचालन में नहीं है। 01-07-2011 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) गुजरात के भावनगर में दो ऑटो एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों (ए.एल.डी.एस.) का प्रचालन कर रही हैं।

(ख) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड उक्त अधिनियम और पी.एन.जी.आर.बी. (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार, पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन कार्य करने के लिए प्राधिकार प्रदान करना) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार नगर और स्थानीय क्षेत्र प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए प्राधिकार प्रदान करता है। पी.एन.जी.आर.बी. ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा नगर गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए भावनगर जिले की पहचान की है, वर्तमान में जिस पर कार्रवाई चल रही है। सी.एन.जी. स्टेशन नगर गैस वितरण नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। किसी कंपनी को एक बार प्राधिकार की मंजूरी मिल जाने के बाद, प्राधिकृत कंपनी मांग और अन्य वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर प्राधिकृत क्षेत्र के अंदर सी.एन.जी. स्टेशनों की स्थापना करेगी। चूंकि गुजरात के सभी क्षेत्रों में संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) बुनियादी सुविधा के विस्तार के कारण आटो एल.पी.जी. की मांग में कमी आई है, इसलिए ओ.एम.सीज की गुजरात के भावनगर जिले में किसी और ए.एल.डी.एस. स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियां

5869. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए कार्य से सृजित परिसंपत्तियों की राज्य-वार, वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पाया है कि इन योजनाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता खराब एवं घटिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की सशक्त रूप से निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों (2008-09, 2009-10, 2010-11) और चालू वित्त वर्ष 2011-12 (जुलाई, 2011 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.नरेगा), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सृजित राज्य-वार और योजना-वार परिसंपत्तियां/ परियोजनाएं विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं और स्वतंत्र अनुसंधान एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सामान्यत: संतोषजनक पाई गई है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न तंत्रों यथा - क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति करके, जो गांवों के अपने दौरों के दौरान सृजित

परिसंपत्तियों की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं की जांच करते हैं, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता, जिला एवं राज्य स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के जरिए परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की निगरानी करता रहा है। त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के जरिए पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। साथ ही, राज्य सरकारों को भी नियमित आधार पर परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की जांच करने की सलाह दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (अर्थात 2008-09, 2009-10 और 2010-11) और चालू वर्ष, 2011-12 (जुलाई, 2011 तक) के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (पूरे किए गए कार्य संख्या में)				पी.एम.जी.एस.वाई. (सड़क कार्य संख्या में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	209527	532673	864989	17	383	807	439	44
2.	अरुणाचल प्रदेश	552	671	926	0	31	37	68	21
3.	असम	7135	9403	10650	870	293	387	381	175
4.	बिहार	53668	72625	82349	10	309	624	734	353
5.	छत्तीसगढ़	53673	52601	89287	3277	721	1003	401	103
6.	गोवा	32530	263651	45158	3201	0	0	0	0
7.	गुजरात	3517	4063	7573	597	375	451	261	124
8.	हरियाणा	22281	35899	33975	4580	99	71	52	5
9.	हिमाचल प्रदेश	7176	18661	36542	66	307	224	81	12
10.	जम्मू और कश्मीर	65483	75767	47419	4042	48	119	112	23
11.	झारखंड	34431	129617	91089	9531	44	170	396	66
12.	कर्नाटक	48129	76823	104489	1435	301	444	303	91
13.	केरल	212231	244619	291035	12682	111	119	96	28
14.	मध्य प्रदेश	10778	10613	18707	47	2068	2235	1673	235
15.	महाराष्ट्र	9106	11491	7897	0	818	457	613	151
16.	मणिपुर	3458	6349	7755	27	59	68	30	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	2123	2734	3253	207	8	25	3	17
18.	मिजोरम	5016	5597	8937	0	11	13	34	0
19.	नागालैंड	10415	25011	59278	5760	19	16	12	3
20.	ओडिशा	1389	6384	6793	1523	685	596	1486	196
21.	पंजाब	100472	92251	52262	3048	54	62	56	5
22.	राजस्थान	564	1432	1534	12	1694	382	353	84
23.	सिक्किम	12663	20909	31391	64	22	41	26	22
24.	तमिलनाडु	54478	48424	65433	3120	241	1026	1073	139
25.	त्रिपुरा	188082	360488	448148	41458	119	170	144	5
26.	उत्तर प्रदेश	10297	24677	29749	1087	1423	1697	831	50
27.	उत्तराखंड	54526	121858	142974	16042	25	101	53	21
28.	पश्चिम बंगाल	66	354	263	8	268	238	249	58
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	22	7	एन.आर.	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	एन.आर.	300	559	3	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	87	2623	0	0	0	0	0	0
33.	पुडुचेरी	314	892	1	0	0	0	0	0
	कुल	1214167	2259482	2590422	112714	10536	11583	9960	2053

क्र.सं.	राज्य का नाम	आई.ए.वाई. (निर्मित मकान संख्या में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	266654	434733	257104	90740
2.	अरुणाचल प्रदेश	7236	6026	9915	620

1	2	11	12	13	14
3.	असम	112706	181162	156911	28224
4.	बिहार	484197	653214	566148	73121
5.	छत्तीसगढ़	30023	58449	58419	5967
6.	गोवा	586	1864	667	518
7.	गुजरात	122412	166760	167313	19654
8.	हरियाणा	13302	24138	18055	2980
9.	हिमाचल प्रदेश	4501	9295	5834	201
10.	जम्मू और कश्मीर	13211	18594	19666	539
11.	झारखंड	56180	87524	167254	35145
12.	कर्नाटक	87051	158417	95567	5492
13.	केरल	53133	51590	54853	10643
14.	मध्य प्रदेश	74651	96877	79097	13695
15.	महाराष्ट्र	118611	207695	156575	11831
16.	मणिपुर	514	3296	4682	631
17.	मेघालय	5619	9875	11439	2741
18.	मिजोरम	5179	4851	3517	740
19.	नागालैंड	24717	11645	15514	6740
20.	ओडिशा	62447	170766	171223	24022
21.	पंजाब	11700	27108	20483	5142
22.	राजस्थान	52654	86992	63464	23903
23.	सिक्किम	1774	1819	2739	210
24.	तमिलनाडु	94160	169753	96256	6902
25.	त्रिपुरा	26389	8322	12310	1180
26.	उत्तर प्रदेश	267543	483949	305376	44834
27.	उत्तराखंड	12696	20373	15924	1793

1	2	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	123808	230155	178832	60571
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	124	242	316	307
30.	दादरा और नगर हवेली	41	0	0	0
31.	दमन और दीव	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	190	88	0	0
33.	पुडुचेरी	52	47	0	0
	कुल	2134061	3385619	2715453	479086

विज्ञान वर्ष

5870. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

श्री पी.सी. चाको:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13 को "विज्ञान वर्ष" घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बढ़ते वैज्ञानिक प्रयासों की ओर नयी पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) विदेश में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाओं पर किया गया व्यय

5871. श्री महाबल मिश्रा:

श्रीमती दीपा दासमुंशी:

श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूरे देश में सिंचाई पद्धतियों के विकास पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ख) पूरे देश में विशेषकर, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित राज्यों के सूखा प्रवण क्षेत्रों के कुल प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन्हें सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप लाभान्वित किसानों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) देश में नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूरे देश में सिंचाई प्रणालियों के विकास पर किया गया व्यय

क्रमशः 63048 करोड़ रु. तथा 104789.44 करोड़ रु. है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 - 2010-11) के दौरान 176089.90 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं का विवरण विवरण में दिया गया है।

विवरण

ए.आई.बी.पी. के तहत सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली तथा केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं की सूची

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम/ई.आर.एम.	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश				
	1.	एस.आर.एस.पी. का एफ.एफ.सी.	ई.आर.एम.	
	2.	एस.आर.एस.पी. चरण-II	ई.आर.एम.	
	3.	रेलीवागु	मध्यम	
	4.	गोलावागु	मध्यम	
	5.	पेद्दावागु	मध्यम	
	6.	गुण्डलाकडम्मा	वृहद	
	7.	वेलीगल्लु	मध्यम	पूर्ण
	8.	जे. चोखाराव एल.आई.एस.	वृहद	
	9.	श्री कोमाराम भीम	मध्यम	
	10.	ताराकर्मा तीर्थ सागरम	मध्यम	
	11.	राजीव भीमा एल.आई.एस.	वृहद	
	12.	पुष्कर एल.आई.एस.	वृहद	
	13.	मथादिवागु	मध्यम	
	14.	इंदिरा सागर (पोलावरम)	वृहद	
	15.	मसरूमिल्ली	मध्यम	
	16.	नीलवई	मध्यम	
छत्तीसगढ़				
	1.	मिनीमाता (हसदेव बांगो चरण-4)	वृहद	पूर्ण

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम/ई.आर.एम.	टिप्पणी
	2.	सुतियापत	मध्यम	
गुजरात				
	1.	सरदार सरोवर	वृहद	
जम्मू और कश्मीर				
	1.	कंडी नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम	
कर्नाटक				
	1.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	वृहद	
	2.	मालप्रभा	वृहद	
	3.	घाटप्रभा चरण-III	ई.आर.एम.	
	4.	करंजा	वृहद	
	5.	ऊपरी कृष्णा चरण-II	वृहद	
	6.	गंदोरी नाला	मध्यम	
	7.	दुधगंगा	वृहद	
	8.	भद्र नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	
	9.	हिप्पारगी एल.आई.एस.	वृहद	
	10.	भीमा एल.आई.एस.	वृहद	
	11.	गुड्डादा मालप्रभा लिफ्ट		
मध्य प्रदेश				
	1.	इंदिरा सागर एकक-I	वृहद	
		इंदिरा सागर एकक-II (सी.सी.ए.)		
	2.	बाणसागर एकक-II (सी.सी.ए.)		
	3.	माही	वृहद	
	4.	ओंकारेश्वर, चरण-II	वृहद	
		ओंकारेश्वर, चरण-III	वृहद	
		इंदिरा सागर नहर चरण-III	वृहद	

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम/ई.आर.एम.	टिप्पणी
	5.	ऊपरी पेदा	वृहद	
	6.	पुनासा एल.आई.एस.	वृहद	
	7.	निचली गोई	वृहद	
		इंदिरा सागर एकक-4	वृहद	
	8.	जोबट	मध्यम	
महाराष्ट्र				
	1.	गोसीखुर्द	वृहद	
	2.	वाधुर	वृहद	
	3.	ऊपरी वर्धा	वृहद	पूर्ण
	4.	वान	वृहद	पूर्ण
	5.	ऊपरी पेनगंगा	वृहद	
	6.	पुनाद	वृहद	
	7.	पोथरा नाला	मध्यम	
	8.	उतावली	मध्यम	
	9.	पुरना (प.)	मध्यम	पूर्ण
	10.	लाल नाला (प.)	मध्यम	
	11.	खदकपुरना (प.)	वृहद	
	12.	अरूनावती (प.)	वृहद	
	13.	तजनापुर एल.आई.एस.	मध्यम	
	14.	डोंगरगांव टैंक	मध्यम	
	15.	बेंबला	वृहद	
	16.	चन्द्रभागा	मध्यम	पूर्ण
	17.	सपन	मध्यम	
	18.	संगोला शाखा नहर	वृहद	
	19.	पैंटकली	वृहद	पूर्ण

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम/ई.आर.एम.	टिप्पणी
	20.	तराली	वृहद	
	21.	धोम बालकवाड़ी	वृहद	
	22.	प्रकाश बैराज	मध्यम	पूर्ण
	23.	सुलवदे बैराज	मध्यम	पूर्ण
	24.	सारंगखेड़ा	मध्यम	पूर्ण
	25.	निचली पेधी	वृहद	
	26.	ऊपरी कुण्डालिका	मध्यम	
	27.	निचली पंजारा	मध्यम	
	28.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	वृहद	
	29.	नंदूर मधमेश्वर चरण-II		
उड़ीसा				
	1.	ऊपरी इन्दिरावती (के.बी.के.)	वृहद	
	2.	निचली सुकतेल (के.बी.के.)	वृहद	
	3.	तेलंनगिरी (के.बी.के.)	वृहद	
	4.	रूकुरा-जनजातीय	मध्यम	
पंजाब				
	1.	(आर.एफ. एवं एस.एफ.) राजस्थान फीडर नहर तथा सरहिन्द फीडर नहर का संरेखन (आर.डी. 179000 से आर.डी. 496000)	ई.आर.एम.	
राजस्थान				
	1.	नर्मदा नहर	वृहद	
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल				
	1.	बाणसागर नहर	वृहद	
	2.	लचूरा बांध का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	
	3.	अर्जुन सहायक	वृहद	

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम/ई.आर.एम.	टिप्पणी
पश्चिम बंगाल				
	1.	तटको	मध्यम	
	2.	पतलोई	मध्यम	
	3.	हनुमाता	मध्यम	पूर्ण

संविदा आधार पर डॉक्टर

5872. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में संविदा आधार पर वर्तमान में कार्यरत मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की जोन-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संविदा आधार पर जोन-वार तथा वर्ष-वार नियुक्त ऐसे स्टाफ की संख्या क्या है;

(ग) वे प्रमुख शर्तें क्या हैं जिन पर ऐसी नियुक्तियां की गयी हैं;

(घ) क्या मेडिकल/पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी के कारण रेल दुर्घटनाओं की स्थिति में तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान करने में रेलवे को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय रेलों पर डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए, काम चलाऊ उपाय के रूप में, स्पष्ट रिक्तियों के स्थान पर संविदा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति की जाती है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य अर्हकताओं को पूरा करने के अध्यधीन यह नियुक्ति एक वर्ष या चयनित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। संविदा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के संबंध में, इन्हें प्रत्येक बार नई संविदा के अधीन एक साल के कार्यकाल के लिए अधिकतम 7 बार नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट से सीधी रेलगाड़ियां

5873. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकोट (गुजरात) से नई दिल्ली तक के लिए रोजाना सीधी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। राजकोट से नई दिल्ली तक सीधी गाड़ी चलाने का फिलाहल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बारिपदा-क्योंझर लाइन

5874. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत बारिपदा तथा क्योंझर के बीच एक नयी रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस तरह के सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं हुई है।

तेल कंपनियों को सहायता

5875. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को इंडिया शेयरिंग सिस्टम के अन्तर्गत कंपनीवार कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है;

(ख) तेल मूल्यों में वृद्धि के लिए कंपनियों को अधिकार प्रदान करने के मद्देनजर इस सहायता का औचित्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या तेल कंपनियां एक तरफ तो राजसहायता ले रही हैं और दूसरी तरफ बार-बार तेल का मूल्य मनमाने तरीके से बढ़ा रही हैं; और

(ङ) इस विरोधाभासी स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की एक व्यवहार्य और वहनीय प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए डॉ. किरीट एस. पारीख की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 26-06-2010 से पेट्रोल का मूल्य रिफाइनरी द्वार और खुदरा स्तर, दोनों पर, बाजार निर्धारित कर दिया है। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

तथापि, सरकार डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के खुदरा बिक्री मूल्यों को लगातार आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा रही है और उनके वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से कम हैं जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को इन संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर अत्यधिक अल्प वसूलियां हो रही हैं। 1-9-2011 की स्थिति के अनुसार रिफाइनरी द्वार मूल्यों के आधार पर वर्तमान में ओ.एम.सीज डीजल की बिक्री पर 4.57 रुपए प्रति लीटर, पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर 23.25 रुपए प्रति लीटर और घरेलू एल.पी.जी. पर 267 रुपए प्रति सिलिंडर की अल्प-वसूली हो रही है। इन दरों पर ओ.एम.सीज को रोजाना 228 करोड़ रुपए की अल्प-वसूली हो रही है।

अपनाई जा रही भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इसके विपरीत अपस्ट्रीम तेल कंपनियां डाउनस्ट्रीम कंपनियों को छूट देकर अल्प वसूलियों के भार में हिस्सेदारी करती हैं। इसके अलावा, सरकार भी तेल बाण्ड/नकद सहायता जारी करके डाउनस्ट्रीम कंपनियों को सहायता उपलब्ध करवाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ.एम.सीज को हुई अल्प वसूलियों और उन्हें आपस में बांटने के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल अल्प वसूली*	1,03,292	46,051	78,190

1	2	3	4
निम्नलिखित द्वारा भार हिस्सेदारी:			
सरकार से सहायता	71,292	26,000	41,000
डाउनस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा प्राप्त रियायत	32,000	14,430	30,297
ओ.एस.एम.सीज द्वारा वहन की गई अल्पवसूली	शून्य	5,621	6,893

*पेट्रोल पर अल्प-वसूली 25-06-2010 तक ही शामिल की गई है।

(ङ) ओ.एम.सीज को अनुमानित 1,71,140 करोड़ रुपए की अत्यधिक अल्प-वसूलियों से बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए (भारतीय बास्केट का औसत मूल्य 110 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल मानते हुए) और उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के भार को कम करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार ने 24 जून, 2011 को निम्नलिखित निर्णय लिए:

(1) कच्चे तेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाया गया और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी की गई।

(2) डीजल पर 2.60 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया। डीजल पर 2.06 रुपए प्रति लीटर के शेष उत्पाद शुल्क को कम नहीं किया जा सका क्योंकि यह सड़क और शिक्षा उप कर के लिए निर्धारित है।

(3) राज्य करों के अलावा डीजल पर 3 रु. प्रति लीटर, पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर 2 रु. प्रति लीटर और घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर पर 50 रु. प्रति 14.2 कि.ग्रा. की मामूली मूल्य वृद्धि की गई।

शुल्क में उपर्युक्त कमी के कारण सरकार को अनुमानतः 49,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा। यहां तक कि शुल्क में कमी और 25-6-2011 से खुदरा बिक्री मूल्यों में वृद्धि के बाद भी ओ.एम.सीज को वर्ष 2011-12 के दौरान 1,21,571 करोड़ रुपए (भारतीय बास्केट का औसत मूल्य 110 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल मानते हुए) की अल्प वसूली होने की संभावना है।

यात्री किराया

5876. श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का राजस्व अर्जन पिछले पांच वर्षों में औसत वार्षिक अर्जनों की तुलना में कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप देश में निर्माणाधीन तथा मंजूर की गयी परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार यात्री किराया बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार यात्री सुविधाएं बढ़ाने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। रेलवे की राजस्व आमदनी नीचे दिए अनुसार घट नहीं रही है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	राजस्व
1	2
2006-07	64785.84
2007-08	73276.57

1	2
2008-09	81658.98
2009-10	89229.29
2010-11 (अनंतिम)	96681.02

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किरायों का संशोधन एक चालू प्रक्रिया है जो यातायात की क्षमता पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) समग्र भारतीय रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि/सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य, जब कभी यात्री यातायात के घनत्व में वृद्धि होने से अपेक्षित होता है, किया जाता है जो निधि की उपलब्धता और अन्य संबंधित प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

वातानुकूलित कोचों का जोड़ा जाना

5877. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को राजस्थान में चल रही गाड़ी संख्या 12468 (जयपुर-बीकानेर इंटरसिटी) और गाड़ी संख्या 12465 (रणथम्बौर एक्सप्रेस) में 3 एसी, एसी-I और एसी-II कोचों को जोड़े जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रेलगाड़ियों में कब तक एसी कोच जोड़े जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। 01-05-2011 से 12465/12466 जोधपुर-इंदौर रणथम्भोर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-III टीयर का सवारी डिब्बा नियमित आधार पर लगाया गया है। बहरहाल, 12467/12468 बीकानेर-जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एसी सवारी डिब्बों का लगाना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

बेघर लोग

5878. श्री इज्यराज सिंह:
श्री हरीश चौधरी:
श्री कमल किशोर "कमांडो":

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेघर लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में बेघर लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) बेघर लोगों की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस संबंध में की गई कार्रवाई का क्या परिणाम रहा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 48,01,763 बेघर परिवार थे। वर्ष 2001 की जनगणना संबंधी आंकड़े अभी प्रकाशित किए जाने हैं। बेघर लोगों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है या नहीं की जानकारी आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद ही मिल पाएगी।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय देशभर (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत मकान बनाने के लिए ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना की शुरुआत से अब तक 267.83 लाख मकान बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों की संख्या कम करने के लिए हाल के वर्षों-में योजना के आकार में बहुत वृद्धि हुई है। ग्रामीण आवास के लिए बजट परिव्यय को वर्ष 2001-02 में 1991 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत 27.15 लाख मकान बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

करूर-सलेम रेल लाइन

5879. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सलेम और करूर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अभी तक इस संबंध में आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) करूर-सेलम नई लाइन परियोजना (85 किमी.) पर, सेलम-मोहनपुर (70 किमी.) खंड पर कार्य पहले ही पूरा हो गया है और मोहनपुर-करूर (15 किमी.) खंड को 2011-12 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) इन परियोजना में देरी मुख्यत: भूमि अधिग्रहण संबंधी कोर्ट मामलों में हुए विलंब के कारण हुई।

(ग) परियोजना के शेष कार्य के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है और नामक्कल तथा रासीपुरम क्षेत्रों के समीप कतिपय खंडों में भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

(घ) मार्च, 2011 तक 522.06 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और 2011-12 के दौरान इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

मरुस्थल क्षेत्र

5880. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में मरुस्थल क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मरुस्थल बहुल राज्यों में किस हद तक यह वृद्धि हुई है; और

(ग) देश में मरुस्थल को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी योजना आरंभ की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) प्रोफेसर हनुमंत राव की अध्यक्षता में 1994 में गठित एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने 7 राज्यों, यथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में 45,7949 मिलियन हैक्टेयर मरुभूमि क्षेत्र की पहचान की है। राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इनमें से किसी भी राज्य में तीन वर्षों के दौरान मरुभूमि क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूमि संसाधन विभाग सात राज्यों, यथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान के चिन्हित क्षेत्रों में मरूभूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना और चिन्हित मरुभूमि क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार के नवीनीकरण के माध्यम से मरूस्थलीकरण की अतिशय जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। दीर्घावधि में यह कार्यक्रम पारिस्थितिकीय संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

26-02-2009 से मरूभूमि विकास कार्यक्रम को भूमि संसाधन विभाग के अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, यथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के साथ समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) नामक एक एकल संशोधित कार्यक्रम के रूप में समेकित कर दिया गया है जिसे वाटरशेड विकास परियोजनाएं संबंधी समान मार्गदशी सिद्धान्त, 2008 के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। यह समेकन संसाधनों के इष्टतम प्रयोग, सतत प्राप्तियों और समेकित आयोजना के लिए है।

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 22.65 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इस

लक्ष्य में से 18.44 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर कार्रवाई प्रारम्भ की गई है और राज्यों को 2670.94 करोड़ रुपये की राशि (31-08-2011 की स्थिति के अनुसार) जारी की गई है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत विकासित करने के लिए परियोजना क्षेत्रों का चयन करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ सूखा प्रवण क्षेत्रों और मरुभूमि प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

केरल में पी.एन.जी. कनेक्शन

5881. श्री पी.सी. चाको: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में चल रही पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन देने की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या और अधिक शहरों में इस योजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने उक्त अधिनियम और पी.एन.जी.आर.बी. (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार, पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन कार्य करने के लिए प्राधिकार प्रदान करना) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार नगर और स्थानीय क्षेत्र प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए प्राधिकार प्रदान किया है। पी.एन.जी.आर.बी. ने बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हित की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) तथा स्वत: स्फूर्त आधार पर केरल राज्य सहित, देश में आगामी पांच वर्षों में 300 से अधिक संभावित भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा सी.जी.डी. नेटवर्क विकास की एक रोल आउट योजना आरंभ करने की परिकल्पना की है। पी.एन.जी. कनेक्शन सी.जी.डी. नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। वर्तमान में नगर गैस वितरण नेटवर्क प्राधिकार के लिए एर्नाकुलम जिला प्रतिस्पर्धात्मक बोली के चौथे दौर में है। प्रेषण पाइपलाइनों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की शर्त पर आगामी पांच वर्षों में केरल के भौगोलिक क्षेत्र जिन्हें पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा सी.जी.डी. नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव है, विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केरल में सी.जी.डी. की कवरेज के लिए योजनाबद्ध भौगोलिक क्षेत्र

क्र. सं.	भौगोलिक क्षेत्र/नगर	जिला
1.	कासरगोड	कासरगोड
2.	कन्नूर	कन्नूर
3.	कालपेट्टा	वायनाड
4.	मल्लापुरम	मल्लापुरम
5.	पालक्काड	पालक्काड
6.	त्रिस्सूर	त्रिस्सूर
7.	एर्नाकुलम (चौथे दौर में शामिल)	एर्नाकुलम
8.	कोट्टायम	कोट्टायम
9.	अलाप्पुझा	अलाप्पुझा
10.	पेरियार	इडुक्की
11.	कोल्लम	कोल्लम
12.	कोच्चि	कोच्चि
13.	कोझीकोड	कोझीकोड
14.	तिरूवनंतपुरम	तिरूवनंतपुरम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

5882. श्री प्रेम दास राय: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवकों को रोजगार प्रदान करने की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में वैज्ञानिक अनुसंधान में मानव क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक उपाय किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कुछ ठोस उपाय इस प्रकार हैं:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.): पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विशेष पैकेज जिनमें जो शामिल हैं, वे इस प्रकार हैं: उपकरणों, प्रयोगशाला नवीकरण आदि के लिए 58 कॉलेजों को सहायता; अध्येतावृत्तियां/अतिथि प्रोफेसरशिप का संस्थापन; विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालय; पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को अध्यापन उपकरण के लिए सहायता आदि। "अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इन्सपायर)" नामक एक विशेष छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने तथा अनुसंधान में कैरिअर अपनाने के लिए आकृष्ट करना है, जिसके माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने स्कूल स्तर पर लगभग 4300 इन्सपायर पुरस्कार, पीएच.डी. करने के लिए 52 इन्सपायर अध्येतावृत्तियां तथा उच्चतर शिक्षा (एस.एच.ई.) के लिए 74 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से लगभग 2600 विद्यार्थियों के लिए सोलह इन्सपायर इंटर्नशिप शिविरों का आयोजन किया।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) ने पांच विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी./एम. टेक अध्यापन कार्यक्रम, अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 10 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता, जीवन विज्ञान में यू.जी. शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा उत्कृष्टता का पोषण करने के लिए स्टार कॉलेजों के रूप में पांच कॉलेजों की पहचान, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ओवरसीज एसोसिएट एवं नेशनल एसोसिएशन प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया; एन.आई.टी. सुरतकल में खनन इंजीनियरी में बी. टेक करने के लिए मेघालय के मेधावी विद्यार्थियों को 8 छात्रवृत्तियां प्रदान की; उन्नत ज्ञान ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन (ए.के.आर.यू.टी.आई.) के क्षेत्रों की स्थापना की। खाद्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, त्रिपुरा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.): विज्ञान में नेतृत्व के लिए युवाओं पर सी.एस.आई.आर. कार्यक्रम (सी.पी.वाई.एल.एस.) में विभिन्न विद्यालयों से लगभग 150 विद्यार्थियों के नाम दर्ज किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान अभिप्रेरण कार्यक्रम, संकाय प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण कार्यक्रम, सी.एस.आई.आर. कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रौद्योगिकी के विकास तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देकर तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में नियोज्यता में सुधार किया है जो मुख्य रूप से क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों से मूल्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बांस अनुप्रयोग मिशन (एन.एम.बी.ए.) द्वारा आधारिक स्तर पर बांस प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की गई है। एन.एम.बी.ए. ने बांस प्रसंस्करण का प्रयोग करके अनेक प्रौद्योगिकियों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के विकास तथा बांस प्रसंस्करण इकाइयों की इन्क्यूबेशन स्थापना में सहायता की है। आवश्यक क्षमताओं के निर्माण हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों को भी सहायता दी गई है। डी.बी.टी. ने भी विशेषकर जैवप्रौद्योगिकी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं की नियोज्यता में सुधार करने हेतु अनेक स्कीमें लागू की हैं। इसमें शामिल हैं: नए स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक प्रशिक्षण, जैव प्रौद्योगिकी में उद्यम विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक संसाधन जागरूकता पर स्कूली

विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, स्कूल विद्यार्थियों के लिए ऑन-लाइन पुस्तकालय संसाधन अभिगम सुविधा, कृषि-जैवप्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, जैवप्रौद्योगिकी निवेशों के माध्यम से जैविक कृषि में किसानों के लिए प्रशिक्षण आदि।

(ङ) और (च) डी.एस.टी., डी.बी.टी., डी.ए.ई. सहित अनेक विभागों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विषयों के व्यापक क्षेत्र को समाहित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में अनेक अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की हैं। इन परियोजनाओं में कार्यरत अनेक अनुसंधानकर्त्ताओं ने अपनी पीएच.डी. अर्जित की है तथा युवा वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार जीते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के महत्व एवं उसकी अत्यावश्यकता को महसूस करते हुए, अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) ने पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) के साथ संयुक्त रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अधुनातन अवसंरचना की स्थापना की है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा ग्राम संसाधन केन्द्रों, उपग्रह आधारित टेलीमेडिसिन नोड्स तथा उपग्रह अन्योन्य क्रियात्मक केन्द्रों के एक नेटवर्क की भी स्थापना की जा रही है जो इस क्षेत्र को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जोड़ देगा।

असम सरकार के दो अनुसंधान संस्थानों - प्लाज्मा भौतिकी केन्द्र तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का केन्द्र सरकार द्वारा इन संस्थानों की अनुसंधान क्षमताओं के प्रसार तथा वृद्धि हेतु अधिग्रहण किया गया है। डी.बी.टी. द्वारा ओवरसीज एसोसिएटशिप और रिसर्च एसोसिएटशिप कार्यक्रमों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं कॉलेजों के लिए 40 से अधिक जैवप्रौद्योगिकी हबों और जैवप्रौद्योगिकी में उद्यम विकास हेतु जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 26 संस्थानों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ई.यू. - भारत के अधीन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संयोजित करने वाले नार्थ ईस्टर्न बायोइनफार्मेटिक्स नेटवर्क (एन.ई.बी.आई. नेट) का लक्ष्य इस क्षेत्र में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

5883. श्री एम.के. राघवन:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने यह इंगित किया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनिर्णय की स्थिति धीमें विकास का प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें और अधिक अर्थक्षम और प्रतिस्पर्धानुमुखी/प्रतियोगितान्मुखी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनिर्णय की स्थिति के कारण हुई क्षति का पता लगाने के लिए कोई लेखांकन/समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यकरण में सुधार और लाभार्जन में वृद्धि, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उनके आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान कम्पनी-वार हासिल किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का लाभकारिता अनुपात (बी.पी.टी./सकल बिक्री) निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के समान रहा है। बहरहाल, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दस्तावेज में यह टिप्पणी की गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम वित्तीय परिसम्पत्तियों में पूंजीनिवेश करने अथवा निवेश की तुलना में अपने ऋणभार को घटाने को अधिमानता देते हैं जिससे कि पूंजीनिर्माण में मदद मिल सके। यह पाया गया है कि शीर्ष प्रबन्धन जटिल नियमों एवं प्रक्रियाओं के कारण जोखिम उठाने से विमुख हो जाते हैं। अत:, योजना आयोग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में रहा है ताकि उन्हें अधिक अर्थक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

(ग) और (घ) अनिर्णय के कारण पूर्वगत लाभ या हानि के निर्धारण के मामले में अधिक-से-अधिक अनुमान ही लगाया जा सकता है और इस सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाए जा सकते हैं। योजना आयोग ने ऐसी कोई समीक्षा नहीं की है।

(ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग तथा केन्द्रीय

सरकारी उद्यम द्वारा उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) वित्तीय पुनर्गठन, यथा ऋण का इक्विटी में परिवर्तन (ख) व्यापारिक पुनर्गठन, जैसे - संयुक्त उद्यमों की स्थापना, किसी अन्य सरकारी उद्यम के साथ विलय, आधुनिकीकरण तथा बेहतर विपणन रणनीति आदि शामिल हैं।

(च) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन/परिणाम से सम्बन्धित दिनांक 24-2-2011 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2009-10 के खण्ड-I के विवरण संख्या-3 (वि.पृ. 3 से 9) में दिया गया है।

मुंबई में रेलवे स्टेशन

5884. श्री संजय निरुपम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई में रेलवे स्टेशनों के नवीकरण/आधुनिकीरण की वर्तमान स्टेशन-वार स्थिति क्या है;

(ख) अभी तक इसके लिए आवंटित इस पर व्यय की गई निधियों का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों के नवीकरण/आधुनिकीकरण का कार्य फिलहाल, 'आदर्श स्टेशन' योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। 2009-10 में योजना के प्रारंभ होने से अब तक, मुंबई क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए 42 स्टेशनों की पहचान की गयी है। 36 स्टेशनों यथा अंधेरी, बांद्रा, बेलापुर, भांडुप, भायंदर, बोरीवली, चारणी रोड, चेम्बूर, चर्चगेट, करी रोड, दादर, धानू रोड, डॉक यार्ड रोड, डोमबीवेली, घाटकोपर, गोरेगांव, करजत, कसारा, किंग सर्किल, कुर्ला, मलाड, मैरीन लाइन्स, माटूंगा, मीरा रोड, मुलंड, मुंबई सेन्ट्रल, नईगांव, संपाडा, सांताक्रूज, सफाले, सेवरी, तिलक नगर, उल्हास नगर, वनगांव, वसई और विरार पर कार्य पूरा हो गया है, तीन स्टेशनों यथा खोपाली, नाहुर और पनवेल को मार्च, 2012 तक तथा तीन स्टेशनों यथा अम्बरनाथ, दीवा और लोअर परेल को 2012-13 में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

आबंटित/व्यय की गई निधि का स्टेशन-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। ऐसे कार्यों पर व्यय योजना शीर्ष 'यात्री सुविधाएं' के अंतर्गत किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य और पश्चिम रेलवे, जिनके अंतर्गत मुंबई क्षेत्र आता है, पर योजना शीर्ष 'यात्री सुविधाएं' के अंतर्गत किया गया आबंटन/व्यय नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु.)		व्यय (करोड़ रु.)	
	मध्य रेलवे	पश्चिम रेलवे	मध्य रेलवे	पश्चिम रेलवे
2009-10	73.05	80.20	82.80	90.10
2010-11	72.52	53.99	65.01	60.78
2011-12	60.46	79.42	25.59 (जुलाई, 11 तक)	34.23 (जुलाई 11 तक)

[हिन्दी]

तेल कंपनियों को घाटा

5885. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच करवायी है कि तेल कंपनियां अपने व्यय पर रोक नहीं लगातीं और उनके द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद घाटे में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तेल कंपनियों के कार्यकलापों और साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) भारत कच्चे तेल की अपनी आवश्यकता का लगभग 83 प्रतिशत आयात करता है। चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत में कच्चे तेल की लागत 90 प्रतिशत से अधिक होती है अत: यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा कि व्यय के प्रबंधन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि को कम किया जा सकता है।

कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट का औसत मूल्य 2009-10 में 69.76 अमरीकी डॉलर/बी.बी.एल. से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान (1-4-2011 से 11-08-2011 तक की अवधि के लिए औसत) 112.28 अमरीकी डॉलर/बी.बी.एल. होने के साथ कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगातार बढ़ रहा है। सरकार का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, जो विश्व में मांग और आपूर्ति की दशाओं सहित अनेक घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं, पर कोई नियंत्रण नहीं है।

तथापि, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के मूल्यों को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को अल्प वसूलियां होती हैं। वर्तमान में ओ.एम.सीज को डीजल की बिक्री पर 4.57 रु. प्रति लीटर, पी.डी.एस. मिट्टी तेल की बिक्री पर 23.26 रु. प्रति लीटर और दिनांक 01-09-2011 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य के अनुसार घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री पर 267 रु. प्रति सिलिंडर पर अल्प-वसूली हो रही है। परिणामस्वरूप इन तीन संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर ओ.एम.सीज को प्रतिदिन 228 करोड़ रुपए की अल्प-वसूली हो रही है और वर्ष 2011-12 के दौरान कुल अल्प-वसूली 1,21,571 करोड़ रु. होने की संभावना है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां व्यय को इष्टतम बनाने के लिए लगातार उपाय करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. विभिन्न कार्यकलापों पर लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक व्यय पर निगरानी रखी जाती है और इसे नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
2. वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए दल संभावित लागत इष्टतमीकरण के लिए क्षेत्रों की पहचान करते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।
3. ई-संग्रह की प्रणाली कार्यान्वित की गई है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागत में बचत होती है।
4. स्वदेशी रूप से अतिरिक्त पुर्जों के विकास और आंतरिक रूप से मरम्मत और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है।
5. दौरों और यात्राओं पर व्यय में कमी करने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से अनुरोध किया है कि वे अपने व्यय में मितव्ययिता के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 8 अक्तूबर, 2009 के पत्र सं. डी.पी.ई./3(4)/08-एफ.आई.एन. के तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। सी.पी.एस.ईज को यह भी सलाह दी गई है कि वे विज्ञापनों और प्रचार पर व्यय में 10% तक कटौती करने के लिए व्यय विभाग द्वारा जारी दिनांक 7 सितम्बर, 2009 के का.ज्ञा. सं. 7(1) ई से मार्गदर्शन लें।

[अनुवाद]

बेल्दा-कंठी-इगरा लाइन

5886. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का बेल्डा से कंठी बरास्ता इगरा और डीघा बागीचक बरास्ता इगरा खंड पर नई लाइन हेतु सर्वेक्षण करवाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) इगरा (58 किमी.) के रास्ते बेल्दा से कंथी तक और इगरा के रास्ते दीघा से बालीचक तक (86.5 किमी.) के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा

5887. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के संबंध में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं, जिनमें ऐसे प्रावधान हैं और जिनमें इस प्रकार के प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा के कोई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.), समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के अन्य योजनाओं में निधियों के उपयोग की लेखा परीक्षा प्राधिकृत/प्रमाणीकृत सनदी लेखाकार के जरिए की जाती है, जैसाकि कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र से लोगों में कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा जवाबदेही, पारदर्शिता आई है, जिसके फलस्वरूप निधियों का सही उपयोग हुआ है तथा लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि हासिल हुई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामले

5888. राव इन्द्रजीत सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे संदर्भों के निपटान हेतु अपेक्षित सामान्य समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रावी-ब्यास जल के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामला लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर कब तक विचार किए जाने और इसका निपटान किए जाने की सम्भावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (च) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तीन राष्ट्रपतीय निर्देश, जिसमें रावी-ब्यास से संबंधित राष्ट्रपतीय निर्देश सम्मिलित है, विवरण में ब्यौरों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। ये मामले, उनकी बारी पर सम्यक् अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किए जाते हैं और उनका नियमित अनुक्रम में निपटारा किए जाने की संभावना है।

विवरण

भारत का उच्चतम न्यायालय

तारीख 2-8-2011 को भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित राष्ट्रपतीय निर्देशों के ब्यौरे

क्र. सं.	मामला संख्या	हेतुक शीर्षक	विषय-वस्तु	वर्तमान प्रास्थिति
1.	विशेष निर्देश 1/2004	भारत के संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अधीन	भारत के राष्ट्रपति ने, 27-7-2004 को उच्चतम न्यायालय को रावी-ब्यास जल से संबंधित अंतर-राज्यिक	यह संविधान न्यायपीठ का विषय है और सूचीकरण के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा

क्र. सं.	मामला संख्या	हेतुक शीर्षक	विषय-वस्तु	वर्तमान प्रास्थिति
			जल विवाद अधिनियम, 1956 के साथ पठित पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 के उपबंधों के निर्वचन के मामले में कतिपय प्रश्नों पर विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया था।	में है।
2.	निर्देश 1/2007	उक्त आयोग के सदस्य डॉ. शिव बालक चौधरी और डॉ. देवनंदन शर्मा के संबंध में अनुच्छेद 317(1) के अधीन	भारत के राष्ट्रपति ने, 05-06-2007 को भारत के उच्चतम न्यायालय को जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया था कि क्या बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम सिंघसेन सिंह और उक्त आयोग के सदस्य डॉ. शिव बालक चौधरी तथा डॉ. देवनंदन शर्मा को कदाचार के आधारों पर क्रमशः, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से हटाया जाना चाहिए।	प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम सिंघसेन सिंह के संबंध में निर्देश का आदेश तारीख 28-07-2008 के निबंधनानुसार निपटारा किया गया है (प्रति संलग्न है)। *प्रत्यर्थी सं. 2 और प्रत्यर्थी सं. 3 के संबंध में साक्ष्य के अभिलेखन की प्रक्रिया रजिस्ट्रार के समक्ष प्रगति में है।
3.	निर्देश 1/2011	श्री बी.एस. लल्ली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रसार भारती के संबंध में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 7 के अधीन।	भारत के राष्ट्रपति ने 07-12-2010 को भारत के उच्चतम न्यायालय को जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया था कि क्या श्री बी.एस. लल्ली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रसार भारती को कदाचार के आधारों पर प्रसार भारती के बोर्ड के सदस्य के पद से हटाया जाना चाहिए।	साक्ष्य के अभिलेखन के लिए कार्यक्रम नियत करने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष 16-08-2011 को सूचीबद्ध किया जाना।

आइटम सं. 41 न्यायालय सं. 1 सेक्शन 111क

भारत का उच्चतम न्यायालय

कार्यवाही अभिलेख

अनुच्छेद 317(1) के अधीन निर्देश 1/2007

संदर्भ में: भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के अधीन,

राम सिंहरसेन सिंह, अध्यक्ष बी.पी.एस.सी. और अन्य।

(डॉ. आर.एस. सिंह के विरुद्ध निर्देश के अवपातन के लिए और डॉ. डी.एन. शर्मा के विरुद्ध निर्देश के अवपातन के लिए और डॉ. शिव बालक चौधरी के लिए आवेदन (आवेदनों) के साथ तथा डॉ. डी.एन. शर्मा के विरुद्ध निर्देश के अवपातन के लिए नया व्यापक आवेदन तथा डॉ. शिव बालक चौधरी के विरुद्ध निर्देश के अवपातन के लिए नया व्यापक आवेदन)

तारीख 28-07-2008, यह याचिका आज सुनवाई के लिए प्रस्तुत थी।

गणपूर्ति: माननीय मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम

भारत संघ की ओर से	श्री अमरेन्द्र शरण, ए.एस.जी.
	श्री गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता
	श्री बी.के. प्रसाद, अधिवक्ता
बी.पी.एस.सी. की ओर से	श्री नवीन प्रकाश, अधिवक्ता
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्री अंशुमन सिन्हा, अधिवक्ता
	श्री विजय कुमार पांडे, अधिवक्ता
	श्री अजय विक्रम सिंह, अधिवक्ता
	श्री एम.के. मिशेल, अधिवक्ता

काउंसिल की सुनवाई पर न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश किया

यह निर्देश, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के अधीन इस न्यायालय को किया गया है। प्रथम प्रत्यर्थी, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था। हमसे कहा गया है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति 30 जून, 2006 को समाप्त हुई थी। उसने इस प्रभाव का एक शपथ-पत्र फाइल किया है तथा उसने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों को प्राप्त करने के दावों को भी छोड़ दिया है।

रविन्द्र पाल सिंह सिद्धू, अध्यक्ष, पंजाब लोक सेवा आयोग निर्देश नामक, (2003)2 एस.सी.सी. 147 में रिपोर्ट किए गए समान मामले में इस न्यायालय ने यह धारित किया है कि जब पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की पदावधि की समाप्ति हो जाती है तो निर्देश स्वत: निष्फल हो जाएगा। वर्तमान मामले में भी तथ्य समान हैं। पूर्वोक्त विनिश्चय की दृष्टि से प्रथम प्रत्यर्थी के विरुद्ध किए गए निर्देश का उत्तर देने से इंकार किया जाता है और तदनुसार निपटाया जाता है तथा प्रत्यर्थी सं. 2 तथा प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

ह./- ह./-

(जी.वी. रमन) (वीरा वर्मा)
कोर्ट मास्टर कोर्ट मास्टर

वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां

5889. श्री आर. धुवनारायण: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या अनुसंधान द्वारा विकसित की गई अधिकांश उपलब्धियों को प्रयोगशालाओं, पत्रिकाओं और पुस्तकों तक ही सीमित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी अनुसंधान उपलब्धियों के परिणामों को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो हासिल उपलब्धियों को किन क्षेत्रों में वास्तव में उपयोग अथवा व्यवहार में लाया गया है और गत कुछ वर्षों में ऐसी पहलों से देश किस हद तक लाभान्वित हुआ है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की मुख्य उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: उद्योगों द्वारा स्थापित लगभग 1400 संस्थागत अनुसंधान एवं विकास एककों को मान्यता; 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में उद्योगों के अनुमोदित संस्थागत अनुसंधान एवं विकास एककों द्वारा वहन किए गए 8694 करोड़ रुपए से अधिक के अनुसंधान और विकास व्यय के संबंध में महानिदेशक (आयकर) को रिपोर्ट भेजना, 200% की दर से भारित कर-कटौती का दावा करने के लिए छूट (2009-10 के दौरान इसे 150% से बढ़ाकर 200% किया गया है); नव-प्रवर्तित उत्पाद और प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रदर्शन के लिए उद्योगों की 40 परियोजनाओं को समर्थन तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान व्यक्ति नव-प्रवर्तकों को अपने नवीन वैज्ञानिक विचारों को मॉडलों और प्रोटोटाइपों में परिणत करने के लिए उनकी 260 परियोजनाओं को समर्थन।

(ख) जी नहीं, महोदया।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के कार्यक्रमों के अधीन अनुसंधान के लाभों को अन्तिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए, कई पहल की गई हैं। इनमें सम्मिलित हैं: उद्योगों को अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योगों को अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों में सहायता और तक्नोउद्यमी संवर्धन कार्यक्रम (टैप) के अंतर्गत व्यक्ति नवप्रवर्तकों को सहायता। इस प्रकार विकसित नव-प्रवर्तित उत्पाद/प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण किया गया है। सफलतापूर्वक प्रोटोटाइपों का विकास करने वाले व्यक्ति-नव-प्रवर्तकों का प्रचार किया जाता है। विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन "क्रिएटिव इण्डिया" में उनके प्रोफाइल्स का मुद्रण किया जाता है। विभाग द्वारा उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों तथा प्रदर्शिनियों में सहभागिता के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है जिससे उन्हें हितबद्ध एन्जिल निवेशकों के सहयोग से एक आत्मनिर्भर व्यापार मॉडल की संकल्पना करने में मदद मिलती है। डी.एस.आई.आर. कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित नव-प्रवर्तित उत्पाद/प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण किया जा चुका है जिसमें सम्मिलित हैं: लिपोसोमल एमफोटरिसिन बी के उत्पादन के लिए प्रक्रिया का विकास, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए लिक्विड फेज आक्सीडेशन प्रक्रिया का विकास और अम्ल गैसों से सल्फर की प्राप्ति, 6-हाई कोल्ड रोलिंग मिल का विकास, अन्योन्यक्रिया लघु हथियार प्रशिक्षण साफ्टवेयर, काटन वितंतुकीकरण संयंत्र, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उच्च ऊर्जा घनत्व वाल्व विनियमित लेड एसिड बैटरियां और रेलवे के लिए डिजिटल एक्सल काउंटर सिस्टम।

(घ) डी.एस.आई.आर. के उद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की गईं, वास्तव में उनका उपयोग किया गया अथवा उन्हें व्यवहार में लाया गया, उन क्षेत्रों में सम्मिलित हैं: औषध एवं भेषज, मैकेनिकल इंजीनिरिंग, मशीन टूल्स, विद्युत और इलैक्ट्रानिकी, टेलीकॉम, रसायन एवं प्रक्रिया उद्योग, पैकेजिंग इत्यादि। डी.एस.आई.आर. के व्यक्ति नवप्रवर्तक कार्यक्रम के अंतर्गत नवप्रवर्तन विकासों के संदर्भ में हाल की उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: ट्रैक्टर माउंटेड पलवेराइजर, बायोमॉस से कम लागत की ऊर्जा, हाइड्रोपोनिक्स उपकरण, प्रिंटिंग के लिए टैम्पर-प्रूफ लैदर, कृत्रिम वाक् उपकरण, अस्थमा के लिए हर्बल औषधि, डिजीटीय टेक्सटाईल प्रिंटिग मशीन, स्मार्ट एजूकेशनल रोबोटिक प्लेटफार्म आदि।

देश डी.एस.आई.आर. की पहल से लाभान्वित हुआ है क्योंकि मिलजुल कर जोखिम उठाकर अनुसंधान व विकास कार्य करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सरकार सक्षम रही है, परिणामस्वरूप नवीन उत्पादों व प्रक्रियाओं का विकास हुआ है और उद्योगों की प्रतियोगितात्मकता में सुधार हुआ है। इस पहल से व्यक्तियों की नव-प्रवर्तनीय संभावनाओं के पोषण में भी सहायता मिली है जिससे वे अपने रचनात्मक विचारों को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने में सक्षम रहे हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी

5890. श्रीमती विजया चक्रवर्ती: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त राज्यों के बीच जल-बंटवारे के संबंध में कोई विवाद है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैण्ड, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल (उत्तरी बंगाल) हैं।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय में किसी बेसिन राज्य से ब्रह्मपुत्र जल के बंटवारे के संबंध में तटीय राज्यों के बीच किसी जल विवाद होने के संबंध में अन्तर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

रेलगाड़ियों का ठहराव

5891. श्री बलीराम जाधव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को 9131/9132 कच्छ एक्सप्रेस, 2479/2480 सूर्यनगरी एक्सप्रेस, 9115/9116 सायाजीनगरी एक्सप्रेस, 9149/9150 बांद्रा-पटना एक्सप्रेस, 2925/2926 पश्चिम एक्सप्रेस, 2471/2472 स्वराज एक्सप्रेस और बरास्ता

कोंकण रेलवे दक्षिण की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियों का पालघर-धानू अथवा विरार स्टेशनों पर नए ठहराव दिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि काफी संख्या में उत्तर भारतीय लोग इन क्षेत्रों में और इनके आस-पास रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) गाड़ी संख्या 18115/19116 बांद्रा (टी)-भुज सायाजी नगरी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) और गाड़ी सं. 12925/12926 बांद्रा (टी)-अमृतसर/कालका पश्चिम एक्सप्रेस (प्रतिदिन) पहले से ही दहानु रोड स्टेशन पर रुकती हैं।

वर्तमान में दूसरी गाड़ियों को पालघर, दहानु रोड और विरार स्टेशनों पर ठहराव देना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिसरिख क्षेत्र में रेल उपरिपुल

5892. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बिल्होर नगरपालिका में कक्छन मार्ग और सनडिला नगरपालिका में बेनीगंज मार्ग पर उत्तर प्रदेश के मिसरिख क्षेत्र में लखनऊ-हरदोई मार्ग पर रेल उपरिपुल के निर्माण हेतु कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संडीला नगरपालिका में ऊपरी/निचली सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बिलहोर नगरपालिका के अंतर्गत बिलहोर में काकचन मार्ग पर समपार संख्या 64 हैं जिस पर मार्च, 2010 की गणना के अनुसार, गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) 2448 है। चूंकि टी.वी.यू. एक लाख से कम है इसलिए यह ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अर्हक नहीं है।

पी.यू.आर.ए. के अंतर्गत लक्ष्य

5893. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान योजना (पी.यू.आर.ए.) के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पी.यू.आर.ए. योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गांवों को प्रदान की गई सुविधाओं की राज्य-वार/वर्ष-वार संख्या क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य-वार/वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) 21 जनवरी, 2010 को सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान योजना (पुरा) को 248 करोड़ रु. के बजट के प्रावधान सहित प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित किया है। योजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) फ्रेमवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत (अथवा ग्राम पंचायतों के समूह) में संभावित वृद्धि केन्द्र के आसपास के सघन क्षेत्रों के व्यापक और त्वरित विकास का प्रस्ताव है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आजीविका अवसरों और शहरी सुविधाओं को प्रदान किया जा सके।

(ग) और (घ) इस समय, 9 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। विभिन्न

परियोजना संबंधी करारों पर हस्ताक्षर होने के बाद कार्यान्वयन चरण शुरू होगा। परिणामस्वरूप, उक्त अवधि के दौरान सरकार ने योजना के अंतर्गत कोई राशि खर्च नहीं की है।

शुजालपुर पर रेल उपरिपुल

5894. श्री सज्जन वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुजालपुर (मध्य प्रदेश) में शुजालपुर-आस्था रोड रेल समपार पर रेल उपरिपुल का निर्माण रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना की निविदाएं आमंत्रित करने में विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ठप्प पड़ी कंपनियां

5895. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष 2011 तक ठप्प पड़ी कंपनियों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरल निर्गमन योजना 2010 (ई.ई.एस. 2010) के अंतर्गत ठप्प पड़ी प्राइवेट लिमिटेड/बंद पड़ी लिमिटेड कंपनियों की संख्या क्या है;

(ग) चालू वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व की राशि क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के रिकार्ड के अनुसार चूककर्ता कंपनियों (जिन्होंने लगातार पिछले तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अपने वार्षिक रिटर्न तथा तुलन पत्र दाखिल नहीं किए हैं) की कुल संख्या 1,62,144 है।

(ख) सरल निकासी योजना, 2010 (ई.ई.एस., 2010) के अतंर्गत बंद की गई चूककर्ता प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनियों की कुल संख्या 15,667 है।

(ग) शून्य, क्योंकि सरल निकासी योजना, 2010 के अंतर्गत शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) मंत्रालय ने कंपनियों के शीघ्र तथा बाधारहित समापन के लिए सरल निकासी योजना, 2010 समाप्त होने के बाद एक अन्य योजना/दिशा-निर्देशों की घोषणा की है, नामत:

(i) सरल निकासी योजना, 2010 (1-1-2011 से 30-4-2011 तक)

(ii) द्रुतगामी निकासी मोड दिशा-निर्देश (3-7-2011 से लागू)

[अनुवाद]

स्केल अप स्टडीज

5896. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रदीप माझी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल द्वारा "स्केल अप स्टडीज फार द कवर्जन ऑफ वेस्टर प्लास्टिक एंड लो पॉलीमर वैक्स टू वैल्यू एडेड हाइड्रोकार्बन" के संबंध में कोई अनुसंधान परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजना पर अभी तक हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट पालीथिलीन पालीप्रोपीलीन को विभिन्न रूपों में और न्यून पालीमर मोम को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करना है। बेंच स्केल इकाई को रूपांकित और उसका निर्माण किया जाता है तथा उनके प्रयोग किए गए थे और उत्पादों का मूल्यांकन किया गया था। कार्यान्वित किए जाने पर इससे पर्यावरण संबंधी प्रदूषण में कमी होगी और प्लास्टिक अपशिष्ट सामग्रियों से मूल्यवान हाइड्रोकार्बन्स का उत्पादन होगा।

(ग) गेल द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को 28 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया है।

छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाना

5897. श्री सोमेन मित्रा: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अल्पसंख्यक संगठनों ने सरकार को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाते समय विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संगठनों द्वारा उजागर की गई मुख्य समस्याएं क्या हैं; और

(घ) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने और छात्रवृत्ति योजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपर्याप्त समय मिलने, छात्रवृत्तियों के संवितरण में विलम्ब, शून्य बैलेन्स अकाउन्ट खोलने के प्रति बैंकों की अनिच्छा आदि जैसी समस्याओं के संबंध में अल्पसंख्यक संगठनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) इन समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों में शामिल हैं:- मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए **ऑनलाइन स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम** की शुरुआत, नए और नवीकरण के आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय में विस्तार दिया जाना, छात्रवृत्ति योजनाओं की कड़ी निगरानी आदि। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की तैयारी के लिए योजना आयोग द्वारा कार्यबल के गठन से पहले कार्यान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं में बदलाव लाया गया है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई संबंधी विधान

5898. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विधानों के चलते जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी है जिसके कारण वहां निवास कर रहे गरीब लोगों को कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विधान में किस प्रकार छूट देने पर विचार कर रही है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान/विस्तार को रोकने के लिए कोई भी केन्द्रीय विधान नहीं है।

जनजातीय क्षेत्रों में जल संसाधन विकास और सुधार प्रबंधन के लिए अनेक उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाते हैं जिसमें भंडारण सृजन, जल निकायों का पुनरूद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन उपाय आदि शामिल है।

चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और ओडिशा के सूखा प्रवण के.बी.के. जिलों के सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत

केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए लघु सिंचाई स्कीमों; जोकि जनजातीय क्षेत्रों और सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करती हैं, को भी अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ए.आई.बी.पी. के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90% केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

एक और स्कीम नामतः "जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार" भी है जिसके लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के तहत, जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को परियोजना लागत का 90% तक की केन्द्रीय सहायता मिलती है।

कजाक तेल क्षेत्रों में हिस्सेदारी

5899. श्री नित्यानंद प्रधानः

श्री वैजयंत पांडाः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कजाकिस्तान के तेल क्षेत्रों में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में अन्य देशों के साथ इस प्रकार के कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में तेल का स्वदेशी उत्पादन, बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) ने सत्पायेव अन्वेषण ब्लॉक में 25 प्रतिशत भागीदारी हित का अर्जन करने के लिए कजाखिस्तान की राष्ट्रीय तेल कम्पनी के.एम.जी. के साथ अस्ताना, कजाखिस्तान में दिनांक 16 अप्रैल, 2011 को करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे से कजाखिस्तान हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में ओ.वी.एल. का प्रवेश हो गया है। सत्पायेव अन्वेषण ब्लॉक 1482 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कैस्पियन सागर के कजाखिस्तान क्षेत्र में स्थित है। सत्पायेव उत्तरी कैस्पियन सागर में बड़ी हाइड्रोकार्बन खोजों के बिल्कुल निकट स्थित है।

(ग) और (घ) देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज) ने विदेश में विभिन्न तेल कंपनियों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की तारीख में, तेल पी.एस.यूज 64,832 करोड़ रुपए के संचयी निवेश के साथ लगभग 20 देशों में विद्यमान है जिनमें सूडान और म्यांमार प्रत्येक में एक पाइपलाइन परियोजना शामिल है।

(ङ) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में तीव्रता लाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के विभिन्न दौरों के अंतर्गत प्रस्तावित किए जाने के लिए अन्वेषण हेतु अधिक से अधिक क्षेत्रों का उत्कीर्णन करना।

(ii) विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का प्रयोग।

(iii) विद्यमान क्षेत्रों से वसूली घटक में वृद्धि करने के लिए वृद्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(iv) पुराने क्षेत्रों से ह्रास रोकना।

डी.जी.एच. में जनशक्ति

5900. डॉ. संजय सिंहः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) का अपना स्वयं का कोई संवर्ग नहीं है और इसकी जनशक्ति पूर्णतया प्रतिनियुक्ति पर आधारित है;

(ख) इससे निदेशालय का कार्यकरण किस प्रकार प्रभावित हो रहा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक संवर्ग न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डी.जी.एच.) का अपना स्वयं का कोई संवर्ग नहीं है। सरकार ने दिनांक 08-04-1993 के संकल्प के अनुसार डी.जी.एच. की जनशक्ति की आवश्यकता महानिदेशक (डी.जी.), डी.जी.एच. के साथ परामर्श करके तेल उद्योग से प्रतिनियुक्ति/कार्य अवधि आधार पर स्टाफ लेकर पूरी की जाती है। इसके अतिरिक्त डी.जी., डी.जी.एच. अनुबंध आधार पर आवश्यकतानुसार परामर्शदाताओं/सलाहकारों के रूप में विशेषज्ञों की नियुक्ति भी करते हैं। डी.जी.एच. में वर्तमान स्थल संबंधी प्रणाली अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

[अनुवाद]

आई.ए.वाई. के अंतर्गत पौधरोपण

5901. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के तहत कवर की गई बस्तियों/गांवों में पौधरोपण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, आई.ए.वाई. के लाभार्थियों को अपने घर के आस पास वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि और ग्रामीण उद्योग

5902. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा में चिकनी मिट्टी, बांस आदि से निर्मित पारम्परिक वस्तुओं जैसे कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन उद्योगों का विकास करके ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इन उद्योगों में नियोजित लोगों को प्रशिक्षण, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता और विपणन उपलब्ध कराने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) ओडिशा में कृषि, खनिज तथा वन आधारित उद्योगों सहित कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए क्षमताएं हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय, भारत सरकार में गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक योजना है। पी.एम.ई.जी.पी. 2008-09 से ओडिशा सहित देश भर में संचालित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ओडिशा में कुल 6213 पी.एम.ई.जी.पी. इकाइयों की सहायता की गई है, जिनमें 23% इकाइयां खाद्य एवं कृषि उद्योगों की श्रेणी, 4.5% वन आधारित उद्योगों और 10.3% खनिज आधारित उद्योगों से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) के तहत चार परंपरागत उद्योग

क्लस्टरों (एक बांस उत्पादों में, एक खजूर गुड़ में और दो कॅयर उत्पादों में) को अपनाया गया है।

पॉटरी सेगमेंट के तहत, ओडिशा में एक ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र (आर.आई.एस.सी.) भी चल रहा है और प्रत्येक वर्ष कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कारीगरों को नि:शुल्क चाक उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि उपरोक्त भाग (ख) में दर्शाया गया है, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय में भारत सरकार खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ओडिशा सहित राज्यों में भावी उद्यमियों को मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती रही है और प्रगति के आधार पर तदनुसार निधियां जारी की जाती हैं। इस हस्तक्षेप से राज्यों में बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है और अगस्त 2011 तक पी.एम.ई.जी.पी. के तहत 12.56 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजित होने का अनुमान है।

(ङ) जी, हां।

(च) पी.एम.ई.जी.पी. के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) में शामिल होना भी एक अनिवार्य आवश्यकता है। 25 सितंबर, 2008 को एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा जारी पी.एम.ई.जी.पी. संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एम.ई.जी.पी. के तहत चुने गए लाभार्थी दो से तीन सप्ताह ई.डी.पी. में शामिल होंगे। के.वी.आई.सी. ने ई.डी.पी. प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 700 प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता प्रदान की है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता व लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एन.आई.एम.एस.एम.ई.), हैदराबाद और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.आई.ई.), गुवाहाटी के साथ गठजोड़ भी किए हैं। के.वी.आई.सी. द्वारा उनके विभागीय तथा संस्थागत केंद्रों के माध्यम से विपणन सहयोग भी प्रदान किया जाता है और वह पी.एम.ई.जी.पी. के लाभार्थियों द्वारा उत्पादित के.वी.आई. उत्पादों को बाजार प्रदान करने के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. परिवारों को सहायता

5903. श्री अशोक अर्गल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान करने और विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के लिए 2009-10 के दौरान विभिन्न राज्यों को, राज्य-वार, कितनी सहायता राशि जारी की गई;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने उक्त राशि का उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुसूचित जातियों (एस.सी.) सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले परिवारों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.जी.एस.वाई./एन.आर.एल.एम.) तथा इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का कार्यान्वयन करता है। हालांकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए वास्तविक लाभार्थी लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन वर्ष 2009-10 के दौरान कोई वित्तीय सहायता निर्धारित नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

नेशनल फैलोशिप स्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियां

5904. श्री राम सुन्दर दास:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए नेशनल फैलोशिप की नई स्कीम हेतु निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आबंटित एवं व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक छात्र को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता तथा उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा दिये जा रहे अंशदान की राशि क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ अनुदान/सहायता को मंजूरी दिये जाने हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान में अनेक आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रतिष्ठान के पास आज की तिथि के अनुसार कितने आवेदन लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(च) लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना का शुभारंभ वर्ष 2009-10 में हुआ था, जिसका कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के माध्यम से किया जाता है। धनराशि यू.जी.सी. को जारी की जाती है न कि राज्यों को। पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित एवं जारी धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	आवंटित धनराशि (करोड़ रु.)	जारी धनराशि (करोड़ रु.)
2009-10	15.00	14.90
2010-11	30.00	29.98
2011-12	52.00	शून्य

(ग) इस योजना के तहत विभिन्न विषयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के आधार पर प्रत्येक छात्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि अलग-अलग होती है। योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा किसी अंशदान का प्रावधान नहीं है।

(घ) जी, नहीं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत अध्येतावृत्ति हेतु आवेदनों को प्रक्रिया में लेने का कार्य मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

कचरा निपटान की आउटसोर्सिंग

5905. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने स्टेशनों, पटरियों और प्लेटफार्मों की साफ-सफाई के कार्य को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है ताकि रेलवे स्टेशन परिसरों के सौंदर्य में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या रेलवे ने जलापूर्ति, धुलाई किये जाने वाले एप्रेनों, नालियों और सीवरेज प्रणाली, शौचालयों आदि जैसी अवसंरचना पर बहुत ही कम ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) साफ-सफाई में सुधार/स्टेशनों/स्टेशन परिसरों की साफ-सफाई के प्रयोजन से भारतीय रेलवे के बड़े और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यांत्रीकृत सफाई, कूड़ा-करकट उठाने, कचरे का निपटान आदि की प्रणालियों को अपनाने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश पहले से ही विद्यमान हैं और आवश्यकता पड़ने पर ठेके आदि भी दिए जाते हैं और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) इन स्टेशनों पर आवश्यकता के अनुसार धुलनीय एप्रनों, नालियों और सीवरेज प्रणालियों एवं प्रसाधन जैसी अवसंरचना मुहैया कराई गई है। स्टेशनों पर इस प्रकार की अवसंरचना का संवर्द्धन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता पड़ने और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। भारतीय रेल के सभी रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बड़े स्टेशनों पर वाटर कूलर भी मुहैया कराए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल मिशन

5906. श्री जगदानंद सिंह:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में जल का वितरण असमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में जल की मांग और आपूर्ति की राज्य-वार स्थिति क्या है और अगले दशक के दौरान अनुमानित मांग क्या है;

(ङ) क्या सरकार का भारत के संविधान में संशोधन कर जल विषय को सातवीं अनुसूची में राज्य सूची से अंतरित कर समवर्ती सूची में करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य "जल का संरक्षण, अपव्यय को कम करना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना" है। राष्ट्रीय जल मिशन के लिए अभिज्ञात पांच लक्ष्य हैं: (i) व्यापक जल आंकड़ा आधार को सार्वजनिक क्षेत्र में लाना और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन; (ii) जल संरक्षण, संवर्धन एवं परिरक्षण के लिये नागरिक एवं राज्य कार्रवाई को प्रोत्साहन देना; (iii) अति दोहित क्षेत्रों सहित गंभीर क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना; (iv) जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना और (v) बेसिन स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन देना।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन को दिये गए अनुमोदन के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय में अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक मिशन सचिवालय स्थापित किया गया है। अनुमोदित मिशन दस्तावेज की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दी गई हैं।

(ख) से (घ) देश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1170 मिलीमीटर (मि.मी.) है। जल की उपलब्धता भिन्न-भिन्न स्थानों पर एवं भिन्न-भिन्न समय पर अत्यधिक असमान है। वर्षा एक वर्ष में लगभग तीन से चार महीनों में ही होती है और इसमें राजस्थान के पश्चिमी भाग में 100 मिमी. से मेघालय के चेरापुंजी में 10,000 मिमी. तक की विभिन्नता पाई जाती है। भूजल संसाधनों की राज्य-वार उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण विवरण-I पर दिया गया है। उपयोग योग्य सतही जल का बेसिन-वार आकलन किया गया है और इसका ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। एकीकृत जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.डब्ल्यू.आर.डी.) ने वर्ष 2010 के लिये जल की आवश्यकता 708 बी.सी.एम. और वर्ष 2025 के लिये 843 बी.सी.एम. आकलित की है। एन.सी.आई.डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा वर्ष 2010 और 2025 के लिए आकलित की गई जल की राज्य-वार आवश्यकता का ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

(ङ) से (छ) सरकार ने संविधान में संशोधन करने और "जल" के विषय को राज्य सूची से सातवीं अनुसूची में ले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

विवरण-I

राज्य-वार भूजल संसाधन उपलब्धता

(बिलियन घन मीटर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.50

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.56
3.	असम	27.23
4.	बिहार	29.19
5.	छत्तीसगढ़	14.93
6.	दिल्ली	0.30
7.	गोवा	0.28
8.	गुजरात	15.81
9.	हरियाणा	9.31
10.	हिमाचल प्रदेश	0.43
11.	जम्मू और कश्मीर	2.70
12.	झारखंड	5.58
13.	कर्नाटक	15.93
14.	केरल	6.84
15.	मध्य प्रदेश	37.19
16.	महाराष्ट्र	32.96
17.	मणिपुर	0.38
18.	मेघालय	1.15
19.	मिजोरम	0.04
20.	नागालैंड	0.36
21.	ओडिशा	23.09
22.	पंजाब	23.78
23.	राजस्थान	11.56
24.	सिक्किम	0.08
25.	तमिलनाडु	23.07
26.	त्रिपुरा	2.19
27.	उत्तर प्रदेश	76.35
28.	उत्तराखंड	2.27
29.	पश्चिम बंगाल	30.36
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.330
2.	चंडीगढ़	0.023
3.	दादरा और नगर हवेली	0.063
4.	दमन और दीव	0.009
5.	लक्षद्वीप	0.012
6.	पुडुचेरी	0.160

विवरण-II

राज्य-वार भूजल संसाधन उपलब्धता

(बिलियन घन मीटर)

क्र. सं.	नदी बेसिन	उपयोग योग्य सतही जल
1	2	3
1.	सिंधु	46
2.	गंगा-ब्रह्मपुत्र-बराक	
	क. गंगा-उप-बेसिन	250
	ख. ब्रह्मपुत्र एवं बराक उप-बेसिन	24
3.	गोदावरी	76.3
4.	कृष्णा	58
5.	कावेरी	19
6.	पेन्नार	6.9
7.	महानदी एवं पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	13.1

1	2	3
8.	पेन्नार एवं कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	16.5
9.	महानदी	50
10.	ब्राह्मणी और वैतरणी	18.3
11.	सुवर्णरेखा	6.8
12.	साबरमती	1.9
13.	माही	3.1
14.	लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15
15.	नर्मदा	34.5
16.	तापी	14.5
17.	तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	11.9
18.	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	24.3
19.	राजस्थान मरूस्थल में अंतभूमि जलनिकास का क्षेत्र	-
20.	बांग्लादेश और म्यांमार में गिरने वाले लघु नदी बेसिन	-

विवरण-III

विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुल अनुमानित जल उपयोग का सार-राज्यवार

(बिलियन घन मीटर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन.सी.आई.डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा वर्ष 2010 के लिये आकलित की गई सभी उपयोगों हेतु कुल जल की आवश्यकता	एन.सी.आई.डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा वर्ष 2025 के लिये आकलित की गई सभी उपयोगों हेतु कुल जल की आवश्यकता
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	66.4	78.5
अरुणाचल प्रदेश	1.4	2.1
असम	18.8	24.1
बिहार और झारखंड	47.7	64.3
गोवा	0.5	0.8
गुजरात	35.3	46
हरियाणा	32.1	31.8
हिमाचल प्रदेश	5.8	6
जम्मू और कश्मीर	7.1	9.1

1	2	3
कर्नाटक	36.4	42.7
केरल	11.6	15.6
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	51.2	67.6
महाराष्ट्र	56.1	74.0
मणिपुर	1.5	1.7
मेघालय	1.2	1.5
मिजोरम	0.4	0.6
नागालैंड	1.2	1.6
ओडिशा	24	32.8
पंजाब	51.1	48.8
राजस्थान	55.3	54.8
सिक्किम	0.4	0.5
तमिलनाडु	44.1	51.6
त्रिपुरा	1.6	2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	118	137
पश्चिम बंगाल	37.3	44.5
संघ राज्य क्षेत्र	1.8	2.5

[अनुवाद]

निर्मल ग्राम पुरस्कार

5907. श्री हरिन पाठक:

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन.जी.पी.) के संबंध में सर्वेक्षण कार्य करने के लिए कुछ एजेंसियों की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक रूप से सक्षम थीं;

(ग) यदि हां, तो गुजरात से स्थानीय व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए इन सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सर्वेक्षण एजेंसियों ने पारदर्शी तथा सांख्यिकीय रूप से सुदृढ़ तरीके से फील्ड सर्वेक्षण किया और ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को सर्वेक्षण के उद्देश्यों के बारे में सूचित किया;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2010 के दौरान गुजरात में एन.जी.पी. आवेदनकर्त्ता ग्रामों में सर्वेक्षण करने वाली प्रत्येक एजेंसी को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गुजरात राज्य सरकार ने इन सर्वेक्षण एजेंसियों के निष्कर्षों पर लिखित आपत्तियां उठाई हैं; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सर्वेक्षण एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए विचारार्थ विषयों (टी.ओ.आर.) में उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक सर्वेक्षण दल में 1 पर्यवेक्षक और 2 अन्वेषक शामिल होने चाहिए। दल के सभी सदस्यों को कम से कम स्नातक होना चाहिए और उन्हें स्थानीय भाषा में प्रभावपूर्ण ढंग से बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए।

(घ) एजेंसियों ने टी.ओ.आर. के अनुसार सर्वेक्षण किया और समय सारणी के अनुसार अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराई।

(ङ) उन एजेंसियों में से प्रत्येक एजेंसी जिसने वर्ष 2010 के दौरान गुजरात में एन.जी.पी. आवेदक के गांवों में सर्वेक्षण किया, को किए गए भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	भुगतान की गई राशि (रु. में)
1.	एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल रिन्यूअल इन महाराष्ट्र	2010750
2.	एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.	1938600
3.	एशियन सेन्टर फॉर सोसियो-इकोनॉमिक एण्ड रूरल डेवलपमेंट	2229000
4.	सेन्टर ऑफ साईन्स फॉर विलेज्स	1700250
5.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	1789667
6.	सोसायटी फॉर सोशल सर्विस, एम.बी.सी.	2642908

(च) और (छ) जी, हां। पत्रों की जांच की गई और चूंकि की गई आपत्तियां एन.जी.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में नहीं थी, इसलिए तद्नुसार राज्य को जानकारी दी गई।

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

5908. श्री शैलेन्द्र कुमार:

श्री अब्दुल रहमान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे संगठनों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सच्चर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद भी सरकारी विभागों तथा पी.एस.यू. में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कोई गुणात्मक/मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (च) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2007 को जारी दिशा निर्देशों में यह अनुदेश भी शामिल है कि सभी मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती की प्रगति पर निगरानी रखी जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते, अपितु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित पांच अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित समग्र आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की भांति ही भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना आवश्यक होता है। उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों की भांति कोई विशेष रियायत नहीं दी जाती है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की भर्ती की प्रतिशतता वर्ष 2006-07 में 6.93 प्रतिशत, 2007-08 में 8.23 प्रतिशत, 2008-09 में 9.09 प्रतिशत और वर्ष 2009-10 में 7.28 प्रतिशत थी। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के कौशल एवं क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से उनके लिए एक नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि उन्हें उद्योग जगत, सेवा क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2010-11 तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को रु. 1526.91 करोड़ राशि की कुल 78.68 लाख छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां संवितरित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारपरकता में वृद्धि लाने की दृष्टि से अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) के तहत स्कूल शिक्षा तथा कौशल शिक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रु. 992.63 करोड़ की राशि व्यय हेतु स्वीकृत हुई है।

[हिन्दी]

आर.पी.एफ. को तैनात किया जाना

5909. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के कार्मिकों को देश में विभिन्न मंत्रियों, अधिकारियों तथा अति-विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु तैनात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार कितने कार्मिकों की इस प्रकार तैनाती की गई है;

(ग) क्या संस्वीकृत संख्या से पहले ही कम आर.पी.एफ. कार्मिकों की ऐसी तैनाती के फलस्वरूप रेलगाड़ियों में सुरक्षा प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि आर.पी.एफ. को केवल उस प्रयोजनार्थ तैनात किया जाए जिसके लिए इसका गठन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रे.सु.ब. कर्मियों को सामान्यत: रेल संपत्ति, यात्रियों, यात्री क्षेत्र और उनसे संबंधित मामलों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। रे.सु.ब. औसतन प्रतिदिन लगभग 1300 रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण करके अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है। जब कभी किसी मंत्री, अति विशिष्ट व्यक्ति, महिलाओं/छात्रों के समूहों आदि के आने-जाने की सूचना प्राप्त होती है तो रे.सु.ब. कर्मियों को आवश्यकता और संवेदनशीलता के आधार पर तैनात किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना

5910. श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना का निर्माण कार्य काफी लंबे समय से अधूरा है जिससे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले और ओडिशा के कुछ जिलों में किसानों को काफी समस्या हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इसे पूरा करने के लिए उपाय करने हेतु सक्रियता से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) अविभाजित बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच सुवर्ण रेखा नदी के संबंध में अगस्त, 1978 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। इस समझौते के पश्चात् तीन सह-बेसिन राज्यों (ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अब झारखण्ड) में से प्रत्येक ने सुवर्णरेखा नदी बेसिन के जल संसाधन का उपयोग करने के लिए अपना स्वयं का कार्यक्रम बना लिया है।

पश्चिम बंगाल की सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना VIIवीं योजना में शुरू की गई थी और अभी चालू है।

ओडिशा की सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना VIIवीं योजना में शुरू की गई थी और अभी चालू है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत राज्यों को दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) दी जाती है। पश्चिम बंगाल की सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना को अभी तक ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 13.288 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। 2004 के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्ताव को ए.आई.बी.पी. स्कीम से बाहर करने का प्रस्ताव रखा था। परियोजना राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना निधि से निष्पादित की जा रही है।

ओडिशा की सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को अब तक ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 1082.442 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ङ) पश्चिम बंगाल की सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना को 2015-16 तक पूरा करने का लक्ष्य है और ओडिशा की सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को मार्च, 2014 तक पूरा किए जाने की योजना है।

ए.आई.बी.पी. की पहुंच

5911. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के लाभ दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो ए.आई.बी.पी. से ग्रामीण लोगों विशेषकर महिलाओं को क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) क्या सरकार समय-समय पर ए.आई.बी.पी. की पहुंच की समीक्षा करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संघ सरकार राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) देती है। सूखा-प्रवण क्षेत्रों (डी.पी.ए.पी.) जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं और विशेष श्रेणी राज्यों की परियोजनाओं को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजना लागत के 90% की सीमा तक प्राथमिकता के आधार पर वित्तपोषण किया जाता है। विशेष श्रेणी राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरांचल शामिल हैं। ओडिशा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (के.बी.के.) जिलों की परियोजनाओं को भी विशेष श्रेणी राज्यों के समान माना जाता है। इसी रूप में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ दिये जाते हैं।

(ग) और (घ) ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देशों में वित्तपोषण के क्षेत्र में वृद्धि करने और विकास में पीछे छूट रहे क्षेत्रों, जिनमें वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य, सूखा-प्रवण एवं जनजातीय क्षेत्र, ओडिशा के के.बी.के. जिले, राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्य और कृषि की समस्या वाले जिलों हेतु प्रधानमंत्री पैकेज के तहत अभिज्ञात जिले शामिल हैं, पर विशेष तौर पर विचार करने के लिये समय-समय पर संशोधन किया

जा रहा है।

अधिकरणों के लिए स्वतंत्र एजेंसी

5912. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने भारत संघ (यू.ओ.आई.) बनाम आर गांधी, (11 एस.सी.सी. 1 में 2010 में रिपोर्टें) जिसमें अधिकरणों की संरचना, सक्षमता, मानक, अर्हता कार्यकाल, सेवा पुनर्ग्रहण अधिकार तथा अधिकरणों के सदस्यों के कार्यकरण और विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के बारे में कुछेक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किये हैं कि उच्चतम न्यायालय की उक्त सिफारिशें सभी अधिकरणों में लागू की जाएं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी अधिकरणों के संचालन हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 11-05-2011 को परिदत्त, सिविल अपील संख्यांक 2004 का 3067-भारत संघ बनाम आर. गांधी, प्रेसीडेन्ट, मद्रास बार एसोसिएशन के अपने निर्णय में एल. चन्द्र कुमार के मामले (1977) 3 एस.सी.सी. 61 में किए गए अपने संप्रेक्षणों की पुष्टि की है कि अधिकरणों के प्रशासन में समरूपता लाई जाए और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए अधिकरणों और प्राधिकरणों के कृत्यों का निरीक्षण करने के लिए एक नोडल प्राधिकरण की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) सरकार ने मामले पर ध्यान दिया है और वर्तमान में, अधिकरणों/प्राधिकरणों का प्रशासन करने वाले विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से परामर्श किए हैं।

(ङ) उपरोक्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा उपदर्शित करना संभव नहीं हैं क्योंकि अंतिम अभिमत की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।

डिमिस्टीफाइंग क्रॉप बॉयोटेक्नोलॉजी संबंधी बैठक

5913. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में डिमिस्टीफाइंग क्रॉप बॉयोटेक्नोलॉजी संबंधी बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार विशेष रूप से हरियाणा और अन्य विशेषज्ञों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां। डिमिस्टीफाइंग क्रॉप बॉयोटेक्नोलॉजी संबंधी बैठक 27 जून, 2011 को हैदराबाद में आयोजित की गयी थी। यह बैठक एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विद्वत गोष्ठी थी जिसे इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दि सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (आई.सी.आर. आई.एस.ए.टी.), एशियन मीडिया इनफार्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन सेन्टर (ए.एम.आई.सी.) और सर्विसेज फॉर द इन्टरनेशनल एक्विजीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायेटिक एप्लीकेशन्स (आई.एस.ए.ए.ए.) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

(ख) इस विद्वत गोष्ठी का उद्देश्य फसल जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित वर्तमान चुनौतियों, मुद्दों और मामलों में सहभागी होना; फसल जैवप्रौद्योगिकी के बारे में एशियन मीडिया व्यवसायियों और अनुसंधानकर्ताओं के गुण-दोष विवेचन और समझ को बढ़ाना तथा एशियन मीडिया के लिए फसल जैवप्रौद्योगिकी संबंधी वैज्ञानिक तथ्यों का आदान-प्रदान करना था। मीडिया विद्वत गोष्ठी में 100 से अधिक एशियन सीनियर मीडिया व्यवसायियों, अकादमीसियनों और अनुसंधानकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को 12 प्रमुख टीवी-रेडियो नेटवर्कों और लगभग 40 प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रकाशनों द्वारा एशिया न्यूज इन्टरनेशनल, राइटर्स, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और इंडियन न्यूज नेटवर्क के जरिए व्यापक रूप से कवर किया गया।

(ग) हरियाणा सहित किसी भी राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग नहीं लिया जिससे वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। बैठक में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए कि "आनुवंशिक रूप से

अभियंत्रित खाद्यान्नों की सुरक्षा के बारे में वैज्ञानिकों के दावों पर जनता की शंका को ध्यान में रखते हुए कठोर विनियामक और सुरक्षा मूल्यांकन प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं"। सतत खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त करने, ट्रांसजेनिक बीजों तक किसानों की पहुंच बनाने और प्रमुख खाद्यान्न फसलों को अधिक उत्पादनकारी, पौष्टिक और वहन योग्य बनाकर गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित पहलों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। संशोधित लोकनीति, अधिक जन विश्वास और विनियामक निर्णयों हेतु सशक्त सहायता के लिए फसल जैवप्रौद्योगिकी पर बहुपणधारी विचार-विमर्श के जरिए जनता से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना आवश्यक है।

कलस्टर विकास कार्यक्रम

5914. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को एम.एस.एम.ई. कलस्टर विकास कार्यक्रम के तहत निधियां स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और शेष धनराशि, यदि कोई हो तो, को राज्य-वार कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.) के तहत स्वीकृत निधियों का राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(ग) जारी की गई धनराशि का राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण पर दिया गया है। निधियां परियोजनाओं की अपेक्षानुसार जारी की जाती हैं।

विवरण

(राशि लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत निधियां	जारी की गई निधियां
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	519.27	379.2
2.	असम	225.25	181.03
3.	अरुणाचल प्रदेश	22.1	20.51
4.	बिहार	253.94	211.36
5.	छत्तीसगढ़	34.19	28.78
6.	दिल्ली	40.38	19.93
7.	गुजरात	722.4	307.46
8.	गोवा	50.31	24.94
9.	हरियाणा	86.11	69.81
10.	हिमाचल प्रदेश	28.05	28.96

1	2	3	4
11.	झारखंड	58.48	35.03
12.	जम्मू और कश्मीर	333.8	311.0
13.	कर्नाटक	562.02	495.80
14.	केरल	3071.02	1867.42
15.	महाराष्ट्र	3704.30	853.93
16.	मध्य प्रदेश	119.94	75.94
17.	मणिपुर	32.60	30.46
18.	मेघालय	17.40	12.47
19.	मिजोरम	34.50	34.50
20.	नागालैंड	56.0	52.29
21.	ओडिशा	550.12	233.03
22.	पंजाब	642.73	258.38
23.	राजस्थान	1252.50	160.70
24.	सिक्किम	15.0	11.21
25.	तमिलनाडु	3804.45	816.59
26.	त्रिपुरा	4.75	4.75
27.	उत्तर प्रदेश	1937.69	734.87
28.	उत्तराखंड	29.37	29.37
29.	पश्चिम बंगाल	2365.53	639.16

बजट होटल

5915. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार और स्थान-वार कितने रेलवे अतिथि गृह/यात्री निवास तथा बजट होटल कार्यरत हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज तक उनके द्वारा अर्जित लाभ और उन्हें हुई हानि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेलों पर जनता के लिए अतिथि गृहों की कोई अवधारणा नहीं है। बहरहाल, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, और पश्चिम बंगाल राज्य में हावड़ा में एक-एक रेल यात्री निवास और झारखंड राज्य में रांची और

ओडिशा में पुरी में बजट होटल की तर्ज पर एक-एक बी.एन.आर. होटल का प्रबंधन कर रहा है। इस समय, भारतीय रेलों पर कोई और बजट होटल नहीं है।

(ख) भारतीय रेल और भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड को रेल यात्री निवास और बी.एन.आर. होटलों से कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि ये सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड को इन संपत्तियों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु.)

क्र. सं.	होटल	आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा अर्जित राजस्व		
		2008-09	2009-10	2010-11
1.	रेल यात्री निवास, नई दिल्ली	34.26	39.64	39.18
2.	रेल यात्री निवास, हावड़ा	21.17	23.27	24.83
3.	बी.एन.आर. होटल, पुरी	19.21	22.23	28.19
4.	बी.एन.आर. होटल, रांची	36.95	52.32	63.17

सी.एन.जी. का वितरण

5916. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सी.एन.जी. के पाइपलाइन वितरण हेतु आन्ध्र प्रदेश के बारह जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। ए.पी.आई.आई.सी. और ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ. के संयुक्त उद्यम मैसर्स ए.पी. गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (प्रा.) लिमिटेड ने नगर गैस वितरण परियोजनाओं के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश के 12 जिलों को शामिल करते हुए सात भौगोलिक क्षेत्रों (जी.एज.) के ब्यौरे पी.एन.जी.आर.बी. को प्रस्तुत किए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. रंगारेड्डी और मेडक जिले
2. नालगोंडा जिला
3. खम्मम जिला
4. विशाखापटनम और पूर्वी गोदावरी जिले
5. कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिले
6. श्रीकाकुलम और विजयानगरम जिले
7. करीमनगर और वारंगल जिले

पी.एन.जी.आर.बी. ने सी.जी.डी. बोली के चौथे दौर में रंगारेड्डी और मेडक जिलों, नालगोंडा जिला तथा खम्मम जिले के भौगोलिक क्षेत्रों (जी.एज.) को शामिल किया है।

न्यायालय अवमान अधिनियम

5917. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वां नदी का चैनल बनाना

5918. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से होकर बहने वाली स्वां नदी के चैनल बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है तथा इसमें केन्द्र सरकार का कितना अंशदान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। XIवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में "स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन एवं एकीकृत भूमि विकास परियोजना चरण-II" हेतु केन्द्र सरकार "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" योजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान परियोजना को 27.00 करोड़ रु. तथा वर्ष 2010-11 में 74.25 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना को मार्च, 2014 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(ङ) परियोजना को कुल अनुमानित लागत (235.52 करोड़ रुपये) में से 184.27 करोड़ रुपये (बाढ़ घटक की लागत) की राशि के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषित किए जाने का पात्र माना गया है। केन्द्र सरकार का योगदान अर्थात केन्द्रीय हिस्सा 165.84 करोड़ रुपये है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत जुटाई गई निधियां

5919. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत डीजल और पेट्रोल पर उप-कर लगा कर कितनी निधि जुटाई गई;

(ख) क्या उक्त निधियों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा कार्यों का क्रियान्वयन योजना के अनुसार नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार पता लगाए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान डीजल और पेट्रोल पर उप-कर लगाने के परिणामस्वरूप 12,664 करोड़ रु. की राशि जुटाई गई थी।

(ख) और (ग) इन निधियों का पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

5920. श्री रवनीत सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों के उत्पादन में संलग्न निजी लिमिटेड कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों का कितना कारोबार रहा है तथा इनके द्वारा किस प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन किया गया;

(ग) उर्वरकों के उत्पादन में लगी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों का कितना कारोबार रहा है तथा इनके द्वारा किस प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन किया गया?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादन में संलग्न निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नाम और इन कंपनियों का कारोबार विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में उर्वरक संयंत्रों की कंपनी-वार/उत्पाद-वार/क्षेत्र-वार सूची (2008-09 से 2010-11)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	कारोबार (करोड़ रुपए)		
			2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
	निजी क्षेत्र:				
1.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जी.एस.एफ.सी.)	यूरिया, डी.ए.पी. और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	4823.70	2869.73	3292.80
2.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जी.एन.एफ.सी.)	यूरिया और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	2985.40	2700.73	2989.45
3.	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (के.एस.एफ.एल.)	यूरिया	1210.68	925.20	1084.08
4.	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	डी.ए.पी. और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	9667.81	6526.85	7716.14
5.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (एस.एफ.सी.)	यूरिया	795.43	476.10	467.47
6.	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेड.आई.एल.)	यूरिया, डी.ए.पी. और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	6090.60	4277.55	5522.83
7.	साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (स्पिक)	यूरिया, डी.ए.पी. और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	138.36	318.24	1462.16
8.	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.सी.एफ.)	यूरिया, डी.ए.पी. और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	1984.48	1469.45	1607.00
9.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (टी.सी.एल.)	यूरिया, डी.ए.पी. और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	8526.0	5669.0	6441.0
10.	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स (आई.जी.एफ.)	यूरिया	1249.76	1021.56	1243.53
11.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डी.ए.पी.	812.32	327.72	590.47

1	2	3	4	5	6
12.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरशन लिमिटेड (डी.एफ.पी.सी.एल.)	मिश्रित ग्रेड उर्वरक	1412.11	1287.97	1564.81
13.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एन.एफ.सी.एल.)	यूरिया	2371.91	1987.91	3087.11
14.	चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सी.एफ.सी.एल.)	यूरिया	2370.09	2219.02	2385.86
15.	पारादीप फास्फेट लिमिटेड (पी.पी.एल.)	डी.ए.पी. और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	5114.45	2984.14	3504.67
	सार्वजनिक क्षेत्र:				
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन.एफ.एल.)	यूरिया	5127.10	5092.28	5791.03
2.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.वी.एफ.सी.एल.)	यूरिया	150.71	261.78	400.93
3.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)	मिश्रित ग्रेड उर्वरक	2147.48	2141.61	2511.83
4.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ.)	यूरिया, डी.ए.पी. और ग्रेड उर्वरक	8538.43	5826.25	5677.25
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.)	यूरिया और मिश्रित ग्रेड उर्वरक	1123.59	1302.84	1622.83

[हिन्दी]

यमुना नदी के जल का विपथन

5921. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा ऋतु के दौरान यमुना नदी में उफान के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यमुना नदी के बाढ़ के पानी को लूनी नदी में छोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) यद्यपि, विशिष्ट ब्यौरा/सूचना उपलब्ध नहीं है, वर्षा के मौसम के दौरान यमुना नदी में उफान आने के कारण ऐसे स्थान जहां कोई तटबंध नहीं है अथवा जहां ऐसे उफान को रोकने के लिए तटबंध पर्याप्त ऊंचा नहीं है, में लोगों को नुकसान होता है।

(ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की सूचना के अनुसार सरकार ने यमुना नदी के उफान वाले जल को लूनी नदी में मोड़ने के संबंध में कोई स्कीम तैयार नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अभितटीय और अपतटीय पेट्रोलियम भंडार

5922. कुमारी सरोज पांडेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नए अभितटीय और अपतटीय पेट्रोलियम संसाधनों के चिन्हित भंडारों की संख्या कितनी है;

(ख) इन भंडारों से कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादन का आकलन किया गया है; और

(ग) इन भंडारों का वाणिज्यिक दोहन कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में हाइड्रोकार्बन की कुल 119 खोजें की गई हैं।

(ख) और (ग) नई खोजों से तेल और गैस की मात्रा का आकलन करने और क्षेत्र में उत्पादन चालू करने के समय में विभिन्न कदम शामिल हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र का मूल्यांकन/रूपरेखा, खनन पट्टा जारी करना, विकास कूपों का भेदन और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना शामिल है।

[अनुवाद]

स्वतंत्र निदेशक

5923. श्री एल. राजगोपाल: क्या **कॉर्पोरेट कार्य गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड/मानकों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वतंत्र निदेशकों को शेयरधारकों के प्रति अधिक जबावदेह बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बरहमपुर-फुलबानी लाइन

5924. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बरहमपुर-फुलबानी खंड के अद्यतन सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर आवंटित/व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 81 लाख रु. की लागत पर बेरहामपुर से संबलपुर तक एक नई लाइन के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है जिसमें बेरहामपुर-फुलबनी खंड भी शामिल है। सर्वेक्षण 31-12-2011 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

कर्नाटक में तेल और गैस का भंडार

5925. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भू-वैज्ञानिक अध्ययनों में उक्त राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की प्रबल संभावना दर्शाई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कर्नाटक और अन्य राज्यों में अन्वेषण कार्यकलाप कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) जी, हां। अन्वेषण के भावी क्षेत्र की पहचान करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डी.जी.एच.) जमीनी और अपतटीय, दोनों क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है। डी.जी.एच. द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर नई अन्वेषण लाइसेन्स नीति (एन.ई.एल.पी.) बोली दौरों के तहत प्रस्तावित किए जाने के लिए अन्वेषण ब्लॉक तैयार किए जाते हैं।

कर्नाटक में किए गए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से हाइड्रोकार्बन भंडारों की किसी प्रबल संभावना का संकेत नहीं मिला है और इसलिए कर्नाटक राज्य में अभी तक एन.ई.एल.पी. बोली दौरों के तहत किसी भी अन्वेषण ब्लॉक को प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(ङ) जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, हाइड्रोकार्बन भंडारों की कम संभावना को ध्यान में रखते हुए एन.ई.एल.पी. बोली दौरों के तहत कर्नाटक राज्य में किसी भी ब्लॉक को प्रस्तावित नहीं किया गया है। तथापि, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां पूर्वी और पश्चिमी अपतट, अण्डमान अपतट असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में अन्वेषण कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

एन.आर.डब्ल्यू. के अंतर्गत रेल मार्ग

5926. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत सरदास शहर से हनुमानगढ़, भिवानी-लुहारू-पिलानी-चूरू, सीकर-सलासर-भिडसार-नौखा, सूरतगढ़-सरदार शहर-तारानगर-सादुलपुर, चुरू-तारानगर-नौहर खंडों में रेलवे लाइन बिछाने के लिए किए गए सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन रेल मार्गों की लंबाई कितनी है तथा इन परियोजनाओं पर अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:

क्र. सं.	सर्वेक्षण का नाम	लंबाई (किमी. में)	स्थिति	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1.	सरदारशहर-हनुमानगढ़ नई लाइन	154	पूरा हो गया है।	566.98
2.	भिवानी-लोहारु-पिलानी-चुरू नई लाइन	137	प्रगति पर है।	-
3.	सीकर-सालासर-बिदासर-नोखा नई लाइन	210	पूरा हो गया है	680.49
4.	सूरतगढ़-सरदारशहर नई लाइन	112	पूरा हो गया है	329.8
5.	सरदारशहर-तारानगर-सादुलपुर	104	पूरा हो गया है	325.44
6.	चुरू-तारानगर-नोहार नई लाइन	102.57	पूरा हो गया है	318.52

इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि इन परियोजनाओं को अभी स्वीकृत किया जाना है।

भरूच-दाहेज आमान परिवर्तन

5927. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भरूच-सामनी-दाहेज रेल मार्ग के आमान परिवर्तन के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्य को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मार्ग से संबंधित कार्य को पूरा करने में तेजी लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भरूच-सामनी-दाहेज खंड का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोंकण परियोजना से हानि

5928. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कोंकण रेलवे परियोजनाओं से भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यात्री और माल ढुलाई यातायात द्वारा कोंकण की परियोजनाओं से राजस्व में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यात्री और माल दोनों सेगमेन्ट के साथ-साथ परियोजना संबंधी गतिविधियों में भी राजस्व में संवर्द्धन हेतु सतत् आधार पर प्रयास किए जाते हैं। अत: वार्षिक यातायात राजस्व 2002-03 में 212 करोड़ रुपए की तुलना में 2010-11 में बढ़कर 600 करोड़ रुपए हो गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ई-न्यायालय

5929. श्री ई.जी. सुगावनम:

श्री रामसिंह राठवा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ई-न्यायालय परियोजना के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में योजना के अंतर्गत और न्यायालयों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना के अधीन 31 मार्च, 2012 तक 2100 न्यायालय परिसरों में 12000 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जाना और 31 मार्च, 2014 तक 969 न्यायालय परिसरों में शेष 2249 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जाना परिकल्पित किया गया है। उच्च न्यायालय और राज्यवार ब्यौरे विवरण में हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान में अतिरिक्त न्यायालयों को सम्मिलित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	सम्मिलित राज्य	न्यायालयों की संख्या
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2053
2.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	937
3.	बम्बई	महाराष्ट्र	1843
4.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	759
5.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	313
6.	दिल्ली	दिल्ली	303
7.	गुजरात	गुजरात	800
8.	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	378
9.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1018
10.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	172
11.	झारखंड	झारखंड	532
12.	राजस्थान	राजस्थान	789
13.	कर्नाटक	कर्नाटक	773
14.	केरल	केरल	402
15.	मद्रास	तमिलनाडु	779
16.	ओडिशा	ओडिशा	399
17.	पटना	बिहार	1060
18.	पंजाब और हरियाणा	पंजाब और हरियाणा	589
19.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	108
20.	सिक्किम	सिक्किम	10
21.	उत्तराखंड	उत्तराखंड	232
	योग		14249

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना

5930. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) क्या इंदिरा आवास योजना के अनुमोदन के लिए स्थानीय संसद सदस्यों की सिफारिशों के संबंध में कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त कोटे को निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा स्थाई आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची या बी.पी.एल. सूची 2002 में से उनकी श्रेणी के क्रम में किया जाता है। ग्राम सभा का अनुमोदन अंतिम होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एल.पी.जी. डीलरशिप

5931. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश से एल.पी.जी. डीलरशिप के आवंटन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितने लोगों को डीलरशिप आवंटित की गई हैं;

(ग) वर्तमान में जिलावार कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) इन लंबित आवेदनों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने मध्य प्रदेश राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरण (आर.जी.जी.एल.वी.) डिस्ट्रीब्यूटर स्थापित करने के लिए विगत तीन वर्षों में 97 स्थलों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	विज्ञापित किए गए स्थानों की संख्या
2008-09	00
2009-10	87
2010-11	10

ऊपर संदर्भित 97 स्थलों में से 52 स्थलों के लिए आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी कर दिए गए हैं और 45 स्थलों के लिए आबंटन लंबित है। जिला-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक नियमित एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए वर्ष 2009-10 में विज्ञापन जारी किया था और चयनित अभ्यर्थी को एल.ओ.आई. जारी कर दिया गया है।

(घ) एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप/खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप स्थापित करना एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें विज्ञापन, आवेदन पत्रों की प्राप्ति, इनकी जांच करना, उम्मीदवारों का चयन, चयनित उम्मीदवार के प्रत्ययपत्रों का क्षेत्र सत्यापन, बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना, विभिन्न अनिवार्य लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करना और शिकायतों/मुकदमों, यदि कोई हों, तो उनका निपटान करना शामिल है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आबंटन प्रभावी होगा।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में आर.जी.जी.एल.वी. डिस्ट्रीब्यूटरों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	विज्ञापित किए गए स्थलों की संख्या	चयनित उम्मीदवारों को जारी किए गए एल.ओ.आई. की सं.	आबंटन के लिए लंबित स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अलीराजपुर	1	1	0
2.	अनूपपुर	1	0	1
3.	बेतूल	1	0	1
4.	बालाघाट	1	0	1
5.	बरवानी	2	2	0
6.	छतरपुर	2	0	2
7.	छिंदवाड़ा	3	3	0
8.	दमोह	3	0	3
9.	दतिया	2	2	0
10.	देवास	5	2	3
11.	डिन्डोरी	1	0	1
12.	धार	4	2	2
13.	ग्वालियर	1	0	1
14.	हर्दा	1	0	1
15.	होशंगाबाद	1	0	1
16.	इन्दौर	4	3	1
17.	जबलपुर	3	2	1
18.	कटनी	2	1	1
19.	खरगांव	5	1	4
20.	मंदसौर	3	3	0
21.	मंडला	1	1	0

1	2	3	4	5
22.	नीमच	1	1	0
23.	नरसिंहपुर	1	1	0
24.	पन्ना	1	0	1
25.	रायसेन	1	1	0
26.	राजगढ़	4	3	1
27.	रतलाम	2	0	2
28.	रीवा	4	2	2
29.	सतना	1	1	0
30.	सागर	2	1	1
31.	सिहोर	4	3	1
32.	सिवनी	2	2	0
33.	शाजापुर	8	4	4
34.	शिओपुर	1	1	0
35.	शहडोल	3	3	0
36.	शिवपुरी	2	1	1
37.	सीधी	3	1	2
38.	सिंगरौली	1	1	0
39.	टीकमगढ़	1	0	1
40.	उज्जैन	5	2	3
41.	विदिशा	3	1	2
	योग	97	52	45

[अनुवाद]

आई.आई.डी. केन्द्र

5932. श्रीमती जे. शांता: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में कार्यरत समेकित अवसंरचना विकास केन्द्रों (आई.आई.डी.सी.) की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ङ) लघु क्षेत्र को मजबूत करने तथा घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा की भावना बढ़ाने के लिए कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराए गए पैकेज/सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) लघु उद्योगों के लिए अवसंरचना का विकास करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश में 102 समेकित विकास केन्द्र कार्यरत हैं। ब्यौरा विवरण-I पर है।

(ख) से (घ) जी, हां। 29 विकास केन्द्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। खर्च की जाने वाली संभावित राशि विवरण-II पर दी गई है।

(ङ) सरकार कर्नाटक सहित सभी राज्यों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। मुख्य स्कीमों में क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, परफार्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने 27-2-07 को 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्द्धन संबंधी पैकेज' की घोषणा की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एम.एस.एम.ई. सेक्टर के लिए विधान की व्यवस्था करना, क्रेडिट समर्थन, वित्तीय समर्थन, कलस्टर आधारित विकास के लिए समर्थन, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन, विपणन, उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास तथा डाटा बेस को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सभी औद्योगिक यूनिटों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य छूट के एक पैकेज 'पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश नीति एवं संवर्द्धन (एन.ई.आई.आई.पी.पी.)-2007' की भी घोषणा की है। दिनांक 23-7-1971 से पूर्वोत्तर राज्यों (जिनमें सिक्किम भी शामिल है), जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में परिवहन सब्सिडी स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 07-1-2003 से उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों की पात्र औद्योगिक यूनिटों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। दिनांक 14-6-2002 से जम्मू और कश्मीर राज्य में पात्र औद्योगिक यूनिटों को प्रोत्साहन का विशेष पैकेज दिया जा रहा है।

(च) भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.) प्रारंभ किया है जिसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय समर्थन दिया जाता है।

विवरण-I

(I) कार्यशील अवसंरचना विकास केन्द्र

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		केन्द्रों की संख्या	
		नए केन्द्र	उन्नत किए गए केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	
2.	असम	6	
3.	छत्तीसगढ़	3	

1	2	3	4
4.	हरियाणा	3	16
5.	जम्मू और कश्मीर	2	
6.	कर्नाटक	4	
7.	केरल	8	
8.	महाराष्ट्र	4	
9.	मध्य प्रदेश	7	
10.	मिजोरम	2	
11.	नागालैंड	1	
12.	ओडिशा	1	
13.	पंजाब	2	
14.	राजस्थान	9	
15.	तमिलनाडु	7	7
16.	उत्तरांचल	3	
17.	उत्तर प्रदेश	8	
18.	पश्चिम बंगाल	3	
	योग	77	25

विवरण-II

(I) प्रस्तावित नए अवसंरचना विकास केन्द्र (आई.आई.डी.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	328.00	262.40
2.	असम	5	1983.70	1586.95
3.	छत्तीसगढ़	1	465.00	186.00

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	1	500.00	200.00
5.	हिमाचल प्रदेश	1	432.00	172.80
6.	मध्य प्रदेश	1	720.00	432.00
7.	ओडिशा	2	929.93	371.97
8.	पंजाब	1	482.21	193.00
9.	राजस्थान	2	1184.00	710.00
10.	त्रिपुरा	1	456.30	365.04
11.	तमिलनाडु	4	1172.00	703.20
12.	पश्चिम बंगाल	1	752.86	451.72
(II) प्रस्तावित उन्नत केन्द्र				
1.	गुजरात	1	175.00	70.00
2.	राजस्थान	2	948.00	568.80
3.	तमिलनाडु	4	1467.67	880.59
4.	पश्चिम बंगाल	1	599.64	359.78

बैराजों का निर्माण

5933. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जल संसाधनों के प्रबंधन में बैराज एक प्रभावी उत्पाद है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर बैराजों का निर्माण की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु विशेषत: विभिन्न प्रयोजनों जैसे सिंचाई, जल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पन्न करने इत्यादि के लिए बैराज प्रभावी उपायों में से एक है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर बैराजों के निर्माण किए जाने के संबंध में कोई विशेष योजना नहीं है।

विज्ञापन पर व्यय

5934. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन पर काफी अधिक व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर जोनवार कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या रेलवे ने हाल ही में अपव्यय को रोकने के लिए मितव्ययिता उपाय शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा अपव्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) संविदागत दायिताओं, यात्रा व्ययों, समयोपरि, प्रशासनिक व्ययों आदि जैसे गैर-संविदागत भुगतानों पर व्यय को नियंत्रण करने के लिए समय-समय पर किफायती कदम उठाए जाते हैं। इसमें विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर कार्यों को करवा कर प्रचार पर आधारित प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर व्यय नियंत्रण और विंडो फार्मेट के द्वारा निविदा नोटिस जारी करके प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया को सीमित रखना शामिल है।

[हिन्दी]

नहर द्वारा सिंचाई का अभाव

5935. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई नहरों में जल का प्रवाह नहीं है जिसके कारण किसानों को अपने खेतों की सिंचाई में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कितनी नहरों में जल का प्रवाह है तथा किन नहरों में जल का प्रवाह नहीं है;

(ग) क्या किसानों को जल की सर्वाधिक आवश्यकता के समय इन नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) नहरों, सहायक नहरों, वितरिकाओं इत्यादि में जल संबंधी कार्यों का प्रचालन और विनियमन संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत परियोजना प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। जल की अपेक्षाकृत कम उपलब्धता, नहर के अनुरक्षण की स्थिति इत्यादि सहित कुछ कारणों से कुछ नहरों में जल की कमी के मामले देखे गए हैं। नहरों के प्रवाह की स्थिति से संबंधित विवरण परियोजना प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है। भारत सरकार ए.आई.बी.पी. के तहत विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सी.ए.डी. एवं डब्ल्यू.एम.) के तहत कमान क्षेत्र विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता जारी करती है, जिससे नहर तंत्र द्वारा जल का समान वितरण करने में सहायता प्राप्त होती है। सी.ए.डी. एवं डब्ल्यू.एम. के अंतर्गत किये जा रहे सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) से बेहतर जल प्रबंधन में भी सहायता मिलती है।

[अनुवाद]

केरल में रेलवे स्टेशन

5936. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार चेरियानाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार केरल में चंगाचेरी स्थित रेलवे टर्मिनल के स्थान में बदलाव करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सुविधाओं का सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। चेरियानाद रेलवे स्टेशन पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल, केरल में चेंगनचेरी स्टेशन पर रेलवे टर्मिनल को बदलने/स्थानांतरित किए जाने से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, दोहरीकरण परियोजना के रूप में इस स्टेशन पर नई स्टेशन इमारत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

बुलेट-प्रूफ इंजन

5937. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुलेट प्रूफ इंजनों वाली मालगाड़ी चलाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) उक्त रेलगाड़ियों में चालक के साथ-साथ गार्ड केबिन की सुरक्षा/संरक्षा के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) खतरे की संभावना के आधार पर चुनिन्दा मार्गों पर माल गाड़ियों को तथाकथित बुलेटप्रूफ रेल इंजनों से चलाया जाता है। इस प्रक्रिया में, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की 33 छोटी लाइन डीजल रेल इंजनों में बुलेटप्रूफ कैब की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य इंजन कर्मियों में विश्वास बढ़ाने का उपाय करना है। इसके अलावा, इससे इस क्षेत्र में निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों को चलाने में सहायता भी प्राप्त होती है।

(ग) लोको कैबों की बुलेट प्रूफिंग इंजन ड्राइवरों की सुरक्षा/संरक्षा के लिए की जाती है। गार्ड की सुरक्षा/संरक्षा के लिए, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के इन क्षेत्रों में चलने वाली गाडियों के गार्ड डिब्बों में, डिब्बों की दीवारों पर अतिरिक्त इस्पात की शीट और रेल की बोरियों की व्यवस्था की गई है। जहां तक व्यावहारिक होती है, सुरक्षा कर्मियों द्वारा गाड़ियों का मार्ग रक्षण और रेल पटरियों की पेट्रोलिंग की जाती है।

मनरेगा के अंतर्गत कार्य

5938. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत लक्षित कार्यों और वास्तविक रूप में पूर्ण कार्यों की राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को गति देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्यों की निगरानी के लिए गठित स्थानीय सतर्कता और निगरानी समितियों की राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(च) निर्देशों का अनुपालन न करने और परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के संबंध में इन समितियों द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.नरेगा) का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक परिवार को मांग पर अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के लिए एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत बनाना भी अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चूंकि रोजगार मांग पर उपलब्ध कराया जाता है इसलिए ऐसे कार्यों और रोजगार के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए अनुसार योजना के अंतर्गत प्रमुख जारी कार्य, पूरे हुए कार्य और पूरे हुए कार्यों का प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण-I में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि जारी कार्यों को पूरा करने के लिए कदम उठाए ताकि चल रहे कार्यों के अधूरे रहने की संख्या में कमी लाई जा सके।

(ङ) से (छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गठित जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों की संख्या विवरण-II में दी गई है। दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि जिला सतर्कता एवं निगरानी

समितियों द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में पाए गए किसी प्रकार के उल्लंघन की जानकारी मंत्रालय को दी जानी होती है। अब तक मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	जारी कार्य (संख्या में)				पूरे कार्य (संख्या में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	670693	1025080	1286311	751848	209527	532673	864989	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1666	1505	2454	309	552	671	926	0
3.	असम	17098	22392	31136	49866	7135	9403	10650	870
4.	बिहार	105603	158905	202415	254624	53668	72625	82349	10
5.	छत्तीसगढ़	100451	93284	156226	197661	53673	52601	89287	3277
6.	गुजरात	46657	296717	85094	138397	32530	263651	45158	3201
7.	हरियाणा	6314	7705	12890	11317	3517	4063	7573	597
8.	हिमाचल प्रदेश	45556	62473	62253	50539	22281	35899	33975	4580
9.	जम्मू और कश्मीर	13060	29426	56116	24244	7176	18661	36542	. 66
10.	झारखंड	160302	160813	227798	241283	65483	75767	47419	4042
11.	कर्नाटक	56538	567055	435182	262151	34431	129617	91089	9531
12.	केरल	54505	149108	147084	30008	48129	76823	104489	1435
13.	मध्य प्रदेश	525888	555310	686703	776481	212231	244619	291035	12682
14.	महाराष्ट्र	25076	24926	49205	105738	10778	10613	18707	47
15.	मणिपुर	12213	14141	8812	3242	9106	11491	7897	0
16.	मेघालय	7081	10115	14035	16299	3458	6349	7755	27
17.	मिजोरम	2896	3330	3812	7114	2123	2734	3253	207
18.	नागालैंड	6029	8823	10531	17672	5016	5597	8937	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	ओडिशा	148011	199622	220906	186087	10415	25011	59278	5760
20.	पंजाब	5250	11836	14939	13249	1389	6384	6793	1523
21.	राजस्थान	236192	203247	199119	407323	100472	92251	52262	3048
22.	सिक्किम	1196	2137	2314	2802	564	1432	1534	12
23.	तमिलनाडु	38862	54008	69515	117365	12663	20909	31391	64
24.	त्रिपुरा	59258	182000	71922	22908	54478	48424	65433	3120
25.	उत्तर प्रदेश	307180	547362	752067	1099172	188082	360488	448148	41458
26.	उत्तरांचल	20179	36973	42206	44454	10297	24677	29749	1087
27.	पश्चिम बंगाल	100063	183500	246013	212736	54526	121858	142974	16042
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	140	511	399	285	66	354	263	8
29.	दादरा और नगर हवेली	18	46	31	एन.आर.	0	22	7	एन.आर.
30.	दमन और द्वीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	गोवा	एन.आर.	470	760	916	एन.आर.	300	559	3
32.	लक्षद्वीप	371	3295	75	60	87	2623	0	0
33.	पुडुचेरी	314	917	667	731	314	892	1	0
34.	चंडीगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल	2774660	4617032	5098990	5046881	1214167	2259482	2590422	112714

क्र.सं.	राज्य	पूरे हुए कार्यों का प्रतिशत			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)
1	2	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.24	51.96	67.25	0.0023
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.13	44.58	37.73	0

1	2	11	12	13	14
3.	असम	41.73	41.99	34.2	1.74
4.	बिहार	50.82	45.7	40.68	0.0039
5.	छत्तीसगढ़	53.43	56.39	57.15	1.66
6.	गुजरात	69.72	88.86	53.07	2.31
7.	हरियाणा	55.7	52.73	58.75	5.28
8.	हिमाचल प्रदेश	48.91	57.46	54.58	9.06
9.	जम्मू और कश्मीर	54.95	63.42	65.12	0.27
10.	झारखंड	40.85	47.11	20.82	1.68
11.	कर्नाटक	60.9	22.86	20.93	3.64
12.	केरल	88.3	51.52	71.04	4.78
13.	मध्य प्रदेश	40.36	44.05	42.38	1.63
14.	महाराष्ट्र	42.98	42.58	38.02	0.04
15.	मणिपुर	74.56	81.26	89.62	0
16.	मेघालय	48.83	62.77	55.25	0.17
17.	मिजोरम	73.31	82.1	85.34	2.91
18.	नागालैंड	83.2	63.44	84.86	0
19.	ओडिशा	7.04	12.53	26.83	3.1
20.	पंजाब	26.46	53.94	45.47	11.5
21.	राजस्थान	42.54	45.39	26.25	0.75
22.	सिक्किम	47.16	67.01	66.29	0.43
23.	तमिलनाडु	32.58	38.71	45.16	0.05
24.	त्रिपुरा	91.93	26.61	90.98	13.62
25.	उत्तर प्रदेश	61.23	65.86	59.59	3.77
26.	उत्तरांचल	51.03	66.74	70.49	2.45
27.	पश्चिम बंगाल	54.49	66.41	58.12	7.54

1	2	11	12	13	14
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47.14	69.28	65.91	2.81
29.	दादरा और नगर हवेली	0	47.83	22.58	एन.आर.
30.	दमन और द्वीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	गोवा	एन.आर.	63.83	73.55	0.33
32.	लक्षद्वीप	23.45	79.61	0	0
33.	पुडुचेरी	100	97.27	0.15	0
34.	चंडीगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल	43.76	48.94	50.8	2.23

एन.आर. - असूचित

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	16
3.	असम	27
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	26
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	12
10.	जम्मू और कश्मीर	22
11.	झारखंड	24
12.	कर्नाटक	30
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	50
15.	महाराष्ट्र	33
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	7
18.	मिजोरम	8
19.	नागालैंड	11
20.	ओडिशा	30
21.	पंजाब	20
22.	राजस्थान	33
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	31

1	2	3
25.	त्रिपुरा	4
26.	उत्तराखंड	13
27.	उत्तर प्रदेश	72
28.	पश्चिम बंगाल	19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
30.	दमन और द्वीव	1
31.	दादरा और नगर हवेली	2
32.	लक्षद्वीप	1
33.	पुडुचेरी	1
	कुल	621

[हिन्दी]

खादी उत्पादों पर छूट

5939. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी वस्त्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली छूट को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा खादी के वस्त्रों पर छूट को समाप्त कर विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत उत्पादन आधारित छूट की नई प्रणाली आरंभ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खादी, इसके बिक्री केन्द्रों और गांधी आश्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (घ) खादी उत्पादों के लिए बाजार के संवर्धन के उद्देश्य से, सरकार ने 2009-10 तक 20% की दर से खादी और खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट की नीति को जारी रखा है। सामान्य 10% की छूट वर्ष भर दी जाती है, जबकि गांधी जयंती और स्थानीय त्यौहारों के दौरान वर्ष में 108 दिनों तक अतिरिक्त 10% की विशेष छूट दी जाती है। तथापि, एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर और पायलट परियोजनाओं पर काम करने तथा स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने बिक्री पर छूट की मौजूदा योजना की जगह खादी के उत्पादन पर बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना नामक एक अधिक लचीली, वृद्धि उत्प्रेरक तथा कारीगर केन्द्रित योजना शुरू की है जो 01-04-2010 से लागू हुई। एम.डी.ए. योजना में खादी और पोलिवस्त्र पर उत्पादन मूल्य के 20% की दर से वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है जिसे 25:30:45 के अनुपात में बुनकरों/कताईकारों, उत्पादक संस्थानों और विक्रेता संस्थानों के बीच बांटा जाएगा। हाल ही में प्रारंभ एम.डी.ए. योजना में संस्थानों के लिए कताईकारों और बुनकरों को उनके वेतन के अतिरिक्त प्रोत्साहन अथवा बोनस के रूप में कुल एम.डी.ए. का 25% उनके बैंक खातों अथवा डाकघर खातों के माध्यम से देना अनिवार्य बनाया गया है जो कि छूट योजना में नहीं था। एम.डी.ए. योजना के तहत वर्ष भर बिक्री में भी इजाफा होने का अनुमान है तथा अब यह केवल 108 दिनों तक ही सीमित नहीं रहेगी जैसा कि छूट स्कीम के तहत था।

(ङ) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में के.वी.आई.सी. के माध्यम से खादी तथा इसके बिक्री केन्द्रों के संवर्द्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं: (i) 'वर्तमान कमजोर खादी संस्थाओं के ढांचे को मजबूत बनाना और विपणन ढांचे के लिए सहायता' योजना की शुरुआत करना जो अन्य बातों के साथ-साथ 11वीं योजना अवधि के दौरान, 30 खादी बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। (ii) बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना, जिसके अंतर्गत बिक्री संस्थाओं को एम.डी.ए. के 45 प्रतिशत के, उनके शेयर का उपयोग करने की नम्यता दी जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण, विक्रेताओं का प्रशिक्षण, कंप्यूटरीकरण, डिजाइनिंग, प्रचार, छूट प्रदान करना, आदि उपलब्ध है। (iii) वर्ष 2009-10 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 300 चयनित खादी संस्थाओं में एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के साथ एक व्यापक 'खादी सुधार और

विकास कार्यक्रम' का कार्यान्वयन करना जो अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक निजी भागीदारी में एक विपणन संगठन की स्थापना के अतिरिक्त महानगरों एवं राज्यों की राजधानियों में नए बिक्री केन्द्र खोलने, बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

समवर्ती सूची में जल को शामिल किया जाना

5940. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:
श्री पी. कुमार:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री सी. शिवासामी:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री पी. लिंगम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा जल के पारदर्शी आवंटन तंत्र को देखने हेतु नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त पैनल ने 'जल' विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैनल ने प्रशासित मूल्य मॉडल आधार की बजाए बाजार आधारित मूल्य पर जल के आवंटन की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पैनल ने सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि वह संविधान में संशोधन करे ताकि जल संसाधन पर और अधिक नियंत्रण किया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन संबंधी समिति (सी.ए.एन.आर.) के विचारार्थ विषय विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) समिति जल के संबंध में व्यापक राष्ट्रीय कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता महसूस करती है। इसे जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करके समुचित कानून बनाने; अथवा, अधिकांश राज्यों से यह सर्व सहमति प्राप्त करके कि ऐसा "ढांचागत कानून" लाना आवश्यक है तथा इसे केन्द्रीय अधिनियम के रूप में लाना वांछनीय है, द्वारा लाया जा सकता है।

(छ) सी.ए.एन.आर. की सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने पर मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) से रिपोर्ट की जांच करवाने तथा उन्हें अपनी सिफारिशें जी.ओ.एम. को प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की थी। तत्पश्चात सचिवों की समिति की बैठक 9 अगस्त, 2011 को हुई तथा शीघ्र आयोजित की जाने वाली आगामी बैठक में सी.ए.एन.आर. की सिफारिशों पर आगे विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया।

विवरण-I

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सी.ए.एन.आर.) के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित/आबंटित/वितरित वृहद प्राकृतिक संसाधनों को अभिज्ञात करना तथा इन संसाधनों की उपयोगिता के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करना।

(ii) इस संबंध में विद्यमान कानूनी एवं विनियामक ढांचे तथा नियम एवं प्रक्रियाओं के प्रभाव और औचित्य की जांच करना।

(iii) संसाधनों के स्थायित्व को सुनिश्चित करते हुए सभी पणधारियों के लिए ऐसी उपयोगिता के इष्टतम लाभों के लिए उपायों का सुझाव देना।

(iv) इन संसाधनों के आबंटन, मूल्यन और उपयोगिता

में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा दक्षता को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना।

(v) उपर्युक्त सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए कानूनी, संस्थागत और विनियामक तंत्र में बदलाव करने का सुझाव देना; तथा

(vi) उपर्युक्त से संबंधित कोई अन्य मुद्दा (मुद्दे)।

[हिन्दी]

शौचालयों का निर्माण

5941. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में इंदिरा आवास योजना के आरंभ के पश्चात् अब तक कितने आवासों में शौचालयों का निर्माण किया गया है;

(ख) पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बिहार को 2008-09 से उपलब्ध करायी गई धनराशि किस हद तक शौचालयों के निर्माण में सहायक हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार में कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है; और

(घ) राज्य में और अधिक शौचालयों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) बिहार सहित देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में 1985-86 से कार्यान्वित की जा रही है। खुले में शौच की प्रक्रिया को समाप्त करने एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) को वर्ष 1999 में एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करना है। यह एक परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को एक इकाई माना जाता है और इसे मांग आधारित मोड में परिचालित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा संचालित ऑन-लाईन डाटा निगरानी प्रणाली के माध्यम से राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, अगस्त 2011 तक टी.एस.सी. के अंतर्गत बिहार में लगभग 31.48 लाख आई.एच.एच.एल. इकाइयां निर्मित की गई हैं।

(ख) वर्ष 2008-09 से टी.एस.सी. के अंतर्गत राज्य को केन्द्रीय हिस्से के रूप में कुल 360.64 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, उसी अवधि के दौरान राज्य में 23.18 लाख आई.एच.एच.एल., 30459 विद्यालय शौचालय इकाइयों, 884 आंगनवाड़ी शौचालयों तथा 151 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार में टी.एस.सी. के अंतर्गत निर्मित शौचालयों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	आई.एच.एच.एल.	विद्यालय शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	समुदायिक स्वच्छता परिसर
1.	2008-09	756465	15065	272	52
2.	2009-10	640359	4010	216	17
3.	2010-11	717792	8679	309	63
4.	2011-12 (अगस्त, 2011 तक)	203225	2705	87	19

(घ) टी.एस.सी. एक परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसे मांग आधारित मोड में संचालित किया जाता है। टी.एस.सी. के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को शौचालय का निर्माण पूरा करने एवं उसका उपयोग करने से संबंधित उनकी उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। स्वच्छता सुविधाओं हेतु प्रभावी मांग के सृजन के लिए

सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.ई.सी.) इस अभियान का एक प्रमुख घटक है। लाभार्थियों द्वारा आवश्यकता होने पर शौचालय के निर्माण हेतु संसाधनों का सृजन किया जाना अपेक्षित है। टी.एस.सी. के अंतर्गत सभी राज्यों में कार्यक्रम के कार्यकरण एवं कार्यान्वयन की आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों, राज्यों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग, क्षेत्र अधिकारी योजना, जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं, राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों आदि के माध्यम से व्यापक रूप से समीक्षा की जाती है। टी.एस.सी. के लिए एक व्यापक वेब आधारित ऑन-लाईन निगरानी प्रणाली भी मौजूद है।

[अनुवाद]

श्रीधर समिति रिपोर्ट

5942. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी 47.43 मिलियन घर विहीन परिवारों को आवास प्रदान करने हेतु श्रीधर समिति द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बैंकिंग तंत्र को शामिल करने की संस्तुति की गई है;

(ख) यदि हां, तो राजसहायता और ऋण के संबंध में ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवारों हेतु समिति द्वारा अन्य क्या संस्तुतियां की गयी हैं;

(ग) क्या समिति ने इस उद्देश्य हेतु ऋण प्रदान करने में बैंक के जोखिम को कवर करने हेतु जोखिम कारक की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) बैंक ग्राह्य योजनाओं के बारे में सुझाव देने के लिए श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी ताकि ग्रामीण आवास के लिए वित्तीय संस्थाओं के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले अधिकांश व्यक्तियों (बी.पी.एल.), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं गरीबी रेखा से ऊपर जीवन बसर करने वाली श्रेणियों को निधियां उपलब्ध कराई जा सकें। समिति ने मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। अनुदान एवं ऋण के संबंध में समिति की मुख्य सिफारिशें हैं:

(i) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के लिए, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इकाई सहायता को बढ़ाकर 75,000 रु. किया जाए। विभेदक ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों के लिए अनुमेय ऋण राशि को बढ़ाकर 50,000 रु. किया जाए जिसकी पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाकर 15 वर्ष की जाए;

(ii) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए:

5% की ब्याज सब्सिडी पर नए मकान के निर्माण के लिए 2 लाख रु. तक का ऋण और पुराने मकान को बढ़ाने/उन्नयन/मरम्मत के लिए 1 लाख रु. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाए;

या

4% की ब्याज सब्सिडी पर नए मकान के निर्माण के लिए 3 लाख रु. तक का ऋण और पुराने मकानों को बढ़ाने/उन्नयन/मरम्मत के लिए 1.5 लाख रु. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाए।

(iii) बी.पी.एल. या ए.पी.एल. दोनों श्रेणी के परिवारों को (क) मकानों और (ख) आय-सर्जक क्रियाकलापों के लिए 5% की ब्याज सब्सिडी पर ऋण दिए जाएं। ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा उधार लेने वालों की ऋण चुकाने की विश्वसनीयता के आधार पर ऋण की राशि पर निर्णय लिया जाए। ऋण राशि की अधिकतम सीमा बढ़ाई नहीं जा सकती है:

(राशि रुपये में)

मकानों का स्वरूप	बी.पी.एल.		ए.पी.एल.	
	मकान	आय सर्जक क्रियाकलाप	मकान	आय सर्जक क्रियाकलाप
नए निर्माण	90,000	10,000	2,70,000	30,000
उन्नयन	25,000	10,000	50,000	30,000

(iv) समिति ने बेहतर परिणाम पाने के लिए ग्रामीण आवास के लिए समूह आधारित उधारी दृष्टिकोण की सिफारिश की है।

(ग) समिति ने लाभार्थी सहित सभी स्टेकहोल्डरों से अंशदान के माध्यम से "ग्रामीण जोखिम कोष" बनाने और मकान के साथ बीमा संबद्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है ताकि विभिन्न स्टेकहोल्डरों पर आवास वित्त की लागत कम की जा सके।

(घ) समिति की रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई है। इसे योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाए गए ग्रामीण आवास संबंधी कार्य समूह के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया है।

[हिन्दी]

तेल और गैस के अन्वेषण हेतु ठेका

5943. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तेल और गैस के अन्वेषण हेतु कितनी कंपनियों को ठेका प्रदान किया गया और क्या रिलायंस-निको कंपनी को भी इसमें शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बेसिनों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में ऐसे ठेके प्रदान किए गए हैं;

(ग) रिलायंस-निको कंपनी के साथ पहले और दूसरे समझौता ज्ञापन में कितनी क्षमता और लागत शामिल है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बढ़ी हुई लागत के कारण संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने में सरकार को कितना समय लगेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत, भारत सरकार ने एन.ई.एल.पी.-पूर्व और अब तक पूर्ण एन.ई.एल.पी. बोली के आठ दौरों के तहत 263 अन्वेषण ब्लॉक 76 कंपनियों (निजी-38, विदेशी-30 और राष्ट्रीय तेल कंपनियां-9) को प्रदान किए।

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.)-नाइको रिसोर्सिज लिमिटेड के परिसंघ को निम्न प्रकार से निम्नलिखित बेसिनों में एन.ई.एल.पी. बोली के विभिन्न दौरों के तहत 13 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए थे।

बेसिन का नाम	ब्लॉक	परिसंघ
कृष्णा-गोदावरी	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/1	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3	**आर.आई.एल.-90%**, नाइको-10%
	के.जी.-ओ.एस.एन.-97/2	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%

बेसिन का नाम	ब्लॉक	परिसंघ
	के.जी.-ओ.एस.एन.-97/3	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
	के.जी.-ओ.एस.एन.-97/4	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
महानदी	एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
	एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
महानदी-एन.ई.सी.	एन.ई.सी.-ओ.एस.एन.-97/2	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
केरल-कोंकण	के.के.-ओ.एस.एन.-97/2	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
मुंबई	एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/2	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
	एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/3	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
सौराष्ट्र	एस.आर.-ओ.एस.एन.-97/1	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%
गुजरात-कच्छ	जी.के.-ओ.एस.एन.-97/1	**आर.आई.एल.-90%,** नाइको-10%

नोट - प्रचालक को मोटे अक्षरों में दिखाया गया है।

(ग) सरकार द्वारा आर.आई.एल.-नाइको रिसोर्सिज परिसंघ के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अन्वेषण ब्लॉकों को प्रदान किए जाने के बाद, अन्वेषण और उत्पादन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए कंपनियों को सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सी.) पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है।

(घ) उपरोक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एम.डी. और निदेशकों की नियुक्ति के मामले

5944. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

श्री नरहरि महतो:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अतंर्गत प्रबंध निदेशकों अथवा पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनेक मामले काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 31-3-2011 तक निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) जो मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, उनके त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिनांक 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 269, 198/309, 310 के तहत मंत्रालय द्वारा प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति से संबंधित निपटाए गए आवेदनों की संख्या 219 है। दिनांक 5-9-2011 को एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित केवल एक ही मामला है जिसके विलंब का कारण कंपनी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं करना है। कंपनी से सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

निरीक्षण हेतु तीसरे पक्ष की नियुक्ति

5945. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सभी पेट्रोलियम कंपनियों ने निरीक्षण हेतु तीसरे पक्ष को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन कंपनियों के नाम क्या हैं जहां तीसरे पक्ष द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है तथा तीसरे पक्ष द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया है तथा इन निरीक्षणों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) तीसरे पक्ष की नियुक्ति का आधार तथा प्रक्रिया क्या है;

(घ) तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण में तटस्थता तथा पारदर्शिता की निगरानी का आधार क्या है;

(ङ) क्या तीसरे पक्ष द्वारा किया गया कार्य कंपनियों के निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा किए गए जांच कार्य की तुलना में बेहतर है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने मुख्यतया परिभाषित ग्राहक सेवा सूची संबंधी प्राचलों जैसे उपस्कर का रखरखाव, हाउसकीपिंग, ग्राहक सेवाओं से संबंधित अन्य प्राचलों की लेखा परीक्षा के लिए, 100 किलो लीटर प्रति माह (औसत) से अधिक की बिक्री करने वाले अपने सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रमाणन के लिए तृतीय पक्षकारों की नियुक्ति की है। तृतीय पक्षकार लेखा परीक्षकों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2011-12 (अप्रैल-जून) के दौरान 60,292 निरीक्षण किए गए थे।

(ग) तृतीय पक्षकार एजेंसी की नियुक्ति के लिए ओ.एम.सीज द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(घ) ओ.एम.सीज द्वारा उपलब्ध कराई गई मानक जांच सूची के अनुसार तीसरे पक्षकार द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र की लेखा परीक्षा की जाती है। रिपोर्ट/टिप्पणी पत्रक/गैर-अनुपालन पत्रक पर डीलर और तृतीय पक्षकार निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इन प्रपत्रों में ऐसा कोई अंश नहीं होता है जिसकी प्रकृति वर्णनात्मक हो और इसलिए ये पूर्णतया पारदर्शी होते हैं जिससे किसी पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेखा परीक्षा रिपोर्टों की निगरानी, ओ.एम.सीज के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों द्वारा की जाती है।

(ङ) और (च) तृतीय पक्षकार लेखा परीक्षकों की नियुक्ति खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध अनिवार्य सुविधाओं जैसे ग्राहक सेवाओं, खुदरा बिक्री केन्द्र की सुरक्षा, गुणवत्ता और मात्रा, हाउसकीपिंग आदि का निरीक्षण की लेखा परीक्षा करने और मुख्य रूप से यह प्रमाणित करने के लिए की जाती है कि खुदरा बिक्री केन्द्र सेवा संबंधी मानकों को पूरा कर रहे हैं। ओ.एम.सीज के मिलावट-रोधी प्रकोष्ठों (ए.ए.सी.) की भूमिका खुदरा बिक्री केन्द्रों सहित सभी स्थलों और गुणवत्ता तथा मात्रा के सभी पहलुओं का स्वतंत्र रूप से औचक निरीक्षण करने तथा विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम.डी.जी.) के अनुसार किसी भी कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने की है। अत: दोनों प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों का एक ही उद्देश्य है: सेवा मानकों में सुधार और कदाचारों की गुंजाइश को कम करना।

[अनुवाद]

पी.एस.ई. में ठेका प्रदान करना

5946. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों (पी.एस.ई.) द्वारा प्रदान किए जा रहे ठेकों में तथा खरीद में कदाचार की सूचनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी उपक्रमों द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने तथा खरीद प्रक्रिया का पूर्णतया डिजीटलाइजेशन करने की नितान्त आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में खरीद तथा संविदाएं व निविदाएं देने में कदाचार से सम्बन्धित रिकार्ड किसी एक स्थान पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को खरीद/संविदाओं के मामले में सत्यनिष्ठा समझौता करने की सलाह दी गई है। उनके स्वरूप तथा अवसीमा का निर्णय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से किया जाएगा।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

5947. डॉ. क्रुपारानी किल्ली: क्या **कॉरपोरेट कार्य गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के कार्यकरण को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सोसायटियों द्वारा उनके विवरण की ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की विधायी एवं विनियामक संरचना का अध्ययन करने के लिए श्री के.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

(ख) अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रासायनिक दुर्घटनाएं/रिसाव

5948. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और गुजरात सहित देश की विभिन्न वाणिज्यिक इकाइयों से स्थानीय आबादी को प्रभावित करने वाली गंभीर रासायनिक दुर्घटनाओं/रिसावों के कई मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सूचित की गई ऐसी दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी दुर्घटनाओं/रिसावों हेतु दोषी पायी गई कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं/रिसावों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) राज्य श्रम विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मामलों का ब्यौार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	रसायनिक दुर्घटनाओं/रिसाव की संख्या			
		2008	2009	2010	2011 (जून तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	3	1	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य	4	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	2	2	10	3
4.	हरियाणा	शून्य	1	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	शून्य	1	2	शून्य
6.	केरल	6	4	शून्य	शून्य
7.	मध्य प्रदेश	शून्य	1	1	1
8.	महाराष्ट्र	9	5	8	2
9.	ओडिशा	शून्य	शून्य	2	2
10.	राजस्थान	शून्य	2	शून्य	2
11.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	2	1
12.	उत्तराखण्ड	शून्य	2	शून्य	शून्य
13.	उत्तर प्रदेश	2	2	2	1
14.	पश्चिम बंगाल	शून्य	2	1	1

(ग) से (ङ) पंजीकृत फैक्ट्रियों का आवधिक रूप से निरीक्षण राज्य श्रम विभागों द्वारा किया जाता है और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और अन्य सहायक कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले फैक्ट्री प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। फैक्ट्री विभाग फैक्ट्री अधिनियम, 1948 तथा इसके अधीन बने नियमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है और फैक्ट्री अधिनियम के अधीन औद्योगिक स्थापनाओं एवं एकांगी भंडारों के संबंध में खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विभाग पंजीकृत फैक्ट्रियों में कामगारों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को संवर्द्धित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन, विशेष सुरक्षा अभियान स्थल पर आकस्मिक योजना मॉक-ड्रिल आदि भी आयोजित करता है।

एम.एस.एम.ई. को राजसहायता

5949. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को राजसहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे एम.एस.एम.ई. को हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में पंजीकृत एम.एस.एम.ई. की संख्या कितनी है तथा उनमें कितने लोग नियुक्त हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश से निर्यात की बढ़ोत्तरी हेतु एम.एस.एम.ई. की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की कोई कार्य योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (ग) सरकार ने प्लान योजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जुलाई 2011 तक) के दौरान क्रमश: 154.44

करोड़ रुपये, 174.24 करोड़ रुपये, 281.07 करोड़ रुपये तथा 14.06 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की हैं, जिनसे उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन, विपणन विकास आदि में लाभ हुआ है।

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07 के अनुसार, पंजीकृत उद्यमों और रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 15,63,974 और 93,09,486 है।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए कौशल विकास विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना और क्रेडिट उपलब्धता के माध्यम से खादी, ग्रामीण व कॅयर उद्योग सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की है।

एस.आई.आर.ओ. के रूप में मान्यता

5950. श्री यशवीर सिंहः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 31-03-2010 से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एस.आई.आर.ओ.) के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे कितने आवेदन लंबित हैं जिनके मामले में मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है जबकि नवीकरण हेतु आवेदन तथा औपचारिकताएं बहुत पहले ही पूरी की जा चुकी हैं;

(ग) एस.आई.आर.ओ. के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु बैकलॉग को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन संस्थानों में कार्य प्रभावित न हो;

(घ) बैकलॉग को कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है तथा उन संस्थानों के नाम क्या है जिनके आवेदन लंबित हैं तथा ये आवेदन किस आधार पर लंबित हैं; और

(ङ) मान्यता प्रदान करने हेतु नवीकरण की प्रक्रिया को सुचारू तथा ऑनलाइन बनाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि ये संस्थान अपनी स्थिति के प्रति जागरूक रह सकें?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) को 31-03-2010 से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन (साइरो) के रूप में मान्यता के लिए 86 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 31-03-2010 से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन (साइरो) के रूप में मान्यता के लिए प्राप्त हुए 12 आवेदन विभाग द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए लम्बित हैं। जहां तक 31-03-2010 के बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदनों का संबंध है, विभाग द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए 18 मामले लम्बित हैं।

(ग) साइरो की मान्यता/नवीकरण प्रदान करने संबंधी बकाया आवेदनों को निपटाने के उद्देश्य से डी.एस.आई.आर. अब आवेदकों के साथ सक्रियता से लगातार सम्पर्क में है ताकि अपेक्षित सूचना प्राप्त हो सके और जांच समिति, जिसकी साइरो आवेदनों पर विचार करने के लिए नियमति रूप से बैठक की जाती है, द्वारा सुझाई गई अपेक्षाओं के अनुसार उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) साइरो मान्यता/नवीकरण के बकाया आवेदनों को अक्तूबर, 2011 के अंत तक निपटान करने की संभावना है। 31 मार्च, 2010 के बाद साइरो मान्यता और नवीकरण के लम्बित पड़े नए मामलों से संबंधित संस्थानों की एक सूची विवरण में दर्शायी गई। साइरो के रूप में मान्यता/नवीकरण के नए मामलों के निपटान के लम्बित रहने का प्रमुख कारण मान्यता के लिए सभी अपेक्षित सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में आवेदकों का असमर्थ रहना, जांच समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार विभिन्न अपेक्षाओं, जैसे अनुसंधान सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संगठन की मानित विश्वविद्यालय स्थिति की स्वीकृति प्राप्त करना आदि, के अनुपालन में आवेदकों द्वारा समय लेना और जांच समिति द्वारा जब कभी दी गई सलाह के अनुसार अनुसंधान और विकास सुविधाओं तथा अवसंरचनाओं के मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदक के संगठन का दौरा करने की व्यवस्था करने में यदा-कदा विलम्ब होना रहा है।

(ङ) डी.एस.आई.आर. आवेदनों की कंप्यूटराइज्ड ऑन लाइन फाइलिंग और ट्रेकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन कर

रहा है जिससे साइरो मान्यता की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाए रखना सुनिश्चित होगा और आवेदकों को अपने आवेदनों की ऑन लाइन स्थिति के प्रति जागरूक रहने का लाभ भी मिल सकेगा।

विवरण

संस्थाओं की सूची, जिनके द्वारा 31-03-2010 के बाद साइरोज के रूप में मान्यता के लिए आवेदन किया है, और जिनके आवेदन लम्बित हैं

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	आस्था सैंटर फॉर गोरीयाटिक मेडीसिन, पैलिएटिव केअर हॉस्पिटल, होस्पाईस एंड वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ
2.	श्री देवराज उर्स एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन एंड रिसर्च, कर्नाटक
3.	इंस्टीच्यूट ऑफ वर्ल्ड-वाईड एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजी, नागालैंड
4.	गीतांजली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चीर्याल, कीसारा (एम), हैदराबाद
5.	श्री ओरोबिन्दो इंस्टीच्यूट ऑफ मेडीकल साईंसेज, इंदौर (मध्य प्रदेश)
6.	द साईंस फाउंडेशन फॉर ट्राईबल एंड रूरल रिसोर्स डेवलपमेंट (एस.एफ.टी.आर.आर.डी.), भुवनेश्वर
7.	पंडित दीनदयाल पैट्रोलियम यूनीवर्सिटी, रासन, गांधीनगर, गुजरात
8.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी, बरहामरपुर, ओडिशा
9.	द रिसर्च सोसाइटी ऑफ ग्रांट मेडीकल कॉलेज एंड जे.जे. ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, मुम्बई
10.	मुगम्बीगई चैरीटेबल एंड एजूकेशन ट्रस्ट, बंगलौर
11.	द कृष्णा इंस्टीच्यूट ऑफ मेडीकल साईंसेज, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
12.	पूना ब्लाइंड मैनज एसोसिएशन्स (पी.बी.एम.एज) एच.वी. देसाई आई हॉस्पिटल, पुणे
	संस्थानों की सूची जिनकी साइरो मान्यता का नवीकरण 31-3-2010 के बाद से लम्बित है
1.	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली
2.	विवेकानन्द निधि, कोलकाता
3.	गुजरात विश्वकोष ट्रस्ट, अहमदाबाद
4.	कामायनी प्रशिक्षण एवं संशोधन सोसाइटी, पुणे
5.	संजय गांधी इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रॉमा एंड आर्थोपैडिक्स
6.	द इंस्टीच्यूट ऑफ पीस रिसर्च एंड एक्शन, दिल्ली
7.	हिमालयन इंस्टीच्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून

क्र.सं.	संगठन का नाम

संस्थानों की सूची जिनकी साइरो मान्यता का नवीनीकरण 31-3-2011 के बाद से लम्बित है

1.	एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडटेकिंग्स (एक लाभग्राही के रूप में सैन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, पुणे), नई दिल्ली
2.	ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
3.	ब्रीच कैंडी मेडीकल रिसर्च सैंटर, ब्रीच कैंडी हॉस्पीटल, मुम्बई
4.	इंडियन कैंसर सोसाइटी, मुम्बई
5.	पी.आर.आई.एस.टी. यूनिवर्सिटी, तंजावुर
6.	आशा फाउंडेशन, बंगलौर
7.	मंडके फाउंडेशन, मुम्बई
8.	सैंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली-110001
9.	श्री जालाराम हैल्थ एंड मेडीकल रिसर्च सैंटर, धरमाज, (गुजरात)
10.	जैन इंस्टीच्यूट ऑफ वेस्क्यूलर साईंसेज, बंगलौर
11.	नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रीवेन्शन ऑफ ब्लाइंडनेस - इंडिया डॉ. आर.पी. सैंटर फॉर ओप्थेलमिक साईंसेज, नई दिल्ली

आन्ध्र प्रदेश से प्रस्ताव

5951. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को आन्ध्र प्रदेश सरकार से पर्यटन के उद्देश्य हेतु गोदावरी नदी के ऊपर हेवलॉक पुल के आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु अनुमति प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) इससे पहले आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 'एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना' के रूप में राजमुन्द्री पर परित्यक्त पुराने गोदावरी रेल पुल (हैवलॉक पुल) के उपयोग के लिए सहमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। रेलवे निम्नलिखित आवश्यक अनुमोदनों की शर्त पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है:

(क) हैवलॉक पुल उपयोग के लिए, यदि राज्य सरकार सेलवेज वैल्यू अदा करे।

(ख) केवल पर्यटन और तीर्थस्थान उद्देश्य के लिए पट्टा आधार पर पुल के पूर्व छोर पर पहुंचने के लिए शिव लिंग के दोनों ओर रेलवे भूमि की 10 मीटर चौड़ी पट्टी छोड़ने के लिए।

बहरहाल, रेलवे निम्न के लिए सहमत नहीं थी:

(i) उपर्युक्त के समकक्ष भविष्य में निर्माण और अनुरक्षण हेतु अपेक्षित अन्य संबद्ध भूमि खाली करना।

(ii) सुरक्षा की दृष्टि से क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप

में द्वीप के विकास के लिए यहां तक पहुंचने के लिए तीसरे गोदावरी रेल पुल के नीचे से जाना होगा।

राज्य सरकार पुल की सेलवेज वेल्यू के भुगतान के लिए सहमत नहीं हुई है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने पट्टा राशि का भुगतान करने और रेलवे के साथ 33 वर्ष की अवधि के लिए राजस्व की 50% की भागीदारी के साथ आन्ध्र प्रदेश की पर्यटन नीति-2010 के अनुसार हैवलॉक पुल के इस्तेमाल के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

राज्य सरकार के नए प्रस्ताव की रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

एड्स का टीका बनाने वाली प्रयोगशाला की स्थापना

5952. श्री मानिक टैगोर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुड़गांव में एड्स का टीका बनाने वाली प्रयोगशाला जो दक्षिण एशिया में अपनी किस्म की पहली प्रयोगशाला है, की स्थापना सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना देश के अन्य भागों में भी करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (टी.एच.एस.टी.आई.), गुड़गांव, हरियाणा (विभाग का एक स्वायत्त संस्थान) और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव (आई.ए.वी.आई.-एक वैश्विक 'लाभ के लिए नहीं' संगठन) के बीच उत्पाद विकास साझेदारी के रूप में एच.आई.वी. टीका आविष्कार अनुसंधान में तेजी लाने के लिए एक सहयोगात्मक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैन्डीडेट इम्यूनोजेन्स के निर्माण हेतु ऐसे नवाचारी हाई-थ्रूपुट प्रौद्योगिकियों की स्थापना करना है जो एच.आई.वी.-1 के विरुद्ध मोटे तौर पर निष्प्रभावी प्रतिरक्षियों की प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रतिरोधक टीके के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए नए एच.आई.वी. टीका कैन्डीडेट्स की खोज और विकास करना है। इस अद्वितीय प्रयास में अन्तर विषयक वैचारिक आदान-प्रदान की आवश्यकता होगी जो सहभागिता के सिद्धांतों, उच्च कोटि के विज्ञान और टीका-अभिमुखी प्रायोगिक अनुसंधान पर आधारित होगा। यह भारतीय वैज्ञानिकों को शामिल करेगा, वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण केरगा और भारत में समावेशी नवाचार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा, वैज्ञानिक ज्ञान के सुदृढ़ीकरण, साझेदारी और वाणिज्यीकरण की दिशा में वैश्विक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह अनुसंधान और विकास सुविधाओं के वैश्विक नेटवर्क का एक भाग होगा जिसमें आई.ए.वी.आई. की न्यूट्रलाइजिंग एन्टीबॉडी कन्सोर्टियम और एड्स वैक्सीन डिजाइन एण्ड डेवलपमेन्ट लेबोरेटरी, ब्रुकलीन, न्यूयार्क भी शामिल होंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) वर्तमान में, देश में इस प्रकार की पहलें स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति

5953. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना हेतु निधि को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के स्थान पर कोई अन्य योजना बनाने तथा लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितने छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क)

जी, नहीं। मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत किसी निधि का प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित छात्रों की राज्य-वार संख्या, महाराष्ट्र सहित, दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई छात्रवृत्तियों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 जारी छात्रवृत्तियों की संख्या	2009-10 जारी छात्रवृत्तियों की संख्या	2010-11 जारी छात्रवृत्तियों की संख्या	जारी कुल छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1411	1319	1314	4044
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	1372	1910	1908	5190
4.	बिहार	2500	2718	3133	8351
5.	छत्तीसगढ़	78	121	148	347
6.	गोवा	52	68	79	199
7.	गुजरात	526	705	928	2159
8.	हरियाणा	344	300	310	954
9.	हिमाचल प्रदेश	19	35	37	91
10.	जम्मू और कश्मीर	1388	1278	1443	4109
11.	झारखंड	620	709	916	2245
12.	कर्नाटक	1383	1756	1986	5125
13.	केरल	2239	3504	4443	10186
14.	मध्य प्रदेश	490	984	814	2288
15.	महाराष्ट्र	2005	3028	2463	7496
16.	मणिपुर	158	98	184	440
17.	मेघालय	51	85	224	360

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	179	122	188	489
19.	नागालैंड	0	143	345	488
20.	ओडिशा	188	241	191	620
21.	पंजाब	592	1884	2541	5017
22.	राजस्थान	882	956	1001	2839
23.	सिक्किम	0	20	145	165
24.	तमिलनाडु	1659	2209	2118	5986
25.	त्रिपुरा	23	54	73	150
26.	उत्तर प्रदेश	4268	4808	6962	16038
27.	उत्तराखंड	65	109	127	301
28.	पश्चिम बंगाल	3336	6379	6599	16314
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	8	11	24
30.	चंडीगढ़	30	28	17	75
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीव	0	0	1	1
33.	दिल्ली	322	387	385	1094
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	10	16	22	48
	योग	26195	35982	41056	103233

नलकूपों के माध्यम से भू-जल का दोहन

5954. श्री पूर्णमासी राम: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में नलकूपों के माध्यम से भू-जल को अवैध रूप से निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने ऐसी बोरिंग पर पाबंदी लगा दी है; और

(ग) नलकूपों के माध्यम से भू-जल को अवैध रूप से निकाले जाने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क)

जी, हां। दिल्ली में भूमि जल की गैरकानूनी निकासी किए जाने संबंधी कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने भूमि जल विनियमन के लिए दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों और यमुना बाढ़ मैदानी क्षेत्र को अधिसूचित किया है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में नई भूमि जल निकासी संरचनाओं के संस्थापन की, प्राधिकरण/प्राधिकृत अधिकारियों की पूर्व विशिष्ट मंजूरी के बीना आज्ञा नहीं है। ई.पी.ए, 1986, की धारा 5 के विनियामक निर्देशों को लागू करने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में सी.जी.डब्ल्यू.ए. के निर्देशों के उल्लंघन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत किया गया था।

(ग) प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त (राजस्व) को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है तथा यदि कोई उल्लंघन हो तो इसे रोकने तथा गैरकानूनी कुओं को सील करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

[हिन्दी]

बांधों का निर्माण

5955. श्री रेवती रमण सिंह:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में बांधों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से बांधों की पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे सभी प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एन.आर.एल.डी.) 2009 के अनुसार, भारत में बड़े बांधों की संख्या 5101 है जिनमें से 4711 पूरे कर लिए गए हैं और 390 निर्माणाधीन हैं। इन बांधों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.) की परिकल्पना के दौरान 13 राज्यों ने पुनर्वास हेतु अपने कुछ बांधों को शामिल करने में रूचि दिखाई है। तथापि, डी.आर.आई.पी. हेतु प्रस्ताव में इन राज्यों में और केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में 223 बांधों (तमिलनाडु में 104 बांध, मध्य प्रदेश में 50 बांध, ओडिशा में 38 बांध, केरल में 31 बांध) के पुनर्वास और सांस्थानिक बांध सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। 2100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत सहित प्रस्ताव में 480.24 करोड़ रुपए का अनाबंटित घटक भी है, जिसे अन्य राज्यों में बांधों के पुनर्वास हेतु उपयोग किया जा सकता है।

(घ) डी.आर.आई.पी. प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

बड़े बांधों का राज्य वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरे किए गए बांध	निर्माणाधीन बांध	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1		2
2.	आन्ध्र प्रदेश	283	51	334
3.	अरुणाचल प्रदेश	1		1

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरे किए गए बांध	निर्माणाधीन बांध	कुल
4.	असम	2	2	4
5.	बिहार	24	4	28
6.	छत्तीसगढ़	243	16	259
7.	गोवा	5		5
8.	गुजरात	598	68	666
9.	हिमाचल प्रदेश	13	6	19
10.	जम्मू और कश्मीर	10	3	13
11.	झारखंड	49	28	77
12.	कर्नाटक	229	7	236
13.	केरल	53	1	54
14.	मध्य प्रदेश	899	7	906
15.	महाराष्ट्र	1676	145	1821
16.	मणिपुर	2	3	5
17.	मेघालय	5	2	7
18.	ओडिशा	157		157
19.	पंजाब	14	1	15
20.	राजस्थान	180	23	203
21.	सिक्किम	2		2
22.	तमिलनाडु	107	1	108
23.	त्रिपुरा	1		1
24.	उत्तर प्रदेश	115	16	131
25.	उत्तराखंड	13	6	19
26.	पश्चिम बंगाल	28		28
	कुल जोड़	4711	390	5101

[अनुवाद]

20-सूत्री कार्यक्रम

5956. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य-वार कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में मेधा क्रमानुसार राज्यों की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 में 65 मदें हैं जिनका संचालन केंद्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा किया जाता है तथा ये मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। 65 मदों वाले 20 सूत्रों की सूची संलग्न है (विवरण-I) 65 मदों में से 20 मदें मासिक आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मॉनीटर की जा रही हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों में कार्यान्वित मासिक रूप से मॉनीटर की गई मदों की सूची संलग्न है (विवरण-II)।

(ग) बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के अंतर्गत शामिल कार्यक्रम/योजनाओं की मॉनीटरिंग उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न वास्तविक पैरामीटरों के आधार पर की जाती है। लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग केवल तीन मदों पर ही की जाती है। लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वर्ष 2010-11 के लिए इन तीन मदों के राज्यवार ब्यौरों का विवरण संलग्न है (विवरण-III)।

(घ) सरकार योजनाओं के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करती है तथा इन 19 पैरामीटरों के आधार पर ही इन्हें "बहुत अच्छा", "अच्छा" तथा "खराब" की श्रेणी में रखती है। वर्ष 2010-11 के लिए राज्यवार कार्य-निष्पादन को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-IV)।

विवरण-I

बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका) - 2006 में शामिल 20 सूत्र और 65 मदों की सूची

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
I.		**गरीबी हटाओ**
		ग्रामीण क्षेत्र
	1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना (एम.एन.आर.ई.जी.ए.)
	2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
	3.	पंचायतों की भागीदारी में ग्रामीण व्यापार केंद्र
	4.	स्व सहायता ग्रुप
		शहरी क्षेत्र
	5.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
II.		**जनशक्ति**
	6.	स्थानीय स्वायत सरकार (पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय)
		- प्रकार्यों के अंतरण के लिए कार्यवाही योजना
		- निधियों का बजट बनाना
		- कार्मिकों के कार्य
	7.	शीघ्र और किफायती न्याय - ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत
	8.	जिला योजना समितियां
III.		**किसान मित्र**
	9.	वाटर शैड विकास
	10.	कृषकों को विपणन और अधिसंरचनात्मक सहायता
	11.	कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं (गौण एवं लघु सिंचाई सहित)
	12.	किसानों को ऋण
	13.	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण
IV.		**श्रमिक कल्याण**
	14.	कृषि एवं असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
	15.	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिकों सहित)
	16.	बाल श्रमिक निवारण
	17.	महिला श्रमिक कल्याण
V.		**खाद्य सुरक्षा**
	18.	**खाद्य सुरक्षा:**
		(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
		(ii) अंत्योदय अन्न योजना,
		(iii) स्थायी खाद्य अभाव क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना
VI.		**सबके लिए आवास**
	19.	ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
	20.	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास
VII.		**शुद्ध पेयजल**
	21.	ग्रामीण क्षेत्र - त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम
	22.	शहरी क्षेत्रः
		- त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम
VIII.		**जन-जन का स्वास्थ्य**
	23.	गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथामः
		(क) एच.आई.वी./एड्स (ख) तपेदिक (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ (ङ) अंधता
	24.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	25.	बाल टीकाकरण
	26.	- ग्रामीण क्षेत्र
		- शहरी क्षेत्र में स्वाच्छता कार्यक्रम
	27.	सांस्थनिक प्रसव
	28.	कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम
	29.	मां एवं बच्चों के लिए सम्पूरक पोषक आहार
	30.	दो बच्चों का मानक
IX.		**सबके लिए शिक्षा**
	31.	सर्वशिक्षा अभियान - अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
	32.	मध्याह्न भोजन योजना
X.		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	33.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
	34.	सपाई कर्मियों का पुनर्वास
	35.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार
	36.	वन में रहने वालों का अधिकार - लघु वन उत्पादों के मालिक
	37.	अत्यधिक कमजोर आदिम जनजाति समूह

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
	38.	जनजातीय भूमि का अहस्तांतरण
	39.	पंचायतों का कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम [पेसा]
	40.	अल्पसंख्यक कल्याण
	41.	सभी अल्पसंख्यक समुदायों को व्यावसायिक शिक्षा
	42.	- शिक्षा - रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण
XI.		**महिला कल्याण**
	43.	महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता
	44.	(क) पंचायतों (ख) नगरपालिकाओं (ग) राज्य विधानमंडलों (घ) संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी
XII.		**बाल कल्याण**
	45.	आई.सी.डी.एस. योजना का सार्वभौमिकरण
	46.	क्रियाशील आंगनवाड़ियां
XIII.		**युवा विकास**
	47.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल
	48.	राष्ट्रीय सद्भावना योजना
	49.	राष्ट्रीय सेवा योजना
XIV.		**बस्ती सुधार**
	50.	सात सूत्रों के चार्टर अर्थात्; भूमि का पट्टा, किफायती लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
XV.		**पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि**
	51.	वनरोपण (क) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (ख) सार्वजनिक भूमि एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या
	52.	नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों का नाम
	53.	- ग्रामीण क्षेत्र - शहरी क्षेत्र में सॉलिड एवंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट
XVI.		**सामाजिक सुरक्षा**
	54.	विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास
	55.	वृद्धों का कल्याण
XVII.		**ग्रामीण सड़क**
	56.	ग्रामीण सड़कें - पी.एम.जी.एस.वाई.
XVIII.		**ग्रामीण ऊर्जा**
	57.	बायो-डीजल उत्पादन
	58.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
	59.	नवीकरणीय ऊर्जा
	60.	पंपसेटों को बिजली
	61.	विद्युत आपूर्ति
	62.	केरोसिन एवं एल.पी.जी. की आपूर्ति
XIX.		**पिछड़ा क्षेत्र विकास**
	63.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
		ई-शासन
	64.	केंद्रीय एवं राज्य सरकारें
	65.	पंचायतें एवं नगरपालिकाएं

विवरण-II

2010-11 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के कार्यक्रमों/मासिक प्रबोधन की गई स्कीमों का कार्यान्वयन

सं.	मदें	राज्य कहां कार्यान्वित की गईं
(i)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन रोजगार पैदा करना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)	दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

सं.	मदें	राज्य कहां कार्यान्वित की गईं
(ii)	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(iii)	स्व सहायता ग्रुपः (क) एस.जी.एस.वाई. के अधीन स्व-सहायता ग्रुप (ख) स्व-सहायता ग्रुप जिन्हें एस.जी.एस.वाई. के अधीन आय सृजित करने के कार्यकलाप प्रदान किए गए हैं।	दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(iv)	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण	हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(v)	न्यूनतम मजदूरी लागू करना (फार्म श्रमिकों सहित)	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(vi)	खाद्य सुरक्षाः (क) ए.ए.वाई., ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) (ख) केवल अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ग) केवल गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(vii)	ग्रामीण आवास के लिए इंदिरा आवास योजना - आई.ए.वाई.	दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
(viii)	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा चंडीगढ़
(ix)	ग्रामीण क्षेत्र - त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) (क) शामिल बसावटें (एन.सी./पी.सी.) (ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरुआत	दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
(x)	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

सं.	मदें	राज्य कहां कार्यान्वित की गईं
(xi)	सांस्थानिक प्रसव	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(xii)	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(xiii)	आई.सी.डी.एस. योजना का सार्वभौमिकरण	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(xiv)	क्रियाशील आंगनवाड़ियां	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(xv)	सात सूत्री चार्टर अर्थात्; भूमि का पट्टा, किफायती लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा चंडीगढ़
(xvi)	वनरोपण	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
	(क) सार्वजिक भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र	
	(ख) सार्वजिक भूमि एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	
(xvii)	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कें	दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(xviii)	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
(xix)	पंपसेटों को बिजली	आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दमन ओर दीव
(xx)	बिजली आपूर्ति	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

विवरण-III

2010-11 के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के रूप में मूल्यांकित बीसूका-2006 की मासिक तौर पर प्रबोधित मदों/स्कीमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	म.गां. नरेगा के अंतर्गत जारी किए जॉब कार्डों की संख्या	सहायताप्राप्त वैयक्तिक स्व रोजगारी (एस.जी.एस.वाई.)	संस्थानों में प्रसवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,97,637	18771	13,04,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	873	9,534
3.	असम	1,59,338	11455	4,19,172
4.	बिहार	6,38,361	15398	13,83,505
5.	छत्तीसगढ़	5,06,533	12051	3,26,278
6.	दिल्ली	ला.न.	ला.न	2.76,084
7.	गोवा	6,012	50	18,807
8.	गुजरात	3,85,837	19492	10,98,277
9.	हरियाणा	1,01,964	2828	2,04,955
10.	हिमाचल प्रदेश	40,111	2335	65,372
11.	जम्मू और कश्मीर	1,42,448	7799	1,42,699
12.	झारखंड	2,43,004	14040	3,40,144
13.	कर्नाटक	16,70,812	12507	7,25,625
14.	केरल	4,83,744	7185	3,75,805
15.	मध्य प्रदेश	1,83,241	96361	13,30,637
16.	महाराष्ट्र	2,31,943	23837	13,09,199
17.	मणिपुर	68,786	303	25,554
18.	मेघालय	11,679	6308	33,772
19.	मिजोरम	7,988	834	18,211
20.	नागालैंड	24,017	783	0

1	2	3	4	5
21.	ओडिशा	4,32,244	22249	5,51,626
22.	पुडुचेरी	3,089	94	42,485
23.	पंजाब	98,664	6718	2,69,641
24.	राजस्थान	10,10,575	16115	12,07,065
25.	सिक्किम	4,191	468	6,666
26.	तमिलनाडु	8,03,668	13465	10,80.397
27.	त्रिपुरा	30,662	0	38,260
28.	उत्तराखंड	81,033	3603	92,643
29.	उत्तर प्रदेश	13,65,097	88080	27,71,150
30.	पश्चिम बंगाल	3,29,368	56900	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,241	312	4,925
32.	चंडीगढ़	ला.न.	ला.न	18,538
33.	दादरा और नगर हवेली	218	17	3,140
34.	दमन और दीव	0	25	2,773
35.	लक्षद्वीप	8,365	148	645
	कुल	96,72,870	461404	1,54,97,584

ला.न. : लागू नहीं।

विवरण-IV

वर्ष 2010-2011 के दौरान लक्ष्य योग्य 19 मासिक पैरामीटरों के आधार पर बी.सू.का.-2006 का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निष्पादन

1 आन्ध्र प्रदेश

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा; अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

2 अरुणाचल प्रदेश

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), प्रदान की गई बिजली

खराब

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, निर्मित आवास-आई.ए.वाई., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतिकरण

3 असम

बहुत अच्छा

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतिकरण, प्रदान की गई बिजली

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

4 बिहार

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षा: अंतोदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतकरण

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रदान की गई बिजली

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

5 छत्तीसगढ़

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., सहायता प्राप्त

अनुसूचित जाति परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण प्रदान की गई बिजली

खराब

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण, पंपसेटों को बिजली

6 दिल्ली

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रदान की गई बिजली

खराब

खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार

7 गोवा

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षाः अंतोदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

8 गुजरात

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)

9 हरियाणा

बहुत अच्छा

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली

प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.

10 हिमाचल प्रदेश

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

11 जम्मू कश्मीर

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

खराब

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण प्रदान की गई बिजली

12 झारखण्ड

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

खराब

खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

13 कर्नाटक

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., सहायता प्राप्त

अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

खराब

निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

14 केरल

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण, प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

खराब

निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार

15 मध्य प्रदेश

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण, प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण, पंपसंटों को बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), प्रदान की गई बिजली

खराब

निर्मित आवास-आई.ए.वाई., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

16 महाराष्ट्र

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), क्रियाशील आंगवाड़ियां (संचयी), प्रदान की गई बिजली

17 मणिपुर

बहुत अच्छा

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, निर्मित आवास-आई.ए.वाई., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

अच्छा

क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), प्रदान की गई बिजली

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

18 मेघालय

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), प्रदान की गई बिजली

खराब

फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

19 मिजोरम

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

अच्छा

प्रदान की गई बिजली

खराब

फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

20 नागालैंड

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

अच्छा

प्रदान की गई बिजली

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

21 ओडिशा

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप

खराब

निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.

22 पुडुचेरी

बहुत अच्छा

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, निर्मित आवास-आई.ए.वाई., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

23 पंजाब

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनित वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), शामिल बसावटें (एन.सी. एवं पी.सी.)-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.

खराब

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), पंपसेटों को बिजली

24 राजस्थान

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक

स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई. निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

25 सिक्किम

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

निर्मित आवास-आई.ए.वाई.

खराब

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

26 तमिलनाडु

बहुत अच्छा

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.

27 त्रिपुरा

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक

स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, निर्मित आवास-आई.ए.वाई., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

28 उत्तराखंड

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए अन्य अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.

खराब

निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., शामिल बसावटें (एन.सी. एवं पी.सी.) - ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)

29 उत्तर प्रदेश

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पंपसेटों को बिजली

अच्छा

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, निर्मित आवास-आई.ए.वाई., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रदान की गई बिजली

खराब

सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार

30 पश्चिम बंगाल

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण, पंपसेटों को बिजली, प्रदान की गई बिजली

अच्छा

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

खराब

खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., फिर से निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों के कार्यों की शुरुआत-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

31 अंडमान और निकोबार

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

खराब

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., शामिल बसावटें (एन.सी. एवं पी.सी.)-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., प्रदान की गई बिजली

32 चंडीगढ़

बहुत अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि) प्रदान की गई बिजली

अच्छा

खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)

खराब

खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), निर्मित आवास-ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी., सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार, सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार

33 दादरा और नगर हवेली

बहुत अच्छा

चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि) प्रदान की गई बिजली

अच्छा

क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)

खराब

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई.

34 दमन और दीव

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी) प्रदान की गई बिजली

खराब

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), निर्मित आवास-आई.ए.वाई., रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि), पंपसेटों को बिजली

35 लक्षद्वीप

बहुत अच्छा

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), खाद्य सुरक्षाः अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), खाद्य सुरक्षाः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बी.पी.एल.), चालू एकीकृत बाल विकास योजना ब्लॉक (संचयी), क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी) रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि), रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि) प्रदान की गई बिजली

खराब

स्वसहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन

कार्यकलाप, निर्मित आवास-आई.ए.वाई., शामिल बसावटें (एन.सी. एवं पी.सी.) - ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.।

90 सीट वाले यात्री विमानों का निर्माण

5957. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना शीघ्र ही 90 सीट वाले यात्री विमानों के निर्माण में निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में योजना आयोग की स्वीकृति मिल चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त विमान की निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु लागत कितनी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) राष्ट्रीय नागर विमान विकास (एन.सी.ए.डी.) कार्यक्रम के लिए सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल.), बंगलूरु में व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। इस कार्यक्रम के दो चरण हैं: डिजाइन एवं विकास; और निर्माण। यह प्रत्याशा की जाती है कि इन दोनों चरणों में निजी क्षेत्र में उद्योग की भागीदारी रहेगी।

(ख) योजना आयोग ने सिफारिश की है कि सी.एस. आई.आर. इस कार्यक्रम के सैद्धान्तिक अनुमोदन हेतु केबिनेट नोट प्रस्तुत कर सकता है।

(ग) व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार एन.सी.ए.डी. कार्यक्रम हेतु कुल अनुमानित बजटीय आवश्यकताएं रु. 7555 करोड़ होगी जिसमें से रु. 4355 करोड़ डिजाइन एवं विकास चरण हेतु और रु. 3200 करोड़ शृंखलाबद्ध उत्पादन चरण हेतु हैं।

[हिन्दी]

राजनंदगांव रेलवे स्टेशन पर ठहराव

5958. श्री मधुसूदन यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव स्टेशन पर हटिया-कुर्ला एक्सप्रेस तथा हावड़ा-कुर्ला जनेश्वरी एक्सप्रेस के ठहराव के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) वर्तमान समय में ऐसी यात्री रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है जो राजनंदगांव में नहीं रुकती; और;

(घ) उक्त स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। इन अनुरोधों की जांच की गई परंतु अतिरिक्त ठहराव व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं।

(ग) राजनंदगांव से 16 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरती हैं, परन्तु वहां रुकती नहीं हैं।

(घ) इस समय, इस स्टेशन पर हावड़ा के लिए 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां और मुम्बई के लिए 4 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 22 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती हैं, जिन्हें फिलहाल पर्याप्त समझा गया है। अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव को वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

संपर्क कार्यकलाप

5959. श्री राधे मोहन सिंह:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ मंत्रालय का सांख्यिकी संघ संपर्क रखता है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार को इस प्रकार के संपर्क कार्यकलापों से कोई अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अपने अधिकारियों को विदेश में इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य करने हेतु भेजती है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कितने अधिकारियों को भेजा गया है; और

(च) अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणियों से संबंधित कितने अधिकारी भेजे गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सांख्यिकी स्कंध (जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन - एन.एस.ओ. के नाम से जाना जाता है) आंकड़ों/रिपोर्टों की आपूर्ति; सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ अद्यतन रखने सहित सांख्यिकी प्रणाली का विकास, तथा; सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता के साथ मानक अवधारणा और पद्धतियां विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी प्रभाग, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.लो.), एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.), संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय सांख्यिकी संस्थान, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.), आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क में रहता है। आंकड़ों/रिपोर्टों के आदान-प्रदान तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों आदि में भाग लेने के माध्यम से इस संपर्क को बनाए रखा जाता है।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखने से राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन को, कार्मिकों की जानकारी अद्यतन करने, उनके कौशल में सुधार करने तथा सांख्यिकी के संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं पद्धतियों को अपनाने में सहायता मिली है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य करने हेतु अधिकारियों को नामित करने के लिए मंत्रालय में कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, ऐसे संगठनों द्वारा जारी सभी परिपत्रों के आधार पर अधिकारी आवेदन करते हैं, तथा ऐसे संगठनों द्वारा चयनित अधिकारियों को विषय से संबंधित प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय द्वारा कार्यमुक्त/प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(ङ) और (च) वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है:-

अंतर्राष्ट्रीय संगठन	प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या
ए.डी.बी.	1
यू.एन.डी.पी	3
यूनिसेफ	2
यू.एन.एस.आई.ए.पी.	1
आई.एम.एफ.	1
आई.एल.ओ.	1
विदेश प्रतिनियुक्ति, कतर सरकार	1
विदेश प्रतिनियुक्ति, इथोपिया सरकार	1
कुल	11

यथा उपर्युक्त संगठनों में कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी 11 अधिकारी सामान्य वर्ग से संबंधित हैं।

भू-जल का संदूषण

5960. श्री मनीष तिवारी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक अपशिष्टों और कीटनाशकों के कारण राज्य-वार कितना प्रतिशत भू-जल संदूषित हुआ है तथा इस संबंध में क्या प्रवृत्ति देखी गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए भू-जल संदूषण को रोकने हेतु वर्ष-वार लक्ष्य क्या थे;

(ग) देश भर में भू-जल के स्तर में कमी का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(घ) भू-जल के घटने की राज्य-वार क्षेत्रीय दर कितनी है;

(ङ) उत्तरी भारत में जल भंडार की वास्तविक मात्रा कितनी है;

(च) क्या देश में कुल भू-जल भंडारों के संबंध में

आंकड़ों को किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मापा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) प्राप्त सूचना के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विशेष तौर पर औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के उत्सर्जन के कारण जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी नहीं करता है। तथापि सी.पी.सी.बी. मानदंडों में दिये गए संदूषकों जैसे पी.एच., चालकता, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.), विघटित आक्सीजन (डी.ओ.), नाइट्रेट, कुल कोलीफॉर्म बैक्टिरिया आदि के संबंध में 595 भूजल गुणवत्ता निगरानी केंद्रों सहित 2000 केंद्रों से जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करता है। भूजल गुणवत्ता संबंधी मानकों के उल्लंघन की राज्य-वार स्थिति विवरण-I में दी गई है।

(ख) 'जल' राज्य का विषय है इसलिये राज्यों में जल आपूर्ति अभिकरण प्राथमिक रूप से संदूषित भूजल के परिशोधन के लिये उत्तरदायी हैं। तथापि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में सहयोग करता है। राज्यों द्वारा जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिये एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत 65% तक की निधि का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) और (घ) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा मई, 2001 से मई, 2011 की अवधि के लिये एकत्रित दीर्घावधि जल स्तर आंकड़ों के विश्लेषण में यह दर्शाया गया है कि पूरे देश में निगरानी के अंतर्गत 46% प्रेक्षण कुओं में भूजल स्तर में गिरावट आई है और शेष 54% कुओं में जल स्तर में वृद्धि हुई है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूमि जल संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किये गए भूजल संसाधनों के अंतिम आकलन (2004 की स्थिति के अनुसार) के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों (चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) के उथले जलभृतों में कुल वार्षिक पुनर्भरणीय संसाधन 115 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) आकलित किये गए हैं। 10 बी.सी.एम. प्राकृतिक निस्सरण मानते हुए निवल वार्षिक भूजल उपलब्धता 105 बी.सी.एम. आकलित की गई है।

(च) और (छ) भूजल की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये दूर संवेदन एवं भू-भौतिकीय उपकरणों द्वारा समर्थित जल भूवैज्ञानिक मानचित्रण जैसी वैज्ञानिक तकनीकें उपलब्ध हैं। संभावित जलभृत क्षेत्रों का पता लगाने के लिये अन्वेषणात्मक वेधन किया जाता है। इन क्रियाकलापों के माध्यम से एकत्रित की गई सूचना का उपयोग करते हुए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने 1:2,000,000 के पैमाने पर भारत का मानचित्र तैयार एवं प्रकाशित किया है जिसमें विभिन्न जल भूवैज्ञानिक संरचनाओं से प्राप्त की गई क्षमता का ब्यौरा दिया गया है। 2004 की स्थिति के अनुसार देश में वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 433 बी.सी.एम. आकलित किये गए हैं।

विवरण-I

भूजल के विभिन्न मानकों के उल्लंघन का % में ब्यौरा (राज्य-वार)

राज्य का नाम	पी.एच.			चालकता			बी.ओ.डी.		
	उल्लंघन करने वाले रिकार्डों की संख्या	कुल रिकार्ड	% उल्लंघन	उल्लंघन करने वाले रिकार्डों की संख्या	कुल रिकार्ड	% उल्लंघन	उल्लंघन करने वाले रिकार्डों की संख्या	कुल रिकार्ड	% उल्लंघन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	3	74	4.05	27	74	36.49	6	73	8.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	7	59	11.86	0	59	0	16	59	27.12
बिहार	0	45	0	0	45	0			
छत्तीसगढ़	0	12	0	1	12	8.33	0	4	0
दमन और द्वीव; दादरा और नगर हवेली	0	54	0	8	56	14.29	28	28	100
गोवा	9	12	75	0	12	0	3	12	25
गुजरात	0	29	0	14	29	48.28	1	29	3.45
हिमाचल प्रदेश	4	75	5.33	0	75	0	3	53	5.66
केरल	48	68	70.59	0	68	0	1	68	1.47
मध्य प्रदेश		31	0	13	30	43.33	2	28	7.14
महाराष्ट्र	3	35	8.57	7	35	20	27	35	77.14
मणिपुर	0	12	0	0	10	0	0	9	0
मेघालय	4	10	40	0	10	0	1	10	10
मिजोरम	8	8	100	0	8	0	0	8	0
ओडिशा	4	26	15.39	1	26	3.85	0	26	0
पुडुचेरी	6	28	21.43	0	28	0	0	13	0
राजस्थान	4	69	5.80	20	69	28.99	6	67	8.96
तमिलनाडु	0	3	0	0	3	0	1	3	33.33
त्रिपुरा	0	25	0	0	25	0	0	25	0
उत्तर प्रदेश	1	65	1.54	4	57	7.02	4	35	11.43
उत्तराखंड	01	2	0	0	2	0	0	2	0
पश्चिम बंगाल	7	97	7.22	5	97	5.15	3	96	3.13

राज्य का नाम	नाइट्रेटएन			फेकलकोलीफार्म			कुल कोलीफार्म		
	उल्लंघन करने वाले रिकार्डों की संख्या	कुल रिकार्ड	% उल्लंघन	उल्लंघन करने वाले रिकार्डों की संख्या	कुल रिकार्ड	% उल्लंघन	उल्लंघन करने वाले रिकार्डों की संख्या	कुल रिकार्ड	% उल्लंघन
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आन्ध्र प्रदेश	0	66	0	0	64	0	0	73	0
असम	7	59	11.86	0	59	0	0	59	0
बिहार	0	45	0	0	45	0	0	45	0
छत्तीसगढ़	0	12	0				0	8	0
दमन और दीव; दादरा और नगर हवेली	0	54	0						
गोवा	9	12	75	0	1	0	0	4	0
गुजरात	0	28	0	0	21	0	0	26	0
हिमाचल प्रदेश	4	74	5.41	0	40	0	0	52	0
केरल	48	68	70.59	0	68	0	0	68	0
मध्य प्रदेश		23	0	0	20	0	0	23	0
महाराष्ट्र	3	32	9.375	0	31	0	0	31	0
मणिपुर							0	9	0
मेघालय	4	10	40	0	10	0	0	10	0
मिजोरम				0	4	0	0	4	0
ओडिशा	4	26	15.39	0	26	0	0	26	0
पुडुचेरी	6	15	40						
राजस्थान	4	69	5.80	0	69	0	0	69	0
तमिलनाडु	0	3	0	0	3	0	0	3	0
त्रिपुरा	0	25	0	0	23	0	0	23	0
उत्तर प्रदेश	1	30	3.33	0	12	0	0	19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तराखंड									
पश्चिम बंगाल	7	82	8.54	0	33	0	1	39	2.56

स्रोतः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विवरण-II

भूजल स्तर में वृद्धि एवं गिरावट और प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा
(मानसून पूर्व 2001 से मानसून पूर्व 2011 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषित कुओं की संख्या	सीमा							
			वृद्धि (मी/वर्ष)		गिरावट (मी./वर्ष)		वृद्धि		गिरावट	
			न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1604	0.0001	1.9545	0.0006	3.1011	991	61.78	613	38.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	0.0273	0.1059	0.0009	0.0410	9	75.00	3	25.00
3.	असम	219	0.0001	0.6704	0.0002	0.7206	119	58.90	90	41.10
4.	बिहार	244	0.0030	0.3289	0.0010	0.8601	40	16.39	204	83.61
5.	चंडीगढ़	17	0.1318	1.3628	0.0010	1.5491	3	17.65	14	82.35
6.	छत्तीसगढ़	442	0.0010	1.8251	0.0020	1.7700	225	50.90	217	49.10
7.	दिल्ली	91	0.0017	0.4926	0.0006	1.8513	27	29,47	64	70.33
8.	गोवा	45	0.0060	0.5174	0.0032	0.4863	25	55.56	20	44.44
9.	गुजरात	776	0.0007	3.8825	0.0005	3.2200	610	78.61	166	21.39
10.	हरियाणा	340	0.0019	0.9586	0.0019	1.9353	140	41.18	200	58.82
11.	हिमाचल प्रदेश	81	0.0026	0.6854	0.0010	0.5523	37	45.68	44	54.32
12.	जम्मू और कश्मीर	141	0.0021	0.3983	0.0037	0.7839	58	41.13	83	58.87
13.	झारखंड	150	0.0001	0.3706	0.0006	0.5487	49	31.67	101	67.33
14.	कर्नाटक	832	0.0017	2.9099	0.0011	2.0242	577	69.35	255	30.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	केरल	701	0.0003	0.9117	0.0012	0.9933	499	71.18	202	28.82
16.	मध्य प्रदेश	1084	0.0003	1.9535	0.0003	2.5324	415	38.28	669	61.72
17.	महाराष्ट्र	1098	0.0002	3.6413	0.0001	1.7400	685	61.39	413	37.61
18.	मेघालय	28	0.0047	0.1442	0.0303	0.2746	20	71.43	8	28.57
19.	ओडिशा	846	0.0003	0.5561	0.0003	0.6775	542	64.07	304	35.93
20.	पुडुचेरी	11	0.0324	0.2355	0.0016	0.4607	7	63.64	4	36.36
21.	पंजाब	188	0.0015	0.7123	0.0111	1.8451	44	23.40	144	76.60
22.	राजस्थान	890	0.0009	3.7404	0.0023	3.8611	460	51.69	430	48.31
23.	तमिलनाडु	709	0.0009	2.4030	0.0006	2.4343	555	78.28	154	21.72
24.	त्रिपुरा	23	0.0063	0.1534	0.0059	0.1194	14	60.87	9	39.13
25.	उत्तर प्रदेश	962	0.0001	0.6031	0.0003	1.7452	237	24.64	725	75.36
26.	उत्तराखंड	48	0.0055	1.6866	0.0007	0.4130	23	47.92	25	52.08
27.	पश्चिम बंगाल	609	0.0005	0.4749	0.0006	0.8689	181	29.72	428	70.28
	कुल	12191					6602	54.15	5589	45.85

बलात्कार की परिभाषा

5961. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बलात्कार के मामलों की संख्या में वृद्धि पर विचार करते हुए बलात्कार की परिभाषा को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने 'बलात्संग विधियों का पुनर्विलोकन' पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में "बलात्संग" शब्द को "लैंगिक हमला" शब्द से प्रतिस्थापित करने के लिए और उसको अलिंगी बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में अपराध के विस्तार को व्यापक करने के लिए परिवर्तनों की सिफारिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने सरकार को यह सिफारिश करते हुए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में "बलात्संग" शब्द को "लैंगिक हमले" से प्रतिस्थापित और उसमें विहित अपराध का विस्तार किया जाए, इसी विषय पर एक प्राइवेट विधेयक पृथक् रूप से अग्रेषित किया है।

चूंकि, बलात्संग और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित उपबंध गंभीर प्रकृति के हैं इसलिए, विषय पर बलात्संग विधियों के पुनर्विलोकन के मुद्दे की परीक्षा करने के लिए और विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए संघ के गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सरकार से उसकी अधिनियमिति के लिए सिफारिश की है।

सरकार, विधेयक की समीक्षा कर रही है। इस संबंध में कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है।

कमान क्षेत्र विकास

5962. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त और केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना-वार और राज्य-वार ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत गंगा कमान की सहायक नदियों/माइनर का रेखण कार्य पूरा हो जाने पर जल मार्गों के रेखण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) दिनांक 03-03-2011 को आयोजित अंत:मंत्रालयी स्वीकृति समिति की अंतिम XXIवीं बैठक के दिन या उसके बाद कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रस्तुत राज्य-वार परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त होने का माह	अभ्युक्ति
1.	गुजरात	सरदार सरोवर फेज-II	जुलाई, 2011	दिनांक 03-03-2011 को आयोजित XXIवीं आई.एम.एस.सी. की बैठक के बाद प्राप्त
2.	जम्मू और कश्मीर	परगवाल नहर	मार्च, 2011	दिनांक 03-03-2011 को आयोजित XXIवीं आई.एम.एस.सी. की बैठक के दौरान प्राप्त
3.	हिमाचल प्रदेश	शाहनहर	अगस्त, 2011	दिनांक 03-03-2011 को आयोजित XXIवीं आई.एम.एस.सी. की बैठक के बाद प्राप्त

(ग) और (घ) गंग नहर परियोजना, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के तहत जल मार्ग के संरेखण को भी शामिल करती है, को शामिल करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने जनवरी, 2011 में 538.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी। परियोजना को वर्ष 2014-15 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि आज तक 400 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए खेत संबंधी विकास (ओ.एफ.डी.) कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ङ) और (च) लक्ष्यों की प्राप्ति और समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए गहन पर्यवेक्षण और मानीटरिंग की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, जो कि प्रत्येक परियोजना के लिए कार्यान्वयन एवं पूरा करने के लक्षित वर्ष का ब्यौरा देता है, को इस परियोजना के लिए केन्द्रीय निधि जारी करने हेतु पहली शर्त बना दिया गया है।

राज्य राजधानियों के साथ संपर्क

5963. श्री रमेन डेका: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार शेष राजधानियों विशेषकर गुवाहाटी को रेल संपर्क प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भारतीय रेलवे की राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए कोई नीति नहीं है। गुवाहाटी फिलहाल रेल मार्ग से पहले से ही जुड़ा हुआ है। बहरहाल, रेल संपर्क का संवर्द्धन एक सतत् एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

भर्ती नीति

5964. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बजट 2009-10 में यथा घोषित रेलवे भर्ती नीति और रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) उक्त समीक्षा के दौरान क्या कमियां पाई गईं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए/किए जाने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक उपाए क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। अक्तूबर, 2009 में रेलवे भर्ती बोर्डों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई थी और भर्ती प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से रेल भर्ती बोर्डों की कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। नई कार्यप्रणाली के तहत, सभी रेल भर्ती बोर्डों द्वारा किसी पद विशेष के लिए एक साथ एक ही दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रश्न पत्र हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अलावा रेल भर्ती बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध स्थानीय भाषा में तैयार किए जाएंगे। महिला उम्मीदवारों, उल्पसंख्यक उम्मीदवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों, जिनकी वार्षिक आय 50,000 रु. से कम होती है, को रेल भर्ती परीक्षा शुल्क में छूट दी जाती है।

[अनुवाद]

सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता

5965. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु लक्षित बसावटों की संख्या कितनी है;

(घ) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित और आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी परिवारों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जैसाकि मंत्रालय की

ऑन-लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) में राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में बसावट की कवरेज के रूप में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में यह राष्ट्रीय औसत से कम है।

कुछ राज्यों में कम औसत कवरेज के कारण में पेयजल स्रोतों के सूख जाने, भूजल स्तर गिर जाने, प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों की वजह से पेयजल स्रोतों के संदूषित हो जाने, जल आपूर्ति प्रणालियों के निष्क्रिय हो जाने, प्रणालियों के निर्धारित क्षमता से कम कार्य करने, प्रणालियों के खराब रखरखाव एवं अनुरक्षण, आबादी में वृद्धि, नई बसावटों के उभरने, प्रापण प्रक्रियाओं में विलम्ब, बहुग्राम-योजना शुरू करने आदि की वजह से बसावटों के आंशिक रूप से कवर की गई स्थिति में लौट आना शामिल है।

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत 1,45,169 बसावटें जिनमें आंशिक रूप से कवर की गई 1,15,379 बसावटें और गुणवत्ता प्रभावित 29,790 बसावटें शामिल हैं, स्वच्छ पेयजल की सुविधा से कवर किए जाने के लिए लक्षित हैं। लक्षित बसावटों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत, निधियां राज्यों को आबंटित एवं रिलीज की जाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) समय-सीमा के भीतर सभी ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण पेयजल को भारत निर्माण के अंतर्गत घटकों में से एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। भारत निर्माण के प्रारंभ में दिनांक 1-4-2005 की स्थिति के अनुसार देश में कवर न की गई 55067 बसावटें, निचली श्रेणी में लौट आई 3,31,604 बसावटें और गुणवत्ता प्रभावित 2,16,968 बसावटें थीं। भारत निर्माण चरण-I के अंत में अर्थात दिनांक 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार कवर न की गई 627 बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित 1,79,999 बसावटों में अभी स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। ये बसावटें भारत निर्माण चरण-II के दौरान कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये शेष बसावटें भारत निर्माण चरण-II के दौरान कवर की गई हैं, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे प्राथमिकता के आधार पर कवर न की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनाएं एवं ऑन-लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली में लक्षित बसावटों को निर्धारित करें। दिनांक 1-4-2011 की स्थिति के अनुसार कवर न की गई सभी शेष बसावटें कवर कर ली गई हैं जबकि रासायनिक संदूषण से प्रभावित कुछ स्रोत वाली 1,21,046 बसावटें और आंशिक रूप से कवर की गई 3,75,483 बसावटें कवर किए जाने के लिए बाकी हैं। भारत निर्माण की शुरुआत से अब तक निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रामीण पेयजल के लिए निधियों के आबंटन को वर्ष 2004-05 अर्थात भारत निर्माण की शुरुआत वाले वर्ष के पूर्व वर्ष में 2,585 करोड़ रुपए को काफी बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 9,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत बसावटों का लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (बसावट की संख्या)		
		आंशिक रूप से कवर की गई	गुणवत्ता प्रभावित	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5433	201	5634

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	0	300
3.	असम	2915	3158	6073
4.	बिहार	9435	6375	15810
5.	छत्तीसगढ़	5126	3283	8409
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	720	405	1125
8.	हरियाणा	839	23	862
9.	हिमाचल प्रदेश	2557	0	2557
10.	जम्मू और कश्मीर	903	20	923
11.	झारखंड	18306	804	19110
12.	कर्नाटक	7000	2000	9000
13.	केरल	667	157	824
14.	मध्य प्रदेश	16140	575	16715
15.	महाराष्ट्र	5135	1272	6407
16.	मणिपुर	326	4	330
17.	मेघालय	523	12	535
18.	मिजोरम	125	0	125
19.	नागालैंड	35	50	85
20.	ओडिशा	3116	1609	4725
21.	पंजाब	1608	22	1630
22.	राजस्थान	2272	3801	6073
23.	सिक्किम	200	0	200
24.	तमिलनाडु	5923	77	6000
25.	त्रिपुरा	0	982	982
26.	उत्तर प्रदेश	22500	800	23300

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	1341	0	1341
28.	पश्चिम बंगाल	1934	4160	6094
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
31.	दमन और दीव	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0
34.	पुडुचेरी	0	0	0
35.	चंडीगढ़	0	0	0
	कुल	115379	29790	145169

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (7-9-1011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	510.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.79
3.	असम	428.86
4.	बिहार	355.66
5.	छत्तीसगढ़	130.81
6.	गोवा	5.56
7.	गुजरात	485.11
8.	हरियाणा	221.22
9.	हिमाचल प्रदेश	138.98
10.	जम्मू और कश्मीर	466.8
11.	झारखंड	172.69
12.	कर्नाटक	571.64
13.	केरल	150.18
14.	मध्य प्रदेश	387.78
15.	महाराष्ट्र	686.84
16.	मणिपुर	56.74
17.	मेघालय	65.27
18.	मिजोरम	37.1
19.	नागालैंड	53.71
20.	ओडिशा	213.3

1	2	3
21.	पंजाब	82.46
22.	राजस्थान	1151.52
23.	सिक्किम	16.06
24.	तमिलनाडु	264.56
25.	त्रिपुरा	55.98
26.	उत्तर प्रदेश	690.22
27.	उत्तराखंड	144.89
28.	पश्चिम बंगाल	321.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0
31.	दमन और दीव	0
32.	दिल्ली	0
33.	लक्षद्वीप	0
34.	पुडुचेरी	0
35.	चंडीगढ़	0
	कुल	7994.27

रेलगाड़ियों का विलंब से प्रचालन

5966. श्री जगदम्बिका पाल:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि उत्तरी भारत में घने कोहरे के कारण अनेक दिनों तक रेल यातायात बाधित रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या विलंब के संबंध में अद्यतन सूचना प्रदान करने में तंत्र का अभाव है जिसके कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा संकट का पूर्वानुमान लगाने और इसे कम करने हेतु उपचारात्मक उपाय करने में असफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में वर्तमान समय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2010-11 के दौरान, घने कोहरे के कारण 1368 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई और 7452 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां विलंबित हुई थीं।

2010-11 में, कोहरे के दौरान यात्री वहन रेलगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन और समयबद्ध चालन सुनिश्चित करने के लिए मंडल, जोनल मुख्यालय और रेलवे बोर्ड जैसे सभी स्तरों पर रेलगाड़ियों की चौबीसों घंटे व्यापक निगरानी की गई थी। इसके अलावा, रेलवे ने सुरक्षित और सुगम परिचालन के लिए कोहरे के दौरान दृश्यता सुधार के लिए भारतीय रेलों के 4273 स्टेशनों पर एल.ई.डी. सिगनल मुहैया कराए हैं। भारतीय रेल के उत्तर क्षेत्र के कोहरा प्रभावित व्यस्त खंडों अर्थात् कानपुर-अलीगढ़ और मथुरा-बल्लभगढ़ पर स्वचालित सिगनलों को कोहरा अवधि के दौरान अर्ध-स्वचालित सिगनलों में परिवर्तित किया गया था ताकि गाड़ी का सुरक्षित और सुगम परिचालन सुनिश्चित हो सके और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। अन्य सभी रेलगाड़ियों को निर्बाध रास्ता मुहैया कराने के लिए अधिकांश रेलगाड़ियां रद्द की गई थीं और इस बारे में 3 महीने पहले ही घोषणा कर दी गई थी ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, गलत सूचना दिए जाने के कुछ मामलों की जानकारी मिली है।

(घ) और (ङ) रेलगाड़ी संचलन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों यथा टर्मिनल व्यस्तता, सिगनल विफलता, दुर्घटना, अलार्म चेन खींचना, सही सूचना को प्रस्तुत न किया जाना आदि प्रमुख कारण हैं, जिनकी पहले से संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती।

पूछताछ सेवा को अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य

से, राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली (एन.टी.ई.एस.), जिसके माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है, प्रत्येक स्टेशन पर रेलगाड़ियों के वास्तविक आगमन/प्रस्थान की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए इसे सभी मंडलों पर नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोगों से पूर्णतया एकीकृत किया गया है, जिसे बाद में एन.टी.ई.एस. में अद्यतन किया जाता है। इस एकीकरण से, रेलगाड़ी के चालन के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर सूचना देना व्यावहारिक हो गया है।

[हिन्दी]

खादी और ग्राम उद्योगों का संवर्धन

5967. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना अवधि के दौरान इनमें रोजगार प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए योजना आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग के संवर्द्धन पर विशेष बल दिया है। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) को मिलाकर अधिक आबंटन और सब्सिडी की आकर्षक मात्रा वाला प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक नया क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम चालू योजना के दौरान प्रारंभ किया गया है। पी.एम.ई.जी.पी. के तहत इसके प्रारंभ से अगस्त, 2011 तक जारी की गई राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी विवरण-I पर दी गई है। के.वी.आई.सी. के अनुसार, इस अवधि के दौरान पी.एम.ई.जी.पी. के तहत लगभग 1.30 लाख यूनिटों को सहायता दी गई है।

(घ) और (ङ) के.वी.आई. सेक्टर में के.वी.आई.सी. द्वारा निर्धारित 131.43 लाख व्यक्तियों के संचयी रोजगार लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च, 2011 तक लगभग 113.17 लाख व्यक्तियों को संचयी रोजगार प्राप्त हुआ था। रोजगार की संचयी संख्या (अनुमानित) का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

पी.एम.ई.जी.पी. के तहत अगस्त 2011 तक जारी मार्जिन मनी सब्सिडी का राज्य वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अगस्त 2011 तक जारी मार्जिन मनी सब्सिडी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	24127.03
2.	बिहार	13265.15
3.	छत्तीसगढ़	9448.87
4.	गोवा	614.89
5.	गुजरात	9293.33
6.	हरियाणा	5646.45
7.	हिमाचल प्रदेश	2859.35
8.	जम्मू और कश्मीर	7027.38
9.	झारखंड	6039.52
10.	कर्नाटक	11940.56
11.	केरल	9077.85

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	15018.97
13.	महाराष्ट्र	16951.27
14.	ओडिशा	15538.94
15.	पंजाब	6196.02
16.	राजस्थान	11182.65
17.	तमिलनाडु	15864.08
18.	उत्तराखंड	3739.11
19.	उत्तर प्रदेश	46675.24
20.	पश्चिम बंगाल	25728.84
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	335.06
22.	चंडीगढ़	123.92
23.	दिल्ली	309.34
24.	लक्षद्वीप	83.66
25.	पुडुचेरी	234.31
26.	अरुणाचल प्रदेश	805.15
27.	असम	11245.68
28.	मणिपुर	1118.67
29.	मेघालय	2021.68
30.	मिजोरम	1125.68
31.	नागालैंड	1246.68
32.	सिक्किम	569.57
33.	त्रिपुरा	1942.4
	योग	277679.68

विवरण-II

के.वी.आई. सेक्टर में मार्च, 2011 तक सृजित अनुमानित संचयी रोजगार अवसरों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सृजित संचयी रोजगार अवसर (अनुमानित) (व्यक्ति लाखों में)
1	2	3
1.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.20
2.	दिल्ली	0.34
3.	हरियाणा	3.29
4.	हिमाचल प्रदेश	2.18
5.	जम्मू और कश्मीर	2.53
6.	पंजाब	3.54
7.	राजस्थान	8.86
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.23
9.	बिहार	3.98
10.	झारखंड	0.56
11.	ओडिशा	3.33
12.	पश्चिम बंगाल	8.83
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.12
14.	असम	3.90
15.	मणिपुर	0.73
16.	मेघालय	0.46
17.	मिजोरम	0.90
18.	नागालैंड	0.59
19.	सिक्किम	0.25
20.	त्रिपुरा	0.68

1	2	3
21.	आन्ध्र प्रदेश	7.91
22.	कर्नाटक	4.94
23.	केरल	4.56
24.	लक्षद्वीप	0.01
25.	पुडुचेरी	0.10
26.	तमिलनाडु	15.31
27.	दादरा और नगर हवेली	0.01
28.	दमन और दीव	0.00
29.	गोवा	0.18
30.	गुजरात	2.38
31.	महाराष्ट्र	7.74
32.	छत्तीसगढ़	1.29
33.	मध्य प्रदेश	3.89
34.	उत्तराखंड	1.30
35.	उत्तर प्रदेश	17.45
	योग	113.17

दोहरीकरण/विद्युतीकरण

5968. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को मऊ-शाहगंज लाइन पर स्टैण्डर्ड इंटर लॉकिंग सिस्टम और कलर लाईट सिग्नल की स्थापना हेतु और बलिया-मऊ-आजमगढ़-शाहगंज लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-शाहगंज खंड पर विभिन्न यात्री सुख-सुविधाओं और रंगीन रोशनी वाली सिगनल प्रणाली की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे को माननीय संसद सदस्य की ओर से दिनांक 25-4-2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) क्षमता में सुधार के लिए इस खंड के 3 स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप लाइनों की व्यवस्था संबंधी कार्य प्रगति पर है। मौजूदा यातायात को ध्यान में रखते हुए, इस खंड पर दोहरी लाइन, विद्युतीकरण और सिगनल व्यवस्था के अप-ग्रेडेशन संबंधी कार्य का फिलाहल औचित्य नहीं समझा जाता। आवश्यकता के आधार पर भविष्य में इन कार्यों की जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

समुद्रीय प्रदूषण

5969. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.आई.ओ.टी. ने हाल ही में मुम्बई तट के पास सूचित किए गए तेल बिखराव, रासायनिक रिसाव और प्रदूषण को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तट पर कच्छ वनस्पति, समुद्री प्राणियों, मानवों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। परंतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नोडल संगठन के रूप में एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन-परियोजना निदेशालय को मुंबई के समुद्री तट पर हाल ही में तेल छलकने, रासायनिक रिसाव तथा प्रदूषण होने की सूचना मिली है।

(ख) भारतीय तटरक्षकों को प्रॉन्गस लिमि., मुंबई के

लगभग 19 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एम.वी. राक कैरियर जहाज डूबने के कारण तेल छलकने का पता लगा।

तदनंतर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन-परियोजना निदेशालय ने तेल के आगे बढ़ने की गति का पूर्वानुमान लगाया तथा तटरक्षक को तेल छितराव की स्थिति के बारे में बताया। तटरक्षक ने जहां तक संभव हो सकता था, मार्ग से तेल को हटाने के लिए तेल को फैलाने वाले पदार्थ का प्रयोग किया।

(ग) क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, मुंबई के जुहू अलीबाग, खार डांडा तथा सेवरी मड फ्लैट में क्षेत्रीय प्रेक्षण किए। 7 और 8 अगस्त, 2011 को जुहू बीच के समुद्री जल और समुद्री तटों पर तेल के धब्बों का पता लगा, जो 9 अगस्त, 2011 को गायब हो गए। अलीबाग में तेल का कोई निशान नहीं मिला। 8 अगस्त, 2011 को खार डांडा में स्थित कच्छ वनस्पति की जड़ों तक तेल की परत पाई गई जो धीरे-धीरे 17 अगस्त, 2011 तक कम हो गई और मात्र इसके अवशेष ही रह गए। डूबे हुए एम.वी. राक जहाज के कारण हुए तेल छितराव से सेवरी की कच्छ वनस्पति पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त 'घ' के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल मानक

5970. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल मानकों को लागू करने और विनियमित करने हेतु देश में विद्यमान विधिक परिवेश काफी कमजोर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करने, आपरेटर क्षमता का निर्माण करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और पूरे देश में पेयजल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त विधिक और संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय विनियामक एजेन्सी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। इस समय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपने आई.एस.-10500 मानक में निर्धारित पेयजल विनिर्देशन एक स्वैच्छिक मानक है और अनिवार्य नहीं है।

(ग) और (घ) भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के जरिए देश की ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देती है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों के 65% हिस्से का उपयोग कवरेज के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने और जल गुणवत्ता समस्ताएं दूर करने के लिए किया जा सकता है ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। शहरी क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन भंडार कार्यक्रम (एन.एल.सी.पी.आर.) के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण दोनों जल आपूर्ति योजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियंत्रण संगठन ने अपनी नियमावली बनाई एवं प्रकाशित की है जिसमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के दिशा-निर्देश में उल्लिखित है कि यदि जल में जैविक एवं

रासायनिक मानदंड भारतीय मानक ब्यूरो आई.एस. 10500 की निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं तो वह पेयजल प्रयोजन के लिए स्वच्छ है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों के 5% हिस्से तक का उपयोग जल परिचालकों, जिला एवं उप-जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित/उन्नयित करने, ग्राम पंचायतों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए रिफिल/क्षेत्र जांच किटों को उपलब्ध कराने सहित राज्य अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए किया जा सकता है।

(ङ) और (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 29 मई, 2001 के अपने आदेश के माध्यम से "जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण (डब्ल्यू.क्यू.ए.ए.)" गठित किया है जो जल गुणवत्ता निगरानी के लिए विधियों को मानकीकृत करने, राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करने और जल गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कठिनाइयां निर्धारित करने के लिए एजेंसियों (सरकारी/स्थानीय निकाय/गैर-सरकारी) को निदेश जारी कर सकते हैं। डब्ल्यू.क्यू.ए.ए. राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता समीक्षा समितियां (डब्ल्यू.क्यू.आर.सी.) बनाने/गठित करने के लिए भी निदेश दे सकते हैं।

तेल अन्वेषण

5971. श्री एंटो एंटोनी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम को केरल-कोंकण बेसिन में अन्वेषण हेतु ग्यारह ब्लॉक प्रदान किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोचीन हाई पर तेल अन्वेषण की ड्रिलिंग प्रक्रिया में कोई व्यापक प्रगति हासिल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक खोदे गए कुओं की संख्या और उन पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत उथले और गहरे समुद्री क्षेत्र में केरल-कोंकण बेसिन में 19 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए थे। इनमें से 11 अन्वेषण ब्लॉक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) और इसके परिसंघ भागीदारों को प्रदान किए गए थे। अभी तक ओ.एन.जी.सी. द्वारा 7 ब्लॉकों का परित्याग कर दिया गया है और 4 ब्लॉक वर्तमान में प्रचालनरत हैं। ओ.एन.जी.सी. को प्रदान किए गए ब्लॉकों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केरल-कोंकण बेसिन (कोचीन हाई) में प्रदान किए गए 6 ब्लॉकों में अभी तक कुल सात अन्वेषण कूपों (ओ.एन.जी.सी. द्वारा 6 कूपों और रिलायन्स इंडस्ट्रीज द्वारा 1 कूप) का वेधन किया गया है। आज की स्थिति के अनुसार कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई है।

उपर्युक्त 6 ब्लॉकों में अन्वेषणात्मक वेधन सहित अन्वेषण कार्यकलाप करने के लिए 1881 करोड़ रुपए का अन्वेषण व्यय किया गया है।

विवरण

उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत ओ.एन.जी.सी. को केरल-कोंकण बेसिन में प्रदान किए गए ब्लॉकों की स्थिति

क्र. सं.	बेसिन	श्रेणी	ब्लॉक	प्रचालनरत/परित्याग कर दिया गया	प्रचालक/परिसंघ
1	2	3	4	5	6
1.	केरल-कोंकण	गहरे समूद्री	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2	परित्याग कर दिया गया	**ओ.एन.जी.सी. 85%,** गेल 15%

1	2	3	4	5	6
2.			के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/3	परित्याग कर दिया गया	**ओ.एन.जी.सी. 100%,**
3.			के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/2	प्रचालनरत	**ओ.एन.जी.सी. 80,** एच.पी.सी.एल. 20
4.			के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/3	प्रचालनरत	**ओ.एन.जी.सी. 80,** एच.पी.सी.एल. 20
5.			के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/4	परित्याग कर दिया गया	**ओ.एन.जी.सी. 100%**
6.			के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2004/1	प्रचालनरत	**ओ.एन.जी.सी. 45%** कैर्न 40% टाटा 15%
7.			के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2005/2	प्रचालनरत	**ओ.एन.जी.सी. 90%** जी.एस.पी.सी. 10%
			के.के.-ओ.एस.एन.-97/3	परित्याग कर दिया गया	**ओ.एन.जी.सी. 100%**
9.			के.के.-ओ.एस.एन.-2000/1	परित्याग कर दिया गया	**ओ.एन.जी.सी. 100%,**
10.			के.के.-ओ.एस.एन.-2001/2	परित्याग कर दिया गया	**ओ.एन.जी.सी. 100%,**
11.			के.के.-ओ.एस.एन.-2001/3	परित्याग कर दिया गया	**ओ.एन.जी.सी. 100%,**

नोट: प्रचालकों का नाम मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास

5972. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनता को प्रदूषणरहित और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्ज मिशन को प्रारंभ करना प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अंतर्गत मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए एक परामर्शी फर्म की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने में आड़े आने वाली वर्तमान बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने दिनांक 31-3-2011 को नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रारंभ करने और मोबिलिटी का विस्तार करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड व्हीकल्स सहित) एवं नके कंपोनेंट के विनिर्माण हेतु नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एन.सी.ई.एम.) और बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एन.बी.ई.एम.) की स्थापना करने की घोषणा की है।

(ग) और (घ) जी, हां। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना बनाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कराने हेतु भारी उद्योग विभाग ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) को आंशिक वित्तपोषण करने का अनुमोदन दिया है। इस अध्ययन के लिए एस.आई.ए.एम. ने मैसर्स बूज एंड एलन को सूचना भागीदार के रूप में नियुक्त किया है।

(ङ) इलेक्ट्रिक वाहनों (जिसमें हाईब्रिड के सभी श्रेणी शामिल हैं) को अपनाने की प्रमुख बाधाओं में ई.वी. की उच्च लागत, बैटरी प्रौद्योगिकी में चुनौतियों, ई.वी. की सीमित श्रेणी, चार्ज करने की बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल हैं।

(च) अत्यधिक समन्वय, समान प्राथमिकताएं, विजन, उद्देश्यों और इस महत्वपूर्ण पहल हेतु उच्च स्तर के स्वामित्व को प्राप्त करने हेतु सभी प्रमुख स्टेक होल्डरों को समान प्लेटफार्म पर लाने के लिए सरकार ने नेशनल कांसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एन.सी.ई.एम.) और नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एन.बी.ई.एम.) की स्थापना करने की स्वीकृति दी है।

राज्य वक्फ बोर्ड के सुदृढ़ीकरण हेतु निधियां

5973. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु वर्ष 2010-11 के बजट में राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण हेतु निधियों को स्वीकृत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना/प्रस्ताव को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) योजना आयोग ने शुरू में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2010-11 के बजट में "राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण" की योजना के लिए रु. 7.00 करोड़ की राशि आवंटित की थी। बाद में इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना की बिल्कुल समाप्ति पर शुरू करने के बजाय 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए जाने पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

[अनुवाद]

आई.एच.एच.एल. शौचालय की लागत

5974. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री हरिन पाठक:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत परिवार शौचालय (आई.एच.एच.एल.) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) शौचालय की इकाई लागत के परिकलन का आधार क्या है;

(ख) व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करने वाले बी.पी.एल. परिवारों के लिए प्रोत्साहनों के निर्धारण हेतु किन कारकों को संज्ञान में लिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार लागत इकाई को 2500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करने का है जिसमें सरकार का हिस्सा 4000 रुपये हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ए.पी.एल. परिवारों को प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार आई.एच.एच.एल., विद्यालय शौचालयों, आंगनवाड़ी शौचालयों, जल निकासी चैनल, स्थिरीकरण तालाब निर्माण और अकुशल श्रम संघटन को सम्मिलित कर टी.एस.सी. और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) को सम्मिलित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत सरकार खुले में शौच की प्रक्रिया को समाप्त करने एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन करती है जिसे वर्ष 1999 में एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। इसके मुख्य घटकों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आई.एच.एच.एल.), स्कूल/आंगनवाड़ी शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.), ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) और सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी.) हेतु प्रोत्साहन देना शामिल है। आई.एच.एच.एल. घटक के तहत, शौचालयों के पूरा करने एवं उनके उपयोग में उनकी उपलब्धियों के लिए उनके लिए बी.पी.एल. परिवारों को प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। पूर्ण रूप से तैयार पारिवारिक स्वच्छता शौचालय में सुपर स्ट्रक्चर सहित मूलभूत कम लागत वाली इकाई शामिल है। आई.एच.एच.एल. के लिए टी.एस.सी. के अंतर्गत निर्धारित यूनिट लागत परिभाषित नहीं की गई है। सरकार आई.एच.एच.एल. के निर्माण एवं उपयोग के लिए 2200 रु. (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 2700 रु.) की प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में देती है और संबंधित राज्य कम से कम 1000 रु. का योगदान करता है। यह माना गया है कि सघन आई.ई.सी. अभियान सहित दिया जा रहा प्रोत्साहन स्वच्छता सुविधाओं के प्रति समुदाय में जागरूकता एवं मांग उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) की अनुसूची-I के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलापों/कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

(i) जल संरक्षण और जल संचयन;

(ii) सूखा-रोधन (वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित)

(iii) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(iv) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार संबंध लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों या कृषि माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित लघु या सीमांत किसानों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि सुधार सुविधाओं का प्रावधान;

(v) तालाबों से गाद निकालने सहित परंपरागत जल निकायों का नवीकरण;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य भी शामिल है;

(viii) बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण संपर्कता;

(ix) ग्राम सूचना संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित कोई अन्य कार्य।

राज्य सरकारों के परामर्श से क्रियाकलापों/कार्यों को शामिल करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 1 (ix) के अनुसार उपर्युक्त सूची में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ तालमेल बिठाकर स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा परिचालित किया है।

[हिन्दी]

के.वी.आई. संस्थानों का बंद होना

5975. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में अनेक खादी और ग्राम उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों के जीर्णोद्धार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) बिहार में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) और बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंध 87 खादी संस्थान हैं, जो खादी कार्यक्रम का कार्यान्वनय कर रहे हैं, जिसमें से पांच अपकर्ष की स्थिति में है। बिहार में विगत 10 वर्षों के दौरान खादी एवं पॉलिवस्त्र कार्यक्रम में गिरावट आ रही है क्योंकि इस अवधि के दौरान कई खादी संस्थानों ने हानि उठाई है। खादी संस्थानों को मुख्यत: कार्यशील पूंजी की मुश्किल के कारण खादी कार्यक्रमों को जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि के.वी.आई.सी. ने हस्तक्षेप किया है और एक विशेष पैकेज के साथ ऐसे पांच खादी संस्थानों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं।

बिहार में खादी कार्यकलाप अधिकतर बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ (बी.के.जी.एस.), मुजफ्फरपुर और इसकी जिला स्तरीय विकेंद्रित इकाइयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 2007 में के.वी.आई.सी. द्वारा गठित एक टीम ने बी.के.जी.एस. की कार्यप्रणाली के कार्य की स्थिति और इसकी विकेन्द्रित इकाइयों के गहन अध्ययन के बाद बिहार में खादी संस्थानों की बिगड़ती हालत के लिए कारणों की पहचान की है जिसमें निम्नोक्त शामिल हैं:

(i) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अकुशलता, निधियों का अनुपयुक्त प्रयोग और कार्यकलापों के संबंध में गैर-आनुपातिक अधिक जनशक्ति।

(ii) स्टॉक में और प्रतीक्षित भुगतानों आदि में भी संस्थानों की कार्यशील पूंजी का फंस जाना।

(iii) प्रमुख इकाई से बी.के.जी.एस. की विकेन्द्रित इकाइयों को अचल संपत्तियों का हस्तांतरण न हो पाना जिसके परिणामस्वरूप इन विकेन्द्रित इकाइयों के फंड के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है और उत्पादन तथा विक्रय प्रक्रिया में रुकावट पैदा होती है।

(iv) हथकरघे और चरखे अच्छी स्थिति में नहीं थे, जिन्हें फंड के प्रवाह में बाधा के कारण बदला नहीं जा सका और इससे उत्पादित सामग्री की उत्पादकता और गुणवत्ता में रुकावट आ रही थी।

(v) चूंकि चरखे और हथकरघे पुराने हो गए हैं इसलिए जीविका की बढ़ती लागत के मुकाबले कारीगरों की अर्जन क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए बिहार राज्य में खादी कताई और बुनकर कार्यकलापों के लिए कारीगर अधिक प्रोत्साहित नहीं हुए।

(ग) और (घ) 2007 में गठित टीम की सिफारिशों के आधार पर के.वी.आई.सी. ने रिपोर्ट दी है कि के.वी.आई.सी. द्वारा एक पुनरूज्जीवन पैकेज पर विचार किया गया था जिसके घटक निम्नोक्त है:

क्र. सं.	सहायता संबंधी विवरण	राशि (लाख रु.)
1.	8 स्पिन्डल नए मॉडल के चरखे उपलब्ध कराना	6.00
2.	सुधरे हुए हथकरघे उपलब्ध कराना	3.00
3.	वार्पिंग इकाई उपलब्ध कराना	3.00
4.	बैंक के माध्यम से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आई.एस.ई.सी.) जारी करना	14.25

के.वी.आई.सी. ने पांच संस्थानों को पुनरूज्जीवन पैकेज जारी करने के अलावा "पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार

हेतु निधि की योजना" (स्फूर्ति) योजना के तहत नवादा खादी क्लस्टर के सकल विकास के लिए ग्राम निर्माण मंडल, गया को 100.20 लाख रुपये का समर्थन भी दिया है। 525 कारीगरों को योजना से प्रत्यक्ष लाभ भी मिला है।

उपरोक्त के अलावा, के.वी.आई.सी. ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहायता प्राप्त खादी सुधार विकास कार्यक्रम (के.आर.डी.पी.) के तहत एक व्यापक सहायता पैकेज के माध्यम से अस्थायी तौर पर बिहार के नौ (09) खादी संस्थानों की, उनकी आधारभूत संरचना और कार्यकलापों को सम्पूर्ण तौर पर नया बनाने के लिए पहचान भी की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल सेक्टर की वृद्धि

5976. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि की औसत दर कितनी रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने का है ताकि वृद्धि दर में सुधार हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सोसायटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए.सी.एम.ए.) के अनुसार पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऑटोमोबाइल/ऑटो कलपुर्जा उद्योग की संचयी वृद्धि दर में दो अंकों में वृद्धि हुई है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान वृद्धि दर बहुत घट जाने की संभावना है।

(ख) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऑटोमोबाइल्स की वृद्धि दर निम्नानुसार है:-

(संख्या)

श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जुलाई)
सभी वाहनों की घरेलू बिक्री	1,22,95,397	1,55,13,156	54,21,089
वृद्धि दर	26.66%	26.17%	13.55%

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऑटो कलपुर्जा उद्योग की वृद्धि दर निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

	2009-10	2010-11	2011-12 (अनुमानित)
टर्न ओवर	1,35,700	1,82,100	2,04,000-2,10,000
वृद्धि दर	28.4%	34.2%	12 से 15%

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कचार कागज मिल

5977. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिजोरम सरकार ने बांस नीति में संशोधन होने तक निजी कंपनियों को बांस की बिक्री हेतु परमिट देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिजोरम सरकार के इस निर्णय से पंचग्राम की कचार कागज मिल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है चूंकि यह मिल अधिकांशतया मिजोरम से बांस की आपूर्ति पर निर्भर रहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार को कचार कागज मिल के अधिकारियों से इस गंभीर समस्या पर मिजोरम सरकार के साथ बात करने के आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 30-03-2011 के आदेश द्वारा, मिजोरम राज्य वन विभाग ने बांस नीति में संशोधन होने तक मिजोरम में बांस की बिक्री के लिए निजी पार्टियों को बांस परमिट जारी करना बंद कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एच.पी.सी.) मिजोरम राज्य वन विभाग की अनुमति से निजी स्रोत के जरिए मिजोरम राज्य से कछाड़ पेपर मिल (सी.पी.एम.) में इसकी बांस की मांग का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त करता है। कछाड़ पेपर मिल (सी.पी.एम.) वर्ष 2011-12 के दौरान अभी तक लगभग 13,000 मी.टन उत्पादन खो चुका है।

(ङ) से (छ) जी, हां। हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन ने इस मंत्रालय से इस मामले को मिजोरम सरकार के साथ उठाने का अनुरोध किया है। इस मामले को व्यक्तिगत रूप से मिजोरम के माननीय मुख्य मंत्री के स्तर पर उठाया गया और एच.पी.सी. के कछाड़ पेपर मिल को बांस की आपूर्ति पुनः आरंभ करने पर विचार करने हेतु दिनांक 01-07-2011 को उन्हें एक अनुरोध पत्र भी भेजा गया।

पी.एस.यू. का विनिवेश

5978. श्री जे.एम. आरुन रशीदः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों (पी.एस.यू.) का आरम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पी.एस.यू.-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यह आई.पी. इन कम्पनियों को किस प्रकार सहायता प्रदान करेगा;

(घ) क्या विनिवेश से इन कम्पनियों के विकास में तेजी आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विनिवेश नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पित है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों का निवल मूल्य घनात्मक हो, जिनका संचित घाटा नहीं हो और जिन्होंने विगत तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो उनकी सरकारी शेयरधारिता का सार्वजनिक प्रस्ताव करके अथवा कम्पनी द्वारा नई इक्विटी जारी करके या इन दोनों तरीकों का प्रयोग करके उन्हें सूचीबद्ध किया जाए।

(ख) इस नीति के अनुसरण में विनिवेश विभाग प्राशसनिक मंत्रालयों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से वार्ता कर रहा है ताकि उनके पूंजीगत व्यय हेतु नई इक्विटी के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि का निर्धारण किया जा सके।

वर्तमान में विनिवेश विभाग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा नेशनल बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. में से प्रत्येक कम्पनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 10% की बिक्री प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.)

के माध्यम से करके उन्हें सूचीबद्ध करने का कार्य कर रहा है।

(ग) शेयरों का सूचीकरण केन्द्रीय उद्यमों के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए भी लाभप्रद है। अधिकाधिक अनिवार्य प्रकटन तथा निरीक्षण, उपयुक्त सम्बन्धित कार्य के कारण पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और साथ ही प्रबंधन में स्वतंत्र निदेशकों के समावेश से नैगम अभिशासन की गुणवत्ता में भी विभिन्न प्रकार से बढ़ोत्तरी होती है। प्रबंधन को भी बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है ताकि शेयरधारकों की उम्मीदें पूरी की जा सकें और इस प्रकार कम्पनी की आन्तरिक क्षमताओं का उपयोग किया जा सके और सरकारी अधिकार क्षेत्र में इसके वास्तविक महत्व को स्पष्ट किया जा सके और परिणामतः कम्पनी की साख अच्छी बन सके।

(घ) और (ङ) उद्यमों के वास्तविक मूल्य का पता शेयर बाजारों में उनके शेयरों के सूचनाकरण के बाद चल सकेगा और इसके परिणामस्वरूप कम्पनी के पूंजीकरण में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे आवश्यक होने पर कम्पनी को संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

पेंशन योजनाएं

5979. श्री शिवराज भैया:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विकलांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या सरकार वृद्धाश्रम और विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य आश्रमों को चला रहे स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सहायता के प्रावधान तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली संभावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए किसी विकल्प पर विचार कर रही है जिनकी पारिवारिक आय उच्च आय समूह में आती है परन्तु उनकी देखभाल उनके प्रतिपाल्यों द्वारा नहीं की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। वर्तमान में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत, अपंगता, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजनाओं के तहत प्रदत्त राशि में बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 1992 से वृद्धों के लिए समेकित कार्यक्रम (आई.पी.ओ.पी.) संबंधी योजना कार्यान्वित कर रहा है। वृद्धावस्था होम के रख-रखाव एवं प्रचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। मंत्रालय दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत विकलांगों के कल्याण हेतु होम्स संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ङ) और (च) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

जाति संबंधी जनगणना

5980. श्री जोस के. मणि: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का पता लगाने के लिए सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ पूरे देश में जाति संबंधी जनगणना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की घरेलू विकसित टेबलेट कंप्यूटर पर आधारित जनगणना चरणों में शुरू करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या जाति संबंधी जनगणना तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली में 2011 की जनगणना के दौरान

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु उपयोग किये गए फार्मेट से मेल खाते हुए प्रारंभिक आठ कालम होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों का सामाजिक-आर्थिक और जातिगत आंकड़ा एकत्र करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (2011) शुरू की गई है। एस.ई.सी.सी. 2011 से प्राप्त सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का इस्तेमाल बी.पी.एल. परिवारों के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए हस्तचालित उपकरणों या टैबलेट पी.सी. की उपलब्धता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारी के आधार पर देशभर में चरणबद्ध ढंग से 30 जून, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना, 2011 (एस.ई.सी.सी.-2011) कराई जाएगी।

(ङ) और (च) जी, हां। इसके अलावा, लिंग और जन्म के वर्ष से संबंधित जानकारी एस.ई.सी.सी.-2011 के अंतर्गत नए सिरे से एकत्र की जा रही है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या एफ.सं. 6(1)/2011-के.वी.I-II जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पुनः स्थापना होने तक खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के नाम से एक प्राधिकारी के पद का गठन किए जाने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5214/15/11)

(दो) का.आ. 1700(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त का प्रभार श्री जे.एस. मिश्रा, सी.ई.ओ. को सौंपे जाने संबंधी आदेश के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5215/15/11)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र, सोनपुर मंडल में गरीब रथ ट्रेन से सात आदमी कट कर मर गए। मंत्रीजी मुआवजा देने की घोषणा करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5216/15/11)

(3) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5217/15/11)

(4) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5218/15/11)

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1402(अ) जो 16 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खरीफ, 2011 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को दर्शाने वाले अदेश के बारे में है।

(दो) उर्वरक (आवाजाही नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2010 जो 16 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1684(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5219/15/11)

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1678(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अमोनियम नाइट्रेट को एक विस्फोटक घोषित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 में संशोधन किए जाने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5220/15/11)

(2) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत फ्रेश, फ्रोजन और प्रोसेस्ड मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण और अनुश्रवण) संशोधन नियम, 2011 जो 21 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5221/15/11)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

(1) (एक) रेल लैण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल लैण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5222/15/11)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं श्री नमोनारायन मीणा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारतीय नागर विमानन की निष्पादन लेखापरीक्षा, नागर विमानन मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 18) - संघ सरकार (सिविल)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5223/15/11)

(दो) हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रेक्ट्स की निष्पादन लेखापरीक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 19) - संघ सरकार (सिविल)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5224/15/11)

(तीन) मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायुसेना और नौसेना के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2011-12 का संख्यांक 20) - (रक्षा सेवाएं)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5225/15/11)

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के 100 वर्ष" के अवसर पर सौ रुपए और पांच रुपए के सिक्के का निर्माण नियम, 2011 जो 17 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 626(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5226/15/11)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 541(अ) जो 18 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 23/2006-के.उ.शु. (एन.टी.) का अधिक्रमण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 542(अ) जो 18 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-के.उ.शु. (एन.टी.) का कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5227/15/11)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5228/15/11)

(3) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5229/15/11)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 591 (अ) जो 18 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 355 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 447 (अ) जो 28 फरवरी, 2011 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 01-04-2011 से प्रभावी अनुसूची छह के संशोधन के बारे में है।

(पांच) सा.का.नि. 223 (अ) जो 18 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चयनात्मक उपबंधों में क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों और कार्यों के प्रत्यायोजन के बारे में है।

(छह) सा.का.नि. 222 (अ) जो 18 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें उल्लिखित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कंपनी पंजीयकों को शक्तियों और कार्यों के प्रत्यायोजन के बारे में है।

(सात) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2011 जो 26 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 258 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) संशोधन नियम, 2011 जो 31 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[श्री आर.पी.एन. सिंह]

(दस) का.आ. 653(अ) जो 30 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 447 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) निदेशक के संबंधी (लाभ का पद अथवा स्थान) संशोधन नियम, 2011 जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 303(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 07 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 05 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 507 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 02 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 408 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) निदेशक के संबंधी (लाभ का पद अथवा स्थान) संशोधन नियम, 2011 जो 02 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कंपनी (डाक बैलट द्वारा संकल्प का पारित किया जाना) (संशोधन) नियम, 2011 जो 30 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 419 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2011 जो 11 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 378 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5230/15/11)

(2) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2011 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 506 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 15 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 914 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5231/15/11)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 534 (अ) जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956

की अनुसूची 13 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 396 (अ) जो 23 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 13 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा.का.नि. 70 (अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 13 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5232/15/11)

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326 (अ) जो 18 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5233/15/11)

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना एफ. संख्या 9-1-2011-सी.एल.-V जिसके द्वारा 7 जनवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 355 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5234/15/11)

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रदिवेदन* के शुद्धिपत्र की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5235/15/11)

*वार्षिक प्रतिवेदन की-गई-कार्यवाही ज्ञापन के साथ 11-08-2011 को सभा पटल पर रखा गया।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5236/15/11)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): मैं श्री सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से वर्ष 2009-2010 के लिए सात संस्थानों, 2007-2008 से 2009-2010 तक के लिए चार संस्थानों, 2004-2005 से 2009-2010 के लिए एक संस्थान और 2008-2009 तथा 2009-2010 के लिए एक संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5237/15/11)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(एक) का.आ. 1142 (अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का.आ. 950 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए खुर्दा, भुवनेश्वर में जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

[श्री जितेन्द्र सिंह]

(तीन) का.आ. 951 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए सिलीगुड़ी में वरिष्ठतम अपर-जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 952 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 953 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए पोर्ट ब्लेयर में जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1454 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए न्यायाधीशों माननीय श्री यतीन दत्तात्रेय शिंदे तथा संजय आनंदराव देशमुख की अध्यक्षता में क्रमशः सिटी सिविल और सत्र न्यायालयों बाम्बे को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1455 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए माननीय श्री प्रदीप पंत, तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, देहरादून की अध्यक्षता में जिला और सत्र न्यायालय, देहरादून को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1456 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए नार्थ गोवा में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1457 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए सिलवासा में दादर और नागर हवेली में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1458 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए दीव में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1459 (अ) जो 25 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए दमण में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 787 (अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए स्पेशल कोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो केसेज, जयपुर को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 788 (अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के तृतीय वरिष्ठतम न्यायालय, लखनऊ को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1965 (अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षा न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित तीन अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1966 (अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित दो अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1967 (अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित दो अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1968 (अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित दो अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1969 (अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित एक अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1970 (अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित दो अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1971 (अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में जांच न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा स्थापित मामलों अथवा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण न्यायालय अथवा अपील न्यायालयों में मामले से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य मामलों का संचालन करने के लिए, उसमें उल्लिखित दो अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5238/15/11)

अपराह्न 12.03 बजे

वित्तीय समितियां (2010-11) - एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मैं "वित्तीय समितियां (2010-11) - एक समीक्षा" की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे सीमा शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 25 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.04 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) अंतिम की गई कार्रवाई - विवरण

(दो) अध्ययन दौरा - प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बिरेन सिंह इंग्ती (स्वशासी जिला - असम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) "भारतीय रिजर्व बैंक - अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई ऋण सुविधाएं" के संबंध में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अन्तिम की गई कार्यवाही विवरण।

(2) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - इसका अधिदेश और उपलब्धियां - इसके गठन और कार्यकरण की समीक्षा" के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की छत्तीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अन्तिम की गई कार्यवाही विवरण।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अक्तूबर, 2010 में मुम्बई, नासिक और गोवा दौरे के बारे में समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर क्रियान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोकसभा समाचार भाग-II द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा जारी किए गए निदेश 73-'क' के अनुसरण में ग्रामीण विकास (पेयजल और स्वच्छता विभाग) संबंधी स्थायी समिति,

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 5239/15/11

2009-10 के आठवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा-पटल पर रख रहा हूं।

ग्रामीण विकास (पेयजल और स्वच्छता विभाग) संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोकसभा) ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के अनुदानों की मांगों की जांच की और 16 अप्रैल, 2010 को लोकसभा में अपना आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 26 सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

विभाग ने प्रतिवेदन पर विचार किया और ग्रामीण विकास (पेयजल और स्वच्छता विभाग) संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई उत्तर 16-04-2010 को प्रस्तुत किया। इन 26 सिफारिशों में से समिति ने 19 सिफारिशों के संबंध में ए.टी.आर. को स्वीकार कर लिया। एक सिफारिश के संबंध में समिति ने आगे कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया। एक सिफारिश के बारे में समिति ने विभाग द्वारा दिए गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया। पांच सिफारिशों के संबंध में विभाग से अभी अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

समिति द्वारा की गई 25 सिफारिशों, अर्थात समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने वाली सिफारिश को छोड़कर, के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे विवरण के अनुबंध में दिया गया है, जो सभा-पटल पर रखा गया है। सभा का मूल्यवान समय बरबाद न हो, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.04¾ बजे

(दो) माननीय प्रधान मंत्री का 6 और 7 सितम्बर, 2011 को ढाका, बांग्लादेश का दौरा*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री एस.एम. कृष्णा जी। यदि आप उचित समझें तो आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): महोदया, मैं "6 और 7 सितम्बर, 2011 को माननीय प्रधानमंत्री का ढाका, बांग्लादेश का दौरान के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 6-7 सितंबर, 2011 को बांग्लादेश की यात्रा की। मैं भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति से यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गयी।

प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ व्यापक चर्चा की और बांग्लादेश के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री, प्रतिपक्ष की नेता और जातीय पार्टी के अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों एवं समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(1) विकास हेतु सहयोग पर करार की रूपरेखा;

(2) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन और संबंधित विषयों से संबद्ध करार का प्रोतोकोल;

(3) बांग्लादेश और नेपाल के बीच स्थल मार्ग पारगमन यातायात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन का संलग्नक;

(4) नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

(5) सुंदरबन के संरक्षण पर समझौता ज्ञापन;

(6) सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाईगर्स के संरक्षण पर प्रोतोकोल;

(7) मात्स्यिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

(8) टेलीविजन कार्यक्रमों के पारस्परिक प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

(9) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन; और

(10) भारत के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और बांग्लादेश के परिधान निर्माता एवं निर्यातक संघ (बी.जी.एम.ई.ए.) फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 5240/15/11

[श्री एस.एम. कृष्णा]

(बिफ्ट) के बीच अकादमिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

प्रधानमंत्री जी की बंगलादेश की यह यात्रा जनवरी, 2010 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री की उल्लेखनीय यात्रा के उपरांत हो रही है। यह अत्यंत ही संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में हमें विद्रोह एवं आतंकवाद का मुकाबला करने में बंगलादेशी प्राधिकारियों से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना ने भारत और बंगलादेश के बीच आर्थिक एवं परिवहन संपर्कों को संवर्धित करने संबंधी हमारे प्रयासों के प्रति सकारात्मक अनुक्रिया व्यक्त की है जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

बंगलादेश की प्रधानमंत्री की जनवरी, 2010 में हुई यात्रा के बाद से अनेक ऐसे करार संपन्न किए गए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, अर्थात आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार, सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण से संबद्ध करार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध एवं मादक द्रव्यों के गैर कानूनी व्यापार का मुकाबला करने से संबद्ध करार। इन करारों का अनुसमर्थन कर दिया गया है और अब ये लागू हैं। एक प्रत्यर्पण संधि संपन्न करने की आवश्यकता के बारे में चर्चाओं के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा बताया गया है।

इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी की बंगलादेश यात्रा से बंगलादेश के साथ घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के हमारे प्रयासों में ठोस प्रगति हुई है।

एक सुपरिभाषित एवं शांतिपूर्ण सीमा का सृजन करने की दिशा में हमारी सीमाओं का प्रभावी प्रबंधन पहला अनिवार्य कदम है, जिसमें बांग्लादेश के साथ होने वाले सीमा पार सहयोग के लिए स्थिर और शांतिपूर्ण परिवेश उपलब्ध हो सकेगा। 1974 में संपन्न भूमि सीमा करार का प्रोतोकोल, जिस पर 6 सितंबर, 2011 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की उपस्थिति में भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, दोनों देशों के बीच काफी समय से लंबित भूमि सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें शेष क्षेत्रों का सीमांकन, प्रतिकूल कब्जा वाला भूक्षेत्र तथा इंक्लेवों का आदान-प्रदान शामिल है। इस ऐतिहासिक करार को संपन्न करने में सरकार को संबंधित राज्य सरकारों का पूर्ण समर्थन एवं सहमति प्राप्त हुई है। इस करार को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा।

भारत और बांग्लादेश ने हाल में संपन्न की गयी समन्वित सीमा प्रबंधन परियोजना सहित अन्य तंत्रों की स्थापना की है। आशा है कि इनसे सीमा पर होने वाली घटनाओं में काफी कमी आएगी और सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने वाले बलों एवं यहां रहने वाले लोगों के बीच पारस्परिक विश्वास एवं सद्भावना का माहौल बनेगा। हमारी आशा है कि अवैध रूप से सीमा पार करने के कारण उत्पन्न समस्याओं एवं अन्य संबद्ध कठिनाइयों का समाधान दोनों पक्षों द्वारा बेहतर तरीके से किया जाएगा।

बंगलादेश के साथ सीमा मुद्दों का समाधान करने की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयास अपने पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को शांति, स्थिरता एवं सौहार्द का क्षेत्र बनाने की हमारी इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं।

इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा रेल, सड़क, अंतरदेशीय जलमार्गों, पोत-परिवहन तथा हवाई सेवाओं के जरिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। परिवहन संपर्कों में सुधार लाने के लिए अनेक पहलकदमियों पर विचार किया जा रहा है। भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, समन्वित जांच चौकियों, सीमावर्ती हाटों इत्यादि की स्थापना के जरिए बेहतर सीमावर्ती अवसंरचना का विकास करने की दिशा में एक बड़ा कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है।

विकास के लिए सहयोग से संबंधित करार की रूपरेखा में द्विपक्षीय एवं उप-क्षेत्रीय सहयोग के लिए नए विचार शामिल हैं, जो दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों का संस्थाकरण करेगा।

जनवरी, 2010 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार ने बंगलादेश के लिए एक बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण शृंखलाओं की घोषणा की थी। 750 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत की परियोजनाओं की पहचान की गई है तथा उनका कार्यान्वयन

किया जा रहा है। ये परियोजनाएं मुख्यत: रेलवे एवं परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में है।

हम साझी नदियों के जल विभाजन हेतु एक उपयुक्त एवं न्यायसंगत व्यवस्था बनाने के लिए उत्सुक हैं। हमें इसका पूर्व अनुभव भी है जैसा कि 1996 में संपन्न गंगा जल संबंधी संधि से साबित होता है। फिर भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जल का मामला दोनों ही देशों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। सरकार ऐसे समाधानों की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो।

भारत और बंगलादेश के बीच बड़ा व्यापार असंतुलन है जो भारत के पक्ष में है और जिसमें पिछले वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है। इस व्यापार असंतुलन में कमी लाने का अनुरोध लंबे समय से बंगलादेश द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि सरकार साफ्ता के प्रावधानों के अंतर्गत अल्प विकसित देशों के लिए भारत की नकारात्मक सूची में से बंगलादेश के हित में सभी 46 वस्त्र-श्रेणियों को तत्काल प्रभाव से हटा देगी। बंगलादेश की प्रधानमंत्री ने उस देश के लिए संवर्धित विपणन सुविधा से संबंधित इस मुख्य उपाय की सराहना की है। विचार-विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बंगलादेश में अधिक से अधिक भारतीय निवेश से उस देश की निर्यात क्षमताओं तथा आय में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने भारत, बंगलादेश तथा दक्षिण एशिया शीर्षक पर ढाका विश्वविद्यालय में शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, राजनैतिक नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों के समूह को सम्बोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों को बढ़ाने के लिए हम बहुआयामी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के लोगों तथा विविध विचारधाराओं वाले लोगों के साथ कार्य करने के इच्छुक हैं। हम लोगों के आपसी सम्पर्क, अधिक से अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा व्यक्तियों, युवाओं एवं विद्वानों के बीच और आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। दोनों देश मई, 2012 तक उचित तरीके से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त प्रयासों में शामिल होंगे।

भारत तता बंगलादेश जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा शांति एवं सुरक्षा विकास जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति समन्वित करने के लिए एक-दूसरे के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करते रहेंगे। सार्क, बिमस्टेक तथा अन्य संगठनों के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एवं वैश्विक चिंता के मुद्दों पर सहयोग आगे बढ़ाया जाएगा।

बंगलादेश के साथ हमारे संबंध अनेक कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बंगलादेश एक ऐसा देश है जिसे अपनी विलक्षण एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। एक सुदृढ़, स्थिर एवं समृद्ध बंगालदेश हमारे हित में है। बंगलादेश ने आजादी के युद्ध, उदारवाद एवं सहिष्णुता जैसे आदर्शों के आधार पर बहुदलीय लोकतंत्र के मार्ग का अनुसरण किया है। यह इस्लामी विश्व का भी एक सम्मानित सदस्य है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहां विकास की दर भी अच्छी रही है।

प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा से हम बंगलादेश की जनता के समक्ष बंगलादेश के साथ अपने समान एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के विजन को प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं। हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम उस देश के साथ व्यापक भागीदारी का विकास करें और इसे पुष्पित-पल्लवित करें।

हम विकास प्रयासों में सहायता और हमारे आपसी लाभ के लिए संवर्धित द्विपक्षीय सहयोग सहित ठोस भारत-बांग्लादेश भागीदारी का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद सं. 18 - श्री प्रणब मुखर्जी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 08-09-2011 में प्रकाशित।

[अध्यक्ष महोदया]

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे पर्चियों को तत्काल व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) मईलादुतुरई और बंगलौर के बीच नई रेल सेवा शुरू किए जाने तथा बंगलौर-सेलम ट्रेन सं. 56513/56514 को आगे तमिलनाडु में नागौर तक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मेरे संसदीय निर्वाचन कुड्डालोर में रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और मइलादुतुरै-बंगलौर, के बीच नई रेल सेवा शुरू करने, गाड़ी सं. 56513/56514 बंगलौर-सलेम को नागौर तक बढ़ाने, चेन्नई इग्मोर और मइलादुतुरैई के बीच समुचित और समय पर रेल संपर्क स्थापित करने बारास्ता तिरूचिरापल्ली और बंगलौर के बीच नई रेल सेवा शुरू करने के लिए दक्षिण रेलवे का निदेश दें। जनता की अत्यधिक मांग पर इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये। उपर्युक्त प्रस्तावित सेवाएं मीटरगेज लाइन पर उपलब्ध की हैं - इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने के बाद इन सेवाओं को वापस ले लिया जाएगा। मेरा इस सम्मानित सभा के माध्यम से संसद से अनुरोध है कि वह आमान परिवर्तन से पूर्व प्राय सभी रेल सेवाओं को बहाल करें।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के नामों को न बदलने के लिए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को कड़े दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारतवर्ष के लिए और भारत के गांवों में रहने वाली देश की आबादी के 70 प्रतिशत लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना है जिसमें ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की योजना संचालित की जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन (एक वर्ष में) का रोजगार मुहैया कराती है। साथ ही ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने में भी इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश में गांव से गांव को जोड़ने वाली और गांव को खेत से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों पर पूर्ण रूप से एक आदेश जारी कर रोक लगा दिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि अब गांवों से गांवों को जोड़ने वाली ये सड़कें मुख्यमंत्री सड़क कहलाएगी। इस तरह मनरेगा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाना एक संवैधानिक अपराध है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सरकार सहित देश की सभी राज्य सरकारों को इस योजना का नाम नहीं बदले, इस हेतु कड़े निर्देश जारी करें।

(तीन) पश्चिम बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे पर विमानों को रात्रि में उतारे जाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इसके विकास के लिए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): बागडोगरा विमानपत्तन पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा विमानपत्तन है जो उच्चशिखर के हिमालय और तराई और इन के हरे भरे मैदानी क्षेत्रों को देखने आने वाले घरेलू और

*सभा पटल पर रखे माने गए।

विदेशी पर्यटकों को विमान सेवा प्रदान करता है। इस विमानपत्तन को सीमा शुल्क विमानपत्तन का दर्जा दिया गया है। जिसके तुरन्त बाद भूटान की द्रुक एयरलाइन्स की सेवायें शुरू होती हैं।

इस विमानपत्तन पर गत वर्षों में कार्गो संचलन सहित यात्री यातायात में भी असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है जो स्पष्ट रूप से इस विमानपत्तन की क्षमताओं को दर्शाता है।

परंतु सभी क्षमताओं के बावजूद यहां पर अभी भी यात्री विमानों के रात में उतरने के लिए अब भी सुविधाओं का अभाव है।

यातायात को सुगम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया था परंतु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति को देखते हुये जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह यथाशीघ्र मास्टर प्लान के कार्यान्वयन पर यथाशीघ्र विचार करे।

(चार) उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित रेल कोच फैक्ट्री की अनुषंगी इकाईयां फैजाबाद जिले में स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. निर्मल खत्री (फैजाबाद): फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) जनपद मुख्यालय होने के साथ ही साथ मण्डलीय मुख्यालय भी है। पूर्व में अवध क्षेत्र की राजधानी होने का गौरव भी इसे हासिल रहा है लेकिन आज यह जनपद औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है। पहले से कार्यरत ईकाइयां दम तोड़ रही हैं व नयी ईकाइयां नहीं लग पा रही हैं। आवश्यकता है कि सरकारी क्षेत्र में यहां औद्योगिक विस्तार हो। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री बनी है, यह प्रसन्नता की बात है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस रेल कोच फैक्ट्री की सहायक (ऑक्सिलरी) ईकाइयां फैजाबाद में लगायी जाये ताकि युवकों को रोजगार मिल सके, साथ ही अन्य क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को भी प्रेरित किया जाये।

(पांच) केरल के कोल्लम जिले में काजू बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): भारत सरकार ने भारत में काजू उद्योग के कल्याण हेतु काजू बोर्ड की स्थापना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। रबर बोर्ड, कॅयर बोर्ड आदि की तरह काजू उद्योग के समस्त विकास हेतु काजू बोर्ड अत्यंत आवश्यक है। यह काजू बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन गठित किया जा सकता है।

केरल के कोल्लम जिले में सरकार के नियंत्रणाधीन फैवेक्स सोसाइटी के स्थायित्व वाली और निजी क्षेत्र की विभिन्न फैक्ट्रियों में लगभग 3 लाख काजू कामगार कार्यरत हैं। यह काफी समय से लंबित ऐसा मुद्दा है जिसे सांसदों और केरल सरकार द्वारा बार-बार उठाया गया है। यदि कोल्लम जिले में काजू बोर्ड स्थापित किया जाता है तो काजू के निर्यात में वृद्धि होगी और इससे सरकार को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, काजू उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का भी काफी सीमा तक कल्याण होगा।

इसलिए मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र कोल्लम जिले में काजू बोर्ड की स्थापना की दिशा में समुचित कदम उठाये क्योंकि यह भारत में काजू उत्पादन का मुख्य केंद्र है।

(छह) उत्तराखंड में भू-स्खलन और भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों और अनुर्वर हुई भूमि के लिए प्रतिपूर्ति की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): वर्ष 2005 से 2011 तक के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष व राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष के लिए जो मानक घोषित किये हैं उस पर जनहित में पुनर्विचार कर वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने जो सहायता राशि के जो मानक निर्धारित किये हैं उस पर पुनर्विचार आवश्यक है।

पर्वतीय राज्यों विशेष तौर पर उत्तराखण्ड में कई वर्षों से लगातार बरसात और बाढ़ से तबाही का ताण्डव हो रहा है। भूस्खलन और बाढ़ से मकान ध्वस्त हो रहे हैं और कृषि भूमि का कटाव हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ से जमीन उपजाऊ हो जाती है लेकिन पहाड़ों में जमीन पूर्णत: समाप्त हो जाती है।

[श्री विजय बहुगुणा]

केन्द्र सरकार के मानकों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिए राशि रु. 6000 प्रति हेक्टेयर घोषित की गयी है लेकिन जहां कृषि भूमि पूर्णतः समाप्त हो जाती है वहां मात्र रु. 15000 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि स्वीकृत की गयी है।

पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के मकान पर रु. 35,000 तथा कच्चे भवन पर रु. 10000 की राशि दी जाती है। उत्तराखण्ड की राज्य सरकार केवल केन्द्रीय मानकों के अनुसार ही राहत राशि प्रदान कर रही है तथा राज्य कोष से किसी भी आपदा ग्रस्त को राहत राशि प्रदान नहीं की जा रही है। हाल ही में टिहरी बांध की झील के चारों ओर स्थित गांव भूस्खलन की चपेट में आये हैं जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। देहरादून के रायपुर ब्लॉक के काल्लीगाढ़ गांव में दैवीय आपदा से कृषि भूमि एवं कई आवासीय भवन नष्ट हो गये हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 2011 से आगे बनने वाली आपदा नीति में आवासीय मकानों को नष्ट होने और कृषि भूमि के नष्ट होने व अन्य मानकों में पुनर्विचार कर राहत राशि काफी बढ़ायी जाये ताकि आपदा त्रस्त लोगों को उचित राहत मिल सके।

(सात) उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गाय घाट और कैलाशपुरी में रेलवे हाल्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गोण्डा-बहराइच-नानपारा-मैलानी रेलमार्ग पर कैलाशपुरी तथा गायघाट में हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग ग्रामीणों द्वारा काफी अरसे से की जा रही है। कैलाशपुरी से एक तरफ 10 कि.मी. की दूरी पर मझरा तथा दूसरी तरफ 10 कि.मी. की दूरी पर विछिया रेल स्टेशन है। यह जंगली इलाका है, यहां पर टाइगर, हाथी आदि जंगल में पाये जाते हैं। जंगल क्षेत्र में आवागमन कठिन कार्य है। कैलाशपुरी में हाल्ट स्टेशन के निर्माण से काफी बड़ी संख्या में नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार मिहीपुरवा रेल स्टेशन तथा रायबोझा रेल स्टेशन के मध्य गायघाट एक प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है। इन दोनों स्थानों पर हाल्ट स्टेशन निर्माण से जनता को काफी सहूलियत होगी। दोनों स्थानों से काफी संख्या में लोगों का आना-जाना होगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में गायघाट तथा कैलाशपुरी में हाल्ट स्टेशन के निर्माण की अनुमति देने की कृपा करें।

(आठ) महाराष्ट्र के नागपुर, में नेशनल लॉ स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदया, मैं महाराष्ट्र में राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना के बारे में अति महत्वपूर्ण मामले को उठाता हूं। नागपुर के विधिक समाज ने सरकार से नागपुर में राष्ट्रीय विधि विद्यालय स्थापित करने का आग्रह किया है। अनेक विश्वस्तरीय शैक्षणिक, चिकित्सा और प्रौद्योगिकीय संस्थानों के आने के कारण नागपुर मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं हेतु एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस विद्यालय की स्थापना से नागपुर की वर्तमान शैक्षिक केंद्र के विकास में काफी सहायता मिलेगी।

नागपुर में इस विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव की वर्ष 2010 में नागपुर उच्च न्यायालय के अमृत महोत्सव समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य विधिवेत्ताओं द्वारा अत्यंत सराहना की गई थीं। परंतु सरकार का विचार मुंबई के निकट वसाई में यह विद्यालय स्थापित करने का है।

वर्तमान स्थिति के विश्लेषण ने इसे बिल्कुल उचित बताया है कि एक क्षेत्र के रूप में विदर्भ और नागपुर के महाराष्ट्र को दूसरी राजधानी होने के कारण अवस्थिति, अवसंरचना, संसाधनों विकास की संभावना और वहां उच्च न्यायालय की पीठ होने के कारण अभूतपूर्व फायदे हैं और यह क्षेत्र नागपुर में ऐसे विद्यालय की स्थापना का हकदार है। इसकी स्थापना इस क्षेत्र को न केवल प्रतिष्ठित शैक्षिक केंद्र बनाने में काफी मदद मिलेगी बल्कि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इस बढ़ते शहर के और विकास में भी काफी सहायता मिलेगी जो अब मिहान और एस.ई.जेड. परियोजनाओं की स्थापना से नया वैश्विक शहर बन चुका है। नागपुर के अनेक प्रमुख अधिवक्ता और न्यायाधीश देश की विभिन्न अदालतों में कार्यरत हैं।

मुंबई पहले से ही अनेक शैक्षिक संस्थानों के साथ बसा हुआ है। मुंबई के निकट राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना करने के निर्णय के साथ से, नागपुर के लोग

इतने महत्वपूर्ण विद्यालय से वंचित किए जाने से क्रूद्ध हैं। शहर का समाज नागपुर में इस विद्यालय की अपनी समुचित मांग को पूरा न किए जाने का विरोध कर रहा है। महोदया, विधिक समाज काफी समय से मांग कर रहा है कि नागपुर में माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेष खंडपीठ भी स्थापित की जाए ताकि सभी राज्यों के लोगों को अपने मामलों की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए आसानी से आया जा सके।

इसके मद्देनजर राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना से न केवल विदर्भ के लोगों को लाभ होगा बल्कि समीपवर्ती राज्यों में कानूनी काम-काज में कार्यरत व्यक्तियों को भी लाभ होगा।

उपर्युक्त के आलोक में, मैं सरकार से अति विनम्रता-पूर्वक आग्रह करता हूं कि वह नागपुर में राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना करके विधिवेत्ताओं की समुचित मांग को पूरा करे।

(नौ) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थल का विकास किए जाने तथा इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा इसे अन्य बौद्ध स्थलों से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उत्तर बिहार में हमारे पूर्वजों की अपार धरोहर दबी पड़ी है जिस पर अब तक 30 प्रतिशत उत्खनन कार्य ही किया गया है। केसरिया जो पूर्वी चम्पारण में स्थित है, यहां स्थित बौद्ध स्तूप का संरक्षण कार्य असंतोषजनक है। बिहार की भूमि अहिंसा का संदेश देती है। यदि केसरिया के उत्खनन को योजनाबद्ध ढंग से किया जाये तो इतिहास में बिहार के प्रेम एवं अहिंसा की कर्म भूमि के और प्रमाण मिलेंगे। विश्व विख्यात गया की तरह केसरिया को विदेशी पर्यटक का आकर्षण केन्द्र बनाया जा सकता है। केसरिया में कार्य बंद होने एवं अधूरे कार्य से किये गये संरक्षण कार्य दिन-प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं। उक्त क्षेत्र के पास एक जलाशय का होना प्रतीत होता है जिसे आम जन गेंगया के नाम से पुकारते हैं। इस भू भाग का अधिग्रहण भी नितांत आवश्यक है एवं इसे जलाशय बनाया जाये मध्य में कमल पुष्प स्थापित किया जाये, जिससे इस बौद्ध स्तूप की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में आने जाने के साधन भी सुलभ होने चाहिए। इसी स्थान पर रानीवास अर्थात् बौद्ध विहार एवं इसके निकट गौरही स्थान में परीक्षण स्तरीय उत्खनन किया जाये जिससे उस समय में समाएं मिट्टी में बंद पड़े इतिहास को उजागर किया जा सके।

मेरा अनुरोध है कि केसरिया बोद्ध स्तूप पर पहुंचने के लिए सत्तरघाट गंडक नदी पर पुल बनाया जाये, केसरिया को बौद्ध पर्यटन से जोड़ा जाये, एक जल मीनार बनाया जाये। इसके निकट जो एक बड़ा झील है उसमें विदेशी पक्षी प्रवास स्थल बनाया जाये एवं जन सुविधायें प्रदान की जायें।

(दस) कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): भारत कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। लेकिन कृषि में ढांचागत सुधारों को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। कृषि विकास को निर्धारित करने वाले सभी मोर्चों पर हम विफल हो रहे हैं। किसान खाद एवं कीटनाशक दवाओं में हो रही लगातार मूल्य वृद्धि से बोझ के तले दबता चला जा रहा है। सिंचाई योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी देश का मात्र 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाया है। देश के अधिकांश राज्यों में कृषि अभी भी ज्यादातर मानसून पर निर्भर है। उर्वरक नीति पर भी ढुलमुल दृष्टिकोण अपनाया जाता है। कृषि ऋणों पर छूट का लाभ ज्यादातर बड़े कृषकों को ही मिल जाता है। क्योंकि गांवों में अभी भी एक दो एकड़ कृषि भूमि के छोटे किसान स्थानीय सेठों पर निर्भर रहते हैं। भारी अनुसंधान तथा सरकारी सहायता के बाद भी बीजों के अनुसंधान में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ ही देखते हैं। भंडारण के अभाव में हर वर्ष लाखों टन अनाज सड़ जाता है। कृषि विकास की गति धीमी होने के कारण क्षेत्र से गांव के युवकों का मोह भंग हो रहा है तथा वह शहरों की ओर अन्य छोटे मोटे कामों की तरफ भाग रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गांवों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करने तथा कृषि के संबंध में समग्र नीति बनाकर ग्रामीण युवकों को कृषि कार्य में जोड़ने का कार्य करें ताकि गांव भी बचे और खेती भी बचे।

(ग्यारह) बिहार के गया के हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें पर्याप्त प्रतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरि माझी (गया): मैं अपने संसदीय क्षेत्र की एक गंभीर समस्या की ओर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गया में एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए यहां के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। जिसका मुआवजा किसानों को बहुत ही कम दिया गया है जिसके कारण यहां के किसानों में भारी आक्रोश फैल रहा है। किसान लगातार मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि बढ़ाई जाए तथा किसानों की मांग के अनुसार जिन किसानों की भूमि ली गई है उनके परिवार के एक सदस्य को एयरपोर्ट में रोजगार दिया जाए।

(बारह) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): केन्द्रीय सड़क कोष (सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत राजस्थान को अतिरिक्त धन आवंटन की मांग काफी समय से की जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र के राज्य राजमार्ग राजगढ़ से पिलानी, सिधमुख से भादरा, राजगढ़-तारानगर-सरदारशहर-श्री डूंगरगढ़, चुरू से रतनगढ़, चुरू-सरदारशहर, सरदारशहर-लूणकरणसर व अन्तर राज्य मार्ग सधमुख से सीवानी राजस्थान सीमा तक की हालत अत्यन्त खराब है। उपरोक्त सड़क मार्ग अत्यन्त ही व्यस्तम मार्गों में से एक है, जो राजस्थान व हरियाणा के बड़े-बड़े शहरों को जोड़ने का कार्य करते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त सड़क मार्गों के लिए आवश्यक धन का आवंटन कर ग्रामीण जनता को राहत प्रदान की जाये।

(तेरह) मदुरै और नागरकोईल तथा त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच दोहरी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह आगामी बजट में मदुरै-नागरकॉयल और त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण हेतु परियोजनाओं की घोषणा करें।

कन्याकुमारी भारत के बिलकुल दक्षिण भाग में स्थित है और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल और तीर्थाटन केन्द्र है। पूरे विश्व और भारत से बाइस लाख से अधिक पर्यटक कन्याकुमारी आते हैं जिसे एक प्रख्यात पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से भारी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में हमारे देश के विभिन्न भागों में जाते हैं। लेकिन मदुरै-नागरकॉयल और त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी के बीच दोहरी लाइनों के अमान के कारण यात्रियों के लिए आवागमन मुश्किल हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने विभिन्न चरणों में चेन्नै, एगमोर और मदुरै के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण की घोषणा की है लेकिन मदुरै के बाद दोहरीकरण कार्य का भविष्य अज्ञात है। यद्यपि दक्षिण रेलवे ने इस बात को स्वीकार किया था और यह पुष्टि की थी कि चेन्नै-एगमोर-नगरकॉयल मार्ग दक्षिण रेलवे का सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला मार्ग है फिर भी भारतीय रेल ने मदुरै-नगरकॉयल मार्ग का दोहरीकरण करने हेतु कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त मार्ग वर्ष 2008-09 की स्थिति के अनुसार 103.8% की लाइन क्षमता वाला सर्वाधिक संतृप्त रेल मार्ग खंड है। इस क्षेत्र में मौजूदा भीड़भाड़ को कम करने हेतु रेल बजट 2004-05 में त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण करने की घोषणा की गई थी। मैं मौजूदा स्थिति और परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के बारे में चिन्तित हूं और सरकार से इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) महाराष्ट्र के यवतमाल-वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के अन्य भागों के साथ बेहतर संपर्क मुहैया कराने के लिए रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): मेरे चुनाव क्षेत्र वाशिम-यवतमाल में पूर्णा-हिंगोली-वाशिम-अकोला, रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को पूरा हुए चार साल पूरे होने जा रहे हैं। यहां से काफी कर्मचारियों

और व्यापारियों को मुम्बई आना जाना पड़ता है। लेकिन मुम्बई के लिए यात्रा का कोई साधन नहीं होने के कारण इन लोगों को काफी कठिनाई होती है तथा लोगों द्वारा समय-समय पर नांदेड़-मुम्बई रेल शुरू करने की मांग की जाती रही है। लेकिन केन्द्र सरकार ने यह मांग अभी तक पूरी नहीं की है जिसके लिए क्षेत्रीय जनता द्वारा समय-समय पर इस क्षेत्र में आन्दोलन किये जाते रहे हैं।

अतः यहां की समस्या को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से इस मांग को पूरा करने का अनुरोध करती हूं साथ ही मैं कुछ अन्य मांगें माननीय मंत्री जी से करना चाहती हूं जिसकी इस क्षेत्र के लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है। उनकी मांग है कि-

1. नांदेड - मुंबई वाया पूर्णा-हिंगोली, वाशिम-अकोला-भुसावल नई ट्रेन चलाई जाए।
2. अकोला-तिरूपति वाया वाशिम-हिंगोली-पूर्णा-अकोला तिरूपति साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए।
3. नांदेड़-नई दिल्ली वाया हिंगोली-वाशिम-अकोला साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए।
4. चेन्नई से जयपुर वाया नांदेड़-हिंगोली-वाशिम-भुसावाल साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए।
5. भुसावल से बैंगलोर वाया अकोला-वाशिम-नांदेड़-सिकंदराबाद ट्रेन चलाई जाए।
6. नांदेड़ से शेगांव (संत नगरी) - खामगांव वाया हिंगोली-वाशिम-अकोला (पैसेंजर ट्रेन) सुबह और शाम दोनों समय चलाई जाए, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल सकती है।
7. हैदराबाद से अजमेर ट्रेन साप्ताह में तीन दिन चलती है इसको दैनिक रूप से चलाया जाए।
8. अहमदाबाद-चैन्नई (नवजीवन एक्सप्रेस) को साप्ताहिक कर वाशिम तक चलाया जाए।

(पंद्रह) झारखण्ड के जमशेदपुर में टाटानगर से रात्रि रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): मैं टाटानगर से रात्रि में रेलगाड़ी की अनुपलब्धता के कारण निकटवर्ती क्षेत्र के लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। चूंकि शहर में अच्छे अस्पताल नहीं हैं और आपातकालीन स्थिति में स्थानीय नागरिक को अपने उपचार के लिए कोलकाता जाना होता है और रात्रिकालीन रेल सुविधा की अनुपलब्धता के कारण वे समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे टाटा नगर से रात्रिकालीन रेल सेवा पुनः चालू करे और चिंता दूर करे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि संसद के दो पूर्व संसद सदस्यों के संदर्भ में जो विषय मैं ग्यारह बजे सदन में उठाना चाहता था, उसे आपने मुझे बारह बजे उठाने दिया। ...(*व्यवधान*) उन दो सांसदों को...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आडवाणीजी की बात के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अगर यहां नहीं बोलने दिया गया तो कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर बोलूंगा।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया उन्हें बोलने दें। मैंने उन्हें बोलने का समय दिया है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं मानता हूं कि इन दोनों सदस्यों ने लोकतंत्र की महान सेवा की।...(*व्यवधान*) इन दोनों सांसदों - फग्गन सिंह कुलस्ते जी और महावीर भगोरा जी - ने लोकतंत्र की महान सेवा की।...(*व्यवधान*)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैंने उन्हें बोलने का समय दिया है। आडवाणी जी की बात के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इन्होंने एक करोड़ रुपये अपनी जेब में न डालकर संसद में आकर प्रस्तुत किए। ...(*व्यवधान*) जिन लोगों ने...* सरकार के पक्ष में वोट दिया, वे तो आराम से बैठे हैं।...(*व्यवधान*) उनमें से कुछ लोग इलैक्ट होकर यहां आए हैं।...(*व्यवधान*) लेकिन मेरे दो साथी, जिन्होंने ईमानदारी से लोकतंत्र की सेवा की, उन्हें जेल भिजवाया गया।...(*व्यवधान*)

महोदया, मैं उस समय विपक्ष का नेता था और विपक्ष के नेता के नाते, जो कुछ वे कर रहे थे, अगर मुझे लगता कि वह ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें रोकता, उन्हें नहीं करने देता।...(*व्यवधान*) इसीलिए मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया, वह सही किया।...(*व्यवधान*) मेरी नैतिक जवाबदारी है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बता दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यहां सदन के नेता बैठे हैं, चिदंबरम जी बैठे हैं।...(*व्यवधान*) मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर वे दो अपराधी हैं तो आप मुझे भी जेल में डाल दीजिए।...(*व्यवधान*) मैं जेल में जाने को तैयार हूं। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आज सभा अपराह्न 12.55 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पचपन मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.55 बजे

लोक सभा अपराह्न 12 बजकर 55 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

विदाई संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, 15वीं लोक सभा के 1 अगस्त, 2011 को आरंभ हुए आठवें सत्र का आज समापन हो रहा है।

इस सत्र के दौरान, हमने 26 बैठकें की जो 104 घंटे, 15 मिनट चलीं।

सत्र के दौरान, महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को स्वीकृत किए जाने से पहले 3 घंटे 53 मिनट तक चर्चा हुई तथा इनसे संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दौरान, 11 विधेयक पुनःस्थापित तथा 14 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं: भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011 और तत्पश्चात् राज्य सभा द्वारा इसमें किए गए संशोधन; मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2011; भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011; सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011; राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011; वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011; ओडिशा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2010 और संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010।

सत्र के दौरान, 500 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 51 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार, औसतन लगभग 1.96 प्रश्नों का प्रतिदिन उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 5749 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

मैं आशा करती हूं कि भविष्य में सभा प्रश्नकाल के स्थगन अथवा उसमें व्यवधान की अनुमति नहीं देगी क्योंकि प्रश्नकाल की भरपाई नहीं हो सकती है।

"विद्युत की मांग और आपूर्ति" विषय पर एक आधे घंटे की चर्चा उठायी गयी और माननीय मंत्री ने इसका उत्तर दिया।

प्रश्नकाल के बाद तथा सायंकाल देर तक बैठकर सदस्यों ने लगभग 307 अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 325 मामले उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में 63 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा ने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर नियम 193 के अधीन पांच अल्पकालिक चर्चाएं भी कीं अर्थात् (एक) लोकपाल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में; (दो) श्रीलंका के तमिलों को राहत और पुनर्वास के लिए तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी अन्य उपायों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में; (तीन) देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के बारे में; (चार) लोकपाल के गठन से संबंधित मुद्दों पर वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में; और (पांच) राष्ट्रमंडल खेल (सी.डब्ल्यू.जी.), 2010 के बारे में सभापटल पर रखे गए वक्तव्य के बारे में, जिस पर आंशिक चर्चा हुई।

सभा ने एक अतिमहत्वपूर्ण विषय अर्थातः "मूल्यवृद्धि" विषय पर नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर भी चर्चा की।

अपराह्न 1.00 बजे

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से तीन विषय उठाए गए थे अर्थात् (एक) तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलम्ब से उत्पन्न स्थिति, (दो) एयर इंडिया की घटती हुई यात्री संख्या और खराब वित्तीय स्थिति जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वेतन और अन्य परिसुविधाओं के संदाय में विलम्ब हुआ, से उत्पन्न स्थिति और (तीन) खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों की ढुलाई नहीं हो पाने के कारण देश के विभिन्न भागों, विशेषकर पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों के भंडारण और स्टॉक धारिता सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति। इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में, संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए तथा सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के भी उत्तर दिए।

विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 35 वक्तव्य दिए गए और सरकारी कार्य के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चार वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान विभिन्न विषयों के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों के 38 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। बिहार के बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारम्भ किए जाने और राहत और पुनर्वास उपाय किए जाने के लिए राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान करने हेतु पिछले सत्र के दौरान प्रो. रंजन प्रसाद यादव द्वारा पुरःस्थापित किए गए संविधान (संशोधन) विधेयक पर 5 और 19 अगस्त, 2011 को आगे चर्चा हुई तथा इस विधेयक को इसके प्रभारी सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया। दिनांक 19 अगस्त, 2011 को श्री सतपाल महाराज ने संविधान की आठवीं अनुसूची में गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करने वाले एक अन्य संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया। इस विधेयक पर 2 सितम्बर, 2011 को पुनः चर्चा हुई लेकिन चर्चा पूरी नहीं हुई।

पांचवें सत्र के दौरान 21 अगस्त, 2010 को डॉ. भोला सिंह द्वारा प्रस्तुत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी एक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर 12 और 26 अगस्त, 2011 को आगे चर्चा हुई। इस संकल्प को सभी की अनुमति से दिनांक 26 अगस्त, 2011 को वापस ले लिया गया। 26 अगस्त 2011 को श्री हरीश चौधरी द्वारा प्रस्तुत देश में मरूभूमि क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज संबंधी एक अन्य संकल्प पर आंशिक रूप से ही चर्चा हो सकी।

इस सत्र में सभा की बैठकें 18 घंटे 25 मिनट देर तक चलीं लेकिन खेद की बात है कि व्यवधानों और बलात स्थगनों के कारण 51 घंटे और 6 मिनट से अधिक समय नष्ट हुआ। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य हमारे संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए इस प्रवृत्ति को रोकने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

सभा के कार्य-निष्पादन में सहायता तथा सहयोग के लिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति तालिका के अपने साथियों को धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय सदस्यों

[अध्यक्ष महोदया]

के साथ-साथ माननीय प्रधान मंत्री सभा के नेता, विपक्ष की नेता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रचार माध्यमों के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर पर कुशल एवं विशेषज्ञ सहायता के लिए महासचिव को बधाई देती हूं। मैं सभा को समर्पित एवं त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद देती हूं। सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए मैं अनुसंगी एजेंसियों को भी धन्यवाद देती हूं।

माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि इस सत्र के दौरान मेरे साथ-साथ आप सभी ने यू.पी.ए. की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि अमरीका में ईलाज के पश्चात् स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं, की अनुपस्थिति को महसूस किया। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एक अन्य मित्र श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर अस्वास्थ्य होने के कारण सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए। हम उनके भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

वन्दे मातरम् की धुन बजायी जायेगी। अतएव माननीय सदस्य खड़े हो जाएं।

अपराह्न 1.06 बजे

राष्ट्र गीत

राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदया: सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री मधुसूदन यादव	501
2.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय श्री नरहरि महतो	502
3.	श्री रामसिंह राठवा	503
4.	श्री हेमानंद बिसवाल	504
5.	श्री मनीष तिवारी श्री जयवंत गंगाराम आवले	505
6.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	506
7.	श्री दुष्यंत सिंह श्री वीरेन्द्र कुमार	507
8.	श्री रमेन डेका श्री हरीश चौधरी	508
9.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	509
10.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	510
11.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर श्रीमती भावना पाटील गवली	511
12.	श्रीमती जयाप्रदा श्री यशवीर सिंह	512
13.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	513
14.	श्री जगदम्बिका पाल	514
15.	श्री जगदीश सिंह राणा	515
16.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	516
17.	श्री दारा सिंह चौहान	517
18.	श्री निशिकांत दुबे	518
19.	श्री आनंदराव अडसुल श्री बृजभूषण शरण सिंह	519
20.	श्री एंटो एंटोनी	520

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	राव इन्द्रजीत सिंह	5888
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	5901, 5905, 5970
3.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	5839
4.	श्री आनंदराव अडसुल	5901, 5905, 5970
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	5807
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	5802, 5939
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	5825, 5841
8.	श्री घनश्याम अनुरागी	5762
9.	श्री अशोक अर्गल	5847, 5903
10.	श्री कीर्ति आजाद	5857
11.	श्री गजानन ध. बाबर	5809, 5905, 5953, 5970
12.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	5799
13.	श्री रमेश बैस	5780
14.	श्री कामेश्वर बैठा	5798, 5930
15.	डॉ. बलीराम	5826
16.	श्री अम्बिका बनर्जी	5867

1	2	3
17.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	5825
18.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	5818
19.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	5873
20.	श्री ताराचन्द भगोरा	5823, 5957
21.	श्री शिवराज भैया	5979
22.	श्री संजय भोई	5821, 5849
23.	श्री पी.के. बिजू	5848
24.	श्री हेमानंद बिसवाल	5911
25.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	5876
26.	श्री सी. शिवासामी	5821, 5940
27.	श्री पी.सी. चाको	5870, 5881
28.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	5890
29.	श्री हरीश चौधरी	5878
30.	श्री जयंत चौधरी	5792
31.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	5898
32.	श्री दारा सिंह चौहान	5968
33.	श्रीमती श्रुति चौधरी	5758, 5913
34.	श्री भक्त चरण दास	5834
35.	श्री खगेन दास	5763
36.	श्री राम सुन्दर दास	5893, 5904
37.	श्री गुरुदास दासगुप्त	5751
38.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	5755, 5871, 5909
39.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	5844
40.	श्री रमेन डेका	5963
41.	श्री के.डी. देशमुख	5764
42.	श्रीमती रमा देवी	5784
43.	श्री के.पी. धनपालन	5844
44.	श्री आर. ध्रुवनारायण	5889, 5959
45.	श्री निशिकांत दुबे	5904, 5969
46.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	5940
47.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	5869, 5955
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	5751, 5843, 5866
49.	श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी	5831
50.	श्री वरुण गांधी	5846
51.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	5773, 5943
52.	श्री ए. गणेशमूर्ति	5845
53.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	5859, 5972
54.	श्री राजेन गोहैन	5832
55.	श्री एल. राजगोपाल	5923, 5940
56.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	5815, 5825, 5948
57.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	5830
58.	श्री महेश्वर हजारी	5846, 5872
59.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	5797, 5941, 5966
60.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	5788
61.	श्री बलीराम जाधव	5891, 5940
62.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	5961
63.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	5767
64.	श्री बद्रीराम जाखड़	5779, 5846, 5921

1	2	3
65.	श्रीमती दर्शना जरदोश	5858
66.	श्री हरिभाऊ जावले	5875
67.	श्रीमती जयाप्रदा	5850, 5965
68.	श्री प्रहलाद जोशी	5782, 5853
69.	श्रीमती कैसर जहां	5855
70.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	5756, 5918
71.	श्री राम सिंह कस्वां	5789, 5926
72.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	5759
73.	श्री चंद्रकांत खैरे	5833
74.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	5827, 5904, 5947
75.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	5775, 5906, 5919
76.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	5878
77.	श्री एन. कृष्टप्प	5763
78.	श्री विश्व मोहन कुमार	5871, 5909
79.	श्री पी. कुमार	5821, 5940
80.	श्री शैलेन्द्र कुमार	5908
81.	श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली	5938
82.	श्री पी. लिंगम	5940
83.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	5774, 5915
84.	श्री सतपाल महाराज	5819
85.	श्री नरहरि महतो	5944
86.	श्री प्रदीप माझी	5896, 5902
87.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	5796, 5865, 5937
88.	श्री मंगनी लाल मंडल	5906
89.	श्री जोस के. मणि	5980
90.	श्री हरि मांझी	5791
91.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	5887
92.	श्री महाबल मिश्रा	5871
93.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	5847, 5973
94.	श्री सोमेन मित्रा	5897
95.	श्री गोपीनाथ मुंडे	5780
96.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	5880
97.	श्री संजय निरुपम	5884
98.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	5795, 5942
99.	श्री जगदम्बिका पाल	5966
100.	श्री वैजयंत पांडा	5836, 5899, 5966
101.	श्री प्रबोध पांडा	5886, 5910, 5940
102.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	5895
103.	कुमारी सरोज पाण्डेय	5922, 5949
104.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	5843, 5866
105.	श्री कमलेश पासवान	5792
106.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	5813, 5858
107.	श्री किसनभाई वी. पटेल	5896, 5902
108.	श्री हरिन पाठक	5907, 5974
109.	श्री सी.आर. पाटिल	5772
110.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	5861
111.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	5843, 5866

1	2	3
112.	श्रीमती कमला देवी पटले	5801
113.	श्री पोन्नम प्रभाकर	5761, 5916
114.	श्री नित्यानंद प्रधान	5899, 5966
115.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	5752, 5914
116.	श्री पन्ना लाल पुनिया	5854, 5964
117.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	5977
118.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	5873
119.	श्री एम.के. राघवन	5883
120.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	5804
121.	श्री अब्दुल रहमान	5815, 5825, 5908, 5955
122.	श्री प्रेम दास राय	5882
123.	श्री सी. राजेन्द्रन	5863, 5976
124.	श्री पूर्णमासी राम	5837, 5954
125.	श्री रामकिशुन	5757
126.	श्री जगदीश सिंह राणा	5967
127.	श्री राजेन्द्रसिंह राणा	5868
128.	डॉ. के.एस. राव	5860
129.	श्री रायापति सांबासिवा राव	5771
130.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	5978
131.	श्री रामसिंह राठवा	5864, 5883, 5929
132.	श्री अशोक कुमार रावत	5892
133.	श्री रुद्र माधव राय	5786, 5838, 5924
134.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	5785
135.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	5806, 5956

1	2	3
136.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	5944
137.	श्री एस. अलागिरी	5835
138.	श्री एस. सेम्मलई	5864
139.	श्री एस. पक्कीरप्पा	5787, 5925
140.	श्री एस. आर. जेयदुरई	5869, 5948
141.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	5765, 5928, 5972
142.	श्री ए. संपत	5828
143.	श्रीमती सुशीला सरोज	5851, 5872
144.	श्री तथागत सत्पथी	5800
145.	श्री हमदुल्लाह सईद	5766, 5917
146.	श्री एम.आई. शानवास	5842
147.	श्रीमती जे. शांता	5769, 5781, 5932
148.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	5753, 5912
149.	श्री नीरज शेखर	5850, 5965
150.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	5877
151.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	5781, 5880, 5951
152.	श्री एंटो एंटोनी	5971
153.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	5805, 5933
154.	डॉ. भोला सिंह	5816
155.	श्री भूपेन्द्र सिंह	5803, 5931
156.	श्री दुष्यंत सिंह	5962
157.	श्री गणेश सिंह	5829
158.	श्री इज्यराज सिंह	5878
159.	श्री जगदानंद सिंह	5852, 5906

1	2	3
160.	श्री राधा मोहन सिंह	5885
161.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	5822, 5975
162.	श्री रवनीत सिंह	5777, 5920, 5979
163.	श्री यशवीर सिंह	5950, 5965
164.	चौ. लाल सिंह	5790
165.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	5856
166.	श्री रेवती रमण सिंह	5852, 5955
167.	श्री राधे मोहन सिंह	5838, 5959
168.	राजकुमारी रत्ना सिंह	5820, 5835
169.	श्री विजय बहादुर सिंह	5821, 5946, 5972
170.	डॉ. संजय सिंह	5900
171.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	5778, 5938
172.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	5817, 5907, 5974
173.	श्री मकनसिंह सोलंकी	5794
174.	श्री के. सुधाकरण	5853
175.	श्री ई.जी. सुगावनम	5768, 5929
176.	श्री के. सुगुमार	5810
177.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	5754, 5869, 5936
178.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	5808, 5934
179.	श्री मानिक टैगोर	5824, 5952
180.	श्रीमती अन्नू टन्डन	5862
181.	श्री बिभू प्रसाद तराई	5910
182.	श्री मनीष तिवारी	5960
183.	श्री जगदीश ठाकोर	5793, 5867
184.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	5760, 5918
185.	श्री आर. थामराई सेलवन	5840
186.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	5879
187.	श्री मनोहर तिरकी	5796, 5865, 5937
188.	श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी	5893, 5904
189.	श्री लक्ष्मण टुडु	5874
190.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	5776, 5846, 5851, 5872
191.	श्री हर्ष वर्धन	5814
192.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	5927
193.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	5821, 5940
194.	श्री सज्जन वर्मा	5894
195.	श्रीमती ऊषा वर्मा	5846, 5851, 5872
196.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	5770
197.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	5811, 5935
198.	श्री धर्मेन्द्र यादव	5901, 5905, 5970
199.	श्री ओम प्रकाश यादव	5783
200.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	5870
201.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	5812, 5945
202.	श्री मधुसूदन यादव	5958

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	504, 520
कॉर्पोरेट कार्य	:	502, 516
पेयजल और स्वच्छता	:	507
पृथ्वी विज्ञान	:	513
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	514
विधि और न्याय	:	517
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	511, 518
अल्पसंख्यक कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	506, 508, 510
रेल	:	503. 505, 512
ग्रामीण विकास	:	519
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	501, 509, 515

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	5771, 5777, 5787, 5792, 5804, 5805, 5812, 5824, 5834, 5838, 5839, 5848, 5920, 5948
कॉर्पोरेट कार्य	:	5752, 5763, 5820, 5823, 5843, 5895, 5923, 5944, 5947
पेयजल और स्वच्छता	:	5754, 5762, 5828, 5907, 5941, 5965, 5970, 5974
पृथ्वी विज्ञान	:	5830, 5969
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	5769, 5782, 5817, 5819, 5883, 5946, 5972, 5976, 5977, 5978
विधि और न्याय	:	5753, 5766, 5800, 5821, 5825, 5845, 5850, 5853, 5888, 5912, 5917, 5929, 5961

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	5755, 5818, 5842, 5844, 5864, 5866, 5902, 5914, 5932, 5939, 5949, 5967, 5975
अल्पसंख्यक कार्य	:	5770, 5810, 5829, 5867, 5897, 5904, 5908, 5953, 5973
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	5751, 5759, 5760, 5765, 5767, 5778, 5783, 5785, 5788, 5794, 5803, 5808, 5809, 5814, 5826, 5827, 5831, 5833, 5857, 5859, 5868, 5875, 5881, 5885, 5896, 5899, 5900, 5916, 5922, 5925, 5931, 5943, 5945, 5971
रेल	:	5761, 5764, 5772, 5776, 5779, 5781, 5786, 5791, 5793, 5795, 5801, 5802, 5806, 5807, 5811, 5822, 5832, 5835, 5836, 5837, 5849, 5854, 5858, 5861, 5863, 5872, 5873, 5874, 5876, 5877, 5879, 5884, 5886, 5891, 5892, 5894, 5905, 5909, 5915, 5924, 5926, 5927, 5928, 5934, 5936, 5937, 5951, 5958, 5963, 5964, 5966, 5968
ग्रामीण विकास	:	5756, 5758, 5797, 5813, 5815, 5840, 5841, 5846, 5847, 5851, 5862, 5869, 5878, 5880, 5887, 5893, 5901, 5903, 5919, 5930, 5938, 5942, 5979, 5980
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	5768, 5870, 5882, 5889, 5913, 5950, 5952, 5957
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:`	5773, 5774, 5956, 5959
जल संसाधन	:	5757, 5775, 5780, 5784, 5789, 5790, 5796, 5798, 5799, 5816, 5852, 5855, 5856, 5860, 5865, 5871, 5890, 5898, 5906, 5910, 5911, 5918, 5921, 5933, 5935, 5940, 5954, 5955, 5960, 5962.